



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का  
मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए  
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों  
पर प्रतिवेदन



उत्तर प्रदेश सरकार  
वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-9  
(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा - वाणिज्यिक)



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का  
मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए  
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों  
पर प्रतिवेदन**

**उत्तर प्रदेश सरकार  
वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-9**



## विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन	--	ix
विहंगावलोकन	--	xi-xxii
<b>अध्याय-1</b>		
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन</b>		
प्रस्तावना	1.1	1-2
लेखापरीक्षा अधिदेश	1.2	2
सरकार तथा विधायिका की भूमिका	1.3	2
वित्तीय विवरणों की स्थिति	1.4	2-3
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एसपीएसई का योगदान	1.5	3-4
एसपीएसई में निवेश	1.6	4
एसपीएसई में उ.प्र. सरकार की हिस्सेदारी	1.7	4-6
उ.प्र. सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश	1.8	6-7
एसपीएसई को प्रदान किए गए ऋण	1.9	7
अन्य बजटीय सहायता	1.10	8
बकाया लेखाओं वाले एसपीएसई में निवेश एवं अन्य बजटीय सहायता	1.11	8-9
उ.प्र. सरकार के वित्त लेखाओं से मिलान	1.12	9
निष्क्रिय एसपीएसई का परिसमापन	1.13	9-10
ऋणों का विश्लेषण	1.14	10
ब्याज व्याप्ति अनुपात	1.15	10-11
दीर्घावधि ऋण दायित्वों को पूर्ण करने हेतु परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता	1.16	11
ब्याज प्रभार का शोधन और मूलधन का पुनर्भुगतान	1.17	11-12
उ.प्र. सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण	1.18	12-13
एसपीएसई की तरलता का विश्लेषण	1.19	13-14
एसपीएसई में निवेश पर प्रतिफल	1.20	14
इक्विटी पर प्रतिफल	1.21	14-15
नेट वर्थ का क्षरण	1.22	15-16
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	1.23	16-17
एसपीएसई में लाभांश भुगतान	1.24	17-18
एसपीएसई की परिचालन दक्षता	1.25	18

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ	1.26	18-19
एसपीएसई द्वारा वहन की गई हानि	1.27	19
टर्नओवर के विरुद्ध शुद्ध लाभ का मार्जिन	1.28	19-20
<b>अध्याय-II</b>		
<b>सीएजी की निरीक्षण भूमिका</b>		
सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	2.1	21
सांविधिक लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा	2.2	21-22
लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता	2.3	22-24
एसपीएसई के लेखाओं की लेखापरीक्षा में सीएजी की निरीक्षण भूमिका	2.4	24-25
सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम	2.5	25-26
वित्तीय विवरणों में संशोधन/लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में पुनरीक्षण	2.6	26
एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर निर्गत सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ	2.7	26-27
लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	2.8	27-28
प्रबंधन पत्र	2.9	28-29
सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण	2.10	29
<b>अध्याय-III</b>		
<b>निगमित अभिशासन</b>		
प्रस्तावना	3.1	31
निगमित अभिशासन के सम्बन्ध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान	3.2	31-32
निगमित अभिशासन पर सेबी के दिशानिर्देश	3.3	32
लेखापरीक्षा परिणाम	3.4	32
निदेशक बोर्ड की संरचना	3.5	32
बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक	3.6	32-34
बोर्ड में महिला निदेशक	3.7	34-35
निदेशक बोर्ड की बैठकें	3.8	35-37
निदेशक बोर्ड की समितियाँ	3.9	37
लेखापरीक्षा समिति	3.10	37-39
नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति	3.11	39-41
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति	3.12	41
पणधारी सम्बन्ध समिति	3.13	42

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
सचेतक तंत्र	3.14	42
स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्य पद्धति	3.15	43
नियुक्ति के औपचारिक पत्र का निर्गमन तथा शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदन	3.16	43
बोर्ड तथा बोर्ड समितियों की बैठकों में भाग लेना	3.17	43-45
कंपनी के साधारण अधिवेशनों में भाग लेना	3.18	45
स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित करना	3.19	46
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति	3.20	46-48
आंतरिक लेखापरीक्षा की रूपरेखा	3.21	48
एसपीएसई में आंतरिक लेखापरीक्षा	3.22	48-49
निष्कर्ष	-	49-50
संस्तुति	-	50
<b>अध्याय-IV</b>		
<b>भारतीय लेखा मानकों में पारगमन तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर इनके अंगीकरण का प्रभाव</b>		
प्रस्तावना	4.1	51
इंड एस की प्रयोज्यता के लिए रोडमैप	4.2	52
एसपीएसई द्वारा प्रथम-बार इंड एस के अंगीकरण की स्थिति	4.3	53
इंड एस को प्रथम-बार अंगीकृत किये जाने की समीक्षा	4.4	53-54
लेखापरीक्षा परिणाम	4.5	54-55
इंड एस को अंगीकृत करने में विलम्ब	4.6	55-56
इंड एस 101 के अंतर्गत समाधान आवश्यकताओं का अनुपालन न करना	4.7	56
चयनित प्रमुख क्षेत्रों पर इंड एस को अंगीकृत करने का प्रभाव	4.8	56-60
निष्कर्ष	-	60
<b>अध्याय-V</b>		
<b>निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व</b>		
प्रस्तावना	5.1	61-62
विधिक ढाँचा	5.2	62-63
एसपीएसई पर सीएसआर प्रावधानों की प्रयोज्यता	5.3	63
लेखापरीक्षा परिणाम	5.4	63
सीएसआर समिति का गठन	5.5	63-64
सीएसआर नीति का विरचन	5.6	64-65

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
वार्षिक कार्य योजना विरचित करना	5.7	65
सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय	5.8	65-66
सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की गई धनराशि का विश्लेषण	5.9	66
क्षेत्रवार सीएसआर व्यय	5.10	67
सीएसआर व्यय हेतु केंद्रित क्षेत्र	5.11	67
सीएसआर कार्यकलापों से अधिशेष	5.12	67-68
प्रशासनिक उपरिव्ययों पर व्यय	5.13	68
अनुश्रवण ढाँचा	5.14	68
रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण	5.15	69
निष्कर्ष	-	70
संस्तुतियाँ	-	70
<b>अध्याय-VI</b>		
<b>उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
कंपनी के बारे में	6.1	72
संगठनात्मक ढाँचा	6.2	72-73
जनशक्ति की स्थिति	6.3	73-74
वित्तीय स्थिति तथा कार्य परिणाम	6.4	74-77
लेखापरीक्षा उद्देश्य	6.5	77
लेखापरीक्षा मानदण्ड	6.6	77
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि	6.7	77-78
लेखापरीक्षा बाधाएँ	6.8	78
अभिस्वीकृति	6.9	78
लेखापरीक्षा परिणाम	6.10	78
वित्तीय प्रबंधन	6.11	78-79
निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग की स्थिति	6.11.1	79-80
बजट प्रक्रिया में कमियाँ	6.11.2	80
प्राप्त निधियों से अधिक व्यय	6.11.3	81
अव्ययित निधियाँ ग्राहकों को वापस नहीं की गई	6.11.4	81-82
सरकारी निधियों पर अर्जित ब्याज को कोषागार में जमा नहीं किया गया	6.11.5	82
मोबिलाइजेशन अग्रिम पर वसूल किए गए ब्याज को सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया	6.11.6	82-83
परिचालन नियोजन	6.12	83
कार्यों की प्राप्ति की स्थिति	6.12.1	83-84

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
निविदा प्रक्रिया में कमियाँ	6.12.2	85-87
समय-सीमा तथा माइलस्टोन का अभाव	6.12.3	87-88
तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निर्माण कार्य का प्रारम्भ	6.12.4	88-89
पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के बिना निर्माण प्रारम्भ करना	6.12.5	89
कंपनी की दक्षता के कारण बचत की कटौती न करने के कारण गलत प्राक्कलन	6.12.6	89-90
परिचालनों का निष्पादन	6.13	90
बिड प्रस्तुत करने हेतु अपर्याप्त समय	6.13.1	90-91
कार्य आदेशों के निर्गमन के माध्यम से कार्यों को अनियमित रूप से सबलेट किया जाना	6.13.2	91-92
अयोग्य एजेंसियों को उप-संविदा	6.13.3	92-93
अग्रिमों को अनियमित रूप से अवमुक्त करना	6.13.4	93-94
मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की कम वसूली	6.13.5	94-95
प्रतिभूति जमा की कम कटौती	6.13.6	95-96
कर्मकार कल्याण उपकर की कम कटौती	6.13.7	96-97
परियोजना प्रबंधन परामर्श/तृतीय पक्ष गुणवत्ता निरीक्षण हेतु किये गये भुगतान को वसूल नहीं किया गया	6.13.8	97
संविदाकार को अधिक भुगतान	6.13.9	97-99
जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री/सेवाएं का क्रय नहीं किया जाना	6.13.10	99-100
अतिरिक्त कार्य का अनाधिकृत निष्पादन	6.13.11	100-101
पूर्व अनुमोदन के बिना अतिरिक्त कार्य का निष्पादन	6.13.12	102-103
परामर्शी सेवाओं में कमियाँ	6.13.13	103
ग्राहकों को त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना	6.13.14	103-104
आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण	6.14	104
वित्तीय विवरणों के अंतिमीकरण में विलम्ब	6.14.1	104-105
वार्षिक प्रतिवेदन विधानमण्डल के सदनों के समक्ष नहीं रखे गए	6.14.2	105
अंतर-इकाई लेनदेनों का समाधान न किया जाना	6.14.3	105-106
स्रोत पर काटे गए यूपीवैट के प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए	6.14.4	106-107

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त नहीं किया जाना	6.14.5	107
सांविधिक बोर्ड समितियों का गठन नहीं किया जाना	6.14.6	107
नियमित बोर्ड बैठकें आयोजित नहीं की गईं	6.14.7	107-108
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व में कमियाँ	6.14.8	108-110
सामग्री उपभोग विवरण तैयार नहीं किए गए	6.14.9	110
कंपनी की निधि से अवरुद्ध कार्यों का निष्पादन	6.14.10	110
कार्य के वास्तविक निष्पादन के बिना भुगतान	6.14.11	110-112
निष्कर्ष	-	112-113
<b>अध्याय-VII</b>		
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण</b>		
<b>अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग</b>		
<b>डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड</b>		
अर्नेस्ट मनी डिपाजिट दस्तावेज (बैंक गारंटी) का नकदीकरण एवं जल्तीकरण न करने से कंसोर्टियम को अनुचित लाभ	7.1	115-117
<b>परिवहन विभाग</b>		
<b>उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम</b>		
स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित न करने के कारण निगम को हानि	7.2	117-119

परिशिष्टियाँ	परिशिष्टि संख्या	पृष्ठ
30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत उनके नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार एसपीएसई की संक्षेपित वित्तीय स्थिति तथा कार्यकलापों के परिणाम को दर्शाने वाला विवरण	1.1	121-125
बकाया लेखाओं वाले अवधि के दौरान उ.प्र. सरकार द्वारा एसपीएसई में किए गए निवेश और प्रदान की गई अन्य बजटीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण	1.2	126-127

परिशिष्टियाँ	परिशिष्ट संख्या	पृष्ठ
31 मार्च 2023 को वित्त लेखाओं और एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, दीर्घावधि ऋण, तथा बकाया प्रत्याभूति के आँकड़ों में अंतर को दर्शाने वाला विवरण	1.3	128-129
एसपीएसई के बकाया लेखाओं को दर्शाने वाला विवरण	2.1	130-133
सीएजी द्वारा अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर निर्गत की गई टिप्पणियाँ/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को दर्शाने वाला विवरण	2.2	134-135
सीएजी द्वारा 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 के दौरान एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर निर्गत किए गए महत्वपूर्ण टिप्पणियों को दर्शाने वाला विवरण	2.3	136-145
एसपीएसई जहाँ सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एएस/इंड एएस का अनुपालन न करना प्रतिवेदित किया था को दर्शाने वाला विवरण	2.4	146
एसपीएसई जहाँ सीएजी द्वारा अनिवार्य एएस/इंड एएस का अनुपालन न करना इंगित किया गया था को दर्शाने वाला विवरण	2.5	147
1 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 तक की अवधि के दौरान एसपीएसई को निर्गत किए गए प्रबंधन पत्रों को दर्शाने वाला विवरण	2.6	148
एसपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों, महिला निदेशकों, बोर्ड बैठकों, लेखापरीक्षा समितियों, नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समितियों (एनआरसी), तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	3.1	149-152
एसपीएसई में आंतरिक लेखापरीक्षा की रूपरेखा को दर्शाने वाला विवरण	3.2	153
31 मार्च 2023 को प्रभावी भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को दर्शाने वाला विवरण	4.1	154
इंड-एएस को अंगीकृत करने वाले एसपीएसई को दर्शाने वाला विवरण	4.2	155-156
इंड-एएस को प्रथम बार अंगीकृत करते समय एसपीएसई द्वारा उपयोग किये गये विकल्पों/छूटों को दर्शाने वाला विवरण	4.3	157-158

परिशिष्टियाँ	परिशिष्ट संख्या	पृष्ठ
कर पश्चात् लाभ (पीएटी) में वृद्धि/कमी में योगदान देने वाले कारकों/कारणों को दर्शाने वाला विवरण	4.4	159-160
कुल परिसम्पत्तियों में वृद्धि/कमी में योगदान देने वाले कारकों/कारणों को दर्शाने वाला विवरण	4.5	161
एसपीएसई जिन्होंने अपने नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणों के अनुसार सीएसआर कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए योग्यता मानदण्डों को पूर्ण किया को दर्शाने वाला विवरण	5.1	162-164
कंपनी द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी सूचना/अभिलेखों को दर्शाने वाला विवरण	6.1	165-167
तकनीकी स्वीकृति के बिना प्रारम्भ किए गए निर्माण कार्यों को दर्शाने वाला विवरण	6.2	168-169
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किए बिना निष्पादित कार्यों को दर्शाने वाला विवरण	6.3	170
कंपनी द्वारा आमंत्रित अल्पावधि निविदाओं को दर्शाने वाला विवरण	6.4	171
इकाई प्रभारी द्वारा निर्गत किए गए कार्य आदेशों को दर्शाने वाला विवरण	6.5	172-174
उप-संविदाकारों को अवमुक्त किये गये अप्रतिभूत अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण	6.6	175
उप-संविदाकारों को आपूर्ति की गई सामग्री के विरुद्ध अवमुक्त किये गये अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण	6.7	176
उप-संविदाकारों को सम्पादित किन्तु मापन नहीं गए कार्य के विरुद्ध अवमुक्त किये गये अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण	6.8	177
कार्य जहाँ कंपनी द्वारा मासिक खपत विवरण तैयार नहीं किया गया था को दर्शाने वाला विवरण	6.9	178
<b>संक्षेपणों की सूची</b>		179-180

यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बन्धित है। यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए, समय-समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

सरकारी कम्पनियों के लेखे (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित) की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित लेखे सीएजी के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं एवं सीएजी अपनी टिप्पणी देते हैं या सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों को अनुपूरित करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये कम्पनियाँ सीएजी द्वारा की जाने वाली नमूना लेखापरीक्षा के अधीन होती हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था सम्बन्धित अधिनियमों जिनके तहत ये निगम स्थापित किये गये हैं, के अन्तर्गत निर्धारित की गयी है।

इस प्रतिवेदन में सात अध्याय हैं, अध्याय-I में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन सम्मिलित है। अध्याय-II में सीएजी की निरीक्षण भूमिका। अध्याय-III में निगमित अभिशासन सम्मिलित है। अध्याय-IV में भारतीय लेखा मानकों में पारगमन तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर इनके अंगीकरण का प्रभाव सम्मिलित है। अध्याय-V में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मिलित है। अध्याय-VI में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित है। अध्याय-VII में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उन लेखापरीक्षा दृष्टान्तों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2022-23 में की गयी नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए एवं वे जो गत वर्षों में संज्ञान में आए थे परन्तु उनका उल्लेख गत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नहीं किया जा सका था। वर्ष 2022-23 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्तों को भी, जहाँ सम्बन्धित एवं आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी है।



**विहंगावलोकन**



## विहंगावलोकन

### इस प्रतिवेदन के बारे में

यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) का वित्तीय प्रदर्शन, एसपीएसई के सम्बन्ध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की निरीक्षण भूमिका, एसपीएसई में निगमित अभिशासन की स्थिति, एसपीएसई द्वारा भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन, तथा एसपीएसई द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए एसपीएसई के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम भी इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए गए हैं।

इस प्रतिवेदन की विषय-वस्तु को सात अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं:

- अध्याय-I** : राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन
- अध्याय-II** : सीएजी की निरीक्षण भूमिका
- अध्याय-III** : निगमित अभिशासन
- अध्याय-IV** : भारतीय लेखा मानकों में पारगमन तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर इनके अंगीकरण का प्रभाव
- अध्याय-V** : निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व
- अध्याय-VI** : उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा
- अध्याय-VII** : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

### अध्याय-I: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश में 31 मार्च 2023 को सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 113 एसपीएसई थे। इन 113 एसपीएसई में से 86 सरकारी कंपनी, 21 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी, तथा छः सांविधिक निगम थे। अग्रेतर, 113 एसपीएसई में से 72 क्रियाशील एवं 41 निष्क्रिय (13 समापनाधीन सहित) थे। 72 क्रियाशील एसपीएसई में से चार ने अपने प्रथम वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे; ये एसपीएसई थे - लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, तथा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड।

(प्रस्तर 1.1 एवं 1.4)

68 क्रियाशील एसपीएसई (चार एसपीएसई को छोड़कर, जिन्होंने अपने प्रथम वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे) में से 39 एसपीएसई ने ₹ 2,169.50 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जबकि 27 एसपीएसई ने ₹ 32,393.08 करोड़ की हानि वहन की, तथा दो एसपीएसई ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, कोई लाभ या हानि नहीं प्रतिवेदित की थी। शीर्ष पाँच लाभ अर्जित करने वाले एसपीएसई पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद थे, जबकि शीर्ष पाँच हानि वहन करने वाले एसपीएसई उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड थे।

**(प्रस्तर 1.4, 1.26 एवं 1.27)**

68 क्रियाशील एसपीएसई (चार एसपीएसई को छोड़कर, जिन्होंने अपने प्रथम वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे) का, उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, टर्नओवर (₹ 92,696.60 करोड़), वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 22,57,575 करोड़) का 4.10 प्रतिशत था।

**(प्रस्तर 1.5)**

31 मार्च 2023 को, 72 क्रियाशील एसपीएसई में कुल निवेश ₹ 4,12,768.89 करोड़ (इक्विटी: ₹ 2,82,529.29 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण: ₹ 1,30,239.60 करोड़) था, जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) ने ₹ 1,74,333.04 करोड़ (इक्विटी: ₹ 1,69,318.48 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण: ₹ 5,014.56 करोड़) का योगदान दिया था, जो कुल निवेश का 42 प्रतिशत था।

**(प्रस्तर 1.7)**

इक्विटी में निवेश करने तथा एसपीएसई को दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त, उ.प्र. सरकार, वार्षिक बजट के माध्यम से अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में एसपीएसई को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, साथ ही बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले एसपीएसई को प्रत्याभूति भी देती है। अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में उ.प्र. सरकार द्वारा एसपीएसई को बजटीय सहायता 2021-22 में ₹ 23,439.82 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 28,318.69 करोड़ हो गई; तथा वर्ष के अंत तक बकाया प्रत्याभूति प्रतिबद्धताएं भी 31 मार्च 2022 को ₹ 37,387.30 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹ 46,641.91 करोड़ हो गईं।

**(प्रस्तर 1.10)**

25 एसपीएसई, जिनके पास अपने नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार बकाया ऋण तथा वित्त लागत थे, में से 13 एसपीएसई का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था, जो उनके ब्याज बाध्यताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त आय को इंगित करता है। यद्यपि, 12 एसपीएसई का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था, जो यह इंगित करता है कि ये एसपीएसई अपने ब्याज दायित्वों का भुगतान करने हेतु पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर सके।

(प्रस्तर 1.15)

38 एसपीएसई में से 36 एसपीएसई की कुल परिसम्पतियाँ उनके बकाया दीर्घावधि ऋणों से अधिक थीं, जो उनके ऋण बाध्यताओं के सापेक्ष परिसम्पतियों की सुदृढ़ स्थिति को इंगित करता है। यद्यपि, दो एसपीएसई, अर्थात्, उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड की कुल परिसम्पतियाँ बकाया दीर्घावधि ऋणों से कम थीं।

(प्रस्तर 1.16)

38 एसपीएसई, जिनके पास उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार ऋण दायित्व थे, में से छः एसपीएसई ने अपने ऋण के शोधन में चूक की।

(प्रस्तर 1.17)

वर्ष के अंत में 68 क्रियाशील एसपीएसई (चार एसपीएसई को छोड़कर जिन्होंने अपने प्रथम वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे) में से 56 एसपीएसई का चालू अनुपात एक से अधिक था, जो यह इंगित करता है कि उनके पास अपने अल्पावधि बाध्यताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त अल्पावधि परिसम्पतियाँ थीं। यद्यपि, 12 एसपीएसई का चालू अनुपात एक से कम था, जो यह इंगित करता है कि इन एसपीएसई के पास अपने अल्पावधि बाध्यताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त अल्पावधि परिसम्पतियाँ नहीं थीं।

(प्रस्तर 1.19)

धनात्मक शेयरधारक निधि वाले 52 क्रियाशील एसपीएसई में से, 34 एसपीएसई में इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) धनात्मक था, 16 एसपीएसई में ऋणात्मक आरओई था, तथा दो एसपीएसई में 'शून्य' आरओई था।

(प्रस्तर 1.21)

68 एसपीएसई के उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार नेट वर्थ के विश्लेषण ने यह इंगित किया कि 16 एसपीएसई के नेट वर्थ का पूर्ण रूप से क्षरण हो गया था। इन एसपीएसई की समादत्त पूँजी, तथा मुक्त संचय व अधिशेष ₹ 26,891.32 करोड़ था, जबकि संचित हानियाँ एवं आस्थगित राजस्व व्यय ₹ 37,979.25 करोड़ था।

(प्रस्तर 1.22)

59 क्रियाशील एसपीएसई, जिनकी नियोजित पूँजी उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार धनात्मक थी, में से 41 एसपीएसई का नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) धनात्मक था, 16 एसपीएसई का आरओसीई ऋणात्मक था, तथा दो एसपीएसई का आरओसीई 'शून्य' था।

(प्रस्तर 1.23)

### अध्याय-II: सीएजी की निरीक्षण भूमिका

उत्तर प्रदेश में सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले 113 एसपीएसई में से मात्र 10 एसपीएसई ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरण सीएजी को 30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत किए थे। अग्रेतर, समापनाधीन दो एसपीएसई ने समापनाधीन जाने की तिथि तक अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए थे। 30 सितम्बर 2023 को, 62 क्रियाशील एसपीएसई के 324 वार्षिक लेखे, 28 निष्क्रिय एसपीएसई (समापनाधीन एसपीएसई को छोड़कर) के 603 वार्षिक लेखे, तथा समापनाधीन 11 एसपीएसई के 120 वार्षिक लेखे, एक से 41 वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे।

(प्रस्तर 2.3)

सीएजी ने अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान 47 एसपीएसई (31 सरकारी कंपनी, 12 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी, तथा चार सांविधिक निगम) के 76 वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा किया और उन पर टिप्पणियाँ/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) निर्गत किये। एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर निर्गत कुछ उल्लेखनीय टिप्पणियों का लाभप्रदता पर ₹ 4,686.28 करोड़ तथा वित्तीय स्थिति पर ₹ 10,375.62 करोड़ का प्रभाव पड़ा। सीएजी ने 22 एसपीएसई के 32 वित्तीय विवरणों में इंड एस/एस के अनुपालन न करने के प्रकरणों को भी इंगित किया। इसके अतिरिक्त, सीएजी ने 18 एसपीएसई को 25 'प्रबंधन पत्र' निर्गत किए।

(प्रस्तर 2.5 एवं 2.7 से 2.9)

सांविधिक निगमों को अभिशासित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार, उनके लेखाओं पर सीएजी द्वारा निर्गत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना होता है। छः सांविधिक निगमों में से मात्र दो सांविधिक निगमों ने सीएजी द्वारा निर्गत सभी एसएआर को राज्य विधानमण्डल में रखा था। शेष चार सांविधिक निगमों ने सीएजी द्वारा निर्गत 19 एसएआर (तीन से छः वर्ष की अवधि के लिए) को राज्य विधानमण्डल में नहीं रखा था, जिससे वे सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं कर पाए।

(प्रस्तर 2.10)

**अध्याय-III: निगमित अभिशासन**

जिन 32 एसपीएसई के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक था, उन में से 26 एसपीएसई के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, तथा दो एसपीएसई के बोर्ड में मात्र एक स्वतंत्र निदेशक था। छः एसपीएसई, जिनमें स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए थे, में उनकी, बोर्ड बैठकों में उपस्थिति 50 से 80 प्रतिशत के मध्य थी।

**(प्रस्तर 3.6 एवं 3.17)**

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन 31 एसपीएसई को अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक रखना आवश्यक था, में से 16 एसपीएसई के निदेशक बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक थी, जबकि पाँच एसपीएसई के निदेशक बोर्ड में वर्ष के कुछ भाग के लिए महिला निदेशक थी, तथा 10 एसपीएसई के निदेशक बोर्ड में पूरे वर्ष कोई महिला निदेशक नहीं थी।

**(प्रस्तर 3.7)**

वर्ष 2022-23 के दौरान 66 क्रियाशील एसपीएसई (छः सांविधिक निगमों को छोड़कर) में से 35 एसपीएसई ने अपने निदेशक बोर्ड की आवश्यक चार बैठकें आयोजित नहीं कीं। अग्रेतर, पाँच एसपीएसई के प्रकरण में, निदेशक बोर्ड की दो बैठकों की मध्यवर्ती अवधि, 134 से 178 दिनों के मध्य थी, जो 120 दिनों की विहित की गयी समय-सीमा से अधिक थी।

**(प्रस्तर 3.8)**

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन 32 एसपीएसई के पास लेखापरीक्षा समिति का होना आवश्यक था, में से 21 एसपीएसई ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था। इन 21 एसपीएसई में से 18 एसपीएसई में लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।

**(प्रस्तर 3.10)**

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन 32 एसपीएसई के पास नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का होना आवश्यक था, में से 28 एसपीएसई के पास एनआरसी नहीं थी।

**(प्रस्तर 3.11)**

66 क्रियाशील एसपीएसई में से छः एसपीएसई को सीएसआर समिति गठित करना आवश्यक था। वर्ष 2022-23 के दौरान सभी छः एसपीएसई ने इस आवश्यकता का अनुपालन किया। इसके अतिरिक्त, तीन अन्य एसपीएसई ने ऐसा करने हेतु अधिदेशित न होने के बावजूद स्वेच्छा से सीएसआर समिति की स्थापना की।

**(प्रस्तर 3.12)**

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन 36 एसपीएसई को पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नियुक्त करना आवश्यक था, में से 21 एसपीएसई ने पूर्णकालिक केएमपी नियुक्त किए थे।

(प्रस्तर 3.20)

वर्ष 2022-23 के लिए जिन 38 एसपीएसई को आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करना आवश्यक था, में से 30 एसपीएसई ने वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किये। इनमें से 28 एसपीएसई में आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट फर्मों द्वारा की गई, जबकि दो एसपीएसई में यह कार्य उनके सम्बन्धित आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा किया गया।

(प्रस्तर 3.22)

#### अध्याय-IV: भारतीय लेखा मानकों में पारगमन तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर इनके अंगीकरण का प्रभाव

107 एसपीएसई (छः सांविधिक निगमों को छोड़कर) में से 26 एसपीएसई ने भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) को अंगीकृत किया। इन 26 एसपीएसई में से एक एसपीएसई ने अपने प्रथम वित्तीय विवरणों से इंड एस को अंगीकृत किया।

(प्रस्तर 4.3)

पाँच एसपीएसई ने इंड एस को अनिवार्य रूप से अंगीकृत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया, जिससे न केवल विनियामक आवश्यकताओं का उल्लंघन हुआ, अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग के संरेखण में भी बाधा उत्पन्न हुई।

(प्रस्तर 4.6)

जिन 25 एसपीएसई ने इंड एस को अंगीकृत किया था (एक एसपीएसई को छोड़कर, जिसने अपने प्रथम वित्तीय विवरणों से इंड एस को अंगीकृत किया था), में से 19 एसपीएसई ने अपने प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों में अपेक्षित समाधान विवरण तैयार नहीं किए थे।

(प्रस्तर 4.7)

इंड एस को अंगीकृत करने वाले 25 एसपीएसई (एक एसपीएसई को छोड़कर जिसने अपने प्रथम वित्तीय विवरणों से इंड एस को अंगीकृत किया था) के कर पश्चात् लाभ, राजस्व, कुल परिसम्पत्तियों, तथा नेट वर्थ पर इंड एस को अंगीकृत करने का प्रभाव निम्नानुसार था:

- 15 एसपीएसई के कर पश्चात् लाभ (पीएटी) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेष 10 एसपीएसई में पीएटी पर कुल ₹ 162.58 करोड़ का शुद्ध प्रभाव पड़ा, जो (-) ₹ 132.03 करोड़ से ₹ 244.23 करोड़ के मध्य था।

- 19 एसपीएसई के परिचालन से राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेष छः एसपीएसई में कुल (-) ₹ 35.70 करोड़ का शुद्ध प्रभाव पड़ा, जो (-) ₹ 40.07 करोड़ से ₹ 3.30 करोड़ के मध्य था।
- 19 एसपीएसई के कुल परिसम्पत्तियों के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेष छः एसपीएसई की कुल परिसम्पत्तियों के मूल्य में कुल ₹ 1,879.31 करोड़ का शुद्ध प्रभाव पड़ा, जो (-) ₹ 1,064.12 करोड़ से ₹ 8.55 करोड़ के मध्य था।
- 14 एसपीएसई के नेट वर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेष 11 एसपीएसई में से 10 के नेट वर्थ में ₹ 244.33 करोड़ की कमी आई, जबकि एक एसपीएसई के नेट वर्थ में ₹ 150.85 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई, जो (-) ₹ 93.48 करोड़ के कुल शुद्ध प्रभाव को इंगित करता है।

(प्रस्तर 4.8)

#### अध्याय-V: निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

66 क्रियाशील एसपीएसई (छः सांविधिक निगमों को छोड़कर) में से नौ एसपीएसई आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर ₹ 8.75 करोड़ व्यय करने हेतु अधिदेशित थे। इन नौ एसपीएसई में से तीन एसपीएसई ने न्यूनतम ₹ 4.14 करोड़ के विरुद्ध ₹ 4.44 करोड़ की धनराशि आवंटित एवं व्यय की। शेष छः एसपीएसई ने सीएसआर कार्यकलापों पर आवश्यक ₹ 4.61 करोड़ की धनराशि के विरुद्ध न तो कोई धनराशि आवंटित की और न ही व्यय की।

(प्रस्तर 5.3)

अधिकांश एसपीएसई ने सीएसआर समितियाँ बनाने तथा सीएसआर नीतियाँ विरचित करने की अपनी मूल बाध्यता को पूर्ण किया, तथापि सीएसआर अभिशासन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में कमियाँ पाई गईं। जिन चार एसपीएसई को वार्षिक कार्य योजनाएँ तैयार करना आवश्यक था में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। सीएसआर समिति की बैठकें अनियमित थीं, तथा सीएसआर से सम्बन्धित सूचनाओं का प्रकटीकरण अपर्याप्त रहा।

(प्रस्तर 5.5 से 5.7, 5.14 एवं 5.15)

#### अध्याय-VI: उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गयी थी कि क्या इसके पास एक प्रभावी एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन प्रणाली थी; क्या इसने अपने परिचालनों का नियोजन एवं निष्पादन मितव्ययिता के साथ, कुशलतापूर्वक, तथा प्रभावी ढंग से कंपनी के उद्देश्यों के अनुरूप तथा विहित की गयी प्रक्रियाओं एवं नियमों के अनुसार किया था; तथा क्या इसने पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र बनाये रखे थे।

(प्रस्तर 6.5)

कंपनी, जिसे 1 मई 1975 को सिविल इंजीनियरिंग कार्य करने के उद्देश्य से एक राज्य-स्वामित्व वाले निर्माण उपक्रम के रूप में निगमित किया गया था, का प्रबंधन 10 सदस्यों वाले निदेशक बोर्ड (बीओडी) द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष और एक प्रबंध निदेशक सम्मिलित हैं। वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान कुल स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष कार्यरत कार्मिक 53 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक थे।

(प्रस्तर 6.1 से 6.3)

### वित्तीय प्रबंधन

कंपनी के लिए निधियों का मुख्य स्रोत डिपाजिट कार्यों के विरुद्ध ग्राहकों से प्राप्त धनराशि है। कंपनी ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 के कार्य, समुचित बजट के अभाव में किए, जिससे प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण करने तथा बजटीय नियंत्रण का प्रयोग करने की कंपनी की क्षमता प्रभावित हुई।

(प्रस्तर 6.11.1 एवं 6.11.2)

कंपनी ने 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान पूर्ण किए गए 1,003 कार्यों में से 99 कार्यों के प्रकरण में, प्राप्त निधियों से ₹ 65.80 करोड़ अधिक व्यय किया। अग्रेतर, इसी अवधि के दौरान, कंपनी ने 33 पूर्ण हो चुके डिपाजिट कार्यों के लेखे बंद किए। इनमें से 22 कार्यों के प्रकरण में कंपनी ने उ.प्र. सरकार के सम्बन्धित विभागों को ₹ 1.65 करोड़ की अव्ययित धनराशि वापस नहीं की।

(प्रस्तर 6.11.3 एवं 6.11.4)

उ.प्र. सरकार ने विभागों तथा एसपीएसई को निर्देशित (मई 2015) किया था कि वे उसके द्वारा अवमुक्त निधियों पर अर्जित ब्याज को कोषागार में जमा करें। तथापि, कंपनी ने सरकार द्वारा अवमुक्त निधियों पर अर्जित ब्याज ₹ 641.45 करोड़ की धनराशि को कोषागार में जमा नहीं किया था। अग्रेतर, कंपनी ने संविदाकारों से मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज के रूप में वसूली गयी ₹ 7.47 करोड़ की धनराशि को आवश्यकतानुसार सरकारी खाते में क्रेडिट करने तथा कोषागार में जमा करने के स्थान पर, इसे अपनी आय के रूप में माना।

(प्रस्तर 6.11.5 एवं 6.11.6)

### परिचालन नियोजन

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, कंपनी ने नामांकन आधार पर ₹ 7,550.91 करोड़ मूल्य के 1,192 कॉस्ट प्लस सैंटेज/डिपाजिट कार्य प्राप्त किए, तथा निविदाओं के माध्यम से क्रमशः ₹ 2,814.04 करोड़ एवं ₹ 1,953.06 करोड़ मूल्य के 24 निर्माण एवं 57 परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) कार्य प्राप्त किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी को सौंपे गए डिपाजिट/कॉस्ट प्लस सैंटेज कार्यों की संख्या 2018-19 में 209 से बढ़कर

2022-23 में 275 हो गई, तथापि स्वीकृत लागत 2018-19 में ₹ 2,956 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 777.93 करोड़ हो गई, जो यह इंगित करता है कि कंपनी को निम्न टिकट आकार के कार्य सौंपे जा रहे थे। विशेषतः, उ.प्र. सरकार ने दिसम्बर 2019 में ₹ 50 करोड़ से अधिक के डिपॉजिट कार्यों को नामांकन आधार पर कंपनी को प्रदान करने का निर्णय वापस ले लिया था।

(प्रस्तर 6.12.1)

विस्तृत परीक्षण की गई 14 अयोग्य निविदाओं में से, सात प्रकरणों में कंपनी अपर्याप्त दस्तावेज जमा करने के कारण अयोग्य की गयी तथा अन्य सात निविदाओं में ग्राहक ने कंपनी को अधीनस्थ न्यायालय की अवसरचना समिति द्वारा ब्लैकलिस्ट किये जाने के कारण अयोग्य किया। कंपनी छः अस्वीकृत निविदाओं, जिनका कुल मूल्य ₹ 1,354.11 करोड़ था, में न्यूनतम बिडर थी।

(प्रस्तर 6.12.2)

₹ 3,939.08 करोड़ मूल्य के 57 डिपॉजिट/कॉस्ट प्लस सेंटेंज कार्यों के विस्तृत परीक्षण ने यह इंगित किया कि कंपनी ने ₹ 2,058.35 करोड़ मूल्य के 34 कार्यों को तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व प्रारम्भ कर दिया था। अग्रेतर, कंपनी ने पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किये बिना 12 कार्यों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया था।

(प्रस्तर 6.12.4 एवं 6.12.5)

#### परिचालनों का निष्पादन

इकाई प्रभारियों ने कंपनी की स्थापित प्रक्रियाओं से विचलन में, प्रबंध निदेशक से अपेक्षित प्राधिकार प्राप्त किए बिना तथा निदेशक बोर्ड को सूचित किए बिना, पाँच कार्यों में, कार्य की पूर्ण मर्दों के लिए कुल ₹ 1,047.67 करोड़ के 52 कार्य आदेश निर्गत किए। इसके अतिरिक्त, सभी 52 कार्य आदेश इकाई प्रभारियों द्वारा खुली निविदाएं आमंत्रित करने के स्थान पर, सूचीबद्ध संविदाकारों से कोटेशन आमंत्रित करने के पश्चात् निर्गत किए गए थे।

(प्रस्तर 6.13.2)

कंपनी ने तीन कार्यों में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु तीन उप-संविदाकारों को ₹ 20.40 करोड़ के अग्रिम बिना किसी बैंक गारंटी/प्रतिभूति के अवमुक्त किए। अग्रेतर, कंपनी ने सामग्रियों पर ग्रहणाधिकार सुरक्षित करने हेतु औपचारिक समझौता निष्पादित किये बिना, आपूर्तित सामग्रियों के विरुद्ध छः उप-संविदाकारों को ₹ 18.47 करोड़ के अग्रिम भी अवमुक्त किए, तथा नहीं मापे गये कार्यों के विरुद्ध 14 उप-संविदाकारों को ₹ 245.71 करोड़ के अग्रिम, कार्य के परिमाणीकरण के बिना तथा कंपनी के अभियन्ता से प्रमाणन के बिना अवमुक्त किए।

(प्रस्तर 6.13.4)

कंपनी ने तीन कार्यों में उप-संविदाकारों से ₹ 4.97 करोड़ की मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की धनराशि की कम वसूली की। अग्रेतर, कंपनी ने संविदाकारों के बीजकों से ₹ 2.03 करोड़ की कर्मकार कल्याण उपकर की धनराशि की कटौती नहीं की।

(प्रस्तर 6.13.5 एवं 6.13.7)

कंपनी ने अनुबंध के प्रावधानों के उल्लंघन में, संविदाकार के बीजकों से परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता को किए गए ₹ 2.81 करोड़ के भुगतान की कटौती नहीं की।

(प्रस्तर 6.13.8)

उत्खनन (ब्लास्टिंग के बिना कठोर चट्टान) का कार्य उच्च दरों पर देने के कारण, कंपनी ने ₹ 89.21 लाख का अधिक व्यय किया। इसके अतिरिक्त, सेंटरिंग तथा शटरिंग की लागत, जो पहले से ही रिइन्फोर्सड सीमेंट कंक्रीट की मर्दों में समाहित थी, हेतु अनियमित भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹ 1.83 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 6.13.9)

कंपनी ने, मात्रा/अवधि के संदर्भ में निष्पादित किए जाने वाले कार्य की अनुमानित मात्रा के सम्बन्ध में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) से औपचारिक लिखित अनुमोदन प्राप्त किए बिना ₹ 12.86 करोड़ मूल्य का जल-निकासी कार्य निष्पादित किया, जिसके परिणामस्वरूप उसका दावा अवरुद्ध हो गया।

(प्रस्तर 6.13.11)

कंपनी ने प्रशासनिक विभाग को सूचित किए बिना कार्य की विद्यमान मर्दों की मात्रा में वृद्धि की तथा कार्य की नई मर्दों को सम्मिलित किया, जिसके परिणामस्वरूप व्यय वित्त समिति द्वारा ₹ 9.42 करोड़ की धनराशि का सेंटेज देने से मना कर दिया गया।

(प्रस्तर 6.13.12)

#### आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण

कंपनी के वित्तीय विवरण सात वर्षों (2016-17 से 2022-23) से बकाया थे, तथा 2000-01 से वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल के समक्ष नहीं रखे गये थे।

(प्रस्तर 6.14.1 एवं 6.14.2)

अंतर-इकाई लेनदेन के मद में ₹ 316.87 करोड़ का उल्लेखनीय असमाधानित डेबिट शेष था। अग्रेतर, ग्राहकों द्वारा स्रोत पर काटे गए ₹ 176.83 करोड़ के यूपीवैट के लिए कंपनी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सकी।

(प्रस्तर 6.14.3 एवं 6.14.4)

कंपनी के निदेशक बोर्ड में वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था। इसके अतिरिक्त, उसने लेखापरीक्षा समिति अथवा नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया था।

(प्रस्तर 6.14.5 एवं 6.14.6)

कंपनी को 137 डिपॉजिट कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं के कारण ₹ 165.72 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा। अग्रेतर, सात कार्यों के प्रकरण में, कार्य के वास्तविक निष्पादन के बिना ₹ 31.72 करोड़ का भुगतान कर दिया गया।

(प्रस्तर 6.14.10 एवं 6.14.11)

### संस्तुतियाँ

- कंपनी बिड प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु, ऐसे प्रपत्र जिनकी आवश्यकता बार-बार पड़ती है, का एक केंद्रीकृत संग्रह बनाए रख सकती है तथा सभी निविदाओं के लिए एक कठोर आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया स्थापित कर सकती है।
- कंपनी ब्लैकलिस्ट किए जाने के विषय को सुलझाने हेतु एक व्यापक कार्ययोजना विकसित तथा कार्यान्वित कर सकती है।
- कंपनी ग्राहक से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन कर सकती है।
- कंपनी सात वर्षों के वित्तीय विवरणों (2016-17 से 2022-23) के बकाये को समाप्त करने के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार कर सकती है। अग्रेतर, कंपनी लेखाओं की समय पर तैयारी, लेखापरीक्षा, तथा वार्षिक वित्तीय विवरणों के अंगीकरण के निरीक्षण हेतु एक वित्तीय रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित कर सकती है।
- कंपनी व्यापक समाधान प्रक्रियाओं के माध्यम से ₹ 316.87 करोड़ के शुद्ध डेबिट शेष की जाँच तथा समाधान को प्राथमिकता दे सकती है।

### अध्याय-VII: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

जनवरी 2021 में, डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड (कंपनी) ने, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ग्रेटर नोएडा में स्मार्ट सिटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी घटकों की आपूर्ति, कार्यान्वयन, एकीकरण, संचालन, तथा रखरखाव हेतु ₹ 70.87 करोड़ मूल्य का अनुबंध एल-1 कंसोर्टियम को प्रदान किया। हालांकि, जून 2021 में यह पता चलने पर कि कंसोर्टियम ने अपने प्रस्तुत शपथ पत्र में मिथ्या प्रस्तुति की है, कंपनी ने कार्य को निरस्त कर दिया, तथा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) के विरुद्ध जमा की गई ₹ दो करोड़ की बैंक गारंटी वापस कर दी (अगस्त 2021)। लेखापरीक्षा ने

पाया कि तथ्यों की मिथ्या प्रस्तुति के कारण अनुबंध निरस्त होने की स्थिति में ईएमडी की वापसी, निविदा दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन था।

**(प्रस्तर 7.1)**

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा सूचना प्रकाशित नहीं की, जिसके कारण निविदा निरस्त करनी पड़ी। आगामी निविदा प्रक्रिया में, निगम को प्रथम निविदा के सापेक्ष निविदाएँ प्राप्त नहीं हुईं, और अंततः उसे कम दरों पर अनुबंध प्रदान करना पड़ा। इससे निगम को ₹ 2.15 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

**(प्रस्तर 7.2)**

# **अध्याय-।**

**राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों  
का वित्तीय प्रदर्शन**



## अध्याय-1

### राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन

यह अध्याय राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) के इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋणों में सरकारी निवेश के वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाने वाले विभिन्न अनुपातों एवं निवेश पर प्रतिफल के सम्बन्ध में एसपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

#### प्रस्तावना

1.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) शब्द कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों एवं संसद अथवा राज्य विधानमण्डल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित सांविधिक निगमों को सम्मिलित करता है।

#### सरकारी कंपनी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अधीन सरकारी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें समादत शेयर पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है और इसमें वह कंपनियाँ भी सम्मिलित हैं जो ऐसी किसी सरकारी कंपनी की सहायक हैं।

#### सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी

केन्द्र सरकार द्वारा, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कंपनी<sup>1</sup> को सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के रूप में संदर्भित किया गया है।

#### सांविधिक निगम

किसी निगम को संसद अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा अधिनियमित संविधियों के अधीन स्थापित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में 31 मार्च 2023 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन कुल 113 एसपीएसई थे। इन 113 एसपीएसई में से 86 सरकारी कंपनी, 21 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी तथा छः सांविधिक निगम थे। कोई एसपीएसई किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थे। अग्रेतर, इन 113 एसपीएसई में से 72 एसपीएसई<sup>2</sup>

<sup>1</sup> कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (4 सितम्बर 2014) कंपनी (कठिनाइयों का निवारण) सातवां आदेश, 2014।

<sup>2</sup> 47 सरकारी कंपनी, 19 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी, तथा छः सांविधिक निगम।

क्रियाशील थे जबकि 41 एसपीएसई<sup>3</sup> (13 समापनाधीन सहित) निष्क्रिय थे तथा उनका संचालन बंद था। 72 क्रियाशील एसपीएसई को, एसपीएसई के कार्यकलापों की प्रकृति के आधार पर, दो क्षेत्रों अर्थात् ऊर्जा क्षेत्र (12 एसपीएसई) एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त (60 एसपीएसई) में वर्गीकृत किया गया है।

### **लेखापरीक्षा अधिदेश**

**1.2** सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों, सीएजी (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं उसके अधीन बनाये गए विनियमों के साथ पठित, के अधीन की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सीएजी चार्टर्ड एकाउंटेंट को सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं, एवं उन रीति पर निर्देश देते हैं जिनसे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, सीएजी को ऐसी कंपनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का भी अधिकार है।

सांविधिक निगमों को अभिशासित करने वाली संविधियां या तो मात्र सीएजी को उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा करने, अथवा सांविधिक निगमों को अभिशासित करने वाली सम्बन्धित संविधियों के अधीन नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा के उपरांत सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा करने की अपेक्षा करती हैं।

### **सरकार तथा विधायिका की भूमिका**

**1.3** राज्य सरकार एसपीएसई के कार्यों पर अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से नियंत्रण रखती है। राज्य विधानमण्डल भी एसपीएसई के वार्षिक वित्तीय परिणामों का अनुश्रवण करता है। इसके लिए सरकारी कंपनियों के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों तथा लेखाओं पर सीएजी की टिप्पणियों सहित वार्षिक प्रतिवेदनों को एवं सांविधिक निगमों के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394/395 अथवा सांविधिक निगमों को अभिशासित करने वाली सम्बन्धित संविधियों में जैसा हो, के अधीन राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखना आवश्यक होता है।

### **वित्तीय विवरणों की स्थिति**

**1.4** वर्ष 2022-23 के लिए 72 क्रियाशील एसपीएसई में से मात्र 10 एसपीएसई ने 30 सितम्बर 2023 तक अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किये थे। अग्रेतर, चार एसपीएसई अर्थात्, लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (निगमन की तिथि - 1 फरवरी 2010), आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (निगमन की तिथि - 8 जुलाई 2010), वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (निगमन की तिथि - 15 जून 2010), तथा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास

<sup>3</sup> 39 सरकारी कंपनी तथा दो सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी।

निगम लिमिटेड (निगमन की तिथि - 4 अक्टूबर 2018) ने अपने प्रथम वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत नहीं किये थे। 30 सितम्बर 2023 तक 68 एसपीएसई<sup>4</sup> द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों की क्षेत्र-वार स्थिति तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: क्रियाशील एसपीएसई के वित्तीय विवरणों की क्षेत्र-वार स्थिति

क्षेत्र	एसपीएसई की संख्या	30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत नवीनतम वित्तीय विवरणों की स्थिति		
		वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने वाले एसपीएसई की संख्या	वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने वाले एसपीएसई की संख्या	वर्ष 2020-21 या पिछले वर्षों के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने वाले एसपीएसई की संख्या
ऊर्जा क्षेत्र	12	6	5	1
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	56	4	12	40
<b>योग</b>	<b>68</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>41</b>

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

68 क्रियाशील एसपीएसई की, 30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, वित्तीय स्थिति तथा कार्यकलापों के परिणाम परिशिष्ट 1.1 में दिए गये हैं तथा तालिका 1.2 में संक्षेपित हैं।

तालिका 1.2: क्रियाशील एसपीएसई<sup>5</sup> की वित्तीय स्थिति तथा कार्यकलापों के परिणामों का सार

विवरण	धनराशि
समादत्त शेयर पूँजी, शेयर आवेदन धनराशि सहित (65 एसपीएसई) <sup>6</sup>	₹ 2,69,767.43 करोड़
ऋण (38 एसपीएसई)	₹ 1,22,425.56 करोड़
टर्नओवर	₹ 92,696.60 करोड़
शुद्ध लाभ, वित्तीय लागत एवं कर के पश्चात् (39 एसपीएसई)	₹ 2,169.50 करोड़
शुद्ध हानि, वित्तीय लागत एवं कर के पश्चात् (27 एसपीएसई)	(-) ₹ 32,393.08 करोड़
शून्य लाभ/हानि, वित्तीय लागत एवं कर के पश्चात् (2 एसपीएसई)	--
कुल परिसम्पत्तियाँ	₹ 5,56,531.58 करोड़
नेट वर्थ	₹ 85,820.10 करोड़

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

### सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एसपीएसई का योगदान

1.5 एसपीएसई के टर्नओवर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में उनके कार्यकलापों की सीमा को दर्शाता है।

<sup>4</sup> चार एसपीएसई को छोड़कर, जिन्होंने 30 सितम्बर 2023 तक अपने प्रथम वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत नहीं किये थे।

<sup>5</sup> तालिका 1.2 में दिए गए आँकड़े विभिन्न वर्षों के लिए एसपीएसई के वित्तीय आँकड़ों के आधार पर संकलित किए गए हैं, जैसा कि तालिका 1.1 में इंगित है।

<sup>6</sup> उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश वन निगम, तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के प्रकरण में कोई समादत्त पूँजी नहीं थी।

क्षेत्र-वार टर्नओवर<sup>7</sup> के सापेक्ष वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (₹ 22,57,575 करोड़)<sup>8</sup> में 68 क्रियाशील एसपीएसई के टर्नओवर के अंश का विवरण तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3: क्षेत्र-वार टर्नओवर के सापेक्ष उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में एसपीएसई के टर्नओवर के अंश का विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र	एसपीएसई की संख्या	टर्नओवर (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी में टर्नओवर का अंश (प्रतिशत में)
1.	ऊर्जा क्षेत्र	12	77,053.32 <sup>9</sup>	3.41
2.	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	56	15,643.28	0.69
योग		68	92,696.60	4.10

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

तालिका 1.3 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के लिए इन 68 क्रियाशील एसपीएसई का कुल टर्नओवर (₹ 92,696.60 करोड़) उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (₹ 22,57,575 करोड़) का 4.10 प्रतिशत था। जीएसडीपी में ऊर्जा क्षेत्र के टर्नओवर का अंश उच्चतम था, जिसका योगदान 3.41 प्रतिशत था, जबकि ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त का योगदान मात्र 0.69 प्रतिशत था।

### एसपीएसई में निवेश

1.6 एसपीएसई में निवेश, उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) द्वारा प्रदत्त इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण को सम्मिलित करता है। उ.प्र. सरकार एसपीएसई को वार्षिक बजट के माध्यम से अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। 72 क्रियाशील एसपीएसई में किए गए निवेश की आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है।

### एसपीएसई में उ.प्र. सरकार की हिस्सेदारी

1.7 उ.प्र. सरकार द्वारा 31 मार्च 2023 तक 72 क्रियाशील एसपीएसई में इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण के रूप में किए गए क्षेत्र-वार निवेश का विवरण तालिका 1.4 में दिया गया है।

<sup>7</sup> 30 सितम्बर 2023 तक प्राप्त एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार।

<sup>8</sup> सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार।

<sup>9</sup> उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत वितरण कंपनियों की नियंत्री कंपनी) के टर्नओवर को छोड़कर, क्योंकि इसका टर्नओवर विद्युत वितरण कंपनियों का विद्युत क्रय होता है, जिसको विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा आगे विक्रय किया जाता है।

तालिका 1.4: उ.प्र. सरकार द्वारा 31 मार्च 2023 तक एसपीएसई में निवेश का विवरण  
(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	एसपीएसई की संख्या	कुल निवेश			उ.प्र. सरकार द्वारा निवेश		
		इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	योग	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	योग
ऊर्जा क्षेत्र	12	2,56,815.30	1,13,418.40	3,70,233.70	1,57,818.01	64.65	1,57,882.66
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	60	25,713.99	16,821.20	42,535.19	11,500.47	4,949.91	16,450.38
<b>योग</b>	<b>72</b>	<b>2,82,529.29</b>	<b>1,30,239.60</b>	<b>4,12,768.89</b>	<b>1,69,318.48</b>	<b>5,014.56</b>	<b>1,74,333.04</b>

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर संकलित

तालिका 1.4 से यह देखा जा सकता है कि उ.प्र. सरकार ने एसपीएसई में ₹ 1,74,333.04 करोड़ (इक्विटी - ₹ 1,69,318.48 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण - ₹ 5,014.56 करोड़) का निवेश किया था, जो इन एसपीएसई में कुल निवेश का 42 प्रतिशत है। अग्रेतर, देखा जा सकता है कि उ.प्र. सरकार द्वारा किए गए कुल निवेश का 91 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में किया गया था।

अग्रेतर, 31 मार्च 2022 एवं 31 मार्च 2023 को 72 क्रियाशील एसपीएसई में इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण में निवेश तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5: एसपीएसई में इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण में निवेश का विवरण  
(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक			31 मार्च 2023 तक		
	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	योग	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	योग
राज्य सरकार	1,56,855.64	4,023.07	1,60,878.71	1,69,318.48	5,014.56	1,74,333.04
केन्द्र सरकार	4,103.89	812.00	4,915.89	4,159.10	979.03	5,138.13
अन्य <sup>10</sup>	99,136.09	1,32,345.00	2,31,481.09	1,09,051.71	1,24,246.01	2,33,297.72
<b>योग</b>	<b>2,60,095.62</b>	<b>1,37,180.07</b>	<b>3,97,275.69</b>	<b>2,82,529.29</b>	<b>1,30,239.60</b>	<b>4,12,768.89</b>
कुल निवेश में उ.प्र. सरकार का अंश (प्रतिशत में)	60.31	2.93	40.50	59.93	3.85	42.24


स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर संकलित

तालिका 1.5 से यह देखा जा सकता है कि एसपीएसई में कुल निवेश, 31 मार्च 2022 को ₹ 3,97,275.69 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹ 4,12,768.89 करोड़ हो गया। इसमें उ.प्र. सरकार द्वारा ₹ 12,462.84 करोड़ की इक्विटी तथा ₹ 991.49 करोड़ का दीर्घावधि ऋण का निवेश सम्मिलित है।

वर्ष 2021-22 से 2022-23 की अवधियों की समाप्ति पर एसपीएसई में कुल निवेश के स्रोतों का वर्ष-वार विभाजन नीचे चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है:

<sup>10</sup> इसमें एसपीएसई एवं स्वायत्त निकायों द्वारा किया गया निवेश सम्मिलित है।

चार्ट 1.1: एसपीएसई में कुल निवेश के स्रोत



स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर संकलित

### उ.प्र. सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश

1.8 उ.प्र. सरकार ने 2021-22 से 2022-23 के दो वर्षों के दौरान 12 एसपीएसई में ₹ 24,795.13 करोड़ की धनराशि इक्विटी के रूप में निवेश की। उ.प्र. सरकार द्वारा एसपीएसई में किया गया इक्विटी निवेश वर्ष 2021-22 में ₹ 12,332.29 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 12,462.84 करोड़ हो गया। अग्रेतर, 2021-22 एवं 2022-23 के दो वर्षों के दौरान उ.प्र. सरकार द्वारा किया गया इक्विटी निवेश, एसपीएसई-वार तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.6: वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान उ.प्र. सरकार द्वारा एसपीएसई-वार इक्विटी निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	इक्विटी निवेश		
		2021-22	2022-23	योग
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2,035.05	1,522.32	3,557.37
2.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,066.87	1,277.25	2,344.12
3.	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7,772.14	7,413.24	15,185.38
4.	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	387.57	25.00	412.57
5.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	9.05	220.00	229.05
6.	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	222.88	1,102.79	1,325.67
7.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.68	2.49	3.17
8.	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	185.75	185.75
9.	यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	543.05	714.00	1,257.05
10.	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.25	-	0.25
11.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	50.00	-	50.00
12.	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	244.75	-	244.75
योग		12,332.29	12,462.84	24,795.13

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित


तालिका 1.6 से यह देखा जा सकता है कि अधिकतम इक्विटी निवेश ऊर्जा क्षेत्र के तीन एसपीएसई अर्थात्, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (61 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (14 प्रतिशत) तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (9 प्रतिशत) में किया गया था।

### एसपीएसई को प्रदान किए गए ऋण

1.9 एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर, 37 क्रियाशील एसपीएसई के पास 31 मार्च 2022 को ₹ 1,37,180.07 करोड़ के विरुद्ध 31 मार्च 2023 को कुल ₹ 1,30,239.60 करोड़ के दीर्घावधि ऋण बकाया थे। इसमें से उ.प्र. सरकार से प्राप्त ऋण 31 मार्च 2022 को ₹ 4,023.07 करोड़ (2.93 प्रतिशत) के विरुद्ध 31 मार्च 2023 को ₹ 5,014.56 करोड़ (3.85 प्रतिशत) था।

एसपीएसई के बकाया दीर्घावधि ऋणों की वर्ष-वार स्थिति चार्ट 1.2 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 1.2: एसपीएसई के बकाया दीर्घावधि ऋण



स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

चार्ट 1.2 से यह देखा जा सकता है कि उ.प्र. सरकार द्वारा एसपीएसई को दिया गया दीर्घावधि ऋण का बकाया 31 मार्च 2022 को ₹ 4,023.07 करोड़ से 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2023 को ₹ 5,014.56 करोड़ हो गया। दूसरी ओर, अन्य स्रोतों से प्राप्त दीर्घावधि ऋण का बकाया 31 मार्च 2022 को ₹ 1,33,157 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2023 को ₹ 1,25,225.04 करोड़ हो गया।

## अन्य बजटीय सहायता

1.10 एसपीएसई में इक्विटी में निवेश तथा दीर्घावधि ऋण देने के अतिरिक्त, उ.प्र. सरकार, एसपीएसई को वार्षिक बजट के माध्यम से अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। साथ ही, उ.प्र. सरकार एसपीएसई को बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रत्याभूति भी प्रदान करती है। 31 मार्च 2023 को समाप्त दो वर्षों के दौरान उ.प्र. सरकार द्वारा एसपीएसई को अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में दी गई बजटीय सहायता तथा उ.प्र. सरकार द्वारा एसपीएसई को प्रदान किए गए प्रत्याभूति का विवरण तालिका 1.7 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 1.7: उ.प्र. सरकार द्वारा एसपीएसई को प्रदान की गई बजटीय सहायता तथा प्रत्याभूति का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22		2022-23	
	एसपीएसई की संख्या	धनराशि	एसपीएसई की संख्या	धनराशि
अनुदान एवं सब्सिडी	19	23,439.82	26	28,318.69
वर्ष के दौरान निर्गत की गई प्रत्याभूति	1	347.09	1	5,242.68
वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूति प्रतिबद्धतायें	4	37,387.30	5	46,641.91

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर संकलित

तालिका 1.7 से यह देखा जा सकता है कि उ.प्र. सरकार द्वारा एसपीएसई को अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता वर्ष 2021-22 में ₹ 23,439.82 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 28,318.69 करोड़ हो गई। अग्रेतर, वर्ष के अंत में कुल बकाया प्रत्याभूति प्रतिबद्धतायें 31 मार्च 2022 को ₹ 37,387.30 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹ 46,641.91 करोड़ हो गयीं।

## बकाया लेखाओं वाले एसपीएसई में निवेश एवं अन्य बजटीय सहायता

1.11 प्रशासनिक विभागों का यह उत्तरदायित्व होता है कि वे एसपीएसई के कार्यकलापों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि एसपीएसई द्वारा अपने लेखाओं को निर्दिष्ट अवधि के अंदर अन्तिमीकृत एवं अंगीकृत किया जा रहा है। सम्बन्धित प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा बकाया लेखाओं की स्थिति के बारे में सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को नियमित<sup>11</sup> रूप से अवगत कराया जाता है।

उ.प्र. सरकार ने 72 क्रियाशील एसपीएसई में से 30 एसपीएसई को ₹ 10,846.19 करोड़ (इक्विटी: ₹ 4,560.68 करोड़; दीर्घावधि ऋण: ₹ 1,107.15 करोड़; अनुदान: ₹ 4,387.07 करोड़; एवं सब्सिडी: ₹ 791.29 करोड़) की बजटीय सहायता उस अवधि में दी जिस अवधि के दौरान

<sup>11</sup> त्रैमासिक आधार पर।

उनके लेखे बकाया थे। बकाया लेखाओं वाले अवधि के दौरान उ.प्र. सरकार द्वारा किए गए निवेश और प्रदान की गई अन्य बजटीय सहायता का एसपीएसई-वार विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है। अन्तिमीकरण एवं उसके अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि जिस उद्देश्य के लिए धनराशि निवेशित/प्रदत्त की गई थी, वह उद्देश्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार, इन एसपीएसई में उ.प्र. सरकार द्वारा किए गए निवेश/अन्य बजटीय सहायता राज्य विधानमण्डल के निरीक्षण से बाहर रहे।

### उ.प्र. सरकार के वित्त लेखाओं से मिलान

**1.12** एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, दीर्घावधि ऋण तथा बकाया प्रत्याभूतियों से सम्बन्धित आँकड़े, उ.प्र. सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए आँकड़ों के समान होने चाहिए। यदि, आँकड़े समान न हो तो सम्बन्धित एसपीएसई तथा उ.प्र. सरकार के वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2023 को, 72 क्रियाशील एसपीएसई में से 44 एसपीएसई में, एसपीएसई के अभिलेखों और वित्त लेखाओं के अनुसार इक्विटी, दीर्घावधि ऋण तथा बकाया प्रत्याभूतियों के आँकड़ों में अंतर था। इसका विवरण **परिशिष्ट 1.3** में दिया गया है एवं **तालिका 1.8** में संक्षेपित है।

तालिका 1.8: एसपीएसई के अभिलेखों के सापेक्ष उ.प्र. सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार इक्विटी, ऋणों तथा बकाया प्रत्याभूतियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

किस सम्बन्ध में बकाया	एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार धनराशि	वित्त लेखाओं के अनुसार धनराशि
इक्विटी <sup>12</sup>	1,69,237.72	1,62,252.55
दीर्घावधि ऋण	5,014.56	3,606.78
बकाया प्रत्याभूतियाँ	58,803.39	1,31,221.14

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना तथा वर्ष 2022-23 के लिए वित्त लेखाओं के आधार पर संकलित

### निष्क्रिय एसपीएसई का परिसमापन

**1.13** वर्ष 2022-23 के दौरान, एक निष्क्रिय एसपीएसई (सदर्न-यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड) को कार्यालय कंपनी रजिस्ट्रार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनियों के रजिस्टर से काट (मई 2022) दिया गया तथा एसपीएसई को भंग कर दिया गया।

अग्रेतर, 31 मार्च 2023 को राज्य में 41 निष्क्रिय एसपीएसई थे जिन्होंने अपना संचालन बंद कर दिया था। इनमें से 13 एसपीएसई समापनाधीन थीं। शेष 28 एसपीएसई में उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों तथा एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार ₹ 1,074.36 करोड़ (उ.प्र. सरकार

<sup>12</sup> समादत्त पूँजी, शेयर आवेदन धनराशि सहित।

- ₹ 515.02 करोड़<sup>13</sup> और अन्य - ₹ 559.34 करोड़<sup>14</sup>) का निवेश था। उ.प्र. सरकार को इन एसपीएसई के सम्बन्ध में तात्कालिक एवं उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

### ऋणों का विश्लेषण

1.14 एसपीएसई द्वारा 30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 38 क्रियाशील एसपीएसई के पास कुल ₹ 1,22,425.56 करोड़ के दीर्घावधि ऋण बकाया थे, जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में वर्णित है। एसपीएसई द्वारा उ.प्र. सरकार, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋणों को चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए इन एसपीएसई के ऋणों का विश्लेषण किया गया। इसका आकलन ब्याज व्याप्ति अनुपात तथा कुल परिसम्पत्तियों के सापेक्ष दीर्घावधि ऋण के अनुपात के आधार पर किया गया। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण भी किया गया। विश्लेषण के परिणामों की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है।

#### ब्याज व्याप्ति अनुपात

1.15 ब्याज व्याप्ति अनुपात का प्रयोग किसी संस्था के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता के आकलन के लिए किया जाता है और इसकी गणना संस्था की ब्याज एवं कर पूर्व आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित कर की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, संस्था की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात यह इंगित करता है कि संस्था अपने ब्याज पर व्यय को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त आय सृजित नहीं कर रही है। 25 एसपीएसई<sup>15</sup>, जिनके पास अपने नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार बकाया ऋण तथा वित्तीय लागत थे, का ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण **तालिका 1.9** में दिया गया है।

तालिका 1.9: एसपीएसई का ब्याज व्याप्ति अनुपात

एसपीएसई का प्रकार	एसपीएसई की संख्या जिनके पास बकाया ऋण तथा वित्तीय लागत थे	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं कर पूर्व आय (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	एक के बराबर या उससे अधिक ब्याज व्याप्ति अनुपात वाले एसपीएसई की संख्या	एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात वाले एसपीएसई की संख्या
सरकारी कंपनियाँ	22	12,326.52	-3,388.90	11	11
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	1	0.07	0.61	1	-
सांविधिक निगम	2	52.90	-180.40	1	1
<b>योग</b>	<b>25</b>	<b>12,379.49</b>	<b>-3,568.69</b>	<b>13</b>	<b>12</b>

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

<sup>13</sup> इक्विटी - ₹ 291.67 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण - ₹ 223.35 करोड़।

<sup>14</sup> इक्विटी - ₹ 506.74 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण - ₹ 52.60 करोड़।

<sup>15</sup> शेष 13 एसपीएसई के पास बकाया ऋण होने के बावजूद भी वर्ष के दौरान की कोई वित्तीय लागत नहीं थी।

तालिका 1.9 से यह देखा जा सकता है कि 13 एसपीएसई का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था, जो यह इंगित करता है कि वे अपनी ब्याज बाध्यताओं के भुगतान के लिए पर्याप्त आय सृजित कर रहे थे। यद्यपि, 12 एसपीएसई का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था, जो यह इंगित करता है कि वे अपनी ब्याज बाध्यताओं के भुगतान के लिए पर्याप्त आय सृजित नहीं कर सके।

### दीर्घावधि ऋण दायित्वों को पूर्ण करने हेतु परिसम्पतियों की पर्याप्तता

1.16 कुल परिसम्पतियों के सापेक्ष दीर्घावधि ऋण का अनुपात एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या कोई संस्था शोधनक्षम बनी रह सकती है। संस्था को शोधनक्षम माने जाने के लिए, एक संस्था की परिसम्पतियों का मूल्य उसके दीर्घावधि ऋणों के योग से अधिक होना चाहिए। नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 38 एसपीएसई में कुल परिसम्पतियों के मूल्य द्वारा दीर्घावधि ऋणों का कवरेज तालिका 1.10 में दिया गया है।

तालिका 1.10: एसपीएसई की कुल परिसम्पतियों द्वारा दीर्घावधि ऋण के कवरेज का विवरण

एसपीएसई का प्रकार	सकारात्मक कवरेज				ऋणात्मक कवरेज			
	एसपीएसई की संख्या	दीर्घावधि ऋण (₹ करोड़ में)	कुल परिसम्पतियाँ (₹ करोड़ में)	कुल परिसम्पतियों का कुल दीर्घावधि ऋणों के सापेक्ष अनुपात	एसपीएसई की संख्या	दीर्घावधि ऋण (₹ करोड़ में)	कुल परिसम्पतियाँ (₹ करोड़ में)	कुल परिसम्पतियों का कुल दीर्घावधि ऋणों के सापेक्ष अनुपात
सरकारी कंपनियाँ	28	1,16,801.06	3,07,760.31	2.63	2	103.89	45.57	0.44
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	4	3,616.59	3,652.68	1.01	-	-	-	-
सांविधिक निगम	4	1,904.02	71,667.62	37.64	-	-	-	-
<b>योग</b>	<b>36</b>	<b>1,22,321.67</b>	<b>3,83,080.61</b>	<b>3.13</b>	<b>2</b>	<b>103.89</b>	<b>45.57</b>	<b>0.44</b>

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

तालिका 1.10 से यह देखा जा सकता है कि 38 एसपीएसई में से 36 एसपीएसई की कुल परिसम्पतियों का मूल्य उनके बकाया दीर्घावधि ऋणों से अधिक था, जो उनके ऋण बाध्यताओं के सापेक्ष परिसम्पतियों की सुदृढ़ स्थिति को इंगित करता है। यद्यपि, दो एसपीएसई अर्थात्, उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड की कुल परिसम्पतियाँ उनके बकाया दीर्घावधि ऋणों से कम थीं।

### ब्याज प्रभार का शोधन और मूलधन का पुनर्भुगतान

1.17 38 एसपीएसई, जिन पर उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार ऋण दायित्व थे, में से छः एसपीएसई, जैसा की तालिका 1.11 में दिया गया है, ने नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुसार ऋण (मूलधन/ब्याज प्रभार) के शोधन में चूक किया।

तालिका 1.11: एसपीएसई जिन्होंने ऋण के शोधन में चूक की का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	ऋण का स्रोत	नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों का वर्ष	चूक की धनराशि
1.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	उ.प्र. सरकार	2021-22	64.65
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बैंक	2010-11	2.28
3.	उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	उ.प्र. सरकार	2011-12	0.21
4.	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड	उ.प्र. सरकार	2008-09	0.02
5.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	उत्तर प्रदेश शुगर स्पेशल फण्ड	2017-18	1.30
6.	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड	उ.प्र. सरकार	2021-22	0.80
<b>योग</b>				<b>69.26</b>

स्रोत: सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के आधार पर संकलित

तालिका 1.11 से यह देखा जा सकता है कि ऋण के शोधन में चूक की अधिकतम धनराशि (कुल चूक धनराशि का 93 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड से सम्बन्धित थी।

#### उ.प्र. सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

1.18 एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर, 31 मार्च 2023 को आठ एसपीएसई के विरुद्ध उ.प्र. सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गये दीर्घावधि ऋण पर ₹ 1,561.90 करोड़ का ब्याज बकाया था। उ.प्र. सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण तालिका 1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: उ.प्र. सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	उ.प्र. सरकार के ऋणों पर कुल बकाया ब्याज	1 वर्ष से कम के लिए बकाया ब्याज	1 वर्ष से 3 वर्षों तक के लिए बकाया ब्याज	3 वर्ष से अधिक समय के लिए बकाया ब्याज
1.	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	36.38	0	0	36.38
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड	44.91	5.16	14.25	25.50
3.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	33.95	0	3.61	30.34
4.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	267.76	10.60	31.79	225.37
5.	उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2.53	0.11	0.36	2.06
6.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	54.50	7.98	19.27	27.25
7.	उत्तर प्रदेश जल निगम	571.38	13.44	40.32	517.62
8.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	550.49	128.65	361.43	60.41
<b>योग</b>		<b>1,561.90</b>	<b>1,65.94</b>	<b>471.03</b>	<b>924.93</b>

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

तालिका 1.12 से यह देखा जा सकता है कि तीन वर्ष से अधिक के बकाया ब्याज का मुख्य भाग तीन एसपीएसई अर्थात् उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड से सम्बन्धित था।

### एसपीएसई की तरलता का विश्लेषण

1.19 चालू अनुपात एक तरलता अनुपात है जो किसी संस्था द्वारा अपनी अल्पावधि बाध्यताओं अथवा उन बकायों को जो एक वर्ष के अंदर देय हो के भुगतान की योग्यता को मापता है। यह संस्था की चालू परिसम्पतियों की तुलना उसके चालू दायित्वों से करता है। यह किसी संस्था की अल्पावधि शोधन क्षमता का एक उपयोगी मापक है। एक से कम चालू अनुपात यह इंगित करता है कि संस्था की अल्पावधि बाध्यताएं उसकी अल्पावधि परिसम्पतियों से अधिक हैं, और वह अपनी उपलब्ध चालू परिसम्पतियों से ऐसे बकाये का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। एक से अधिक चालू अनुपात यह इंगित करता है कि संस्था के पास अपनी अल्पावधि बाध्यताओं को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त अल्पावधि परिसम्पतियाँ हैं। चालू अनुपात का सूत्र है:

$$\text{चालू अनुपात} = \frac{\text{चालू परिसम्पतियाँ}}{\text{चालू दायित्व}}$$

लेखापरीक्षा ने 68 क्रियाशील एसपीएसई<sup>16</sup> के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर चालू अनुपात का विश्लेषण किया और पाया कि वर्ष के अंत पर 56 एसपीएसई का चालू अनुपात एक से अधिक था, जो यह इंगित करता है कि इन एसपीएसई के पास अपनी अल्पावधि बाध्यताओं को पूर्ण के लिए पर्याप्त अल्पावधि परिसम्पतियाँ थीं। यद्यपि, 12 एसपीएसई का चालू अनुपात एक से कम था, जो यह इंगित करता है कि इन एसपीएसई के पास अपनी अल्पावधि बाध्यताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त अल्पावधि परिसम्पतियाँ नहीं थीं। एक से कम चालू अनुपात वाले एसपीएसई का विवरण तालिका 1.13 में दिया गया है।

तालिका 1.13: एक से कम चालू अनुपात वाले एसपीएसई का विवरण

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों का वर्ष	चालू परिसम्पतियाँ (₹ करोड़ में)	चालू दायित्व (₹ करोड़ में)	चालू अनुपात
1.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	18,172.42	18,701.88	0.97
2.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	2022-23	3,483.14	3,817.84	0.91
3.	यूपीएसआईडीसी पावर कंपनी लिमिटेड	2013-14	0.00 <sup>17</sup>	0.20	0.01
4.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	368.36	376.61	0.98

<sup>16</sup> चार एसपीएसई को छोड़कर, जिन्होंने अपने प्रथम वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे।

<sup>17</sup> ₹ 27,915।

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों का वर्ष	चालू परिसम्पत्तियाँ (₹ करोड़ में)	चालू दायित्व (₹ करोड़ में)	चालू अनुपात
5.	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	2009-10	4.73	24.35	0.19
6.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड	2018-19	38.85	89.44	0.43
7.	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2020-21	68.76	281.47	0.24
8.	मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	0.95	1.08	0.88
9.	कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	2.46	8.70	0.28
10.	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2019-20	0.62	6.69	0.09
11.	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	2019-20	4.21	5.86	0.72
12.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2020-21	1,525.82	1,801.00	0.85

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

### एसपीएसई में निवेश पर प्रतिफल

1.20 एसपीएसई में निवेश पर प्रतिफल का आकलन इक्विटी पर प्रतिफल तथा नियोजित पूँजी पर प्रतिफल जैसे अनुपातों का प्रयोग कर किया गया। अग्रेतर, लाभ अर्जित करने वाले एसपीएसई द्वारा लाभांश के भुगतान का भी विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के परिणामों पर चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है।

### इक्विटी पर प्रतिफल

1.21 इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय प्रदर्शन का एक मापक है जो यह आकलन करता है कि प्रबंधन लाभ अर्जन हेतु संस्था के परिसम्पत्तियों का उपयोग कितने प्रभावकारी रूप से करता है। इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात् कर पश्चात् शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि से विभाजित कर की जाती है। यह प्रतिशत में व्यक्त की जाती है एवं इसकी गणना ऐसे किसी संस्था के लिए की जा सकती है जहाँ शेयरधारकों की निधि धनात्मक हो।

किसी संस्था के शेयरधारकों की निधि की गणना समादत्त पूँजी व मुक्त संचय, शुद्ध संचयी हानियाँ तथा आस्थगित राजस्व व्ययों को जोड़कर आगणित की जाती है। यह उस धनराशि को प्रदर्शित करता है जो सभी परिसम्पत्तियों का विक्रय कर देने तथा ऋण चुका दिए जाने के पश्चात् संस्था के पणधारियों के लिए बची रहेगी। एक धनात्मक शेयरधारक निधि यह इंगित करती है कि संस्था के पास अपने दायित्वों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियाँ हैं, जबकि एक ऋणात्मक शेयरधारक निधि का अर्थ है कि दायित्व परिसम्पत्तियों से अधिक हैं।

68 एसपीएसई में से 16 एसपीएसई की शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक थी। लेखापरीक्षा ने शेष 52 एसपीएसई के लिए आरओई की गणना उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर की गई और पाया कि 34 एसपीएसई

का आरओई धनात्मक था, 16 एसपीएसई का आरओई<sup>18</sup> ऋणात्मक था, तथा दो एसपीएसई का आरओई<sup>19</sup> 'शून्य' था, जैसा कि तालिका 1.14 में वर्णित है।

तालिका 1.14: एसपीएसई के इक्विटी पर प्रतिफल का विवरण

एसपीएसई का प्रकार	ऋणात्मक आरओई वाले एसपीएसई की संख्या	'शून्य' आरओई वाले एसपीएसई की संख्या	धनात्मक आरओई वाले एसपीएसई की संख्या	
			10 प्रतिशत तक	10 प्रतिशत से अधिक
सरकारी कंपनियाँ	11	-	11	14
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	4	2	6	0
सांविधिक निगम	1	-	2	1
<b>योग</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>15</b>

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

अग्रेतर, उपरोक्त 52 एसपीएसई का क्षेत्र-वार आरओई तालिका 1.15 में दिया गया है।

तालिका 1.15: क्षेत्र-वार इक्विटी पर प्रतिफल

क्षेत्र	एसपीएसई की संख्या	शुद्ध आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
ऊर्जा क्षेत्र	8	-25,055.06	74,709.71	-33.54
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	44	184.27	22,012.55	0.84
<b>योग</b>	<b>52</b>	<b>-24,870.79</b>	<b>96,722.26</b>	<b>-25.71</b>

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

तालिका 1.15 से यह देखा जा सकता है कि ऊर्जा क्षेत्र में 33.54 प्रतिशत का ऋणात्मक आरओई था, जबकि ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त में आरओई मात्र 0.84 प्रतिशत था।

### नेट वर्थ का क्षरण

1.22 नेट वर्थ का तात्पर्य समादत्त पूँजी, तथा मुक्त संचय व अधिशेष के योग से संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्ययों को घटाने से है। यह इस बात का मापक है कि संस्था स्वामियों के लिए कितना मूल्यवान है। ऋणात्मक नेट वर्थ यह इंगित करता है कि स्वामियों का सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्ययों के कारण लुप्त हो चुका है।

<sup>18</sup> इन एसपीएसई का आरओई ऋणात्मक था, क्योंकि उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, इन्हें हानि हुई थी।

<sup>19</sup> आरओई 'शून्य' था, क्योंकि इन एसपीएसई ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार न तो लाभ अर्जित किया था और न ही हानि वहन की थी।

68 एसपीएसई<sup>20</sup> की, उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर, समादत्त पूँजी, मुक्त संचय व अधिशेष/संचित हानियाँ, आस्थगित राजस्व व्यय तथा नेट वर्थ परिशिष्ट 1.1 में वर्णित है एवं तालिका 1.16 में संक्षेपित है।

तालिका 1.16: एसपीएसई के नेट वर्थ का विवरण

(₹ करोड़ में)

एसपीएसई का प्रकार	समादत्त पूँजी (शेयर आवेदन धनराशि सहित)	मुक्त संचय(+)/ संचित लाभ (+)/ हानियाँ (-)	आस्थगित राजस्व व्यय <sup>21</sup>	नेट वर्थ
सरकारी कंपनियाँ	2,64,033.58	-1,87,972.54	0.18	76,060.86
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	4,560.14	39.22	0.71	4,598.65
सांविधिक निगम	1,173.71	3,990.21	3.33	5,160.59
<b>योग</b>	<b>2,69,767.43</b>	<b>-1,83,943.11</b>	<b>4.22</b>	<b>85,820.10</b>

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

68 एसपीएसई के नेट वर्थ के विश्लेषण से यह प्रकट हुआ है कि 16 एसपीएसई के नेट वर्थ का उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार पूर्ण रूप से क्षरण हो चुका है। इन एसपीएसई की समादत्त पूँजी, तथा मुक्त संचय व अधिशेष ₹ 26,891.32 करोड़ था, जबकि संचित हानियाँ एवं आस्थगित राजस्व व्यय ₹ 37,979.25 करोड़ था। इन 16 एसपीएसई में से, पाँच एसपीएसई में अधिकतम नेट वर्थ क्षरण देखा गया, जैसा कि तालिका 1.17 में वर्णित है।

तालिका 1.17: अधिकतम नेट वर्थ क्षरण वाले एसपीएसई का विवरण

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	क्षरण हुआ नेट वर्थ (₹ करोड़ में)
1.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-6,061.51
2.	उत्तर प्रदेश जल निगम	-1,820.15
3.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	-1,755.65
4.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	-719.11
5.	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	-241.17

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

### नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.23 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक ऐसा अनुपात है जो किसी संस्था की लाभप्रदता तथा उसकी पूँजी के नियोजन की दक्षता को मापता है। आरओसीई की गणना ब्याज एवं कर पूर्व आय (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी<sup>22</sup> द्वारा विभाजित कर की जाती है। 68 एसपीएसई में से, नौ एसपीएसई में

<sup>20</sup> चार एसपीएसई ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये थे।

<sup>21</sup> आस्थगित राजस्व व्यय को परिशिष्ट 1.1 में अल्प धनराशि होने के कारण वर्णित नहीं किया गया है।

<sup>22</sup> नियोजित पूँजी = समादत्त शेयर पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण - संचित हानियाँ - आस्थगित राजस्व व्यय। आँकड़े एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार हैं।

नियोजित पूँजी ऋणात्मक थी। लेखापरीक्षा ने शेष 59 एसपीएसई के आरओसीई की गणना उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर की और पाया कि 41 एसपीएसई का आरओसीई धनात्मक था, 16 एसपीएसई का आरओसीई ऋणात्मक था तथा दो एसपीएसई का आरओसीई 'शून्य' था, जैसा कि तालिका 1.18 में वर्णित है।

तालिका 1.18: एसपीएसई के नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का विवरण

एसपीएसई का प्रकार	ऋणात्मक आरओसीई वाले एसपीएसई की संख्या	'शून्य' आरओसीई वाले एसपीएसई की संख्या	धनात्मक आरओसीई वाले एसपीएसई की संख्या	
			10 प्रतिशत तक	10 प्रतिशत से अधिक
सरकारी कंपनियाँ	11	-	17	14
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	4	2	7	-
सांविधिक निगम	1	-	2	1
<b>योग</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>15</b>

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

अग्रेतर, सभी 68 एसपीएसई का क्षेत्र-वार आरओसीई तालिका 1.19 में वर्णित है।

तालिका 1.19: क्षेत्र-वार नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	एसपीएसई की संख्या	ईबीआईटी	नियोजित पूँजी	आरओसीई (प्रतिशत में)
1.	ऊर्जा क्षेत्र	12	-17,838.09	1,70,259.05	-10.48
2.	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	56	314.93	37,986.61	0.83
	<b>योग</b>	<b>68</b>	<b>-17,523.16</b>	<b>2,08,245.66</b>	<b>-8.41</b>

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

### एसपीएसई में लाभांश भुगतान

1.24 उ.प्र. सरकार द्वारा तैयार (अक्टूबर 2002) लाभांश नीति के अनुसार, लाभ अर्जित करने वाले एसपीएसई को उ.प्र. सरकार द्वारा योगदान किए गये शेयर पूँजी पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत के लाभांश का भुगतान करना होगा।

68 एसपीएसई में से, उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 39 एसपीएसई ने लाभ अर्जित किया। इन 39 एसपीएसई में से, 10 एसपीएसई में संचित हानियाँ थी, तथा सात एसपीएसई<sup>23</sup> में उ.प्र. सरकार ने शेयर पूँजी में कोई योगदान नहीं किया था। इस प्रकार, 22 एसपीएसई द्वारा उ.प्र. सरकार को ₹ 243 करोड़<sup>24</sup> का लाभांश का भुगतान करना आवश्यक था। यद्यपि, मात्र

<sup>23</sup> जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, श्रीद्वॉन इण्डिया लिमिटेड, अपट्रॉन पावरट्रॉनिक्स लिमिटेड, अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड, डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड, उत्तर प्रदेश वन निगम, तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।

<sup>24</sup> आठ एसपीएसई के प्रकरण में देय लाभांश को अर्जित लाभ तक सीमित किया गया है।

11 एसपीएसई ने ₹ 8.25 करोड़ का लाभांश घोषित किया। विवरण तालिका 1.20 में दिया गया है।

तालिका 1.20: एसपीएसई द्वारा देय न्यूनतम लाभांश तथा घोषित लाभांश का विवरण

(₹ करोड़ में)

एसपीएसई का प्रकार	एसपीएसई की संख्या जिन्होंने लाभ अर्जित किया तथा जिनके पास कोई संचित हानियाँ नहीं थी	उ.प्र. सरकार द्वारा किया गया शेरर पूँजी का योगदान	देय लाभांश	लाभांश घोषित करने वाले एसपीएसई की संख्या	घोषित लाभांश
सरकारी कंपनियाँ	18	18,965.94	242.45	10	4.68
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	3	208.25	0.17	-	0
सांविधिक निगम	1	7.60	0.38	1	3.57
<b>योग</b>	<b>22</b>	<b>19,181.79</b>	<b>243.00</b>	<b>11</b>	<b>8.25</b>

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

### एसपीएसई की परिचालन दक्षता

1.25 एसपीएसई की परिचालन दक्षता का आकलन उनके द्वारा अर्जित लाभ तथा उनके द्वारा वहन की गयी हानियों का विश्लेषण कर किया गया। अग्रेतर, टर्नओवर के विरुद्ध उनके शुद्ध लाभ के मार्जिन का भी आकलन किया गया। विश्लेषण के परिणामों पर चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है।

### एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

1.26 नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 39 एसपीएसई ने ₹ 2,169.50 करोड़ का लाभ अर्जित किया। छः एसपीएसई जिन्होंने ₹ 100 करोड़ या अधिक का लाभ अर्जित किया था का विवरण तालिका 1.21 में दिया गया है।

तालिका 1.21: ₹ 100 करोड़ या अधिक का लाभ अर्जित करने वाले एसपीएसई का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों का वर्ष	कर पश्चात् शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	एसपीएसई के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत
1.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	991.67	45.71
2.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2021-22	275.88	12.72
3.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2021-22	235.66	10.86
4.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2020-21	165.53	7.63
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2021-22	144.68	6.67
6.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	120.38	5.55
	<b>योग</b>		<b>1,933.80</b>	<b>89.14</b>

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

तालिका 1.21 से यह देखा जा सकता है कि 39 एसपीएसई द्वारा अर्जित कुल लाभ (₹ 2,169.50 करोड़) में उपरोक्त वर्णित छः एसपीएसई ने लगभग 89 प्रतिशत का योगदान किया था, जिसमें कुल लाभ का लगभग 46 प्रतिशत योगदान अकेले पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने किया था।

### एसपीएसई द्वारा वहन की गई हानि

1.27 नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 27 एसपीएसई ने कुल ₹ 32,393.08 करोड़ की हानि वहन की। सात एसपीएसई जिन्होंने ₹ 100 करोड़ या अधिक की हानि वहन की थी का विवरण तालिका 1.22 में दिया गया है।

तालिका 1.22: ₹ 100 करोड़ या अधिक की हानि वहन करने वाले एसपीएसई का विवरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों का वर्ष	हानि की धनराशि	एसपीएसई की कुल हानि में हानि का प्रतिशत
1.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	556.26	1.72
2.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	6,610.27	20.41
3.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	4,819.92	14.88
4.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	5,073.77	15.66
5.	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	14,572.24	44.99
6.	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	319.02	0.98
7.	उत्तर प्रदेश जल निगम	2019-20	250.68	0.77
योग			32,202.16	99.41

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

तालिका 1.22 से यह देखा जा सकता है कि 27 एसपीएसई द्वारा वहन की गयी कुल हानि (₹ 32,393.08 करोड़) में उपरोक्त वर्णित सात एसपीएसई ने 99 प्रतिशत से अधिक का योगदान किया था, जिसमें कुल हानि का लगभग 45 प्रतिशत योगदान अकेले उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया था।

### टर्नओवर के विरुद्ध शुद्ध लाभ का मार्जिन

1.28 टर्नओवर के विरुद्ध शुद्ध लाभ का मार्जिन किसी अवधि के दौरान सृजित लाभ को टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में मापता है। यह किसी संस्था के वित्तीय स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है। यह पणधारियों को संस्था की परिचालन दक्षता के निर्धारण में सहायता करता है एवं यह निर्धारित करता है कि क्या संस्था अपने टर्नओवर से पर्याप्त आय सृजित कर रही है। इसकी गणना संस्था के टर्नओवर के सापेक्ष शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

68 एसपीएसई में से, उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 27 एसपीएसई ने हानि वहन की थी, दो एसपीएसई ने न तो लाभ और न तो हानि सूचित किया था तथा आठ एसपीएसई ने 'शून्य' टर्नओवर सूचित किया

था। शेष 31 एसपीएसई का टर्नओवर के विरुद्ध शुद्ध लाभ के मार्जिन का विवरण तालिका 1.23 में दिया गया है।

तालिका 1.23: एसपीएसई के टर्नओवर के विरुद्ध शुद्ध लाभ के मार्जिन का विवरण

एसपीएसई का प्रकार	10 प्रतिशत से कम शुद्ध लाभ के मार्जिन वाले एसपीएसई की संख्या	10 से 20 प्रतिशत के बीच शुद्ध लाभ के मार्जिन वाले एसपीएसई की संख्या	20 प्रतिशत से अधिक शुद्ध लाभ के मार्जिन वाले एसपीएसई की संख्या <sup>25</sup>
सरकारी कंपनियाँ	18	3	5
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	1	-	-
सांविधिक निगम	1	1	2
<b>योग</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

अग्रेतर, उपरोक्त 31 एसपीएसई का क्षेत्र-वार टर्नओवर के विरुद्ध शुद्ध लाभ का मार्जिन तालिका 1.24 में दिया गया है।

तालिका 1.24: टर्नओवर के विरुद्ध क्षेत्र-वार शुद्ध लाभ का मार्जिन

क्षेत्र	एसपीएसई की संख्या	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	टर्नओवर (करोड़ रुपए में)	शुद्ध लाभ का मार्जिन (प्रतिशत में)
ऊर्जा क्षेत्र	4	1,503.72	33,917.81	4.43
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	27	619.91	10,664.57	5.81
<b>योग</b>	<b>31</b>	<b>2,123.63</b>	<b>44,582.38</b>	<b>4.76</b>

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

<sup>25</sup> 22.22 प्रतिशत तथा 281.05 प्रतिशत के मध्य।

## **अध्याय-॥**

**सीएजी की निरीक्षण भूमिका**



## अध्याय-II

### सीएजी की निरीक्षण भूमिका

यह अध्याय एसपीएसई द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के सम्बन्ध में सीएजी की निरीक्षण भूमिका, इन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव, तथा लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के दृष्टांतों से सम्बन्धित है।

### एसपीएसई के लेखाओं की लेखापरीक्षा

#### सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

2.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) यह प्राविधानित करती है कि सरकारी कंपनी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी की दशा में, सीएजी किसी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों की अवधि के अंदर सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेगा। अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) यह प्राविधानित करती है कि सरकारी कंपनी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी की दशा में, प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति सीएजी द्वारा कंपनी के पंजीकरण की तिथि से साठ दिनों के अंदर की जाएगी। यदि सीएजी साठ दिनों की उक्त अवधि के अंदर ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं करता है, तो कंपनी का निदेशक बोर्ड अगले तीस दिनों के अंदर ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेगा; और यदि बोर्ड अगले तीस दिनों के अन्दर ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति करने में असफल रहता है तो वह कंपनी के सदस्यों को सूचित करेगा जो साठ दिनों के अंदर असामान्य साधारण अधिवेशन में ऐसे लेखापरीक्षक को नियुक्ति करेंगे। इस प्रकार नियुक्त प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षक प्रथम साधारण अधिवेशन की समाप्ति तक पद धारण करेगा।

उत्तर प्रदेश में सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले छः सांविधिक निगमों में से, चार सांविधिक निगमों<sup>1</sup> का सीएजी एकल लेखापरीक्षक है। शेष दो सांविधिक निगमों में से, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति सीएजी के परामर्श पर उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) द्वारा की जाती है, तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति निगम द्वारा शेयरधारकों के एक साधारण अधिवेशन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से की जाती है।

#### सांविधिक लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

2.2 सरकारी कंपनी तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी की दशा में, सांविधिक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

<sup>1</sup> उत्तर प्रदेश वन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश जल निगम, तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।

जैसा कि प्रस्तर 2.1 में चर्चा की गई है, सीएजी, चार सांविधिक निगमों का एकल लेखापरीक्षक है। शेष दो सांविधिक निगमों की दशा में, सांविधिक लेखापरीक्षा उ.प्र. सरकार/निगम द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

### **लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता**

2.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 यह प्राविधानित करती है कि प्रत्येक कंपनी<sup>2</sup>, प्रत्येक वर्ष में अपनी वार्षिक साधारण अधिवेशन (एजीएम) के रूप में एक साधारण अधिवेशन आयोजित करेगी, तथा एक एजीएम व उसकी अगली एजीएम की तिथि के मध्य 15 माह से अधिक का समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। यह अग्रेतर प्राविधानित करती है कि प्रथम एजीएम की दशा में, यह कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से नौ माह की अवधि के अंदर आयोजित की जाएगी, तथा किसी अन्य दशा में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से छः माह की अवधि के अंदर आयोजित की जाएगी। अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129, धारा 134 के साथ पठित, में यह निर्दिष्ट है कि कंपनी की प्रत्येक एजीएम में, कंपनी का निदेशक बोर्ड ऐसे अधिवेशन के समक्ष वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण रखेगा। यह रूपरेखा नियमित कारपोरेट एवं वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है, जिससे कंपनियों में शेयरधारकों द्वारा संवीक्षा एवं निरीक्षण संभव हो पाता है। तदनुसार, कंपनियों को 30 सितम्बर 2023 तक एजीएम आयोजित करना तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण रखना आवश्यक था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 394 एवं 395 के अधीन सरकारी कंपनियों के लिए अतिरिक्त जवाबदेही उपाय विहित किए गए हैं, जो यह प्राविधानित करते हैं कि, सरकारी कंपनी के कार्यकरण तथा कार्यकलापों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसके एजीएम के तीन माह के अंदर तैयार की जानी चाहिए तथा ऐसे तैयार किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र वार्षिक प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों एवं/अथवा राज्य विधानमण्डल के सदन या दोनों सदनों के समक्ष, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति तथा सीएजी द्वारा की गई टिप्पणियों अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरक के साथ, रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को अधिशासित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों में लगभग इसी समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों में निवेश किए गए सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

उपर्युक्त प्रावधानों के दृष्टिगत, लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब शेयरधारकों के संवीक्षण एवं निरीक्षण के अधिकार को क्षीण करता है। अग्रेतर, सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की दशा में इस तरह के विलम्ब के परिणामस्वरूप

<sup>2</sup> एक व्यक्ति कंपनी के अतिरिक्त।

वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने और प्रस्तुत करने में विलम्ब होता है जिससे विधायी नियंत्रण एवं निरीक्षण प्रभावित होता है।

उपर्युक्त शर्तों के बावजूद, 30 सितम्बर 2023 को विभिन्न एसपीएसई के वार्षिक लेखे बकाया थे। उत्तर प्रदेश में सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 113 एसपीएसई में से मात्र 10 एसपीएसई<sup>3</sup> ने 30 सितम्बर 2023 तक वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरण सीएजी को प्रस्तुत किए थे। अग्रेतर, समापनाधीन दो एसपीएसई<sup>4</sup> ने समापनाधीन जाने की तिथि तक के अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए थे। इस प्रकार, 101 एसपीएसई के लेखे बकाया थे, जैसा कि परिशिष्ट 2.1 में वर्णित है तथा तालिका 2.1 में संक्षेपित है।

तालिका 2.1: 30 सितम्बर 2023 को बकाया लेखाओं की स्थिति

विवरण	एसपीएसई के प्रकार			
	सरकारी कंपनियाँ	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	सांविधिक निगम	कुल
31 मार्च 2023 को सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन एसपीएसई की संख्या	86	21	06	113
क्रियाशील एसपीएसई की संख्या	47	19	06	72
क्रियाशील एसपीएसई की संख्या जिन्होंने 30 सितम्बर 2023 तक वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरण सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किये	09	01	-	10
क्रियाशील एसपीएसई की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	38	18	06	62
बकाया लेखाओं की संख्या (क्रियाशील एसपीएसई)	231	74	19	324
बकाया लेखाओं की सीमा (क्रियाशील एसपीएसई)	1 से 22 वर्ष	1 से 13 वर्ष	1 से 10 वर्ष	1 से 22 वर्ष
निष्क्रिय एसपीएसई (समापनाधीन एसपीएसई को छोड़कर) की संख्या	27	1	-	28
निष्क्रिय एसपीएसई (समापनाधीन एसपीएसई को छोड़कर) की संख्या जिन्होंने 30 सितम्बर 2023 तक वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरण सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए	-	-	-	-
निष्क्रिय एसपीएसई (समापनाधीन एसपीएसई को छोड़कर) की संख्या, जिनके लेखे बकाया हैं	27	1	-	28
बकाया लेखाओं की संख्या (समापनाधीन निष्क्रिय एसपीएसई को छोड़कर)	575	28	-	603
बकाया लेखाओं की सीमा (समापनाधीन निष्क्रिय एसपीएसई को छोड़कर)	1 से 41 वर्ष	28 वर्ष		1 से 41 वर्ष
समापनाधीन निष्क्रिय एसपीएसई की संख्या	12	1	-	13
समापनाधीन निष्क्रिय एसपीएसई की संख्या जिन्होंने समापनाधीन जाने की तिथि तक अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए	2	-	-	2

<sup>3</sup> परिशिष्ट 1.1 की क्रम संख्या 5 से 10, 36, 37, 44, एवं 51 पर स्थित एसपीएसई।

<sup>4</sup> उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड।

विवरण	एसपीएसई के प्रकार			
	सरकारी कंपनियाँ	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	सांविधिक निगम	कुल
समापनाधीन निष्क्रिय एसपीएसई की संख्या जिनके लेखे बकाया <sup>5</sup> हैं	10	1	-	11
बकाया लेखाओं की संख्या (समापनाधीन निष्क्रिय एसपीएसई)	112	8	-	120
बकाया लेखाओं की सीमा (समापनाधीन निष्क्रिय एसपीएसई)	1 से 29 वर्ष	8 वर्ष	-	1 से 29 वर्ष

स्रोत: एसपीएसई द्वारा 30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत नवीनतम वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

तालिका 2.1 से यह देखा जा सकता है कि 30 सितम्बर 2023 को 62 क्रियाशील एसपीएसई के 324 वार्षिक लेखे तथा 28 निष्क्रिय एसपीएसई (समापनाधीन एसपीएसई को छोड़कर) के 603 वार्षिक लेखे, एक से 41 वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे। अग्रेतर, 30 सितम्बर 2023 को समापनाधीन 11 एसपीएसई के 120 वार्षिक लेखे, एक से 29 वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे।

### एसपीएसई के लेखाओं की लेखापरीक्षा में सीएजी की निरीक्षण भूमिका

2.4 कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरणों तैयार करने का मूल उत्तरदायित्व एसपीएसई के प्रबंधन का है।

सीएजी सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन का अनुश्रवण कर एक निरीक्षण भूमिका निभाता है। यह भूमिका कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश निर्गत करने तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को अनुपूरक करने अथवा उस पर टिप्पणी करने की शक्ति के प्रयोग द्वारा निभाई जाती है।

सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की दशा में, सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों तथा सीएजी द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अधीन सीएजी को अपना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चयनित सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखाओं के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा सीएजी द्वारा

<sup>5</sup> समापनाधीन एसपीएसई के प्रकरण में, बकाया लेखाओं की गणना एसपीएसई के समापनाधीन जाने की तिथि तक की गई है।

अनुपूरक लेखापरीक्षा कर की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हो तो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अधीन वार्षिक साधारण अधिवेशन के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।

सांविधिक निगमों की दशा में, लेखाओं पर सीएजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हो तो, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रतिवेदित की जाती हैं।

अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान 113 एसपीएसई में से 47 एसपीएसई ने सीएजी को 66 वित्तीय विवरण अग्रेषित किये। इनमें वर्ष 2010-11 से 2022-23 के वित्तीय विवरण सम्मिलित थे। प्राप्त वित्तीय विवरणों, की गयी समीक्षा तथा निर्गत की गई टिप्पणियाँ/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विवरण तालिका 2.2 में दिया गया है।

तालिका 2.2: प्राप्त वित्तीय विवरणों, की गयी समीक्षा तथा निर्गत की गई टिप्पणियाँ/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विवरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23			विगत वर्ष		
	सरकारी कंपनियाँ	सांविधिक निगम	योग	सरकारी कंपनियाँ	सांविधिक निगम	योग
प्राप्त	11 <sup>6</sup>	-	11	46	9	55
की गयी समीक्षा	11	-	11	35	9	44
लेखापरीक्षा प्रगति <sup>7</sup> पर है	8	-	8	7	7	14
शून्य टिप्पणी निर्गत की गई	-	-	-	-	-	-
टिप्पणियाँ निर्गत की गई	3	-	3	28	2	30
'नो रिव्यू सर्टिफिकेट' निर्गत नहीं किया गया	-	-	-	11	-	11

स्रोत: अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान एसपीएसई द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों और सम्बन्धित फाइलों के आधार पर संकलित

तालिका 2.2 से यह देखा जा सकता है कि अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान प्राप्त 66 वित्तीय विवरणों में से सीएजी ने 45 एसपीएसई के 55 लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा<sup>8</sup> की। शेष 11 प्रकरणों में, सीएजी ने 'नो रिव्यू सर्टिफिकेट' निर्गत किये।

### सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.5 सीएजी द्वारा अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 के दौरान 47 एसपीएसई (31 सरकारी कंपनी, 12 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी, तथा चार सांविधिक निगम) के 76 वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किये गये, जैसा कि परिशिष्ट 2.2

<sup>6</sup> इसमें वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दो वित्तीय विवरण (एकल एवं समेकित) सम्मिलित हैं।

<sup>7</sup> 30 सितम्बर 2023 के पश्चात् निर्गत की गई टिप्पणियाँ।

<sup>8</sup> वार्षिक, त्रैवार्षिक अथवा पाँच वर्ष में एक बार अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के लिए एसपीएसई के लेखाओं का चयन, समादत पूँजी, नियोजित पूँजी तथा टर्नओवर के मानदण्डों के आधार पर किया जाता है।

में वर्णित है। सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणामों पर चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है।

### **वित्तीय विवरणों में संशोधन/लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में पुनरीक्षण**

2.6 सीएजी द्वारा अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान किये गये एसपीएसई के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वर्ष 2019-20 हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर अपने प्रतिवेदन को पुनरीक्षित किया।

### **एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर निर्गत सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ**

2.7 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के उपरान्त, सीएजी ने अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान 43 एसपीएसई (31 सरकारी कंपनी तथा 12 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी) के 68 वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की तथा उनपर टिप्पणियाँ निर्गत कीं। इसके अतिरिक्त, तीन एसपीएसई<sup>9</sup>, जहाँ सीएजी एकल लेखापरीक्षक है, के सात वित्तीय विवरणों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) तथा एक एसपीएसई<sup>10</sup>, जहाँ सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है, के वित्तीय विवरणों पर एक एसएआर इस अवधि के दौरान निर्गत की गई थी। इस प्रकार, 47 एसपीएसई<sup>11</sup> के 76 वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किये गये, जैसा कि परिशिष्ट 2.2 में वर्णित है।

लाभप्रदता (लाभ/हानि का अधिक/कम दर्शाया जाना) और वित्तीय स्थिति (परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का अधिक/कम दर्शाया जाना) पर प्रभाव को इंगित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों नीचे संक्षेपित की गयी हैं तथा परिशिष्ट 2.3 में वर्णित हैं।

### **अ. सरकारी कंपनियाँ तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ**

#### **(i) लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ**

- वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए पाँच एसपीएसई के 11 वित्तीय विवरणों के प्रकरण में हानियों को ₹ 3,582.34 करोड़ से कम दर्शाया गया था।
- वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए पाँच एसपीएसई के नौ वित्तीय विवरणों के प्रकरण में हानियों को ₹ 1,053.77 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था।
- वर्ष 2019-20 के लिए एक एसपीएसई के एक वित्तीय विवरण के प्रकरण में, लाभ को ₹ 1.39 करोड़ से कम दर्शाया गया था।

<sup>9</sup> उत्तर प्रदेश वन निगम, उत्तर प्रदेश जल निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।

<sup>10</sup> उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम।

<sup>11</sup> दो एसपीएसई अर्थात् उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम लिमिटेड के दो वित्तीय विवरणों के प्रकरण में कोई टिप्पणी निर्गत नहीं की गई।

**(ii) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ**

- वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए सात एसपीएसई के 10 वित्तीय विवरणों के प्रकरण में, परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को ₹ 5,348.71 करोड़ से कम दर्शाया गया था।
- वर्ष 2020-21 से 2021-22 के लिए तीन एसपीएसई के चार वित्तीय विवरणों के प्रकरण में, परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को ₹ 5,014.51 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था।

**ब. सांविधिक निगम**

**(i) लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ**

- वर्ष 2021-22 के लिए एक सांविधिक निगम के एक वित्तीय विवरण के प्रकरण में, लाभ को ₹ 1.75 करोड़ से कम दर्शाया गया था।
- वर्ष 2021-22 के लिए एक सांविधिक निगम के एक वित्तीय विवरण के प्रकरण में, हानि को ₹ 47.03 करोड़ से कम दर्शाया गया था।

**(ii) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ**

- वर्ष 2020-21 के लिए एक सांविधिक निगम के एक वित्तीय विवरण के प्रकरण में, परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को ₹ 9.10 करोड़ से कम दर्शाया गया था।
- वर्ष 2020-21 के लिए एक सांविधिक निगम के एक वित्तीय विवरण के प्रकरण में, परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को ₹ 3.30 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था।

**लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना**

2.8 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(1) यह प्राविधानित करती है कि वित्तीय विवरण कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति का सत्य एवं उचित वर्णन देंगे, धारा 133 के अधीन अधिसूचित लेखा मानकों का अनुपालन करेंगे, तथा अनुसूची III में दिए गए प्रारूपों में होंगे। कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार, ने भारतीय आर्थिक एवं विधिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) का सन्दर्भ लेते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के द्वारा भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) को अधिसूचित किया। इंड एस को आईएफआरएस के आधार पर बनाया गया था, जो सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखा सिद्धांतों (आईजीएपी) से मुख्यतः तीन पहलुओं यथा उचित मूल्यांकन, विधिक रूप की अपेक्षा सार, तथा तुलन पत्र पर अधिक महत्व के आधार पर भिन्न थे। निर्धारित वर्ग की कंपनियों को इंड एस, 1 अप्रैल 2016 से अनिवार्य रूप से अंगीकृत करना है। इंड एस से आच्छादित नहीं होने वाली कंपनियों को लेखा मानकों का प्रयोग जारी रखना है।

उत्तर प्रदेश में 31 मार्च 2023 को सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 107 एसपीएसई थे जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित थे। इन 107 एसपीएसई में से 26 एसपीएसई ने इंड एस (प्रथम चरण - 18 एसपीएसई, द्वितीय चरण - पाँच एसपीएसई तथा स्वैच्छिक अंगीकरण - तीन एसपीएसई) को अंगीकृत किया था। स्वेच्छा से इंड एस को अंगीकृत करने वाले तीन एसपीएसई में से एक एसपीएसई अर्थात् मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने वर्ष 2018-19 के अपने प्रथम वित्तीय विवरण से इंड एस को अंगीकृत किया था। अग्रेतर, अपेक्षित मानदण्डों को पूर्ण करने के बावजूद एक एसपीएसई अर्थात् उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड ने वर्ष 2017-18 के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इंड एस का अनुपालन नहीं किया था।

इंड एस/एस का अनुपालन न करने के प्रकरण, जैसा कि 27 एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर अपने प्रतिवेदन में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, नीचे संक्षेपित हैं तथा **परिशिष्ट 2.4** में वर्णित है।

- 10 एसपीएसई के 10 वित्तीय विवरणों में, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने इंड एस के अनुपालन न करने के 37 दृष्टांत प्रतिवेदित किये।
- 10 एसपीएसई के 17 वित्तीय विवरणों में, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एस के अनुपालन न करने के 59 दृष्टांत प्रतिवेदित किये।

इसके अतिरिक्त, 22 एसपीएसई के 32 वित्तीय विवरणों में इंड एस/एस के अनुपालन न करने के प्रकरण, जैसा कि 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान सीएजी द्वारा इंगित किये गये थे, नीचे संक्षेपित हैं तथा **परिशिष्ट 2.5** में वर्णित हैं।

- 10 एसपीएसई के 16 वित्तीय विवरणों में, इंड एस के अनुपालन न करने के 37 दृष्टांत थे।
- 12 एसपीएसई के 16 वित्तीय विवरणों में, एस के अनुपालन न करने के 26 दृष्टांत थे।

### **प्रबंधन पत्र**

**2.9** वित्तीय लेखापरीक्षा का एक उद्देश्य वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर लेखापरीक्षक तथा निगमित इकाई के अभिशासन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के मध्य प्रभावी सम्प्रेषण स्थापित करना है।

एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रेक्षणों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया जाता है। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, सीएजी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में पाई गई अनियमितताओं या कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु सम्बन्धित एसपीएसई के प्रबंधन को 'प्रबंधन पत्रों' के माध्यम से सूचित किया जाता है। यह कमियाँ सामान्यतः लेखांकन नीतियों तथा प्रथाओं के अनुप्रयोग एवं व्याख्या, लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजनों, जिनका वित्तीय

विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, तथा कतिपय सूचनाओं की अपर्याप्तता अथवा प्रकट नहीं किया जाना, जिस पर सम्बन्धित एसपीएसई के प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी, से सम्बन्धित है।

सीएजी ने अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान, 18 एसपीएसई को 25 'प्रबंधन पत्र' निर्गत किए, जैसा कि परिशिष्ट 2.6 में वर्णित है। इन प्रबंधन पत्रों में चिन्हांकित की गई अनियमितताओं की व्यापक प्रकृति निम्नानुसार थी:

- लेखांकन नीतियों का अनुपालन नहीं किया जाना/प्रकट नहीं किया जाना।
- शेषों का समाधान नहीं किया जाना।
- परिसम्पतियों, दायित्वों, आय, व्यय, आदि का गलत वर्गीकरण।
- 'लेखाओं पर टिप्पणियाँ' में अपर्याप्त प्रकटीकरण/प्रकट नहीं किया जाना।

### सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण

2.10 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) सांविधिक निगमों के लेखाओं पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। सांविधिक निगमों को अभिशासित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार, इन प्रतिवेदनों को राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना होता है। राज्य विधानमण्डल में 30 सितम्बर 2023 तक एसएआर के प्रस्तुतिकरण की स्थिति तालिका 2.3 में दी गई है।

तालिका 2.3: एसएआर के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जिसके लिए एसएआर निर्गत किया गया	नवीनतम वर्ष जिसके लिए राज्य विधानमण्डल में एसएआर प्रस्तुत किया गया	वर्ष जिनके लिए राज्य विधानमण्डल में एसएआर प्रस्तुत नहीं किये गये
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2020-21	2017-18	2018-19 से 2020-21 (3 वर्ष)
2.	उत्तर प्रदेश वन निगम	2021-22	2017-18	2018-19 से 2021-22 (4 वर्ष)
3.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2019-20	2019-20	-
4.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2012-13	2012-13	-
5.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2018-19	2012-13	2013-14 से 2018-19 (6 वर्ष)
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	2016-17	2010-11	2011-12 से 2016-17 (6 वर्ष)

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

तालिका 2.3, से यह देखा जा सकता है कि छः सांविधिक निगमों में से मात्र दो सांविधिक निगमों ने सीएजी द्वारा निर्गत सभी एसएआर राज्य विधानमण्डल में रखे थे। शेष चार सांविधिक निगमों ने सीएजी द्वारा निर्गत 19 एसएआर (तीन से छः वर्षों के मध्य) को राज्य विधानमण्डल में नहीं रखा था, जिससे सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं हुआ।



# **अध्याय-III**

**निगमित अभिशासन**



## अध्याय-III

### निगमित अभिशासन

यह अध्याय सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों द्वारा निगमित अभिशासन के सिद्धांतों के पालन से सम्बन्धित है, जिसमें निदेशक बोर्ड की बैठकों के आयोजन, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशकों की नियुक्ति, तथा निदेशक बोर्ड एवं उसके अधीन गठित समितियों की बैठकों में उनकी उपस्थिति से सम्बन्धित विषय सम्मिलित हैं।

#### प्रस्तावना

3.1 निगमित अभिशासन, नीतियों, प्रक्रियाओं एवं लोगों को सम्मिलित करने वाली एक आंतरिक प्रणाली है, जो प्रबंधकीय कार्यकलापों को निर्देशित एवं नियंत्रित कर शेयरधारकों तथा अन्य पणधारियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। किसी संगठन का निगमित अभिशासन ढाँचा चार स्तंभों यथा पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटीकरण, स्वतंत्र अनुश्रवण तथा सभी के लिए निष्पक्षता पर निर्भर करता है। निगमित अभिशासन के सिद्धांतों का पालन व्यवसाय में जवाबदेही एवं पारदर्शिता लाता है तथा पणधारियों का विश्वास बढ़ाता है।

#### *निगमित अभिशासन के सम्बन्ध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान*

3.2 कंपनी अधिनियम, 2013 को 29 अगस्त 2013 को कंपनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता, तथा बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ पर कंपनी नियम, 2014 को भी अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया। कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी नियम, 2014 के साथ मिलकर निगमित अभिशासन के लिए एक सुदृढ़ ढाँचा प्रदान करता है। आवश्यकताएँ अन्य बातों के साथ-साथ निम्न का प्रावधान करते हैं:

- प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई का स्वतंत्र निदेशकों के रूप में अनिवार्य नियुक्ति, तथा सार्वजनिक कंपनियों के किसी वर्ग या वर्गों की दशा में केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अधीन निर्धारित ऐसी अन्य न्यूनतम संख्या।
- स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यता, साथ ही कर्तव्य तथा पेशेवर आचरण के लिए दिशानिर्देश [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) व (8) एवं अनुसूची IV, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित]।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के अधीन विहित की गयी कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति।

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 177(1), 178(1), एवं 178(5) के अधीन लेखापरीक्षा समिति, नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति, तथा पणधारी सम्बन्ध समिति जैसी कुछ समितियों की अनिवार्य स्थापना।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) के अधीन निदेशक बोर्ड की प्रत्येक वर्ष न्यूनतम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करना कि बोर्ड की दो क्रमवर्ती बैठकों के मध्य 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो।

### **निगमित अभिशासन पर सेबी के दिशानिर्देश**

3.3 सेबी ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 को अधिसूचित (2 सितम्बर 2015) किया, जो पूर्व के प्रावधानों को निरस्त करते हुए 1 दिसम्बर 2015 से प्रभावी हुआ।

उत्तर प्रदेश में सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन कोई भी सरकारी कंपनी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, अतः, निगमित अभिशासन पर सेबी के दिशानिर्देश<sup>1</sup> उन पर लागू नहीं होते हैं।

### **लेखापरीक्षा परिणाम**

3.4 वर्ष 2022-23 के दौरान 66 क्रियाशील एसपीएसई<sup>2</sup> (47 सरकारी कंपनी तथा 19 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी) द्वारा निगमित अभिशासन के सम्बन्ध में कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014, तथा कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है।

### **निदेशक बोर्ड की संरचना**

3.5 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(10) के अनुसार, किसी कंपनी के सम्बन्ध में 'निदेशक बोर्ड' या 'बोर्ड' का अभिप्राय कंपनी के निदेशकों की सामूहिक निकाय से है। निदेशक बोर्ड की संरचना में कमियों पर चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है।

### **बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक**

3.6 बोर्ड में, प्रबंधन के निर्णयों पर स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में सक्षम स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को व्यापक रूप से शेयरधारकों तथा अन्य पणधारियों के हितों की रक्षा का एक साधन माना जाता है। कंपनी

<sup>1</sup> कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के पश्चात्, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्धता अनुबंध के क्लॉज 49 में संशोधन (अप्रैल और सितम्बर 2014) किया ताकि इसे कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट निगमित अभिशासन प्रावधानों के साथ संरेखित किया जा सके।

<sup>2</sup> छः क्रियाशील एसपीएसई, सांविधिक निगम हैं, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान एवं सम्बन्धित नियम उन पर लागू नहीं होते हैं।

अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के अनुसार, किसी कंपनी के सम्बन्ध में एक स्वतंत्र निदेशक का अभिप्राय प्रबंध निदेशक, या पूर्णकालिक निदेशक, या नामनिर्देशित निदेशक से भिन्न एक ऐसे निदेशक से है, जो एक सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति है और जिसके पास सुसंगत विशेषज्ञता एवं अनुभव है। यह अग्रेतर प्रावधानित करती है कि स्वतंत्र निदेशक न तो स्वयं संप्रवर्तक होगा और न ही कंपनी या उसकी नियंत्रि, सहायक या सहयुक्त कंपनी के संप्रवर्तकों/निदेशकों से सम्बन्धित होगा। स्वतंत्र निदेशक का स्वयं का अथवा उसके नातेदार का कंपनी, या उसकी सहायक, या उसकी नियंत्रि, या सहयुक्त कंपनी के साथ मौद्रिक सीमाओं से परे और निर्धारित अवधि के दौरान कोई धनीय सम्बन्ध/लेनदेन (स्वतंत्र निदेशक के पारिश्रमिक के अतिरिक्त) नहीं होगा। स्वतंत्र निदेशक स्वयं या उसके नातेदार निर्धारित समयावधि के दौरान कंपनी, या उसकी नियंत्रि, या उसकी सहायक, या सहयुक्त कंपनी के साथ कोई प्रमुख प्रबंधकीय पद अथवा कोई अन्य विहित सम्बन्ध, अर्थात् कर्मचारी, लेखापरीक्षक, कंपनी सचिव, आदि, धारण नहीं करेगा।


कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 का नियम 4 यह प्रावधानित करता है कि सार्वजनिक कंपनियाँ जिनके पास: (i) दस करोड़ रुपए या उससे अधिक की समादत्त शेयर पूँजी; अथवा (ii) एक सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक का टर्नओवर; अथवा (iii) कुल मिलाकर बकाया ऋण, डिबेंचर और डिपाजिट, पचास करोड़ रुपए से अधिक है, को कम से कम दो निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक के रूप में रखना आवश्यक है। यदि कोई कंपनी लगातार तीन वर्षों तक उपरोक्त तीन शर्तों में से किसी को भी पूर्ण करना समाप्त कर देती है तो उसे तब तक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वह इनमें से किसी भी शर्त को पूर्ण करना आरम्भ कर देती है। अग्रेतर, असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की तीन श्रेणियों, अर्थात् संयुक्त उद्यम, या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक, या निष्क्रिय कंपनी को भी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

66 क्रियाशील एसपीएसई (छः सांविधिक निगमों को छोड़कर) में से 32 एसपीएसई<sup>3</sup>, जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में वर्णित है, नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की अंतिम तिथि को या तो समादत्त शेयर पूँजी, या टर्नओवर, या बकाया ऋण, डिबेंचर और डिपाजिट के उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करते हैं। अतः, वर्ष 2022-23 के दौरान इन एसपीएसई को अपने निदेशक बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक<sup>4</sup> रखना आवश्यक था। वर्ष 2022-23 के दौरान इन एसपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की स्थिति चार्ट 3.1 में दर्शायी गयी है।

<sup>3</sup> एसपीएसई द्वारा इस कार्यालय को 30 सितम्बर 2023 तक अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर।

<sup>4</sup> चूँकि, कोई भी एसपीएसई किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी, इसलिए किसी भी एसपीएसई को अपने कुल निदेशकों का एक तिहाई स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी।

चार्ट 3.1: एसपीएसई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की स्थिति



स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

चार्ट 3.1 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान जिन 32 एसपीएसई को अपने बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक रखने थे, उनमें से 26 एसपीएसई (81 प्रतिशत) के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था तथा दो एसपीएसई (6 प्रतिशत) के बोर्ड में मात्र एक स्वतंत्र निदेशक था। इस प्रकार, मात्र चार एसपीएसई (13 प्रतिशत) ने अपने बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक रखने की आवश्यकता का अनुपालन किया था।

### बोर्ड में महिला निदेशक

3.7 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1), कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित, यह प्रावधानित करती है कि निम्नलिखित वर्ग की कंपनियों के निदेशक बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होगी:

- i. प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी;
- ii. प्रत्येक ऐसी अन्य सार्वजनिक कंपनी जिसके पास -
  - क. एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक की समादत्त शेयर पूँजी; या
  - ख. तीन सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर हो।

अग्रेतर, किसी महिला निदेशक के आंतरायिक रिक्त पद को बोर्ड द्वारा यथाशीघ्र, परन्तु अगली बोर्ड बैठक अथवा रिक्त पद की तिथि से तीन माह के अंदर, जो भी बाद में हो से पहले, भरा जाना था।

66 क्रियाशील एसपीएसई में से 31 एसपीएसई, जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में वर्णित है, अपने नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की अंतिम तिथि को या तो समादत्त शेयर पूँजी या टर्नओवर के उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करते थे। अतः, इन एसपीएसई को वर्ष 2022-23 के दौरान अपने निदेशक बोर्ड में

कम से कम एक महिला निदेशक रखना आवश्यक था। वर्ष 2022-23 में इन 31 एसपीएसई में से मात्र 16 एसपीएसई के निदेशक बोर्ड में पूरे वर्ष के दौरान कम से कम एक महिला निदेशक थी। अग्रेतर, वर्ष 2022-23 के दौरान 10 एसपीएसई के निदेशक बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी, और पाँच एसपीएसई के पास वर्ष 2022-23 के मात्र कुछ भाग के लिए कम से कम एक महिला निदेशक थी, जैसा कि तालिका 3.1 में वर्णित है।

तालिका 3.1: वर्ष 2022-23 की पूर्ण/आंशिक अवधि के दौरान बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक नहीं रखने वाले एसपीएसई का विवरण

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम
<b>एसपीएसई जिनके पास वर्ष 2022-23 के दौरान कोई महिला निदेशक नहीं थी</b>	
1.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड
2.	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
3.	यू.पी. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
4.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड
5.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड
6.	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड
7.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड
9.	उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
<b>एसपीएसई जिनके पास वर्ष 2022-23 के कुछ भाग के लिए कम से कम एक महिला निदेशक थी</b>	
11.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12.	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
14.	दी प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड
15.	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

इस प्रकार, 15 एसपीएसई (48 प्रतिशत) ने अपने निदेशक बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था।

### निदेशक बोर्ड की बैठकें

3.8 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) यह प्रवधानित करती है कि प्रत्येक कंपनी अपने निगमन की तिथि से तीस दिनों के अंदर निदेशक बोर्ड की पहली बैठक आयोजित करेगी और उसके बाद प्रत्येक वर्ष अपने निदेशक बोर्ड की न्यूनतम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करेगी कि बोर्ड की दो क्रमवर्ती बैठकों के मध्य एक सौ बीस दिनों से अधिक का अंतराल न हो।

वर्ष 2022-23 के दौरान 66 एसपीएसई में से 35 एसपीएसई, जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है, ने अपने निदेशक बोर्ड की आवश्यक चार

बैठकें आयोजित नहीं की। वर्ष 2022-23 के दौरान इन 35 एसपीएसई में से नौ एसपीएसई ने अपने निदेशक बोर्ड की मात्र एक बैठक आयोजित की, तथा 12 एसपीएसई ने कोई बैठक आयोजित नहीं की।

अग्रेतर, वर्ष 2022-23 के दौरान जिन 31 एसपीएसई ने निदेशक बोर्ड की आवश्यक संख्या में बैठकें आयोजित की थीं, उनमें से पाँच एसपीएसई के प्रकरण में निदेशक बोर्ड की दो बैठकों के मध्य की अवधि 120 दिनों की विहित की गयी समय सीमा से अधिक थी, जैसा कि तालिका 3.2 में वर्णित है।

तालिका 3.2: बोर्ड की बैठकों का विवरण जहाँ दो क्रमवर्ती बैठकों के मध्य की अंतराल अवधि विहित की गयी 120 दिनों की समय सीमा से अधिक थी

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	बैठक की तिथि	अगली बैठक की तिथि	अंतराल अवधि (दिनों में)
1.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	18.07.2022	21.12.2022	156
2.	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	07.11.2022	21.03.2023	134
3.	यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	03.10.2022	27.02.2023	147
4.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	24.09.2022	21.03.2023	178
5.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	24.09.2022	21.03.2023	178

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(3) यह प्रावधानित करती है कि बोर्ड की बैठक, प्रत्येक निदेशक को कंपनी में पंजीकृत उसके पते पर, कम से कम सात दिन की लिखित सूचना देकर बुलायी जाएगी और ऐसी सूचना हाथ से, डाक से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी।

सूचना तथा बैठकों की तिथि की समीक्षा से यह प्रकट हुआ कि सात एसपीएसई ने अपने निदेशक बोर्ड की 15 बैठकें कम अवधि का नोटिस देकर आयोजित कीं, जैसा कि तालिका 3.3 में वर्णित है।

तालिका 3.3: कम अवधि की सूचना देने के पश्चात् आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	सूचना की तिथि	बोर्ड बैठक की तिथि
1.	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	27.09.2022	30.09.2022
		20.01.2023	25.01.2023
2.	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	26.05.2022	31.05.2022
		19.09.2022	22.09.2022
		28.10.2022	28.10.2022
		21.02.2023	23.02.2023
3.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	28.01.2023	02.02.2023
4.	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	28.10.2022	01.11.2022
5.	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	07.04.2022	13.04.2022

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	सूचना की तिथि	बोर्ड बैठक की तिथि
6.	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	18.08.2022	23.08.2022
		13.02.2023	20.02.2023
7.	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	18.06.2022	22.06.2022
		11.08.2022	17.08.2022
		27.08.2022	29.08.2022
		21.11.2022	23.11.2022

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

### निदेशक बोर्ड की समितियाँ

**3.9** बोर्ड समिति, बोर्ड के कार्य में सहयोग करने के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा गठित एक छोटा कार्य समूह है, जिसमें चयनित बोर्ड सदस्य सम्मिलित होते हैं। बोर्ड समितियों का गठन सामान्यतः विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को संभालने के लिए किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनियों को विभिन्न बोर्ड समितियों, जैसे लेखापरीक्षा समिति, नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति, पणधारी सम्बन्ध समिति, आदि, का गठन करने हेतु अधिदेशित करता है।

लेखापरीक्षा ने एसपीएसई में इन समितियों के गठन एवं कार्य पद्धति की जाँच की। परिणामों पर चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है।

### लेखापरीक्षा समिति

**3.10** लेखापरीक्षा समिति किसी भी कंपनी में निगमित अभिशासन तंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। इसका उद्देश्य कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं एवं कार्य पद्धति, तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की प्रमाणिकता में विश्वास बढ़ाना है। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा समिति के गठन तथा कार्य पद्धति में कई कमियाँ देखीं, जिनकी चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है।

#### (i) लेखापरीक्षा समिति का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1), कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित, यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी तथा कंपनियों के निम्नलिखित वर्गों (संयुक्त उद्यम, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक तथा निष्क्रिय कंपनी को छोड़कर) का निदेशक बोर्ड, एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करेगा:

- (i) दस करोड़ रुपये या उससे अधिक की समादत्त पूँजी वाली सभी सार्वजनिक कंपनियाँ;

(ii) सभी सार्वजनिक कंपनियाँ जिनका टर्नओवर एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है;

(iii) सभी सार्वजनिक कंपनियाँ जिनके पास कुल मिलाकर पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक का बकाया ऋण, या उधार, या डिबेंचर, या डिपाजिट है।

वर्ष 2022-23 के दौरान 66 एसपीएसई में से 32 एसपीएसई, जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है, में लेखापरीक्षा समिति की आवश्यकता थी। इन 32 एसपीएसई में से 21 एसपीएसई के पास लेखापरीक्षा समिति थी, जबकि वर्ष 2022-23 के दौरान 11 एसपीएसई के पास लेखापरीक्षा समिति नहीं थी, जैसा कि तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: एसपीएसई जिनके पास वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति नहीं थी

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम
1.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड
2.	यू.पी. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
3.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
5.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड
6.	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड
7.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड
8.	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
9.	उत्तर प्रदेश स्माल इंस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड
11.	उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं वित्त विकास निगम लिमिटेड ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था, परन्तु, वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

## (ii) लेखापरीक्षा समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) यह प्रावधानित करती है कि लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे, जिसमें स्वतंत्र निदेशक बहुमत में होंगे। अग्रेतर, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष सहित अधिकांश सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो वित्तीय विवरणों को पढ़ने तथा समझने में सक्षम होंगे।

21 एसपीएसई में गठित लेखापरीक्षा समितियों के विश्लेषण से पता चला कि मात्र तीन एसपीएसई<sup>5</sup> के प्रकरण में लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी

<sup>5</sup> डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड, आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, तथा वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार थी। शेष 18 एसपीएसई में लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी, जैसा कि तालिका 3.5 में वर्णित है।

तालिका 3.5: लेखापरीक्षा समिति की संरचना के सम्बन्ध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले एसपीएसई का विवरण

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
2.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
3.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
4.	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
5.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
6.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
7.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
8.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
9.	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत नहीं था
10.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
11.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत नहीं था
12.	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
13.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
14.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
15.	यूपी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
16.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
17.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
18.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

### नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति

3.11 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1), कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित, यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और कंपनियों के निम्नलिखित वर्गों का निदेशक बोर्ड एक नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति

(एनआरसी) का गठन करेगा, जिसमें तीन या अधिक गैर-कार्यपालक निदेशक सम्मिलित होंगे, जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे:

- (i) दस करोड़ रुपये या उससे अधिक की समादत्त पूँजी वाली सभी सार्वजनिक कंपनियाँ;
- (ii) सभी सार्वजनिक कंपनियाँ जिनका टर्नओवर एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है;
- (iii) सभी सार्वजनिक कंपनियाँ जिनके पास कुल मिलाकर पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक का बकाया ऋण, या उधार, या डिबेंचर, या डिपाजिट है।

वर्ष 2022-23 के दौरान 66 एसपीएसई में से 32 एसपीएसई, जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है, में एनआरसी की आवश्यकता थी। वर्ष 2022-23 के दौरान इन 32 एसपीएसई में से मात्र चार एसपीएसई<sup>6</sup> ने एनआरसी का गठन किया था। वर्ष 2022-23 के दौरान शेष 28 एसपीएसई में एनआरसी नहीं था जैसा कि तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6: एसपीएसई जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया था

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम
1.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड
2.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3.	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड
5.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
6.	यू.पी. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
7.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड
9.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड
10.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
11.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड
12.	उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड
13.	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड
14.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
15.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
16.	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड
17.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड
18.	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
19.	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड
20.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
21.	उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
22.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड
23.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

<sup>6</sup> उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, तथा डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड।

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम
24.	यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
25.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड
26.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड
27.	उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
28.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड

**स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित**

अग्रेतर, जिन चार एसपीएसई ने एनआरसी का गठन किया था, उनमें से एक एसपीएसई, अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में एनआरसी की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी।

### **निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति**

**3.12** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक कंपनी, जिसका पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान नेट वर्थ ₹ 500 करोड़ या अधिक है, अथवा टर्नओवर ₹ 1,000 करोड़ या अधिक है, अथवा शुद्ध लाभ ₹ पाँच करोड़ या अधिक है, बोर्ड की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन करेगी, जो तीन या अधिक निदेशकों से मिलकर बनेगी, जिसमें कम से कम एक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक होगा। यह अग्रेतर प्रावधानित करती है कि जहाँ किसी कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ उसकी सीएसआर समिति में दो या अधिक निदेशक होंगे।

अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) यह प्रावधानित करती है कि जहाँ किसी कंपनी द्वारा अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में व्यय की जाने वाली धनराशि ₹ 50 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता लागू नहीं होगी और ऐसी दशा में ऐसी समिति के कार्यों का निर्वहन ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

66 क्रियाशील एसपीएसई में से छः एसपीएसई को सीएसआर समिति गठित करना आवश्यक था। वर्ष 2022-23 के दौरान सभी छः एसपीएसई ने सीएसआर समिति का गठन किया। इन छः एसपीएसई के अतिरिक्त, तीन अन्य एसपीएसई ने भी ऐसा करने के लिए अधिदेशित न होने के बावजूद सीएसआर समिति का गठन किया। सभी नौ एसपीएसई की सीएसआर समितियों में कम से कम तीन निदेशक थे। यद्यपि, वर्ष 2022-23 के दौरान इनमें से सात एसपीएसई<sup>7</sup> ने अपनी सीएसआर समितियों में एक स्वतंत्र निदेशक रखने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया।

<sup>7</sup> एक एसपीएसई, अर्थात्, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी सीएसआर समिति में एक स्वतंत्र निदेशक (जो 21 मार्च 2023 तक बने रहे) नियुक्त किया था तथा एक एसपीएसई, अर्थात्, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक थी।

### पणधारी सम्बन्ध समिति

3.13 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) यह प्रावधानित करती है कि ऐसी कंपनी का निदेशक बोर्ड, जिसके पास किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय पर एक हजार से अधिक शेयर धारक, डिबेंचर धारक, डिपाजिट धारक, तथा कोई अन्य प्रतिभूति धारक हों, एक पणधारी सम्बन्ध समिति का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष, जो गैर-कार्यपालक निदेशक होगा, तथा उतने अन्य सदस्य होंगे, जितने बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं। अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(6) यह प्रावधानित करती है पणधारी सम्बन्ध समिति, कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार करेगी और उनका समाधान करेगी।

वर्ष 2022-23 के दौरान 66 एसपीएसई में से मात्र एक एसपीएसई अर्थात् उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पणधारी सम्बन्ध समिति रखने की आवश्यकता थी, क्योंकि इसमें एक हजार से अधिक डिबेंचर धारक थे। यद्यपि, वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पणधारी सम्बन्ध समिति का गठन नहीं किया।

### सचेतक तंत्र

3.14 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9), कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित, यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा निम्नलिखित वर्ग या वर्गों में सम्मिलित कंपनियाँ अपने निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए उनकी वास्तविक चिंताओं या शिकायतों को सूचित करने के लिए एक सचेतक तंत्र स्थापित करेगी:

- (क) कंपनियाँ जो जनता से डिपाजिट स्वीकार करती हैं;
- (ख) कंपनियाँ जिन्होंने बैंकों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से ₹ 50 करोड़ से अधिक का ऋण लिया है।

यह अग्रेतर प्रावधानित करती है कि जिन कंपनियों को लेखापरीक्षा समिति गठित करने की आवश्यकता है, वे लेखापरीक्षा समिति के माध्यम से सचेतक तंत्र का निरीक्षण कर सकते हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान 66 एसपीएसई में से 12 एसपीएसई को अपने निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए सचेतक तंत्र स्थापित करना आवश्यक था, क्योंकि उन्होंने बैंकों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से ₹ 50 करोड़ से अधिक का ऋण लिया था। वर्ष 2022-23 के दौरान दो एसपीएसई<sup>8</sup> को छोड़कर, शेष सभी एसपीएसई के पास सचेतक तंत्र के निरीक्षण के लिए एक लेखापरीक्षा समिति थी।

<sup>8</sup> उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड।

**स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्य पद्धति**

3.15 लेखापरीक्षा ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्य पद्धति में कई कमियाँ देखीं, जिनकी चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

**नियुक्ति के औपचारिक पत्र का निर्गमन तथा शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदन**

3.16 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित की जाएगी। अग्रेतर, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को नियुक्ति पत्र, जिसमें नियुक्ति की अवधि और अन्य विहित शर्तें तय की जाएंगी, के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा।

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन छः एसपीएसई के निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक थे, उनमें से तीन एसपीएसई<sup>9</sup> ने शेयरधारकों की बैठक में ऐसी नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। अग्रेतर, एक एसपीएसई, अर्थात् कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति की शर्तों वाला औपचारिक पत्र भी निर्गत नहीं किया था।

**बोर्ड तथा बोर्ड समितियों की बैठकों में भाग लेना**

3.17 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV [प्रस्तर (iii)(3)] यह प्रावधानित करती है कि स्वतंत्र निदेशक, निदेशक बोर्ड तथा बोर्ड समितियों, जिनके वह सदस्य हैं, की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करेंगे।

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन छः एसपीएसई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक थे, उनके सम्बन्ध में निदेशक बोर्ड तथा बोर्ड समितियों की बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों के भाग लेने की स्थिति पर नीचे चर्चा की गई है:

**अ. निदेशक बोर्ड की बैठकें**

वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित निदेशक बोर्ड की बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों के भाग लेने की स्थिति तालिका 3.7 में दी गयी है।

तालिका 3.7: बोर्ड की बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों के भाग लेने की स्थिति

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया	सभी स्वतंत्र निदेशकों द्वारा भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत
1.	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	1	3	2	67
2.	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	2	5	4	80
3.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	4	3	75

<sup>9</sup> उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, तथा डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड।

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया	सभी स्वतंत्र निदेशकों द्वारा भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत
4.	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2	2	1	50
5.	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2	5	4	80
6.	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2	5	3	60
योग			24	17	

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

तालिका 3.7 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित निदेशक बोर्ड की 24 बैठकों में से मात्र 17 बैठकों (71 प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

## ब. बोर्ड समितियों की बैठकें

### (i) लेखापरीक्षा समिति:

जिन 21 एसपीएसई ने लेखापरीक्षा समिति गठित की थी, उनमें से पाँच एसपीएसई में स्वतंत्र निदेशक उनकी लेखापरीक्षा समिति के सदस्य थे, जैसा कि प्रस्तर 3.10 में चर्चा की गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समितियों की सभी बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया, जैसा कि तालिका 3.8 में वर्णित है।

तालिका 3.8: लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों के भाग लेने की स्थिति

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	बैठक की तिथि	लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	बैठक में भाग लेने वाले स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
1.	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	19.01.2023	1	1
2.	डीएमआईसी इंडीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	13.04.2022	2	2
		16.09.2022	2	2
		17.02.2023	2	2
		15.03.2023	2	2
3.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19.05.2022	1	1
		07.10.2022	1	1
		16.03.2023	1	1
4.	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	25.06.2022	2	2
		23.08.2022	2	2
		07.10.2022	2	2
		20.01.2023	2	2
5.	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	28.04.2022	2	2
		07.06.2022	2	2
		30.07.2022	2	2
		31.03.2023	2	2

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

**(ii) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति:**

वर्ष 2022-23 के दौरान नौ एसपीएसई ने सीएसआर समितियाँ गठित की थी। यद्यपि, मात्र एक एसपीएसई, अर्थात्, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को सम्मिलित किया था। एक अन्य एसपीएसई, अर्थात्, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक थी। स्वतंत्र निदेशकों ने वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की सभी बैठकों में भाग लिया।

**कंपनी के साधारण अधिवेशनों में भाग लेना**

3.18 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV [प्रस्तर (III)(5)] यह प्रावधानित करती है कि स्वतंत्र निदेशक कंपनी के साधारण अधिवेशनों में भाग लेने का प्रयास करेंगे।

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन छः एसपीएसई के निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक थे, उनमें से चार एसपीएसई के प्रकरण में, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित वार्षिक साधारण अधिवेशन (एजीएम) में भाग लिया। वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित एजीएम में स्वतंत्र निदेशकों के भाग लेने की स्थिति तालिका 3.9 में दी गयी है।

तालिका 3.9: वार्षिक साधारण अधिवेशन में स्वतंत्र निदेशकों के भाग लेने की स्थिति

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	एजीएम की तिथि	निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	एजीएम में भाग लेने वाले स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
1.	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	29.08.2023	1	1
2.	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	03.10.2023	2	2
3.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01.10.2022	1	1
4.	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	27.12.2022	2	0
5.	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	30.09.2022	2	1
6.	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	20.12.2022	2	2

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

तालिका 3.9 से यह देखा जा सकता है कि वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एक स्वतंत्र निदेशक तथा कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के दोनों स्वतंत्र निदेशकों ने वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित एजीएम में भाग नहीं लिया।

### स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित करना

3.19 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV [प्रस्तर (VII)(1)] यह प्रावधानित करती है कि किसी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक, वर्ष में गैर-स्वतंत्र निदेशकों तथा प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना कम से कम एक बैठक आयोजित करेंगे। अग्रेतर, कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठक में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। बैठक में - (अ) गैर-स्वतंत्र निदेशकों तथा समग्र रूप से बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी; (ब) कार्यपालक निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी; एवं (स) कंपनी प्रबंधन तथा बोर्ड के मध्य सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा व समयबद्धता का आकलन किया जाएगा, जो बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से निभाने के लिए आवश्यक है।

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन छः एसपीएसई के निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक थे, उनमें से चार एसपीएसई में, एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक थे। वर्ष 2022-23 के दौरान इन चार एसपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों तथा प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना कम से कम एक बैठक आयोजित करनी थी। वर्ष 2022-23 के दौरान इन चार एसपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा आयोजित पृथक बैठकों की स्थिति तालिका 3.10 में दी गयी है।

तालिका 3.10: स्वतंत्र निदेशकों द्वारा आयोजित पृथक बैठकों की स्थिति

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	2022-23 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
1.	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	1	2
2.	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	2
3.	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2
4.	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	2

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

वर्ष 2022-23 के दौरान इन चार एसपीएसई में से दो एसपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों ने उक्त बैठक आयोजित नहीं की। स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक न होने के कारण गैर-स्वतंत्र निदेशकों, कंपनी के अध्यक्ष तथा समग्र रूप से बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा नहीं हो पाई। अग्रेतर, कंपनी प्रबंधन तथा बोर्ड के मध्य सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा व समयबद्धता का आकलन भी नहीं किया जा सका।

### प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति

3.20 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(1), कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित, यह

प्रावधानित करती है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी जिसकी समादत शेयर पूँजी ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक है, में निम्नलिखित पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) होंगे:

- (i) प्रबंध निदेशक (एमडी), या मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), या प्रबंधक, और उनकी अनुपस्थिति में पूर्णकालिक निदेशक;
- (ii) कंपनी सचिव (सीएस); तथा
- (iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)।

अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) यह प्रावधानित करती है कि यदि किसी पूर्णकालिक केएमपी का पद रिक्त होता है, तो परिणामी रिक्ति को ऐसी रिक्ति की तिथि से छः माह की अवधि के अन्दर बोर्ड की बैठक में बोर्ड द्वारा भरा जाएगा।

66 एसपीएसई में से 36 एसपीएसई, जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है, को पूर्णकालिक केएमपी नियुक्त करना आवश्यक था, क्योंकि इन एसपीएसई की समादत पूँजी उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार ₹ 10 करोड़ या अधिक थी। वर्ष 2022-23 के दौरान इन 36 एसपीएसई में से, 21 एसपीएसई ने पूर्णकालिक केएमपी नियुक्त किए थे। शेष 15 एसपीएसई ने अपेक्षित केएमपी नियुक्त नहीं किए थे, जैसा कि तालिका 3.11 में वर्णित है।

तालिका 3.11: प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति की स्थिति

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	केएमपी की नियुक्ति में कमियों की स्थिति
1.	उत्तर प्रदेश राज्य हैण्डलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सीएफओ नियुक्त नहीं किया गया
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड	कोई केएमपी नियुक्त नहीं किया गया
3.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	सीएस नियुक्त नहीं किया गया
4.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	सीएस नियुक्त नहीं किया गया
5.	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	सीएस दिनांक 28.01.2023 से नियुक्त किया गया
6.	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	सीएस दिनांक 07.11.2022 से नियुक्त किया गया
7.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	सीएस नियुक्त नहीं किया गया सीएफओ दिनांक 22.12.2022 से नियुक्त किया गया
8.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सीएस दिनांक 31.01.2023 से नियुक्त किया गया
9.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	सीएस नियुक्त नहीं किया गया
10.	उत्तर प्रदेश स्टेट एगो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सीएस नियुक्त नहीं किया गया
11.	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	सीएफओ नियुक्त नहीं किया गया
12.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	सीएफओ दिनांक 22.12.2022 से नियुक्त नहीं किया गया

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	केएमपी की नियुक्ति में कमियों की स्थिति
13.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	सीएस नियुक्त नहीं किया गया
14.	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	सीएफओ नियुक्त नहीं किया गया
15.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	सीएस नियुक्त नहीं किया गया

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

### आंतरिक लेखापरीक्षा की रूपरेखा

**3.21** द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा निर्गत (नवम्बर 2018) आंतरिक लेखापरीक्षा को अभिशासित करने वाली रूपरेखा, आंतरिक लेखापरीक्षा को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

*'आंतरिक लेखापरीक्षा, अभिशासन को बढ़ाने और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता पर एक स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करता है।'*

तदनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका एक स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करना है कि संगठन का जोखिम प्रबंधन, अभिशासन, तथा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं प्रभावी रूप से परिचालित हो रही हैं।

### एसपीएसई में आंतरिक लेखापरीक्षा

**3.22** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138(1), कंपनी (लेखा) नियम, 2014<sup>10</sup> के नियम 13 के साथ पठित, यह प्रावधानित करती है कि कंपनियों के निम्नलिखित वर्गों को एक आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करना होगा, जो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, या कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, या ऐसा कोई अन्य पेशेवर होगा जिसे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो, ताकि कंपनी के कार्य तथा कार्यकलापों का आंतरिक लेखापरीक्षा किया जा सके:

- (क) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी;
- (ख) प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसके पास -
  - (i) ₹ 50 करोड़ या अधिक की समादत्त शेयर पूँजी हो; या
  - (ii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 200 करोड़ या अधिक का टर्नओवर हो; या
  - (iii) बैंकों अथवा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से ₹ 100 करोड़ या अधिक का बकाया ऋण या उधार हो; या
  - (iv) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ₹ 25 करोड़ या उससे अधिक के बकाया डिपॉजिट हो।
- (ग) प्रत्येक निजी कंपनी जिसके पास -
  - (i) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 200 करोड़ या अधिक का टर्नओवर हो; या

<sup>10</sup> समय-समय पर यथासंशोधित।

(ii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों अथवा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से ₹ 100 करोड़ या अधिक का बकाया ऋण या उधार हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 38 एसपीएसई, जैसा कि परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है, को वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करना आवश्यक था। इन 38 एसपीएसई में से आठ एसपीएसई ने वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त नहीं किया। शेष 30 एसपीएसई, जहाँ आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए थे, में से 28 एसपीएसई में आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट फर्मों द्वारा की गई थी, तथा दो एसपीएसई<sup>11</sup> में सम्बन्धित एसपीएसई की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा की गई थी।

### निष्कर्ष

एसपीएसई में निगमित अभिशासन ढांचे के कार्य करने में कई कमियाँ पाई गईं, जो नीचे वर्णित हैं:

- जिन 32 एसपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी थी, उनमें से 26 एसपीएसई ने कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया, तथा दो एसपीएसई में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई। छः एसपीएसई, जिन्होंने स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए थे, में बोर्ड की बैठकों में उनकी उपस्थिति 50 और 80 प्रतिशत के मध्य रही।
- वर्ष 2022-23 के दौरान 31 एसपीएसई, जिनके लिए बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक को रखना आवश्यक था, में से 16 एसपीएसई के निदेशक बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक थी, जबकि पाँच एसपीएसई में वर्ष के कुछ भाग के लिए एक महिला निदेशक थी तथा 10 एसपीएसई में वर्ष भर निदेशक बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।
- दो एसपीएसई, जहाँ एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए थे, में स्वतंत्र निदेशकों की अनिवार्य पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई।
- वर्ष 2022-23 के दौरान 36 एसपीएसई, जिन्हें पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नियुक्त करना आवश्यक था, में से 21 एसपीएसई ने पूर्णकालिक केएमपी की नियुक्ति की थी।
- वर्ष 2022-23 के दौरान 66 एसपीएसई में से (सांविधिक निगमों को छोड़कर), 35 एसपीएसई ने आवश्यक चार बोर्ड बैठकें आयोजित नहीं कीं। वर्ष 2022-23 के दौरान इन 35 एसपीएसई में से, 12 एसपीएसई ने कोई बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की, तथा वर्ष 2022-23 के दौरान नौ एसपीएसई ने मात्र एक बोर्ड बैठक आयोजित की। अग्रतर, पाँच एसपीएसई में, दो क्रमवर्ती बोर्ड बैठकों के मध्य का अंतराल 134 से 178 दिनों के मध्य था, जो 120 दिनों की विहित की गयी समय सीमा से अधिक थी।

<sup>11</sup> उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड तथा उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड।

- वर्ष 2022-23 के दौरान 32 एसपीएसई, जिनके लिए लेखापरीक्षा समिति रखना आवश्यक था, में से 21 एसपीएसई ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया। इन 21 एसपीएसई में से 18 एसपीएसई में लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।
- 28 एसपीएसई में नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन नहीं किया गया था, तथा एक एसपीएसई में एनआरसी की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।
- 38 एसपीएसई, जिनके लिए वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करना आवश्यक था, में से 30 एसपीएसई ने कंपनी अधिनियम के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया।

### संस्तुति

उत्तर प्रदेश सरकार, एसपीएसई को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करने का निर्देश दे सकती है, जिससे एसपीएसई में निगमित अभिशासन ढांचे के कार्य करने में प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।

## **अध्याय-IV**

**भारतीय लेखा मानकों में पारगमन तथा  
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर  
इनके अंगीकरण का प्रभाव**



## अध्याय-IV

### भारतीय लेखा मानकों में पारगमन तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर इनके अंगीकरण का प्रभाव

यह अध्याय सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों द्वारा भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है, तथा वित्तीय रिपोर्टिंग एवं अनुपालन पर इनके प्रभाव पर केंद्रित है। लेखापरीक्षा ने इंड एस प्रावधानों के अनुपालन का मूल्यांकन किया, प्रथम बार अंगीकरण से सम्बन्धित प्रकटीकरणों का विश्लेषण किया, तथा लाभप्रदता, राजस्व, परिसम्पत्तियों, एवं नेट वर्थ जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर वित्तीय प्रभाव का आकलन किया।

#### प्रस्तावना

4.1 किसी अर्थव्यवस्था की समग्र संवृद्धि एवं विकास में वित्तीय रिपोर्टिंग की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण एवं उदारिकरण के युग ने सामाजिक गतिशीलता तथा वित्त, पूँजी, एवं वस्तुओं के सीमा-पार आवागमन को बढ़ा दिया है। इसके परिणामस्वरूप, लेखा मानकों के एकल समुच्चय को अंगीकृत करना आवश्यक हो गया है।

वैश्विक लेखांकन परिदृश्य में सिद्धांत-आधारित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस), जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आईएसबी) द्वारा निर्धारित किया गया है, के उद्भव के साथ, भारतीय लेखा मानकों को अद्यतन आईएफआरएस के साथ अभिसरित करने की आवश्यकता अनुभूत की गई। आईएफआरएस के अंगीकरण अथवा उसके साथ अभिसरण से वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, एवं दक्षता में वृद्धि होती है तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वास, विकास, एवं दीर्घावधि वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देकर जनहित की पूर्ती होती है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के द्वारा भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) को अधिसूचित किया। इन मानकों को आईएफआरएस के ढाँचे को संदर्भित करते हुए भारतीय आर्थिक तथा विधिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया था।

इंड एस को आईएफआरएस के आधार पर बनाया गया था और यह सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखा सिद्धांतों (आईजीएपी) के ढाँचे से मुख्य रूप से तीन प्रमुख पहलुओं, यथा उचित मूल्यांकन, विधिक रूप की अपेक्षा सार, तथा तुलन पत्र पर अधिक महत्व के आधार पर भिन्न है। ये इंड एस 1 अप्रैल 2016 से कंपनियों के निर्धारित वर्ग पर अनिवार्य रूप से लागू हैं। 31 मार्च 2023 को 39 इंड एस थे, जैसा कि परिशिष्ट 4.1 में वर्णित है।

## इंड एस की प्रयोज्यता के लिए रोडमैप

4.2 कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में चरणबद्ध तरीके से इंड एस में अनिवार्य पारगमन के लिए एक रोडमैप निर्धारित किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

### चरण I:

1 अप्रैल 2016 या उसके बाद आरम्भ होने वाली लेखा अवधि के लिए, 31 मार्च 2016 या उसके बाद समाप्त होने वाली अवधि के तुलनात्मक विवरण के साथ, चरण I में निम्नलिखित कंपनियाँ आच्छादित थीं:

- (i) ऐसी कंपनियाँ जिनकी इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियाँ भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं, तथा जिनका नेट वर्थ ₹ 500 करोड़ या अधिक है;
- (ii) उपरोक्त क्लॉज (i) में उल्लिखित कंपनियों के अतिरिक्त अन्य कंपनियाँ, जिनका नेट वर्थ ₹ 500 करोड़ या अधिक है; एवं
- (iii) उपरोक्त क्लॉज (i) तथा (ii) में उल्लिखित कंपनियों की नियंत्री, सहायक, संयुक्त उद्यम, या सहयुक्त कंपनियाँ।

### चरण II:

1 अप्रैल 2017 या उसके बाद आरम्भ होने वाली लेखा अवधि के लिए, 31 मार्च 2017 या उसके बाद समाप्त होने वाली अवधि के तुलनात्मक विवरण के साथ, चरण II में निम्नलिखित कंपनियाँ आच्छादित थीं:

- (i) ऐसी कंपनियाँ जिनकी इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियाँ भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं, तथा जिनका नेट वर्थ ₹ 500 करोड़ से कम है;
- (ii) उपर्युक्त क्लॉज (i) में उल्लिखित कंपनियों के अतिरिक्त अन्य कंपनियाँ, अर्थात् गैर-सूचीबद्ध कंपनियाँ जिनका नेट वर्थ ₹ 250 करोड़ या अधिक परन्तु ₹ 500 करोड़ से कम है; एवं
- (iii) उपर्युक्त कंपनियों की नियंत्री, सहायक, संयुक्त उद्यम, या सहयुक्त कंपनियाँ।

अग्रेतर, कोई भी कंपनी स्वैच्छिक रूप से 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद आरम्भ होने वाली लेखा अवधि के लिए, 31 मार्च 2015 या उसके बाद किसी भी समय समाप्त होने वाली अवधि के तुलनात्मक विवरण के साथ, वित्तीय विवरणों हेतु इंड एस लागू कर सकती है। एक बार जब कोई कंपनी विनिर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर स्वैच्छिक रूप से या अनिवार्य रूप से इंड एस का पालन करना प्रारम्भ कर देती है, तो उसे बाद के सभी वित्तीय विवरणों के लिए इंड एस का पालन करना आवश्यक होता है, भले ही बाद में विनिर्दिष्ट मानदण्डों में से कोई भी उस पर लागू न हो।

### एसपीएसई द्वारा प्रथम-बार इंड एस के अंगीकरण की स्थिति

4.3 उत्तर प्रदेश में 31 मार्च 2023 को, 107 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन थे, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित थे। इन 107 एसपीएसई में से, 26 एसपीएसई (चरण I - 18 एसपीएसई, चरण II - पाँच एसपीएसई, तथा स्वैच्छिक अंगीकरण - तीन एसपीएसई), जैसा कि परिशिष्ट 4.2 में दिया गया है, ने इंड एस को अंगीकृत किया था।

तीन एसपीएसई, जिन्होंने स्वेच्छा से इंड एस को अंगीकृत किया था, में से एक एसपीएसई, अर्थात्, मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने वर्ष 2018-19 के लिए अपने प्रथम वित्तीय विवरणों से इंड एस को अंगीकृत किया था।

### इंड एस को प्रथम-बार अंगीकृत किये जाने की समीक्षा

4.4 इंड एस 101 (प्रथम-बार इंड एस का अंगीकरण) उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसका पालन किसी कंपनी को प्रथम बार इंड एस को अंगीकृत करते समय करना चाहिए। प्रथम बार इंड एस को अंगीकृत करने वाली कंपनी के वित्तीय परिणामों में, आईजीएपी के अनुसार अपनी इक्विटी तथा शुद्ध लाभ/हानि का इंड एस के अनुसार इक्विटी तथा शुद्ध लाभ/हानि से मिलान को सम्मिलित करना आवश्यक है। यह मिलान पणधारियों को पिछले आईजीएपी से इंड एस में पारगमन के परिणामस्वरूप तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि के विवरण में होने वाले महत्वपूर्ण समायोजनों को समझने में सक्षम करने के लिए आवश्यक है।

इंड एस 101 का अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि प्रथम बार अंगीकरण वाले को वित्तीय विवरण इस तरह तैयार करना चाहिए जैसे कि उसने सदैव इंड एस लागू किया हो। यद्यपि, यह इंड एस के पूर्ण पूर्वप्रभावी प्रयोग के सिद्धांत से दो प्रकार की छूट, अर्थात्, अनिवार्य छूट तथा वैकल्पिक छूट, अनुमन्य करता है।

#### (i) अनिवार्य छूट

इंड एस 101 अन्य इंड एस अर्थात् इंड एस 10 (रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं), इंड एस 109 (वित्तीय लिखतें), तथा इंड एस 110 (समेकित वित्तीय विवरण) के कुछ पहलुओं के पूर्वप्रभावी प्रयोग को प्रतिबंधित करता है।

#### (ii) वैकल्पिक छूट

इंड एस 101 अन्य इंड एस की विशिष्ट आवश्यकताओं से छूट प्रदान करता है। ये वैकल्पिक छूट आईजीएपी से इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों में पारगमन की तिथि से लागू होती हैं। पारगमन की तिथि से तात्पर्य उस प्रारंभिक अवधि की शुरुआत से है जिसके लिए कोई कंपनी अपने प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों में इंड एस के अनुसार पूर्ण तुलनात्मक सूचनाएँ प्रस्तुत करती है।

25 एसपीएसई<sup>1</sup> द्वारा अपने प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किये गये विभिन्न वैकल्पिक छूटों का विवरण परिशिष्ट 4.3 में दिया गया है तथा तालिका 4.1 में संक्षेपित है।

तालिका 4.1: एसपीएसई द्वारा उपयोग किये गये वैकल्पिक छूटों का विवरण

क्र. स.	वैकल्पिक छूट का विवरण	वैकल्पिक छूट का उपयोग करने वाले एसपीएसई की संख्या
1.	<b>इंड एस 16 (सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण), इंड एस 38 (अमूर्त परिसम्पत्तियाँ), तथा इंड एस 40 (निवेश सम्पत्ति)</b> इंड एस 101 यह प्रावधानित करता है कि प्रथम बार अंगीकरण करने वाला, इंड एस में पारगमन की तिथि पर किसी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसम्पत्ति, तथा निवेश सम्पत्ति को उसके उचित मूल्य पर मापने का विकल्प चुन सकता है और उस तिथि पर उस उचित मूल्य का अपनी मानित लागत के रूप में उपयोग कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, वह इंड एस में पारगमन की तिथि को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त वहन मूल्य को जारी रखने का विकल्प चुन सकता है, जिसे पिछले जीएपी के अनुसार मापा गया है, तथा विमुक्ति दायित्वों को समाप्त करने के लिए आवश्यक समायोजन करने के पश्चात्, पारगमन की तिथि पर उसका अपनी मानित लागत के रूप में उपयोग कर सकता है।	25
2.	<b>इंड एस 27 (पृथक वित्तीय विवरण)</b> इंड एस 27 यह अपेक्षा करता है कि कोई संस्था, सहायक, संयुक्त उद्यमों व सहयुक्त कंपनियों में अपने निवेश को या तो लागत पर या इंड एस 109 (वित्तीय लिखतें) के अनुसार लेखाबद्ध करे। यदि प्रथम बार अंगीकृत करने वाला, ऐसे निवेश को लागत पर मापता है, तो उसे उस निवेश को इंड एस 27 के अनुसार निर्धारित लागत पर या मानित लागत पर मापना होगा। यदि मानित लागत पर मापा जाता है, तो ऐसे निवेश की मानित लागत या तो इंड एस में पारगमन की तिथि पर उचित मूल्य हो सकती है या उस तिथि पर पिछले जीएपी के अनुसार वहन धनराशि हो सकती है।	01
3.	<b>इंड एस 17 (पट्टे)</b> इंड एस 101 प्रथम बार अंगीकृत करने वाले को यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि क्या इंड एस में पारगमन की तिथि पर विद्यमान व्यवस्था में, इंड एस में पारगमन की तिथि पर विद्यमान तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर, पट्टा सम्मिलित है या नहीं, सिवाय इसके कि जहाँ प्रभाव महत्वपूर्ण न होना अपेक्षित है।	01

स्रोत: एसपीएसई के प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरण

### लेखापरीक्षा परिणाम

4.5 लेखापरीक्षा ने 25 एसपीएसई (मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को छोड़कर), जिन्होंने इंड एस को अंगीकृत किया था, के प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय

<sup>1</sup> मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को छोड़कर क्योंकि इसने अपने प्रथम वित्तीय विवरणों से ही इंड एस को अंगीकृत किया था।

विवरणों के साथ इन एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी अतिरिक्त सूचनाओं की समीक्षा की। इंड एस को समय पर अंगीकृत करने तथा इंड एस में पारगमन से सम्बन्धित समाधान विवरण तैयार करने में कमियाँ पाई गईं।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने राजस्व, कर पश्चात् लाभ, कुल परिसम्पत्तियों, तथा नेट वर्थ जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर इंड एस को अंगीकृत करने के वित्तीय प्रभाव का विश्लेषण किया। इंड एस को अंगीकृत करने में देखी गई कमियों तथा वित्तीय प्रभाव के विश्लेषण के परिणामों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

#### **इंड एस को अंगीकृत करने में विलम्ब**

**4.6** जैसा कि प्रस्तर 4.2 में चर्चा की गई है, विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पूर्ण करने वाली कंपनियों को 1 अप्रैल 2016 या 1 अप्रैल 2017, जैसा भी प्रकरण हो, को या उसके बाद आरम्भ होने वाली लेखा अवधि हेतु अपने वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अनिवार्य रूप से इंड एस को अंगीकृत करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच एसपीएसई ने इंड एस को अनिवार्य रूप से अंगीकृत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- **यू.पी. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड** की 31 मार्च 2017 को नेट वर्थ ₹ 342.19 करोड़ थी। तदनुसार, उसे वर्ष 2017-18<sup>2</sup> के लिए अपने वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु अनिवार्य रूप से इंड एस को अंगीकृत करना आवश्यक था। यद्यपि, उसने उस वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए इंड एस को अंगीकृत नहीं किया।
- **उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड** की 31 मार्च 2018 को नेट वर्थ ₹ 267.55 करोड़ थी, और इसलिए, उसे वर्ष 2018-19 के लिए अपने वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अनिवार्य रूप से इंड एस को अंगीकृत करना आवश्यक था। यद्यपि, उसने 2018-19 से 2020-21 तक लगातार तीन वर्षों तक इंड एस को अंगीकृत नहीं किया और वर्ष 2021-22 से इंड एस का अंगीकरण किया।
- **उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड** ने वर्ष 2016-17 के लिए अपने वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु इंड एस को अंगीकृत किया। इसके कारण इसकी तीन सहायक, अर्थात् नंदगंज सिहोरी शुगर कंपनी लिमिटेड, घाटमपुर शुगर कंपनी लिमिटेड, तथा छाता शुगर कंपनी लिमिटेड को वर्ष 2016-17 से इंड एस को अंगीकृत करना आवश्यक हो गया। यद्यपि, तीनों सहायक ने इंड एस को अंगीकृत करने में वर्ष 2017-18 तक विलम्ब किया।

इंड एस को अनिवार्य रूप से अंगीकृत करने के लिए विहित की गयी समय सीमा का पालन न करना एसपीएसई द्वारा न केवल विनियामक आवश्यकताओं

<sup>2</sup> एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरण।

का उल्लंघन है, अपितु इससे वित्तीय रिपोर्टिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के अनुरूप संरेखण में भी बाधा उत्पन्न हुई, जिससे वित्तीय विवरणों की तुलना एवं एकरूपता प्रभावित हुई।

### **इंड एस 101 के अंतर्गत समाधान आवश्यकताओं का अनुपालन न करना**

4.7 इंड एस 101 (इंड एस का प्रथम-बार अंगीकरण) यह अधिदेशित करता है कि संस्थाएं यह स्पष्ट करें कि पिछले सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) से इंड एस में पारगमन ने उनके द्वारा प्रतिवेदित किये गये तुलन पत्र, वित्तीय प्रदर्शन, तथा नकदी प्रवाह को कैसे प्रभावित किया। इस आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए किसी संस्था के प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों में उसकी इक्विटी तथा कुल व्यापक आय का समाधान सम्मिलित होना चाहिए। इन समाधानों के लिए उपयोगकर्ताओं को तुलन पत्र, लाभ एवं हानि के विवरण, तथा नकदी प्रवाह के विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजनों को समझने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त विवरण प्रदान करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जिन 25 एसपीएसई ने इंड एस को अंगीकृत किया था, उनमें से 19 एसपीएसई ने अपने प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों में आवश्यक समाधान विवरण तैयार नहीं किए थे।

इन 19 एसपीएसई द्वारा अपने प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों में आवश्यक समाधान विवरण तैयार न करना, इंड एस 101 के अनिवार्य प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इससे न केवल जीएएपी से इंड एस में पारगमन की प्रक्रिया की पारदर्शिता कम हुई, बल्कि पणधारियों को तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, तथा नकदी प्रवाह विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजनों को समझने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तुलनात्मक सूचनाएँ से भी वंचित होना पड़ा।

### **चयनित प्रमुख क्षेत्रों पर इंड एस को अंगीकृत करने का प्रभाव**

4.8 इंड एस को अंगीकृत करने से लाभ/हानि, राजस्व, कुल परिसम्पत्तियों, तथा नेट वर्थ के प्रतिवेदित आँकड़े प्रभावित हो सकते हैं। प्रभाव की सीमा और दिशा इंड एस को अंगीकृत करने के समय एसपीएसई द्वारा अपनाए गए विकल्पों पर निर्भर करती है। इंड एस<sup>3</sup> को अंगीकृत करने वाले 25 एसपीएसई के कर पश्चात् लाभ, राजस्व, कुल परिसम्पत्तियों, तथा नेट वर्थ पर इंड एस के अंगीकरण के प्रभाव पर आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है:

<sup>3</sup> मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को छोड़कर, जिसने वर्ष 2018-19 के लिए अपने प्रथम वित्तीय विवरणों से इंड एस को अंगीकृत किया था, और इसलिए, इंड एस को अंगीकृत करने के कारण कर पश्चात् लाभ, राजस्व, कुल परिसम्पत्तियों और नेट वर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

**(अ) कर पश्चात् लाभ पर प्रभाव**

कर पश्चात् लाभ (पीएटी) से तात्पर्य उस धनराशि से है जो संस्था द्वारा अपने सभी परिचालन तथा गैर-परिचालन व्ययों, अन्य दायित्वों तथा करों का भुगतान करने के बाद शेष रहती है। यह लाभ वह है जो संस्था द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है अथवा संचयों में प्रतिधारित आय के रूप में रखा जाता है। इंड एस को अंगीकृत करने के परिणामस्वरूप राजस्व, व्यय, परिसम्पत्तियों, तथा दायित्वों की विभिन्न मदों के मूल्यांकन में परिवर्तन किसी संस्था के पीएटी को प्रमुख रूप से प्रभावित कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 25 एसपीएसई में से 15 एसपीएसई के पीएटी पर इंड एस को अंगीकृत करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेष 10 एसपीएसई में, इंड एस को अंगीकृत करने के कारण पीएटी पर ₹ 162.58 करोड़ का कुल शुद्ध प्रभाव पड़ा, जो (-) ₹ 132.03 करोड़ से लेकर ₹ 244.23 करोड़ तक था, जैसा कि तालिका 4.2 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 4.2: कर पश्चात् लाभ पर शुद्ध प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	एसपीएसई का नाम	पीएटी पर प्रभाव		शुद्ध प्रभाव
		वृद्धि (+)	कमी (-)	
1.	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8.25	-125.27	-117.02
2.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	263.50	-19.27	244.23
3.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	22.34	-17.80	4.54
4.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	72.97	-2.01	70.96
5.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	108.44	-20.29	88.15
6.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	1.41	-0.24	1.17
7.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	-132.03	-132.03
8.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	0.44	-0.03	0.41
9.	उ.प्र. मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.63	-0.66	0.97
10.	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.56	-0.36	1.20
<b>शुद्ध संचयी प्रभाव</b>				<b>162.58</b>

स्रोत: एसपीएसई के प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों तथा एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

आय तथा व्यय की विभिन्न मदों में वृद्धि या कमी में योगदान देने वाले कारक/कारण, तथा पीएटी पर उनका शुद्ध प्रभाव परिशिष्ट 4.4 में वर्णित है।

**(ब) परिचालन से राजस्व पर प्रभाव**

इंड एस 18 (राजस्व) के अनुसार, राजस्व, किसी अवधि के दौरान संस्था के सामान्य कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाले आर्थिक लाभों का सकल अंतर्वाह है, जब इन अंतर्वाहों के परिणामस्वरूप इक्विटी में वृद्धि होती है, परन्तु इसमें, इक्विटी प्रतिभागियों के योगदान से सम्बन्धित वृद्धि सम्मिलित नहीं होती है। परिचालन से राजस्व के मूल्यांकन में परिवर्तन किसी संस्था के परिचालन से राजस्व की धनराशि को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 25 एसपीएसई में से 19 एसपीएसई के परिचालन से राजस्व पर इंड एस को अंगीकृत करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेष छः एसपीएसई के प्रकरण में, इंड एस को अंगीकृत करने के कारण परिचालन से राजस्व पर (-) ₹ 35.70 करोड़ का कुल शुद्ध प्रभाव पड़ा, जो (-) ₹ 40.07 करोड़ से लेकर ₹ 3.30 करोड़ तक था, जैसा कि तालिका 4.3 में संक्षेपित है।

तालिका 4.3: परिचालन से राजस्व पर शुद्ध प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	एसपीएसई का नाम	इंड एस के अनुसार परिचालन से राजस्व	जीएएपी के अनुसार परिचालन से राजस्व	शुद्ध प्रभाव
1.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	11,994.79	11,991.49	3.30
2.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	6,634.55	6,635.61	-1.06
3.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	9,180.77	9,178.66	2.11
4.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,642.57	1,682.64	-40.07
5.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	28.69	28.71	0.02
6.	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.0043	0.00	0.0043
शुद्ध संचयी प्रभाव				-35.70

स्रोत: एसपीएसई के प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों तथा एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

परिचालन से राजस्व में वृद्धि/कमी पूर्व अवधि की मर्दों के लिए समायोजनों तथा राजस्व मान्यता की पद्धति में परिवर्तन के कारण हुई।

#### (स) कुल परिसम्पत्तियों पर प्रभाव

परिसम्पत्तियाँ मूर्त वस्तुएँ या अमूर्त अधिकार हैं जो किसी संस्था के स्वामित्व में होते हैं तथा जिनसे भविष्य में संभावित लाभ प्राप्त होने है। इंड एस को अंगीकृत करने के पश्चात् परिसम्पत्तियों का मूल्य जीएएपी की तुलना में इंड एस के अंतर्गत निर्धारित लेखा विधियों में अंतर के कारण प्रभावित हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 25 एसपीएसई में से 19 एसपीएसई की कुल परिसम्पत्तियों के मूल्य पर इंड एस को अंगीकृत करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेष छः एसपीएसई में, इंड एस को अंगीकृत करने के कारण कुल परिसम्पत्तियों के मूल्य पर ₹ 1,879.31 करोड़ का कुल शुद्ध प्रभाव पड़ा, जो (-) ₹ 1,064.12 करोड़ से लेकर ₹ 8.55 करोड़ तक था, जैसा कि तालिका 4.4 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 4.4: कुल परिसम्पत्तियों पर शुद्ध प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	एसपीएसई का नाम	कुल परिसम्पत्तियों पर प्रभाव		
		वृद्धि	कमी	शुद्ध प्रभाव
1.	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8.60	-0.05	8.55
2.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	-1,064.12	-1,064.12
3.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	-747.12	-747.12

क्र. स.	एसपीएसई का नाम	कुल परिसम्पत्तियों पर प्रभाव		
		वृद्धि	कमी	शुद्ध प्रभाव
4.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	48.25	-124.17	-75.92
5.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	1.19	-1.16	0.03
6.	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	3,605.30	-3,606.03	-0.73
शुद्ध संचयी प्रभाव				-1,879.31

स्रोत: एसपीएसई के प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों तथा एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

परिसम्पत्तियों की विभिन्न मदों में वृद्धि/कमी में योगदान देने वाले कारकों/कारणों का विवरण परिशिष्ट 4.5 में वर्णित है।

#### (द) नेट वर्थ पर प्रभाव

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(57) के अनुसार नेट वर्थ का अभिप्राय लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार समादत्त शेयर पूँजी, मुक्त संचय<sup>4</sup> तथा प्रतिभूति प्रीमियम लेखे के संकलित मूल्य से संचित हानियाँ, आस्थगित व्यय तथा अपलिखित न किए गए प्रकीर्ण व्यय के संकलित मूल्य की कटौती करने पश्चात् प्राप्त मूल्य से है। इंड एस को अंगीकृत करने के पश्चात् जीएपी की तुलना में इंड एस के अंतर्गत निर्धारित लेखा विधियों में अंतर के कारण नेट वर्थ प्रभावित हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 25 एसपीएसई में से 14 एसपीएसई की नेट वर्थ पर इंड एस को अंगीकृत करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेष 11 एसपीएसई में से 10 एसपीएसई ने नेट वर्थ में ₹ 244.34 करोड़ की कमी का अनुभव किया, जबकि एक एसपीएसई ने ₹ 150.85 करोड़ की वृद्धि दर्ज की, जो (-) ₹ 93.49 करोड़ के कुल शुद्ध प्रभाव को इंगित करता है, जैसा कि तालिका 4.5 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 4.5: नेट वर्थ पर शुद्ध प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	एसपीएसई का नाम	इंड एस के अनुसार नेट वर्थ	जीएपी के अनुसार नेट वर्थ	शुद्ध प्रभाव
1.	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,798.83	3,945.85	-147.02
2.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-5,138.72	-5,289.57	150.85
3.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-40,69.12	-4,064.37	-4.75
4.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-2,120.88	-2,120.74	-0.15
5.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-10,148.64	-10,128.35	-20.29
6.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	-2,248.76	-2,248.50	-0.26
7.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9,121.23	9,189.74	-68.51
8.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	4.45	4.54	-0.09
9.	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	291.46	291.82	-0.36

<sup>4</sup> मुक्त संचय, निधियों में परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, मूल्यहास की कटौती और समामेलन से निर्मित संचय सम्मिलित नहीं होती हैं।

क्र. स.	एसपीएसई का नाम	इंड एस के अनुसार नेट वर्थ	जीएपी के अनुसार नेट वर्थ	शुद्ध प्रभाव
10.	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	3,603.28	3,604.38	-1.09
11.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	290.09	291.91	-1.82
<b>शुद्ध संचयी प्रभाव</b>				<b>-93.48</b>

स्रोत: एसपीएसई के प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों तथा एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

10 एसपीएसई के नेट वर्थ में यह कमी इंड एस को अंगीकृत करने के पश्चात् संचित हानि की मात्रा में वृद्धि के कारण तथा एक एसपीएसई के नेट वर्थ में यह वृद्धि संचित हानि की मात्रा में कमी के कारण हुई।

#### निष्कर्ष

इंड एस को अंगीकृत करने के परिणामस्वरूप वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे में बदलाव हुआ, जिससे उनके प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों के अनुसार, कर पश्चात् लाभ (₹ 162.58 करोड़) पर सकारात्मक संचयी प्रभाव पड़ा, तथा परिचालन से राजस्व (₹ 35.70 करोड़), कुल परिसम्पत्तियों (₹ 1,879.31 करोड़), एवं नेट वर्थ (₹ 93.39 करोड़) पर नकारात्मक संचयी प्रभाव पड़ा।

# **अध्याय-V**

**निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व**



## अध्याय-V

### निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

यह अध्याय उत्तर प्रदेश के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा संबद्ध निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नियमों के अंतर्गत अनिवार्य किए गए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के कार्यान्वयन की स्थिति प्रस्तुत करता है। लेखापरीक्षा में यह आकलन किया गया कि क्या पात्र एसपीएसई ने सीएसआर-सम्बन्धी प्रावधानों का अनुपालन किया।

#### प्रस्तावना

5.1 समावेशी विकास को भारत के विकास एजेंडे के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, जो समाज के उन वर्गों को सम्मिलित



करने की आवश्यकता पर बल देता है जो ऐतिहासिक रूप से मुख्यधारा की विकास प्रक्रिया से बाहर रहे हैं। इस राष्ट्रीय प्रयास के अनुरूप, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की अवधारणा सामाजिक, पर्यावरणीय तथा मानव विकास सम्बन्धी चिंताओं को संपूर्ण निगमित मूल्य श्रृंखला में समाहित करने के एक

साधन के रूप में की गई थी। कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार ने 'निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर स्वैच्छिक दिशानिर्देश, 2009' निर्गत करके उत्तरदायी व्यावसायिक प्रथाओं को मुख्यधारा में लाने की दिशा में प्रथम कदम उठाया। इन दिशानिर्देशों को बाद में 'व्यवसाय के सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक उत्तरदायित्वों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश, 2011' के रूप में परिष्कृत एवं विस्तारित किया गया।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा अनुसूची VII के अप्रैल 2014 में कार्यान्वयन के साथ, विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पूरा करने वाली कंपनियों के लिए सीएसआर कार्यकलापों अनिवार्य हो गईं। कंपनी

अधिनियम, 2013<sup>1</sup>, कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014<sup>2</sup> के साथ, सीएसआर कार्यकलापों के कार्यान्वयन को आदेशित एवं नियंत्रित करता है।

### विधिक ढाँचा

5.2 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक कंपनी जिसका तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नेट वर्थ ₹ 500 करोड़ या अधिक हो, अथवा टर्नओवर ₹ 1,000 करोड़ या अधिक हो, अथवा शुद्ध लाभ ₹ पाँच करोड़ या अधिक हो, वह एक सीएसआर समिति का गठन करेगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(3) यह प्रावधान करती है कि सीएसआर समिति: (क) एक सीएसआर नीति, विरचित और बोर्ड को अनुशंसित करेगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों को उपदर्शित करेगी; (ख) सीएसआर कार्यकलापों पर उपगत होने वाले व्यय की धनराशि की अनुशंसा करेगी; तथा (ग) समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति को अनुश्रवण करेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) पात्र कंपनियों के लिए यह अनिवार्य करती है कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत शुद्ध लाभों<sup>3</sup> का कम से कम दो प्रतिशत, या जहाँ कंपनी ने अपने निगमन के बाद से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि पूर्ण नहीं की है, ऐसे तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत शुद्ध लाभों का कम से कम दो प्रतिशत, सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय करे। यह आगे प्रावधान करती है कि कोई भी अव्ययित सीएसआर धनराशि, जब तक कि वह किसी चालू परियोजना से सम्बन्धित न हो, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह की अवधि के अंदर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) यह प्रावधान करती है कि किसी चालू परियोजना पर अव्ययित रहने वाली कोई भी धनराशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिन की अवधि के अंदर अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (यूसीएसआर) खाते में अंतरित की जाएगी। ऐसी धनराशि तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के अंदर सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की जाएगी, और ऐसा करने में विफलता की स्थिति में इसे तीसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के अंदर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित किया जाएगा।

<sup>1</sup> समय-समय पर यथासंशोधित।

<sup>2</sup> समय-समय पर यथासंशोधित।

<sup>3</sup> शुद्ध लाभ की गणना हेतु कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) का प्रयोग किया जाता है।

कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 का नियम 7(2) यह प्रावधान करता है कि सीएसआर कार्यकलापों से उत्पन्न कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का भाग नहीं बनेगा तथा इसे उसी परियोजना में पुनः निवेश किया जाएगा, या यूसीएसआर खाते में अंतरित किया जाएगा और कंपनी की सीएसआर नीति तथा वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में व्यय किया जाएगा, या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह की अवधि के अंदर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित किया जाएगा।

### एसपीएसई पर सीएसआर प्रावधानों की प्रयोज्यता

5.3 दिनांक 31 मार्च 2023 को, उत्तर प्रदेश में सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 66 क्रियाशील एसपीएसई<sup>4</sup> थे, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा शासित थे। इन 66 एसपीएसई में से, 19 एसपीएसई ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों को पूरा किया, जैसा कि परिशिष्ट 5.1 में वर्णित है। इन 19 एसपीएसई में से मात्र नौ एसपीएसई को सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय करना अनिवार्य था, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत शुद्ध लाभों के आधार पर, उस वित्तीय वर्ष के संदर्भ में जिसमें एसपीएसई को सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय करना था।

तदनुसार, इन नौ एसपीएसई को सम्बन्धित आगामी वित्तीय वर्ष<sup>5</sup> के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर ₹ 8.75 करोड़ व्यय करना था। तथापि, मात्र तीन एसपीएसई ने ₹ 4.44 करोड़<sup>6</sup> व्यय किए, तथा शेष छः एसपीएसई द्वारा ₹ 4.61 करोड़ अव्ययित रहे।

### लेखापरीक्षा परिणाम

5.4 लेखापरीक्षा ने नौ एसपीएसई द्वारा सीएसआर कार्यकलापों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित प्रावधानों के अनुपालन की जाँच की, जिन्हें सीएसआर कार्यकलापों पर अनिवार्य रूप से व्यय करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा परिणामों, विशेष रूप से सीएसआर समितियों के गठन, सीएसआर नीतियों का विरचन तथा अनुपालन, सीएसआर कार्यकलापों की योजना तथा निष्पादन, एवं एसपीएसई द्वारा अनुश्रवण तथा रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में, पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

### सीएसआर समिति का गठन

5.5 जैसा कि प्रस्तर 5.2 में चर्चा की गई है, प्रत्येक कंपनी जो नेट वर्थ, टर्नओवर अथवा शुद्ध लाभ के निर्धारित मानदण्डों को पूरा करती है, उसे बोर्ड

<sup>4</sup> सांविधिक निगमों को छोड़कर।

<sup>5</sup> 2014-15 तथा 2021-22 के मध्य।

<sup>6</sup> न्यूनतम ₹ 4.14 करोड़ के व्यय की आवश्यकता के विरुद्ध।

की एक सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) यह प्रावधान करती है कि किसी कंपनी की सीएसआर समिति में तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा। यह आगे प्रावधान करती है कि जहाँ किसी कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना आवश्यक नहीं है, वहाँ उसकी सीएसआर समिति में दो या अधिक निदेशक होंगे। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) यह प्रावधान करती है कि जहाँ किसी कंपनी द्वारा सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की जाने वाली धनराशि ₹ 50 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ सीएसआर समिति के गठन की आवश्यकता लागू नहीं होगी, तथा ऐसी समिति के कार्यों का निर्वहन ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ एसपीएसई<sup>7</sup> में से, छः एसपीएसई<sup>7</sup> को सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक था। सभी छः एसपीएसई ने सीएसआर समितियों का गठन किया था। तथापि, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे वर्ष 2020-21 के दौरान अपनी सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक था, ने जून 2022 में जाकर ही ऐसा किया। इसके अतिरिक्त, शेष तीन एसपीएसई<sup>8</sup> ने भी सीएसआर समितियों का गठन किया, यद्यपि वे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सभी नौ एसपीएसई की सीएसआर समितियों में न्यूनतम तीन निदेशक थे। तथापि, सात एसपीएसई<sup>9</sup> ने वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी सीएसआर समितियों में एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति तथा योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित, के अंतर्गत अनिवार्य है।

### **सीएसआर नीति का विरचन**

**5.6** जैसा कि प्रस्तर 5.2 में चर्चा की गई है, सीएसआर समिति को एक सीएसआर नीति विरचित करना तथा बोर्ड को अनुशंसित करना आवश्यक है, जिसमें कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकालप उपदर्शित हो।

<sup>7</sup> उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तथा उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

<sup>8</sup> उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, तथा यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

<sup>9</sup> एक एसपीएसई अर्थात् उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी सीएसआर समिति में एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया था (जो 21 मार्च 2023 तक रहे) तथा एक एसपीएसई अर्थात् जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना आवश्यक नहीं था क्योंकि यह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ एसपीएसई में से एक एसपीएसई अर्थात् उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने 31 मार्च 2023 तक कोई सीएसआर नीति विरचित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उस वर्ष के दौरान सीएसआर नीति विरचित नहीं की थी जिसमें उसे सीएसआर व्यय करना अनिवार्य था, अर्थात् वर्ष 2020-21 में, जिससे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(3) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ। तथापि, इसने बाद में जून 2022 में सीएसआर नीति विरचित की।

### **वार्षिक कार्य योजना विरचित करना**

5.7 कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014<sup>10</sup> का नियम 5(2) यह प्रावधान करता है कि सीएसआर समिति अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना (एएपी) विरचित करेगी तथा बोर्ड को अनुशंसित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में किए जाने हेतु अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की सूची; (ख) ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति; (ग) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निधियों के उपयोग तथा कार्यान्वयन समय-सारणियों की रूपरेखा; (घ) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग तंत्र; तथा (ङ) कंपनी द्वारा की जा रही परियोजनाओं के लिए आवश्यकता एवं प्रभाव मूल्यांकन, यदि कोई हो, का विवरण।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ एसपीएसई में से, चार एसपीएसई<sup>11</sup> को उपर्युक्त नियम के अनुपालन में वर्ष 2021-22 तथा उसके पश्चात् के लिए एक एएपी तैयार करना आवश्यक था। तथापि, इनमें से किसी भी एसपीएसई ने आवश्यक एएपी तैयार नहीं की थी। एएपी के अभाव में, एसपीएसई परियोजनाएँ प्रारंभ करने से पूर्व निधि उपयोग की रूपरेखा तैयार करने तथा सीएसआर कार्यकलापों के लिए कार्यान्वयन समय-सारणियाँ स्थापित करने में असमर्थ थे। इसके स्थान पर, एसपीएसई द्वारा एकल सीएसआर परियोजना प्रस्तावों को प्रकरण-दर-प्रकरण आधार पर अनुमोदित किया गया।

### **सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय**

5.8 जैसा कि प्रस्तर 5.2 में चर्चा की गई है, प्रत्येक कंपनी के बोर्ड को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान या जहाँ कंपनी ने अपने निगमन के बाद से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि पूर्ण नहीं की है, ऐसे तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान, कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभों का कम से कम दो प्रतिशत अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में व्यय करे।

<sup>10</sup> दिनांक 21.01.2021 के संशोधन द्वारा यथासंशोधित।

<sup>11</sup> उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, तथा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक धनराशि तथा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के दौरान नौ एसपीएसई द्वारा वास्तव में व्यय की गई धनराशि का विवरण तालिका 5.1 में दिया गया है।

तालिका 5.1: सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक धनराशि तथा वास्तविक व्यय की गई धनराशि का विवरण

(₹ करोड़ में)						
क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	नवीनतम अन्तिमकृत वित्तीय विवरणों का वर्ष	व्यय की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक धनराशि	आवंटित धनराशि	वास्तव में व्यय की गई धनराशि	कम व्यय की गई धनराशि
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2021-22	1.36	1.36	1.38 <sup>12</sup>	0.00
2.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	1.65	1.66	1.66	0.00
3.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	0.29	0.00	0.00	0.29
4.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	1.13	1.42	1.40	0.00
5.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	0.26	0.00	0.00	0.26
6.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	3.06	0.00	0.00	3.06
7.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2019-20	0.58	0.00	0.00	0.58
8.	यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	0.37	0.00	0.00	0.37
9.	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2021-22	0.05	0.00	0.00	0.05
<b>योग</b>			<b>8.75</b>	<b>4.44</b>	<b>4.44</b>	<b>4.61</b>

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

तालिका 5.1 से देखा जा सकता है कि नौ एसपीएसई में से, छः एसपीएसई ने सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर आवश्यक धनराशि ₹ 4.61 करोड़ के विरुद्ध न तो कोई धनराशि आवंटित की और न ही व्यय की। शेष तीन एसपीएसई ने सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यक न्यूनतम धनराशि ₹ 4.14 करोड़ के विरुद्ध ₹ 4.44 करोड़ आवंटित तथा व्यय किए।

#### सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की गई धनराशि का विश्लेषण

5.9 जैसा कि प्रस्तर 5.8 में चर्चा की गई है, तीन एसपीएसई<sup>13</sup> ने सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर ₹ 4.44 करोड़ का व्यय किया। उक्त धनराशि के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

<sup>12</sup> वित्तीय वर्ष 2020-21 से सम्बन्धित ₹ 0.02 करोड़ सहित।

<sup>13</sup> उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

### क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

5.10 विभिन्न क्षेत्रों के तीन एसपीएसई द्वारा किए गए सीएसआर व्यय का विवरण तालिका 5.2 में दिया गया है।

तालिका 5.2: क्षेत्रवार सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय करने वाले एसपीएसई की संख्या	व्यय की गई धनराशि (₹ करोड़ में)
1.	विद्युत	2	3.04
2.	स्वास्थ्य तथा कल्याण	1	1.40
योग		3	4.44

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

तालिका 5.2 से देखा जा सकता है कि ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई ने सीएसआर कार्यकलापों पर सर्वाधिक व्यय किया, जो कुल सीएसआर व्यय का 68.47 प्रतिशत था।

### सीएसआर व्यय हेतु केंद्रित क्षेत्र

5.11 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में सीएसआर कार्यकलापों हेतु 12 व्यापक क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए गए हैं। एसपीएसई द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यय की गई धनराशि का विवरण तालिका 5.3 में दिया गया है।

तालिका 5.3: सीएसआर व्यय हेतु केंद्रित क्षेत्र

क्र. सं.	क्षेत्र	कार्यकलापों की संख्या	व्यय की गई धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल व्यय की गई धनराशि का प्रतिशत
1.	शिक्षा	3	2.22	50.00
2.	ग्रामीण विकास	2	0.88	19.82
3.	स्वास्थ्य सेवा	2	0.34	7.66
4.	पर्यावरण	1	0.10	2.25
5.	खेलकूद	1	0.90	20.27
योग		9	4.44	100.00

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

जैसा कि तालिका 5.3 से देखा जा सकता है, सीएसआर व्यय का सबसे बड़ा भाग (50 प्रतिशत) शैक्षिक गतिविधियों पर था, इसके बाद खेलकूद पर 20.27 प्रतिशत तथा ग्रामीण विकास पर 19.82 प्रतिशत व्यय किया गया।

### सीएसआर कार्यकलापों से अधिशेष

5.12 जैसा कि प्रस्तर 5.2 में चर्चा की गई है, सीएसआर कार्यकलापों से उत्पन्न कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का भाग नहीं बनेगा तथा इसे उसी परियोजना में पुनः निवेश किया जाना आवश्यक है या यूसीएसआर खाते में अंतरित किया जाना है, तथा कंपनी की सीएसआर नीति एवं वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में व्यय किया जाना है, अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह की अवधि के अंदर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन एसपीएसई द्वारा की गई किसी भी परियोजना से सीएसआर कार्यकलापों से कोई अधिशेष उत्पन्न नहीं हुआ।

### प्रशासनिक उपरिव्ययों पर व्यय

5.13 कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 का नियम 7(1) यह प्रावधान करता है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशासनिक उपरिव्यय<sup>14</sup> वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कुल सीएसआर व्यय के पाँच प्रतिशत से अधिक न हो।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि तीनों एसपीएसई में से किसी ने भी सीएसआर कार्यकलापों से सम्बन्धित प्रशासनिक उपरिव्यय पर कोई व्यय रिपोर्ट नहीं किया।

### अनुश्रवण ढाँचा

5.14 कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 का नियम 5(2) यह प्रावधान करता है कि सीएसआर समिति कंपनी द्वारा की जाने वाली सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक अनुश्रवण तंत्र स्थापित करेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2023 को सीएसआर नीति विरचित करने वाले सभी आठ एसपीएसई, जैसा कि प्रस्तर 5.8 में चर्चा की गई है, ने अपनी सीएसआर नीतियों में एक अनुश्रवण तंत्र निर्धारित किया था। तथापि, किसी भी एसपीएसई ने सीएसआर कार्यकलापों के कार्यान्वयन के अनुश्रवण के लिए नियमित सीएसआर समिति बैठकें आयोजित करने हेतु कोई तंत्र स्थापित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि वर्ष 2022-23 के दौरान, पाँच एसपीएसई<sup>15</sup> ने मात्र एक-एक सीएसआर समिति बैठक आयोजित की, एक एसपीएसई<sup>16</sup> ने दो सीएसआर समिति बैठकें आयोजित कीं, तथा दो एसपीएसई<sup>17</sup> ने तीन-तीन सीएसआर समिति बैठकें आयोजित कीं। इसके अतिरिक्त, एक एसपीएसई अर्थात् जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने वर्ष 2022-23 के दौरान कोई सीएसआर समिति बैठक आयोजित नहीं की।

<sup>14</sup> किसी कंपनी के सीएसआर प्रभाग में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन तथा प्रशिक्षण, लेखन सामग्री की लागत, यात्रा व्यय, इत्यादि।

<sup>15</sup> उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, तथा उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

<sup>16</sup> उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

<sup>17</sup> उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड।

## रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

5.15 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(4), कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 9 के साथ पठित, यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक कंपनी का बोर्ड, सीएसआर समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात् कंपनी की सीएसआर नीति अनुमोदित करेगा तथा अपनी रिपोर्ट में ऐसी नीति की अन्तर्वस्तुएँ, सीएसआर समिति की संरचना, एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को प्रकट करेगा, तथा उन्हें कंपनी की वेबसाइट पर भी रखेगा।

लेखापरीक्षा ने सीएसआर से सम्बन्धित सूचना के प्रकटीकरण में निम्नलिखित कमियाँ पायीं:

- नौ एसपीएसई में से, एक एसपीएसई अर्थात् जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास कोई वेबसाइट नहीं थी। मात्र एक एसपीएसई अर्थात् उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी सीएसआर नीति, अपनी सीएसआर समिति की संरचना, तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को अपनी वेबसाइट पर प्रकट किया था। एक एसपीएसई अर्थात् उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, जिसने सीएसआर नीति विरचित नहीं की थी, ने सीएसआर समिति की संरचना या बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को अपनी वेबसाइट पर प्रकट नहीं किया था।
- शेष छः एसपीएसई में से, पाँच एसपीएसई<sup>18</sup> ने अपनी वेबसाइटों पर मात्र सीएसआर नीति प्रकट की थी। एक एसपीएसई अर्थात् उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट पर अपनी सीएसआर समिति की संरचना तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को प्रकट किया था, किंतु सीएसआर नीति प्रकट नहीं की थी।
- नौ एसपीएसई में से, मात्र पाँच एसपीएसई<sup>19</sup> ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के सम्बन्धित वर्षों हेतु अपनी वार्षिक प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिया था। इनमें से, तीन एसपीएसई ने अपनी वार्षिक प्रतिवेदनों में सीएसआर कार्यकलापों से सम्बन्धित आवश्यक सूचना प्रकट की थी। तथापि, शेष दो एसपीएसई<sup>20</sup> ने अपनी वार्षिक प्रतिवेदनों में सीएसआर कार्यकलापों के सम्बन्ध में पूर्ण प्रकटीकरण प्रदान नहीं किया था।

<sup>18</sup> उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तथा उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

<sup>19</sup> उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तथा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

<sup>20</sup> उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

## निष्कर्ष

यद्यपि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर हेतु सांविधिक ढाँचा सुस्थापित है, फिर भी उत्तर प्रदेश में एसपीएसई द्वारा इसका कार्यान्वयन असंगत रहा तथा प्रायः अनिवार्य आवश्यकताओं से कम रहा। जहाँ अधिकांश एसपीएसई ने सीएसआर समितियों के गठन तथा सीएसआर नीतियों के विरचन के अपने मूलभूत दायित्व को पूरा किया, वहीं सीएसआर नियमन के कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में चूक देखी गई। चारों एसपीएसई, जिन्हें वार्षिक कार्य योजना विरचित करना आवश्यक था, में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया।

नौ एसपीएसई, जिन्हें सीएसआर व्यय करना आवश्यक था, में से छः एसपीएसई ने अनिवार्य धनराशि आवंटित या व्यय नहीं की। सीएसआर समिति की बैठकें अनियमित या असामयिक थीं, तथा सीएसआर से सम्बन्धित सूचना का प्रकटीकरण अपर्याप्त रहा, जिससे पारदर्शिता तथा जवाबदेही क्षीण हुई।

## संस्तुतियाँ

- सीएसआर पहलों के सुव्यवस्थित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एसपीएसई वार्षिक कार्य योजनाएँ तैयार कर सकते हैं।
- एसपीएसई अनिवार्य सीमाओं के अनुसार सीएसआर निधियों का समय पर आवंटन तथा पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित कर सकते हैं। गैर-उपयोग की कड़ी अनुश्रवण की जा सकती है, तथा अव्ययित धनराशियों को विधिक प्रावधानों के अनुसार निपटाया जा सकता है।
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन को ट्रैक करने, निधि उपयोग को अनुश्रवण करने, तथा सीएसआर कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा करने हेतु नियमित सीएसआर समिति बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।
- एसपीएसई अपनी वेबसाइटों तथा वार्षिक प्रतिवेदनों में सीएसआर नीतियाँ, सीएसआर समिति की संरचना, तथा परियोजना विवरण प्रकाशित कर सकते हैं।

## **अध्याय-VI**

**उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम  
लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन  
लेखापरीक्षा**



## अध्याय-VI

### उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, जिसका निगमन मई 1975 में हुआ था, का प्रबंधन 10 सदस्यों वाले निदेशक बोर्ड (बीओडी) के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा एक प्रबंध निदेशक सम्मिलित हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा, जो वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि को आच्छादित करता है, कंपनी के वित्तीय प्रबंधन, परिचालन नियोजन, परिचालनों का निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण, तथा अनुश्रवण तंत्रों का मूल्यांकन करता है।

निधियों का मुख्य स्रोत डिपाजिट कार्यों के विरुद्ध ग्राहकों से प्राप्त धनराशि थी। कंपनी वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान बिना बजट के परिचालित हुई। लेखापरीक्षा ने अनियमितताएँ पाई, जिनमें प्राप्त निधियों से ₹ 65.80 करोड़ का अधिक व्यय, ₹ 1.65 करोड़ की अव्ययित शेष धनराशि की वापसी न करना, सरकारी निधियों पर अर्जित ₹ 641.45 करोड़ के ब्याज को केवल सरकार के बही खाते में क्रेडिट करना किंतु राजकोष में जमा नहीं करना, तथा मोबिलाइजेशन अग्रिमों पर ₹ 7.47 करोड़ के ब्याज को कंपनी की आय के रूप में रोक कर रखना सम्मिलित थे।

दिसम्बर 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर ₹ 50 करोड़ से अधिक के डिपाजिट कार्यों की प्रदानगी वापस लिए जाने के कारण कंपनी के ऑर्डर बुक में अत्यधिक कमी आई। अपर्याप्त अभिलेखीकरण एवं ब्लैकलिस्टिंग के कारण भी उसे ₹ 1,354.11 करोड़ मूल्य के निविदा कार्य गंवाने पड़े। परियोजना नियोजन कमजोर था, जिसमें निर्धारित समापन तिथियों/माइलस्टोन का अभाव तथा तकनीकी स्वीकृतियों एवं पर्यावरणीय अनापत्तियों के बिना कार्य आरम्भ करना सम्मिलित थे।

निविदा एवं निष्पादन प्रक्रियाएँ दोषपूर्ण थीं, जिनमें बिड प्रस्तुति हेतु अपर्याप्त समय, कार्यों को अनियमित रूप से सबलेट करना, उप-संविदाकारों को अनियमित रूप से अग्रिम अवमुक्त करना, मोबिलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज की कम वसूली, कर्मकार कल्याण उपकर की वसूली न होना, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से सामग्री/सेवाओं को क्रय न करना, तथा ग्राहक के अनुमोदन के बिना अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन करना सम्मिलित थे।

आंतरिक नियंत्रण कमजोर था तथा अनुश्रवण दोषपूर्ण था। कंपनी के सात वर्षों (2016-17 से 2022-23) के वित्तीय विवरण बकाया थे तथा 2000-01 से वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल के समक्ष नहीं रखे गए थे। निगमित अभिशासन प्रथाएं अपर्याप्त थीं, जिनमें स्वतंत्र निदेशकों का अभाव, सांविधिक समितियों का गठन न होना, तथा नियमित बोर्ड बैठकें आयोजित न होना सम्मिलित थे। परियोजना अनुश्रवण एवं नियंत्रण कमजोर थे, जिसके

परिणामस्वरूप डिपॉजिट कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं के कारण ₹ 165.72 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा, तथा अनिष्पादित कार्यों हेतु ₹ 31.72 करोड़ का भुगतान हुआ।

### कंपनी के बारे में

6.1 उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (कंपनी) का निगमन 1 मई 1975 को एक राज्य-स्वामित्व वाले निर्माण उपक्रम के रूप में सिविल इंजीनियरिंग कार्य करने हेतु किया गया था। कंपनी ने इन कार्यों को सीधे निष्पादित करने तथा यथासंभव संविदाकारों एवं उप-संविदाकारों की भागीदारी को समाप्त करने का लक्ष्य भी रखा था, जिससे गुणवत्ता एवं मितव्ययिता के साथ शीघ्रता से निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- सिविल, यांत्रिक, विद्युत, सैनिटरी एवं जल अभियंत्रिकी के कार्य करना, सभी प्रकार की सड़कों एवं भवनों का निर्माण, अनुरक्षण व सुधार करना तथा बैराज, बांध, जलसेतु, पुल, पुलिया, सुरंग, रेलवे सम्बन्धी कार्य, हवाई अड्डे, रोप-वे, विद्युत एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ जिसमें विद्युत संयंत्र, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), ट्रांसफार्मर सहित विद्युत उपकेन्द्र, सौर ऊर्जा संयंत्र, एवं उनका अनुरक्षण सम्मिलित है, परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएँ प्रदान करना, टाउनशिप नियोजन, ग्राम नियोजन, मॉल, रिसॉर्ट, वाणिज्यिक परिसरों, आमोद एवं मनोरंजन पार्कों, स्मारकों का निर्माण, बंदरगाह एवं जलमार्ग कार्य, आवास योजनाएं, तथा ऐसी व्यावसायिक गतिविधि से जुड़ी समस्त सहायक गतिविधियाँ करना, तथा सौर पैनलों की स्थापना एवं अनुरक्षण करना, सौर ऊर्जा व उससे सम्बन्धित गतिविधियाँ तथा सैनिटरी प्रतिष्ठान।
- सभी प्रकार की ईंट, टाइल, मिट्टी के बर्तन, सीमेंट, पत्थर, रेत, हार्डवेयर एवं अन्य निर्माण सामग्री, उपकरण, औजार, विद्युत वस्तुएँ, एवं मशीनरी, आदि का उत्पादन, क्रय, विक्रय, स्थापना, संचालन, परिवर्तन, सुधार, चलाना अथवा अन्य प्रकार से संव्यवहार करना, तथा सिंचाई सम्बन्धी गतिविधियाँ, आदि।
- निर्माण, रखरखाव अथवा प्रबंधन करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली किसी भी सड़क एवं भवन का क्रय करना, पट्टे पर लेना या अधिग्रहण करना तथा परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करना। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों एवं कंपनियों की विभिन्न सीएसआर गतिविधियों का निष्पादन करना।


### संगठनात्मक ढाँचा

6.2 कंपनी का प्रबंधन एक निदेशक बोर्ड में निहित है जिसमें एक अध्यक्ष तथा एक प्रबंध निदेशक सहित 10 निदेशक सम्मिलित हैं। मुख्यालय पर कंपनी के प्रबंध निदेशक की सहायता दो अपर प्रबंध निदेशक, एक वित्तीय सलाहकार (एफए), एक मुख्य वास्तुकार, एक कंपनी सचिव, तथा 10 महाप्रबंधक (जीएम)

एवं एक अपर महाप्रबंधक द्वारा की जाती है। फील्ड स्तर पर प्रबंध निदेशक की सहायता 17 महाप्रबंधकों द्वारा की जाती है, जो 65 फील्ड इकाइयों का पर्यवेक्षण करते हैं, जिनका नेतृत्व परियोजना प्रबंधकों/अपर परियोजना प्रबंधकों द्वारा किया जाता है।

कंपनी का संगठनात्मक ढांचा चार्ट 6.1 में दिया गया है।

चार्ट 6.1: कंपनी का संगठनात्मक ढांचा



स्रोत: कंपनी द्वारा मार्च 2023 की स्थिति के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी सूचना

### जनशक्ति की स्थिति

6.3 किसी संगठन की अपने परिचालनों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने तथा संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता विभिन्न संवर्गों एवं स्तरों पर पर्याप्त व कुशल कार्यबल की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

विभिन्न कार्मिक श्रेणियों में 2018-19 से 2022-23 तक स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों का विवरण तालिका 6.1 में दिया गया है।

तालिका 6.1: श्रेणीवार स्वीकृत क्षमता तथा कार्यरत कार्मिकों का विवरण

श्रेणी	स्वीकृत क्षमता	कार्यरत कार्मिकों की संख्या				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
समूह क	391	229 (59%)	210 (54%)	199 (51%)	174 (45%)	147 (38%)
समूह ख	431	293 (68%)	283 (66%)	252 (58%)	270 (63%)	261 (61%)
समूह ग	1183	722 (61%)	709 (60%)	645 (55%)	588 (50%)	547 (46%)
समूह घ	96	145 (151%)	145 (151%)	157 (164%)	169 (176%)	168 (175%)
<b>योग</b>	<b>2,101</b>	<b>1,389 (66%)</b>	<b>1,347 (64%)</b>	<b>1,253 (60%)</b>	<b>1,201 (57%)</b>	<b>1,123 (53%)</b>

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

जैसा कि तालिका 6.1 से स्पष्ट है, 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान कार्यरत कार्मिकों की संख्या कुल स्वीकृत क्षमता के 53 प्रतिशत से 66 प्रतिशत के मध्य रही, जो अनुमोदित कार्यबल एवं वास्तविक रूप से कार्यरत कार्मिकों के मध्य उल्लेखनीय अंतर को इंगित करता है। समूह घ श्रेणी को छोड़कर, जो स्वीकृत क्षमता से अधिक थी, अन्य श्रेणियों में स्वीकृत क्षमता तथा वास्तविक रूप से कार्यरत कार्मिकों के मध्य का अंतर वर्ष दर वर्ष बढ़ा है, जो अक्षम कार्यबल नियोजन, कार्यबल आवश्यकताओं की पूर्ति में चुनौतियों तथा कंपनी की परिचालन क्षमताओं पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव का संकेत करता है।

#### वित्तीय स्थिति तथा कार्य परिणाम

6.4 असंप्रेक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा कार्य परिणाम तालिका 6.2 एवं 6.3 में संक्षेपित हैं।

तालिका 6.2: कंपनी की 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
<b>(अ) दायित्व</b>						
1.	शेयर पूँजी	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.	संचय एवं अधिशेष	1,607.48	1,646.43	1,684.18	1,721.20	1,753.63
3.	अनावर्ती दायित्व	2,380.08	2,179.66	182.80	15.26	165.92
4.	चालू दायित्व	6,119.40	5,445.58	5,959.85	8,640.62	9,953.44
<b>कुल दायित्व (अ)</b>		<b>10,107.96</b>	<b>9,272.67</b>	<b>7,827.83</b>	<b>10,378.08</b>	<b>11,873.99</b>
<b>(ब) परिसम्पत्तियाँ</b>						
5.	सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	68.33	65.88	64.09	53.71	46.75
6.	अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	--	--	--	0.17	0.20
7.	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	--	--	--	--	11.84
8.	आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	3.64	4.26	4.14	1.09	1.75

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
9.	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	2,419.93	2,209.09	215.65	62.02	169.48
10.	चालू परिसम्पतियाँ	7,616.06	6,993.44	7,543.95	10,261.09	11,643.97
	<b>कुल परिसम्पतियाँ (ब)</b>	<b>10,107.96</b>	<b>9,272.67</b>	<b>7,827.83</b>	<b>10,378.08</b>	<b>11,873.99</b>

स्रोत: कंपनी के असंप्रोक्षित वित्तीय विवरण

कंपनी की 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान वित्तीय स्थिति के विश्लेषण ने निम्नलिखित तथ्य उजागर किए:

- शेयर पूँजी 2018-19 से 2022-23 तक के सभी वर्षों में ₹ एक करोड़ पर स्थिर रही, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की समादत्त इक्विटी शेयर पूँजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
- संचय एवं अधिशेष ने 2018-19 में ₹ 1,607.48 करोड़ से 2022-23 में ₹ 1,753.63 करोड़ तक बढ़कर, वर्ष दर वर्ष लगातार वृद्धि प्रदर्शित की है। यह संकेत करता है कि कंपनी लाभ में रही है तथा अपनी आय को प्रतिधारित कर अपने संचय को बढ़ा रही है।
- अनावर्ती दायित्व तथा दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम उल्लेखनीय रूप से घटते-बढ़ते रहे हैं। अनावर्ती दायित्व 2018-19 में ₹ 2,380.08 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 15.26 करोड़ हो गए, परंतु 2022-23 में बढ़कर ₹ 165.92 करोड़ हो गए। इसी प्रकार, दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम 2018-19 में ₹ 2,419.93 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 62.02 करोड़ हो गए, परंतु 2022-23 में बढ़कर ₹ 169.48 करोड़ हो गए। अनावर्ती दायित्वों तथा दीर्घावधि ऋणों एवं अग्रिमों में 2020-21 व 2021-22 के दौरान उल्लेखनीय कमी कंपनी द्वारा राज्य सरकार की ओर से हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) से प्राप्त ऋण के समयपूर्व भुगतान के कारण हुई। अनावर्ती दायित्वों में वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 15.26 करोड़ से ₹ 165.92 करोड़ तक की अचानक वृद्धि अधूरे कार्यों के लिए प्रावधान में वृद्धि के कारण थी।
- चालू दायित्वों ने 2018-19 में ₹ 6,119.40 करोड़ से 2022-23 में ₹ 9,953.44 करोड़ तक बढ़कर वृद्धि का रुझान प्रदर्शित किया है।
- सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण 2018-19 में ₹ 68.34 करोड़ से 2022-23 में ₹ 46.75 करोड़ तक की हल्की गिरावट के साथ अपेक्षाकृत स्थिर रहे, जो यह संकेत करता है कि कंपनी की अचल परिसम्पतियाँ पुरानी हो रही हैं तथा भविष्य में उनके प्रतिस्थापन अथवा उन्नयन की आवश्यकता हो सकती है।
- चालू परिसम्पतियाँ ने 2018-19 में ₹ 7,616.06 करोड़ से 2022-23 में ₹ 11,643.97 करोड़ तक बढ़कर उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की है।

तालिका 6.3: कंपनी के 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान कार्य परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
<b>(अ) आय</b>						
1.	परिचालन से राजस्व:					
	(अ) डिपाजिट कार्य	3213.30	3059.17	2662.66	2702.42	2065.14
	(ब) परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) कार्य	180.33	169.55	52.51	275.59	30.62
	(स) निविदा कार्य	554.67	170.64	149.44	39.34	113.25
	<b>योग</b>	<b>3948.30</b>	<b>3399.36</b>	<b>2864.61</b>	<b>3017.35</b>	<b>2209.01</b>
2.	ब्याज से आय	66.06	62.44	44.53	40.29	74.93
3.	अन्य गैर-परिचालन आय/विविध आय	1.31	1.12	3.95	10.39	10.97
	<b>कुल आय (अ)</b>	<b>4015.67</b>	<b>3462.92</b>	<b>2913.09</b>	<b>3068.03</b>	<b>2294.91</b>
<b>(ब) व्यय</b>						
4.	परिचालन व्यय	3658.96	3185.67	2632.42	2787.06	2033.30
5.	कर्मचारी फायदे व्यय	195.05	177.58	189.53	170.58	178.71
6.	वित्तीय लागत	0.30	0.14	0.04	0.17	0.12
7.	मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	1.66	3.82	3.03	10.43	1.06
8.	अन्य व्यय	52.02	36.52	30.41	34.41	39.83
9.	पूर्व अवधि के व्यय	--	0.12	0.01	--	--
	<b>कुल व्यय (ब)</b>	<b>3907.99</b>	<b>3403.85</b>	<b>2855.44</b>	<b>3002.65</b>	<b>2253.02</b>
	<b>परिचालन लाभ/(हानि) [1-(4+5+7+8+9)]</b>	<b>40.61</b>	<b>(4.35)</b>	<b>9.21</b>	<b>14.87</b>	<b>(43.89)</b>
	<b>शुद्ध लाभ/(हानि) (अ-ब)</b>	<b>107.68</b>	<b>59.07</b>	<b>57.65</b>	<b>65.38</b>	<b>41.89</b>

स्रोत: कंपनी के असंप्रेक्षित वित्तीय विवरण

कंपनी के 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान कार्य परिणामों का विश्लेषण निम्नलिखित तथ्यों को उजागर करता है:

- **परिचालन से राजस्व एवं परिचालन लाभ में गिरावट:** कंपनी का परिचालन से राजस्व विगत पाँच वर्षों में 44 प्रतिशत (2018-19 में ₹ 3,948.30 करोड़ से 2022-23 में ₹ 2,209.01 करोड़) घट गया है। परिणामस्वरूप, कंपनी का परिचालन लाभ भी घटता जा रहा है तथा सबसे हाल के वर्ष (2022-23) में, कंपनी को ₹ 43.89 करोड़ की परिचालन हानि वहन करनी पड़ी है। परिचालन लाभ में गिरावट और सबसे हाल के वर्ष में परिचालन हानि कंपनी की लाभप्रदता के लिए गंभीर चिंता का विषय है तथा परिचालन व्यय की पूर्ति हेतु पर्याप्त राजस्व अर्जित करने में कठिनाई का संकेत करता है।

- **गैर-परिचालन आय पर निर्भरता:** कंपनी ने 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान ₹ 48.48 करोड़ से ₹ 85.90 करोड़ के मध्य गैर-परिचालन आय (ब्याज से आय तथा अन्य विविध आय) अर्जित की। हालाँकि, परिचालन आय के अनुपूरण हेतु इन स्रोतों पर निर्भरता संधारणीय दीर्घकालिक रणनीति नहीं है। मुख्य व्यावसायिक परिचालन में सुधार करने तथा मुख्य गतिविधियों से होने वाली आय में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अग्रेतर, जहां

एक ओर परिचालन से आय विगत पाँच वर्षों में 44 प्रतिशत घटी है, वहीं गैर-परिचालन आय में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, जिसके परिणामस्वरूप, शुद्ध लाभ में निरंतर गिरावट (2018-19 में ₹ 107.68 करोड़ से 2022-23 में ₹ 41.89 करोड़) आई है। यह इस बात का संकेत करता है कि कंपनी अपने मुख्य व्यावसायिक राजस्व में गिरावट की भरपाई के लिए अपनी गैर-मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों (परामर्श सेवाएँ, स्टील शटरिंग पर किराया शुल्क, परिसम्पत्तियों का विक्रय तथा अन्य विविध आय स्रोत) का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने में सक्षम नहीं रही है। इसके अतिरिक्त, ब्याज से आय में 2021-22 में ₹ 40.29 करोड़ से 2022-23 में ₹ 74.93 करोड़ तक की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण सावधि जमा में अधिक निवेश था, जो व्यापारिक प्राप्तियों तथा दीर्घावधि ऋणों एवं अग्रिमों में कमी के कारण नकदी प्रवाह में सुधार के कारण हुआ।

### लेखापरीक्षा उद्देश्य

- 6.5 निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या कंपनी:
- के पास एक प्रभावी एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन प्रणाली थी;
  - ने अपने परिचालनों का नियोजन एवं निष्पादन मितव्ययिता के साथ, कुशलतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से कंपनी के उद्देश्यों के अनुरूप तथा विहित की गयी प्रक्रियाओं एवं नियमों के अनुसार किया; तथा
  - के पास पर्याप्त, कुशल एवं प्रभावी आंतरिक नियंत्रण व अनुश्रवण तंत्र थे।

### लेखापरीक्षा मानदण्ड

- 6.6 निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:
- कंपनी का 'वर्किंग मैनुअल एंड फॉर्मस' तथा समय-समय पर उत्तर प्रदेश सरकार/कंपनी द्वारा निर्गत आदेश।
  - उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल, उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका (एफएचबी), सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देश।
  - कंपनी द्वारा तैयार बजट।
  - उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (यूपीपीडब्ल्यूडी)/केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) की दर अनुसूची।
  - ग्राहकों/संविदाकारों के साथ निष्पादित अनुबंधों की शर्तें एवं नियम।

### लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

6.7 यह निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक के पांच वर्षों के दौरान निर्माण कार्यों के निष्पादन में कंपनी की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने हेतु सम्पादित की गई थी। लेखापरीक्षा ने कंपनी के मुख्यालय तथा 18 फील्ड

इकाइयों<sup>1</sup> के अभिलेखों की जाँच की। फील्ड इकाइयों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति अपनाकर किया गया था। अग्रेतर, चयनित 18 फील्ड इकाइयों द्वारा निष्पादित 78 कार्यों<sup>2</sup>, जिन पर कंपनी द्वारा 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान ₹ 4,022.75 करोड़<sup>3</sup> का व्यय किया गया था, का स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति अपनाकर विस्तृत जाँच हेतु चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग अर्थात् यूपीपीडब्ल्यूडी के अभिलेखों की भी जाँच की गई थी। लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा क्रियाविधि को 27 जुलाई 2023 को आयोजित एंटी कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन तथा उ.प्र. सरकार को बताया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन की क्रियाविधि में अभिलेखों की जाँच, आंकड़ों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रश्न उठाना तथा प्रबंधन के साथ संवाद सम्मिलित था। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत करने के उपरांत, लेखापरीक्षा प्रेक्षकों तथा प्रबंधन/उ.प्र. सरकार के उत्तरों पर चर्चा करने हेतु 16 अगस्त 2024 को प्रबंधन तथा उ.प्र. सरकार के साथ एक एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। प्रबंधन/उ.प्र. सरकार के उत्तरों को प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

### लेखापरीक्षा बाधाएँ

6.8 कंपनी ने परिशिष्ट 6.1 में वर्णित अभिलेख एवं सूचना उपलब्ध नहीं कराए थे, जिससे निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

### अभिस्वीकृति

6.9 निष्पादन लेखापरीक्षा के क्रियान्वयन में उ.प्र. सरकार, कंपनी के मुख्यालय तथा नमूना जाँच किए गए फील्ड इकाइयों द्वारा दिए गए सहयोग एवं सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।

### लेखापरीक्षा परिणाम

6.10 निष्पादन लेखापरीक्षा ने कंपनी के वित्तीय प्रबंधन, परिचालन नियोजन, परिचालनों का निष्पादन, तथा आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण में कमियाँ उजागर की। लेखापरीक्षा परिणामों पर आगामी प्रस्तारों में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है।

### वित्तीय प्रबंधन

6.11 वित्तीय प्रबंधन एक प्रबंधकीय गतिविधि है जो फर्म के वित्तीय संसाधनों के नियोजन तथा नियंत्रण से सम्बन्धित है। अन्य शब्दों में, यह किसी व्यावसायिक उद्यम के समग्र लक्ष्य को पूरा करने के लिए परिसम्पत्तियों के

<sup>1</sup> 65 फील्ड इकाइयों में से।

<sup>2</sup> चयनित 18 फील्ड इकाइयों द्वारा 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान निष्पादित 585 कार्यों में से।

<sup>3</sup> चयनित 18 फील्ड इकाइयों द्वारा निष्पादित 585 कार्यों पर कंपनी द्वारा 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान किए गए व्यय ₹ 5,399.37 करोड़ में से।

अधिग्रहण, वित्तपोषण तथा प्रबंधन से सम्बन्धित है। वित्तीय प्रबंधन में किसी उपक्रम के वित्तीय उद्देश्यों के अनुरूप उसके वित्तीय संसाधनों के अधिग्रहण तथा उपयोग से सम्बन्धित सभी गतिविधियों का पूर्वानुमान, नियोजन, आयोजन, निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण सम्मिलित है।


कंपनी अवसंरचना विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षणिक संस्थानों तथा सार्वजनिक भवनों सहित विविध क्षेत्रों में निर्माण परियोजनाओं के निष्पादन में संलिप्त है। मुख्य रूप से, कंपनी इन परियोजनाओं को डिपाजिट आधार पर करती है, जिसमें वह विभिन्न राज्य सरकार के विभागों से निधियाँ प्राप्त करती है तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण गतिविधियों का निष्पादन करती है। सार्वजनिक निधियों की अत्यधिक मात्रा में संलिप्तता तथा राज्य की विकास पहलों में कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन सिद्धांतों का अनुपालन सर्वोपरि महत्व प्राप्त कर लेता है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने तथा परियोजना निष्पादन में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए कंपनी हेतु कुशल वित्तीय प्रबंधन प्रथाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

### निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग की स्थिति

**6.11.1** कंपनी की निधियों का मुख्य स्रोत डिपाजिट कार्यों के विरुद्ध ग्राहकों से प्राप्त धनराशि है। कंपनी के वर्किंग मैनुअल का प्रस्तर 137 यह प्रावधानित करता है कि मुख्यालय निष्पादित किए जाने वाले कार्य की प्रत्याशित धनराशि के आधार पर इकाइयों को उनकी मासिक आवश्यकता के अनुसार निधियाँ उपलब्ध कराएगा।

डिपाजिट कार्यों की दशा में निधियों के प्रवाह की प्रक्रिया को चार्ट 6.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.2: निधियों के प्रवाह की प्रक्रिया



स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

अग्रेतर, वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान कंपनी को सौंपे गए डिपाजिट कार्यों के विरुद्ध उक्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त तथा उपयोग की गई निधियों का विवरण तालिका 6.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.4: प्राप्त तथा उपयोग की गई निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान सौंपे गए डिपॉजिट कार्यों की संख्या	कार्यों की स्वीकृत लागत	31 मार्च 2023 तक प्राप्त संचयी निधियाँ	31 मार्च 2023 तक उपयोग संचयी निधियाँ	31 मार्च 2023 को उपलब्ध शेष निधियाँ
2018-19	209	2,956.04	2,142.85	1,868.71	274.14
2019-20	185	1,509.30	1,220.73	1,016.58	204.15
2020-21	128	870.05	513.55	398.10	115.45
2021-22	395	1,437.59	539.49	346.42	193.07
2022-23	275	777.93	270.76	112.20	158.56
<b>योग</b>	<b>1,192</b>	<b>7,550.91</b>	<b>4,687.38</b>	<b>3,742.01</b>	<b>945.37</b>

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा संकलित

तालिका 6.4 से यह देखा जा सकता है कि कंपनी को वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान 1,192 डिपॉजिट कार्य सौंपे गए थे, जिनके विरुद्ध मार्च 2023 तक ₹ 4,687.38 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी। कंपनी द्वारा प्राप्त ₹ 4,687.38 करोड़ में से, ₹ 3,742.01 करोड़ (80 प्रतिशत) का उपयोग मार्च 2023 तक किया गया तथा 31 मार्च 2023 को इन कार्यों के विरुद्ध ₹ 945.37 करोड़ की धनराशि कंपनी के पास उपलब्ध थी।

### बजट प्रक्रिया में कमियाँ

6.11.2 बजट एक निर्धारित अवधि से पूर्व तैयार तथा अनुमोदित मात्रात्मक विवरण होते हैं, जो विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उस अवधि के दौरान अपनाई जाने वाली नीति को रेखांकित करते हैं। बजट किसी संगठन की गतिविधियों की योजना बनाने, समन्वय करने तथा नियंत्रित करने में सुविधा प्रदान करते हैं। कंपनी का वर्किंग मैनुअल प्रावधानित करता है कि प्रत्येक वर्ष जनवरी में मुख्यालय अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा तथा निदेशक बोर्ड उसे मार्च तक अनुमोदित करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक चार वर्षों के लिए बजट 27 सितम्बर 2022 को एक साथ प्रस्तावित किया। वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक तीन वर्षों के बजट प्रस्तावों को एक निरर्थक प्रक्रिया मानते हुए, बीओडी ने इन्हें अनुमोदित नहीं किया। तथापि, उसने छः माह के विलम्ब के उपरांत वर्ष 2022-23 के बजट को अनुमोदित किया। इस प्रकार, वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए कार्य उपयुक्त बजट के अभाव में निष्पादित किए गए, जिसने प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण करने तथा बजटीय नियंत्रण का प्रयोग करने की कंपनी की क्षमता को प्रभावित किया।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि अपरिहार्य कारणों से, वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए बजट समय पर बीओडी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

### **प्राप्त निधियों से अधिक व्यय**

**6.11.3** कंपनी के वर्किंग मैनुअल का प्रस्तर 39 प्रावधानित करता है कि डिपाजिट कार्यों की दशा में, व्यय को उ.प्र. सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा जमा की गई धनराशि तक सीमित रखा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, कंपनी ने ₹ 12,161.02 करोड़ का व्यय करने के उपरांत 1,003 डिपाजिट कार्यों को पूर्ण किया। उपरोक्त में से, 99 कार्यों को कंपनी ने ₹ 1,851.45 करोड़ की प्राप्त निधियों के विरुद्ध ₹ 1,917.25 करोड़ का व्यय करने के उपरांत पूर्ण किया। इस प्रकार, कंपनी ने उक्त कार्यों के विरुद्ध प्राप्त निधियों से ₹ 65.80 करोड़ अधिक व्यय किया था। यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि उपरोक्त 99 कार्यों में से 29 कार्यों में, कंपनी ने स्वीकृत लागत से भी ₹ 15.63 करोड़ अधिक व्यय किया था (स्वीकृत लागत- ₹ 201.05 करोड़ तथा व्यय- ₹ 216.68 करोड़)।

इन 29 कार्यों के प्रकरण में, जहाँ स्वीकृत लागत से भी अधिक व्यय किया गया था, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि सम्बन्धित इकाइयों द्वारा संशोधित प्राक्कलनों के अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयास किए जा हैं।

इन 29 कार्यों के सम्बन्ध में संशोधित स्वीकृतियां प्राप्त करने के प्रयास कंपनी के वर्किंग मैनुअल के प्रस्तर 39 के उल्लंघन को उचित नहीं ठहराते, जो यह अधिदेशित करता है कि व्यय सम्बन्धित विभाग द्वारा जमा की गई निधियों से अधिक नहीं होना चाहिए। अग्रेतर, उत्तर में शेष 70 कार्यों का उल्लेख नहीं किया गया जहाँ व्यय प्राप्त निधियों से अधिक था।

### **अव्ययित निधियाँ ग्राहकों को वापस नहीं की गईं**

**6.11.4** कंपनी के वर्किंग मैनुअल का प्रस्तर 39 प्रावधानित करता है कि डिपाजिट कार्य की पूर्णता के उपरांत, परियोजना पर किए गए कुल व्यय की सूचना सरकार के सम्बन्धित विभाग/अधिकारी को दी जानी है तथा अव्ययित धनराशि, यदि कोई हो, वापस की जानी है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, कंपनी ने 33 पूर्ण किए गए डिपाजिट कार्यों के लेखे बंद किए। इनमें से, 22 डिपाजिट कार्यों को ₹ 52.90 करोड़ की प्राप्त निधियों के विरुद्ध ₹ 51.25 करोड़ का व्यय करने के उपरांत पूर्ण किया गया था। तथापि, ₹ 1.65 करोड़ की अव्ययित शेष धनराशि को कंपनी द्वारा अब तक (मार्च 2023) उ.प्र. सरकार के सम्बन्धित विभागों को वापस नहीं किया गया था।

उत्तर में, सरकार और प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2024) कि लेखों को अन्तिमीकरण के पश्चात् अव्ययित धनराशि सम्बन्धित विभागों को वापस कर दी जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कंपनी इन 22 कार्यों के लेखे पहले ही बंद कर चुकी थी, फिर भी ₹ 1.65 करोड़ की अव्ययित शेष धनराशि सम्बन्धित विभागों को वापस नहीं की गई थी।

### **सरकारी निधियों पर अर्जित ब्याज को कोषागार में जमा नहीं किया गया**

**6.11.5** उ.प्र. सरकार ने विभागों तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को निर्देश<sup>4</sup> दिया (मई 2015) कि वे उसके द्वारा अवमुक्त की गई निधियों पर अर्जित ब्याज को कोषागार में जमा करें।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 मार्च 2023 को, सरकार द्वारा अवमुक्त की गई तथा फील्ड इकाइयों द्वारा रखे गए बैंक खातों में जमा निधियों पर अर्जित ब्याज की ₹ 641.45 करोड़ की धनराशि, यद्यपि कंपनी की पुस्तकों में सरकार के बही खाते में क्रेडिट की गई थी, किंतु वास्तव में कोषागार में जमा नहीं की गई थी। अग्रेतर, कंपनी ने उपरोक्त उ.प्र. सरकार के निर्देश के उल्लंघन में, अपने मुख्यालय के बैंक खातों में जमा निधियों पर अर्जित ब्याज<sup>5</sup>, जिसमें सरकारी निधियों पर अर्जित ब्याज भी सम्मिलित था, को अपनी आय के रूप में माना था।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि सम्बन्धित विभागों की मांग पर ब्याज वापस किया जाता है, जिसमें वर्ष 2018-19 से जून 2024 के मध्य ₹ 62.06 करोड़ वापस किए गए। वित्त सचिव, उ.प्र. सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक (जुलाई 2016) में, कंपनी ने ग्राहक विभागों से बकाया धनराशि को अर्जित ब्याज के विरुद्ध समायोजित करने का अनुरोध किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कंपनी को सरकारी आदेश के अनुसार ब्याज को कोषागार में जमा करना आवश्यक था।

### **मोबिलाइजेशन अग्रिम पर वसूल किए गए ब्याज को सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया**

**6.11.6** कंपनी द्वारा निष्पादित उ.प्र. सरकार के डिपॉजिट कार्यों के कुछ प्रकरणों में, कंपनी ने संविदाकारों को ब्याज युक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम अवमुक्त किए। नमूना जाँच किए गए ऐसे छः कार्यों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने संविदाकारों से मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज के रूप में ₹ 7.47 करोड़ वसूल किए। तथापि, उक्त धनराशि को सरकारी खाते में क्रेडिट करने तथा कोषागार में जमा करने के स्थान पर, कंपनी ने इसे अपनी आय के रूप में माना।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि जिन प्रकरणों में संविदाकार कार्य को बीच में छोड़ देते हैं, उनमें शेष कार्य को मूल संविदाकार

<sup>4</sup> आदेश सं. 10/2015/ए-1-502/10-2015-10(33)2010 दिनांक 29 मई 2015।

<sup>5</sup> वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए ₹ 287.08 करोड़।

द्वारा उपलब्ध करायी गयी अग्रिम बैंक गारंटी को भुना कर तथा मोबिलाइजेशन धनराशि पर अर्जित ब्याज का उपयोग कर अन्य संविदाकार के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। इस प्रकार, मोबिलाइजेशन अग्रिम पर अर्जित ब्याज संविदाकारों द्वारा कार्य को बीच में छोड़ने से उत्पन्न होने वाली वित्तीय हानि के विरुद्ध एक प्रतिभूति है। ऐसी हानियों की प्रतिपूर्ति उ.प्र. सरकार द्वारा नहीं की जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज उ.प्र. सरकार द्वारा अवमुक्त निधियों से अर्जित किया गया है, जिसने समय-समय पर स्पष्ट किया है कि उसकी निधियों पर अर्जित ब्याज को कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। अग्रेतर, संविदाकारों द्वारा कार्य को बीच में छोड़ने के कारण होने वाली वित्तीय हानि परफारमेंस बैंक गारंटी के माध्यम से सुरक्षित होती है न कि मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज द्वारा।

### परिचालन नियोजन

6.12 कंपनी मुख्य रूप से निविदा कार्यों तथा कॉस्ट प्लस सेंटेज/डिपाजिट कार्यों का निष्पादन करती है। निविदा कार्यों में प्रतिस्पर्धी निविदा अथवा ग्राहकों के साथ समझौता वार्ता के माध्यम से निर्धारित तय तथा सहमत इकाई दरों के आधार पर परियोजनाओं का निष्पादन सम्मिलित होता है। कॉस्ट प्लस सेंटेज कार्य, कार्य की वास्तविक लागत एवं उपरिव्यय तथा लाभ के लिए एक अतिरिक्त प्रतिशत के आधार पर किए जाते हैं। डिपाजिट कार्य उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) के विभिन्न विभागों के कार्य हैं जिनका बजटीय वित्तपोषण होता है, कॉस्ट प्लस सेंटेज कार्यों की तरह ही निष्पादित किए जाते हैं।

डिपाजिट कार्य/कॉस्ट प्लस सेंटेज कार्य सामान्यतः कंपनी को नामांकन आधार पर सौंपे/प्रदान किए जाते हैं। यह परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) कार्य निविदा में प्रतिभाग के साथ-साथ नामांकन आधार पर भी प्राप्त करती है।

### कार्यों की प्राप्ति की स्थिति

6.12.1 वर्ष 2018-19 से 2022-23 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान, कंपनी को नामांकन आधार पर ₹ 7,550.91 करोड़ मूल्य के 1,192 डिपाजिट/कॉस्ट प्लस सेंटेज कार्य सौंपे गए तथा उसने निविदा में प्रतिभाग के माध्यम से क्रमशः ₹ 2,814.04 करोड़ तथा ₹ 1,953.06 करोड़ मूल्य के 24 निर्माण कार्य तथा 57 परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य प्राप्त किए, जैसा कि तालिका 6.5 में वर्णित है।

तालिका 6.5: कंपनी को सौंपे/प्रदान किये गए कार्यों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सौंपे गए डिपाजिट/कॉस्ट प्लस सेंटेज कार्यों की संख्या	सौंपे गए डिपाजिट/कॉस्ट प्लस सेंटेज कार्यों की लागत	प्रदान किये गए निविदा कार्यों की संख्या (निर्माण कार्य)	प्रदान किये गए निविदा कार्यों की लागत (निर्माण कार्य)	प्रदान किये गए निविदा कार्यों की संख्या (पीएमसी कार्य)	प्रदान किये गए निविदा कार्यों की लागत (पीएमसी कार्य)
2018-19	209	2,956.04	6	586.76	10	1,098.20
2019-20	185	1,509.30	5	653.58	4	111.94
2020-21	128	870.05	6	940.26	25	522.53

वर्ष	सौंपे गए डिपाजिट/कॉस्ट प्लस सेंटेंज कार्यों की संख्या	सौंपे गए डिपाजिट/कॉस्ट प्लस सेंटेंज कार्यों की लागत	प्रदान किये गए निविदा कार्यों की संख्या (निर्माण कार्य)	प्रदान किये गए निविदा कार्यों की लागत (निर्माण कार्य)	प्रदान किये गए निविदा कार्यों की संख्या (पीएमसी कार्य)	प्रदान किये गए निविदा कार्यों की लागत (पीएमसी कार्य)
2021-22	395	1,437.59	5	349.96	13	193.90
2022-23	275	777.93	2	283.48	5	26.49
योग	1,192	7,550.91	24	2,814.04	57	1,953.06

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यद्यपि कंपनी को सौंपे गए डिपाजिट/ कॉस्ट प्लस सेंटेंज कार्यों की संख्या वर्ष 2018-19 में 209 से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 275 हो गई, किंतु इन कार्यों की स्वीकृत लागत वर्ष 2018-19 में ₹ 2,956 करोड़ से उल्लेखनीय रूप से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹ 777.93 करोड़ हो गई, अर्थात् मूल्य के संदर्भ में लगभग 74 प्रतिशत<sup>6</sup> की कमी, जो यह इंगित करता है कि कंपनी को निम्न टिकट आकार के कार्य सौंपे जा रहे थे। विशेषतः, उ.प्र. सरकार ने दिसम्बर 2019 में कंपनी को नामांकन आधार पर ₹ 50 करोड़ से अधिक के डिपाजिट कार्यों की प्रदानगी वापस ले ली।

कंपनी निविदा में प्रतिभाग के माध्यम से निर्माण तथा पीएमसी कार्यों को प्राप्त करके इस अंतर को प्रभावी रूप से भरने में भी सक्षम नहीं हो सकी। वास्तव में, निर्माण कार्यों का मूल्य वर्ष 2018-19 में ₹ 586.76 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 940.26 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया परंतु वर्ष 2022-23 में यह घटकर पांच वर्षों के न्यूनतम स्तर ₹ 283.48 करोड़ पर आ गया, जो पाँच वर्षों के उच्चतम स्तर से 70 प्रतिशत<sup>7</sup> कम है। इसी प्रकार, पीएमसी कार्यों का मूल्य वर्ष 2018-19 में ₹ 1,098.20 करोड़ से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹ 26.49 करोड़ हो गया, अर्थात् मूल्य के संदर्भ में लगभग 97.59 प्रतिशत<sup>8</sup> की कमी हुई।

इस प्रकार, उ.प्र. सरकार द्वारा बड़े कार्यों के लिए कंपनी के नामांकन की वापसी ने प्रतिस्पर्धी बिडिंग मार्गों के माध्यम से अधिक कार्य प्राप्त करने में इसकी अक्षमता के साथ मिलकर, इसके राजस्व को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि दिसम्बर 2019 से पूर्व, कंपनी के टर्नओवर का 75 प्रतिशत ₹ 50 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का था। वर्तमान में, कंपनी ईपीसी<sup>9</sup> मोड के माध्यम से प्राप्त ₹ 50 करोड़ से अधिक की पाँच परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है, तथा निविदा के माध्यम से बड़ी परियोजनाएं प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

<sup>6</sup> (₹ 2,956 करोड़ - ₹ 777.93 करोड़)/ ₹ 2,956 करोड़।

<sup>7</sup> (₹ 940.26 करोड़ - ₹ 283.48 करोड़)/ ₹ 940.26 करोड़।

<sup>8</sup> (₹ 1,098.20 करोड़ - ₹ 26.49 करोड़)/ ₹ 1,098.20 करोड़।

<sup>9</sup> इंजिनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, एण्ड कन्स्ट्रक्शन।

### निविदा प्रक्रिया में कमियाँ

6.12.2 कंपनी के वर्किंग मैनुअल का प्रस्तर 32 यह प्रावधानित करता है कि कंपनी निविदा कार्यों का निष्पादन करेगी, जो कुछ निश्चित नियमों एवं शर्तों के आधार पर कार्य की प्रत्येक मद के लिए किसी निश्चित तथा सहमत इकाई दर पर किए जाएंगे। यह दरें ग्राहक द्वारा प्रतिस्पर्धी निविदा के आधार पर अथवा ग्राहक के साथ समझौता वार्ता के आधार पर हो सकती हैं। निविदा कार्यों को प्राप्त करने के लिए महाप्रबंधक (संविदा) के अधीन कंपनी का अपना स्वयं का संविदा प्रभाग है।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा प्रतिभाग की गई ₹ 47,396.48 करोड़ मूल्य की 266 वैध<sup>10</sup> निविदाओं में से, यह ₹ 23,773.02 करोड़ मूल्य की 70 निविदाओं में तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित की गई तथा ₹ 18,856.36 करोड़ मूल्य की 115 निविदाओं में, यह न्यूनतम बिडर नहीं थी। यह ₹ 4,767.10 करोड़ मूल्य की 81 निविदाओं को प्राप्त करने में सफल रही, जिसका वर्षवार विवरण तालिका 6.6 में वर्णित है।

तालिका 6.6: कंपनी द्वारा निविदा में प्रतिभाग किये जाने का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कार्य की प्रकृति	वैध निविदाओं में प्रतिभाग		प्रदान की गयी निविदाएँ			
		संख्या	मूल्य	संख्या	प्रतिशत	मूल्य	प्रतिशत
2018-19	निर्माण	45	10,175.41	6	13.33%	586.76	5.77%
	पीएमसी	22	3,373.02	10	45.45%	1,098.20	32.56%
	<b>योग</b>	<b>67</b>	<b>13,548.43</b>	<b>16</b>	<b>23.88%</b>	<b>1,684.96</b>	<b>12.44%</b>
2019-20	निर्माण	35	9,153.05	5	14.29%	653.58	7.14%
	पीएमसी	12	2,735.44	4	33.33%	111.94	4.09%
	<b>योग</b>	<b>47</b>	<b>11,888.49</b>	<b>9</b>	<b>19.15%</b>	<b>765.52</b>	<b>6.44%</b>
2020-21	निर्माण	42	7,896.75	6	14.29%	940.26	11.91%
	पीएमसी	30	1,177.43	25	83.33%	522.53	44.38%
	<b>योग</b>	<b>72</b>	<b>9,074.18</b>	<b>31</b>	<b>43.06%</b>	<b>1,462.79</b>	<b>16.12%</b>
2021-22	निर्माण	28	7,761.09	5	17.86%	349.96	4.51%
	पीएमसी	26	2,480.71	13	50.00%	193.90	7.82%
	<b>योग</b>	<b>54</b>	<b>10,241.80</b>	<b>18</b>	<b>33.33%</b>	<b>543.86</b>	<b>5.31%</b>
2022-23	निर्माण	16	2,139.27	2	12.50%	283.48	13.25%
	पीएमसी	10	504.31	5	50.00%	26.49	5.25%
	<b>योग</b>	<b>26</b>	<b>2,643.58</b>	<b>7</b>	<b>26.92%</b>	<b>309.97</b>	<b>11.73%</b>
<b>योग</b>	निर्माण	166	37,125.57	24	14.45%	2,814.04	7.58%
	पीएमसी	100	10,270.91	57	57.00%	1,953.06	19.02%
	<b>महायोग</b>	<b>266</b>	<b>47,396.48</b>	<b>81</b>	<b>30.45%</b>	<b>4,767.10</b>	<b>10.06%</b>

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

तालिका 6.6 से यह स्पष्ट है कि कंपनी का निविदाओं में वार्षिक प्रतिभाग वर्ष 2022-23 में 26 निविदाओं (न्यूनतम) से लेकर वर्ष 2020-21 में 72 निविदाओं

<sup>10</sup> प्रकाशित की गयी ₹ 53,509.52 मूल्य की 305 निविदाओं में से, ₹ 6,113.04 करोड़ मूल्य की 39 निविदाएं बाद में ग्राहकों द्वारा रद्द/वापस ले ली गयी थी।

(उच्चतम) के मध्य परिवर्तित होता रहा, जिसके विरुद्ध प्रदान की गई निविदाएं क्रमशः वर्ष 2022-23 तथा 2020-21 में सात निविदाएं (न्यूनतम) तथा 31 निविदाएं (उच्चतम) थीं। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के पाँच वर्षों के लिए समग्र आधार पर, कंपनी ने संख्या के संदर्भ में 30.45 प्रतिशत निविदाएं (निर्माण कार्य - 14.45 प्रतिशत; तथा पीएमसी कार्य - 57 प्रतिशत) तथा मूल्य के संदर्भ में 10.06 प्रतिशत निविदाएं (निर्माण कार्य - 7.58 प्रतिशत; तथा पीएमसी कार्य - 19.02 प्रतिशत) प्राप्त कीं। संख्या के संदर्भ में सफल निविदाओं के प्रतिशत (30.45 प्रतिशत) तथा सफल निविदा मूल्य के प्रतिशत (10.06 प्रतिशत) के मध्य अंतर यह संकेत करता है कि कंपनी उच्च-मूल्य की परियोजनाओं की तुलना में निम्न-मूल्य की परियोजनाओं के लिए निविदाओं को प्राप्त करने में अधिक सफल रही है। अग्रेतर, निर्माण कार्यों के लिए सफल निविदाओं के प्रतिशत (14.45 प्रतिशत) तथा पीएमसी कार्यों के लिए सफल निविदाओं के प्रतिशत (57 प्रतिशत) के मध्य अंतर यह इंगित करता है कि कंपनी की सफलता दर निर्माण कार्यों की तुलना में पीएमसी कार्यों को प्राप्त करने में उच्चतर है। इस प्रकार, कंपनी निर्माण निविदाओं तथा उच्च-मूल्य के कार्यों की तुलना में पीएमसी तथा लघु-मूल्य के कार्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल रही।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विस्तृत रूप से जाँची गई 14 अयोग्य घोषित निविदाओं में से, सात निविदाओं में कंपनी को अपर्याप्त प्रपत्र<sup>11</sup> प्रस्तुत करने के कारण अयोग्य घोषित किया गया, जबकि शेष सात निविदाओं में इसे ग्राहकों द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका की अवसंरचना समिति<sup>12</sup> द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने के कारण अयोग्य घोषित किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 187.16 करोड़ मूल्य की दो निविदाओं में, कंपनी ने न्यूनतम दरें उद्धृत कीं, परंतु आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण अयोग्य घोषित की गई, जबकि ₹ 1,166.95 करोड़ मूल्य की चार निविदाओं में, यह न्यूनतम बिडर थी परंतु अधीनस्थ न्यायपालिका की अवसंरचना समिति द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने के कारण अयोग्य घोषित की गई। इस प्रकार के एक प्रकरण<sup>13</sup> में, ग्राहक ने इंटिग्रिटी पैकट की शर्तों के उल्लंघन के लिए ₹ 1.93 करोड़ की अर्नेस्ट मनी भी भुना ली। इस प्रकार, सबसे प्रतिस्पर्धी बिडर होने के बावजूद, कंपनी ने कमजोर प्रलेखन तथा ब्लैकलिस्ट किए जाने के कारण उल्लेखनीय अवसर गंवा दिए।

<sup>11</sup> अद्यतन दाखिल जीएसटी विवरणी की पावती, प्रमाणपत्र, विद्युत लाइसेंस, प्रस्तावित कार्यप्रणाली तथा निर्माण कार्यक्रम का विवरण, जीएसटी अनापति प्रमाणपत्र तथा आईटीआर, समान प्रकृति के कार्यों से सम्बन्धित कार्य पूर्णता का अभिलेखीय प्रमाण, वार्षिक प्रतिवेदन/लेखापरीक्षित प्रतिवेदन, आदि।

<sup>12</sup> माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में सीसीटीवी स्थापना के सम्बन्ध में निम्न-गुणवत्ता के कार्य के निष्पादन के कारण 27 फरवरी 2020 को।

<sup>13</sup> होलोंगी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में नए ग्रीनफील्ड एअरपोर्ट का निर्माण जो ₹ 167.56 करोड़ पर प्राक्कलित था।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने वाले अपने संकल्प पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

### **संस्तुति**

कंपनी बिड प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु, ऐसे प्रपत्र जिनकी आवश्यकता बार-बार पड़ती है, का एक केंद्रीकृत संग्रह बनाए रख सकती है तथा सभी निविदाओं के लिए एक कठोर आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया स्थापित कर सकती है।

कंपनी ब्लैकलिस्ट किए जाने के विषयको सुलझाने हेतु एक व्यापक कार्ययोजना विकसित तथा कार्यान्वित कर सकती है।

### **समय-सीमा तथा माइलस्टोन का अभाव**

6.12.3 सरकारी विभागों/ग्राहकों द्वारा कंपनी को डिपॉजिट कार्य सौंपते समय निर्गत किए गए प्रशासनिक आदेश कोई कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि अथवा मध्यवर्ती माइलस्टोन निर्दिष्ट नहीं करते थे। तदनुसार, परियोजना माइलस्टोन से जुड़ी कोई निधि अवमुक्त करने की समय-सारणी अंतिमिकृत नहीं की गई थी। ऐसी समय-सीमाओं के अभाव में, कंपनी ने अपने स्वयं के आकलन के आधार पर कार्य पूर्णता की तिथि निर्धारित की तथा इन तिथियों को प्रत्याशित कार्य पूर्णता तिथि तक संशोधित किया। कंपनी पर विलम्ब हेतु कोई अनुबंधित बाध्यता अथवा परिणाम नहीं थे। यह प्रथा न केवल कमजोर प्रारंभिक नियोजन को प्रतिबिम्बित करती है, बल्कि जवाबदही को भी कमजोर करती है, क्योंकि विलम्ब के लिए कोई दण्ड अथवा समय पर कार्य पूर्ण के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने प्रेक्षण में उल्लिखित तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) तथा बताया कि कार्यों के लिए निधियाँ आगामी वित्तीय वर्ष के बजट के माध्यम से वार्षिक रूप से आवंटित की जाती हैं। कार्य की पूर्णता के लिए समय-सीमा/बार चार्ट/माइलस्टोन उप-संविदाकार के साथ निष्पादित समझौते में विहित किए जाते हैं, तथा कार्य तदनुसार निष्पादित किया जाता है। ग्राहक विभाग भी बार चार्ट/निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कार्य की समीक्षा करता है। किसी भी विलम्ब के लिए, अनुबंध की शर्तों के अनुसार संविदाकार पर दण्ड अधिरोपित किया जाता है। समय पर निधियों की प्राप्ति न होने के कारण भी समय तथा लागत में वृद्धि होती है।

तथ्य यथावत कि सरकार/ग्राहकों ने परियोजनाओं के लिए समयसीमाएं तथा माइलस्टोन निर्धारित नहीं किए। परिणामस्वरूप, विलम्ब के लिए कंपनी पर उत्तरदायित्व तथा जवाबदेहिता निर्धारित करके समय पर सुपुर्दगी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

## संस्तुति

सरकारी विभाग/ग्राहक कंपनी द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजनाओं के लिए अपने प्रशासनिक आदेशों में कार्य पूर्णता की यथार्थवादी समय-सारणियाँ, स्पष्ट रूप से परिभाषित मध्यवर्ती माइलस्टोन तथा विलम्ब से बचने हेतु दण्ड/प्रोत्साहन के प्रावधानों सहित, निर्धारित कर सकते हैं।

### तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निर्माण कार्य का प्रारम्भ

6.12.4 कंपनी के वर्किंग मैनुअल का प्रस्तर 320 (24), उ.प्र. सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI के प्रस्तर 318 के साथ पठित, यह प्रावधानित करता है कि प्रत्येक कार्य (लघु कार्यों, लघु मरम्मतों तथा मरम्मतों को छोड़कर जिनके लिए एकमुश्त प्रावधान स्वीकृत किया गया है) जिसे किसी सरकारी विभाग द्वारा निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है, के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के लिए एक विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए। इस स्वीकृति को प्राक्कलन की 'तकनीकी स्वीकृति' के रूप में जाना जाता है, तथा यह इस बात की गारंटी है कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ हैं तथा प्राक्कलन सटीक रूप से परिकलित हैं व पर्याप्त आंकड़ों पर आधारित हैं। तकनीकी स्वीकृति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त की जानी चाहिए।

₹ 3,939.08 करोड़ मूल्य के 57 डिपॉजिट/कॉस्ट प्लस सेंटेज कार्यों की विस्तृत जाँच ने निम्नलिखित तथ्य उजागर किए:

- ₹ 1,880.73 करोड़ मूल्य के 23 कार्यों (40 प्रतिशत) को ही कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- ₹ 2,016.68 करोड़ मूल्य के 27 कार्यों (47 प्रतिशत) के प्रकरण में, तकनीकी स्वीकृति कार्य के प्रारम्भ होने के एक से 86 माह उपरांत प्रदान की गई थी।
- ₹ 41.67 करोड़ मूल्य के सात कार्यों (13 प्रतिशत) के प्रकरण में, अब तक (मार्च 2023) तकनीकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। उपर्युक्त सात कार्यों में से, ₹ 21.70 करोड़ मूल्य के तीन कार्य पहले ही पूर्ण हो चुके थे।

इस प्रकार, कंपनी ने यह सुनिश्चित किए बिना कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ हैं तथा प्राक्कलन सटीक रूप से परिकलित हैं व पर्याप्त आंकड़ों पर आधारित हैं, ₹ 2,058.35 करोड़ मूल्य के 34 कार्य (60 प्रतिशत) प्रारम्भ किए (परिशिष्ट 6.2)।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि उ.प्र. सरकार के दबाव के कारण तकनीकी स्वीकृतियों के बिना कार्य प्रारम्भ किए गए, तथा यह कंपनी के वर्किंग मैनुअल के प्रस्तर 34 के अधीन अनुमत था। कुछ विशेष प्रकरणों को छोड़कर, तकनीकी स्वीकृतियाँ कार्यों के निष्पादन के दौरान प्रदान की गईं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी के वर्किंग मैनुअल का प्रस्तर 34 प्राक्कलनों से सम्बन्धित है तथा इस विषय पर उ.प्र. सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका के

प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकता। अग्रेतर, कंपनी के वर्किंग मैनुअल के अध्याय XV का प्रस्तर 320 (24) उ.प्र. सरकार के विनियमों को पुनः दोहराता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने प्रेक्षण में चिन्हांकित किए गए प्रकरणों के लिए कोई स्वीकृति विवरण प्रदान नहीं किया।

### **पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के बिना निर्माण प्रारम्भ करना**

**6.12.5** पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार (जीओआई) की अधिसूचना (सितम्बर 2006) यह प्रावधानित करती है कि ऐसी अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में सूचीबद्ध प्रवर्ग 'ख' की परियोजनाओं के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति आवश्यक होगी। 20,000 वर्ग मीटर से 1,50,000 वर्ग मीटर के मध्य निर्मित क्षेत्र वाली भवन तथा निर्माण परियोजनाएं प्रवर्ग 'ख' के अधीन आती हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने 12 कार्यों (**परिशिष्ट 6.3**), जिनमें प्रत्येक का निर्मित क्षेत्र 20,000 वर्ग मीटर से अधिक था, पर सम्बन्धित एसईआईएए से अपेक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किए बिना निर्माण प्रारम्भ किया। इन 12 कार्यों में से, सात प्रकरणों में पर्यावरणीय अनापत्ति 16 से 35 माह के विलम्ब के उपरांत प्राप्त की गई। कंपनी ने पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने से पूर्व इन कार्यों पर ₹ 932.95 करोड़ का व्यय किया। शेष पांच कार्यों में, कंपनी ने पर्यावरणीय अनापत्ति के बिना मार्च 2023 तक ₹ 1,150.66 करोड़ का व्यय पहले ही कर दिया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि रांची में 100 शैय्या ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण, उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त न करने के कारण, रांची नगर निगम के नोटिस के उपरांत (नवम्बर 2022) रोकना पड़ा।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि पाँच प्रकरणों में एसईआईएए से पर्यावरणीय अनापत्ति विलम्ब से प्राप्त की गई है, तथा सात प्रकरणों में यह अभी तक प्राप्त की जानी है। बाद में, प्रबंधन ने लंबित सात प्रकरणों में से दो और प्रकरणों के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति उपलब्ध करायी (जुलाई 2024)।

### **कंपनी की दक्षता के कारण बचत की कटौती न करने के कारण गलत प्राक्कलन**

**6.12.6** कंपनी के वर्किंग मैनुअल का प्रस्तर 40 यह प्रावधानित करता है कि डिजाइट/कॉस्ट प्लस सेंटेज कार्यों की दशा में, कुल लागत से पाँच प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए, क्योंकि यह अपेक्षा की जाती है कि कंपनी द्वारा निर्माण की लागत पीडब्लूडी/सीपीडब्लूडी, जिनके कार्य संविदाकारों द्वारा किए जाते हैं, की दर अनुसूची से पाँच प्रतिशत सस्ती होगी। इसके उपरांत, सम्बन्धित ग्राहक विभाग द्वारा स्वीकृति के लिए अंतिम प्राक्कलित लागत पर पहुंचने के लिए समय-समय पर यथानिर्धारित सेंटेज को जोड़ा जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन कार्यों<sup>14</sup> के लिए तैयार किए गए प्रारंभिक प्राक्कलनों में, कंपनी ने कुल लागत से पाँच प्रतिशत की कटौती नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप प्राक्कलित लागत ₹ 302.78 करोड़ के स्थान पर ₹ 318.72 करोड़ हो गयी। यद्यपि ग्राहक के लिए अंतिम लागत कंपनी द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित की जाती है, यह गलत लागत प्राक्कलन ग्राहकों को प्रत्याशित परियोजना लागत के सम्बन्ध में मिथ्या प्रस्तुति है, जो सम्भवतः उनके बजटीय आवंटन तथा वित्तीय नियोजन को प्रभावित कर सकती है। यह कार्यों को संविदाकारों से पाँच प्रतिशत सस्ता निष्पादित करने के सिद्धांत के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता पर भी प्रश्न उठाती है, क्योंकि इस कटौती के अभाव में, कंपनी के लिए लागत दक्षता प्राप्त करने का कोई स्व-आरोपित लक्ष्य नहीं है, जिससे कंपनी को कार्य सौंपने का उद्देश्य विफल हो जाता है।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि पाँच प्रतिशत की कटौती लागू नहीं की गई क्योंकि ग्राहक विभाग ने मात्र 6.5 प्रतिशत की दर से सेंटेज प्रदान किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निम्न सेंटेज शुल्क उस पाँच प्रतिशत की कटौती से असम्बद्ध है जो कंपनी से अपेक्षित लागत दक्षता को प्रतिबिम्बित करती है।

### परिचालनों का निष्पादन

**6.13** कंपनी निर्माण परियोजनाओं का निष्पादन या तो 'पीस रेटेड वर्किंग' प्रणाली के अंतर्गत अपने स्वयं के तकनीकी कर्मचारियों तथा कार्यबल का उपयोग करके अथवा उप-संविदा आधार पर करती है। पीस रेटेड वर्किंग प्रणाली के अंतर्गत, सामग्री सीधे कंपनी द्वारा क्रय की जाती है, तथा पीस रेटेड वर्कर्स (पीआरडब्ल्यू) को निष्पादन के आधार पर श्रमिकों का प्रबंधन तथा भुगतान करने के लिए नियुक्त किया जाता है। उप-संविदा के अंतर्गत, कार्य को आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः निविदा प्रक्रिया के माध्यम से उप-संविदाकारों को प्रदान किया जाता है।

#### **बिड प्रस्तुत करने हेतु अपर्याप्त समय**

**6.13.1** कंपनी के वर्किंग मैनुअल का प्रस्तर 473 यह प्रावधानित करता है कि बड़ी निविदाओं, अर्थात् ₹ 50 लाख से अधिक, की दशा में, बिड प्रथम विज्ञापन अथवा नोटिस की तिथि के कम से कम एक माह उपरांत खोली जानी चाहिए। इसी प्रकार, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI का प्रस्तर 360 (2), कंपनी का कार्यालय ज्ञापन दिनांक 9 जून 2015, तथा सीवीसी दिशानिर्देश भी यह विहित करते हैं कि बिड प्रस्तुत करने हेतु समय प्रथम विज्ञापन की तिथि के कम से कम एक माह उपरांत होना चाहिए।

<sup>14</sup> राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा का निर्माण; मुन्सियारी में मिनी टेक्सटाइल हब हेतु अवसंरचनात्मक विकास कार्यों का निर्माण; एवं राजकीय नर्सिंग कॉलेज, अल्मोड़ा का निर्माण।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 12 निविदाओं/उप-निविदाओं में, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹ 50 लाख से अधिक था तथा कुल मिलाकर ₹ 968.61 करोड़ था, बिड की प्रस्तुति हेतु अनुमत समय मात्र आठ से 29 दिनों तक था, जैसा कि **परिशिष्ट 6.4** में वर्णित है, जो उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के अनुसार, ₹ दो करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए निविदा के प्रचार की समय सीमा 14 दिन है। कुछ प्रकरणों में, कार्य की तात्कालिकता के कारण नोटिस अवधि कम थी। दो प्रकरणों में, प्रकाशित निविदा में संशोधन हुए थे, तथा प्रारंभिक एवं संशोधित प्रकाशन पर विचार करने के उपरांत, अनुमत समय न्यूनतम अनुमत समय से अधिक था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी को सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के स्थान पर उ.प्र. सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका के साथ-साथ अपने परिपत्रों तथा वर्किंग मैनुअल का अनुपालन करना आवश्यक था। निविदा में तात्कालिकता प्रतिस्पर्धा को सीमित करती है। अग्रेतर, प्रारंभिक प्रकाशन का संशोधन, प्रारंभिक प्रकाशन तथा संबद्ध समयसीमा को शून्य तथा व्यर्थ बना देता है।

**कार्य आदेशों के निर्गमन के माध्यम से कार्यों को अनियमित रूप से सबलेट किया जाना**

**6.13.2** कंपनी का वर्किंग मैनुअल मुख्य रूप से 'पीस रेटेड वर्किंग' प्रणाली के अंतर्गत मशीनों, उपकरणों, सामग्रियों के क्रय, तथा श्रमिकों की नियुक्ति करके अपने स्वयं के तकनीकी कर्मचारियों एवं कार्यबल के माध्यम से परियोजनाओं के निष्पादन का प्रावधान करता है।

किसी विशेष कार्य की दशा में, जिसे कंपनी सीधे करने की स्थिति में नहीं है, अथवा प्रबंध निदेशक द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किन्हीं अन्य विशेष कारणों की दशा में, प्रबंध निदेशक पीस रेटेड वर्किंग प्रणाली के स्थान पर कुछ कार्यों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से उप-संविदा आधार पर करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं, तथा इसे अगली बोर्ड बैठक में निदेशक बोर्ड (बीओडी) के संज्ञान लायेंगे। ऐसे प्रकरणों में, एक समुचित निविदा प्रक्रिया का पालन करना होगा। निविदा के उपरांत इकाई प्रभारी तथा महाप्रबंधक क्रमशः ₹ 40 लाख तक तथा ₹ 40 लाख से अधिक मूल्य के अनुबंध बांड निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पाँच कार्यों में, इकाई प्रभारियों ने सामग्री, औजार, संयंत्र, मशीनरी की आपूर्ति के साथ-साथ श्रमिकों की नियुक्ति सहित कार्य की पूर्ण मर्दों के लिए कुल मिलाकर ₹ 1,047.67 करोड़ (जैसा कि **परिशिष्ट 6.5** में वर्णित है) के 52 कार्य आदेश निर्गत किए, जो कार्यों के सबलेटिंग/उप-संविदा को इंगित करता है। तथापि, इन प्रकरणों में प्रबंध निदेशक का प्राधिकार नहीं प्राप्त किया गया तथा बीओडी को सूचना नहीं दी गयी। इसके अतिरिक्त, खुली निविदाएं आमंत्रित करने के स्थान पर, सभी 52 कार्य आदेश इकाई प्रभारियों

द्वारा सूचीबद्ध संविदाकारों से कोटेशन आमंत्रित करने के उपरांत निर्गत किए गए। विशेषतः, ऐसे 49 कार्य आदेश मूल्य में ₹ 40 लाख से अधिक से लेकर ₹ 75 करोड़ तक थे तथा शक्ति प्रत्यायोजन के अनुसार इकाई प्रभारी के स्थान पर महाप्रबंधक द्वारा निर्गत किए जाने चाहिए थे।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब से भारी दण्ड लगता इसलिए कार्यों को सबलेट किया गया था। उन्होंने अग्रेतर यह बताया कि उपरोक्त वर्णित तरीके से कार्य को निष्पादित करने का कारण आवश्यक कर्मचारियों एवं मशीनरी की कमी, तथा कठिन भौगोलिक स्थितियाँ जैसी बाधाएं थीं। एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अगस्त 2024) के दौरान, विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. सरकार, तथा कंपनी के प्रबंध निदेशक इस प्रकरण की जाँच-पड़ताल करने के लिए सहमत हुए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उद्धृत बाधाएं कंपनी की स्थापित प्रक्रियाओं को दरकिनारा करने का औचित्य सिद्ध नहीं करती हैं। वर्किंग मैनुअल उप-संविदा के लिए प्रबंध निदेशक के प्राधिकार तथा बोर्ड को बाद में सूचना देना से स्पष्ट रूप से अभीष्ट करता है, जो प्राप्त नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, समुचित प्राधिकार के बिना ₹ 40 लाख से अधिक के कार्य आदेश निर्गत करना शक्ति प्रत्यायोजन का उल्लंघन है, जो क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को कमजोर करता है।

### **अयोग्य एजेंसियों को उप-संविदा**

**6.13.3** लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), मेघालय सरकार (जीओएम) ने शिलांग में ₹ 105.59 करोड़ के नए मेघालय विधानसभा भवन के निर्माण हेतु बिड आमंत्रित किए (सितम्बर 2018)। निविदा में प्रतिभाग करने वाले चार बिडरों<sup>15</sup> में से, एक बिडर को तकनीकी बिड की हार्ड कॉपी प्रस्तुत न करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया, तथा दो बिडरों ने पिछले सात वर्षों के दौरान समान कार्यों (गुंबद/उल्लेखनीय स्थापत्य विशेषता वाले प्रमुख सरकारी भवन) को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अर्हता मानदंड को पूरा नहीं किया। कार्य एकमात्र अर्ह बिडर, अर्थात् कंपनी को ₹ 127.76 करोड़ की लागत पर इस शर्त के साथ प्रदान किया गया (मार्च 2019) कि डिजाइन कार्य को छोड़कर, उप-संविदा, अनुबंध मूल्य के 40 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने पीडब्ल्यूडी, जीओएम के साथ निष्पादित समझौते के उल्लंघन में, तीन कार्य आदेशों के माध्यम से दो फर्मों<sup>16</sup> को ₹ 106.57 करोड़ मूल्य के कार्य, अर्थात् अनुबंध मूल्य का 83 प्रतिशत, उप-संविदा पर दिए (जून-जुलाई 2019)। विशेषतः, इन दो उप-संविदाकारों ने

<sup>15</sup> श्री गौतम कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, बट्टी राय एण्ड कंपनी, यूपीआरएनएल, तथा शिवा एंटरप्राइज।

<sup>16</sup> बट्टी राय एण्ड कंपनी (₹ 85.03 करोड़ मूल्य के दो कार्य आदेश) तथा शिवा एंटरप्राइज (₹ 21.54 करोड़ मूल्य का एक कार्य आदेश)।

पीडब्ल्यूडी, जीओएम द्वारा आमंत्रित बिड में प्रतिभाग किया था, जहाँ एक को तकनीकी बिड की हार्ड कॉपी प्रस्तुत न करने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था, तथा दूसरे ने पिछले सात वर्षों के दौरान समान कार्यों (गुंबद/उल्लेखनीय स्थापत्य विशेषता वाले प्रमुख सरकारी भवन) को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अर्हता मानदंड को पूरा नहीं किया था।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि उप-संविदाकार बाद के चरण में योग्य हो गया, क्योंकि कंपनी द्वारा योग्यता हेतु तैयार की गई शर्तें पीडब्ल्यूडी, जीओएम द्वारा तैयार की गई शर्तों से भिन्न थीं। अग्रेतर, कंपनी ग्राहक के साथ समझौते की शर्तों के उल्लंघन में नहीं है, क्योंकि किसी एक संविदाकार को 40 प्रतिशत से अधिक का कार्य प्रदान नहीं किया गया है।

उत्तर इस बात को चिन्हांकित करता है कि पीडब्ल्यूडी, जीओएम द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार तकनीकी रूप से अयोग्य संविदाकार कंपनी द्वारा निर्धारित तकनीकी मानदण्ड को आसानी से पूर्ण कर सका। अग्रेतर, बिडिंग दस्तावेज के क्लॉज 39.1 के अनुसार, उप-संविदा (डिजाइन कार्य को छोड़कर) अनुबंध मूल्य के 40 प्रतिशत तक सीमित होना था। इसका अभिप्राय यह है कि 40 प्रतिशत की सीमा अनुबंध के अंतर्गत समग्र उप-संविदा पर लागू होती है न कि उप-संविदाकार-वार; अन्यथा, यह संपूर्ण कार्य को उप-संविदा पर देना अनुमत कर देगा। वास्तव में, दो उप-संविदाकारों में से एक को कुल मिलाकर ₹ 85.03 करोड़ के दो कार्य आदेश प्रदान किए गए, जो अनुबंध मूल्य का 66.55 प्रतिशत है।

#### **अग्रिमों को अनियमित रूप से अवमुक्त करना**

**6.13.4** कंपनी के वर्किंग मैनुअल का प्रस्तर 553 एक औपचारिक समझौते के माध्यम से सामग्रियों पर धारणाधिकार सुरक्षित करने के उपरांत उप-संविदाकारों को कार्यस्थल पर लाई गई सामग्री के वर्तमान मूल्य के 75 प्रतिशत तक के अग्रिम अवमुक्त करने का प्रावधान करता है। अग्रेतर, वर्किंग मैनुअल का प्रस्तर 558 तात्कालिक प्रकरणों में उप-संविदाकारों को किए गए कार्य के लिए, परंतु जिसका माप नहीं किया गया हो तथा बीजक तैयार नहीं किया गया हो, किए गए कार्य के परिमाणीकरण तथा कंपनी के अभियंता से इसके प्रमाणन के उपरांत अग्रिम अनुमत करता है। अगस्त 2020 में, बीओडी ने किए गए परंतु मापे नहीं गए कार्य के विरुद्ध अग्रिम अवमुक्त करने के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रावधान को हटा दिया।

लेखापरीक्षा ने अग्रिमों को अवमुक्त करने में निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

- कंपनी ने, तीन कार्यों में, तीन उप-संविदाकारों को आपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के उप-संविदाकारों के अनुरोध के विरुद्ध कोई बैंक गारंटी/प्रतिभूति (जैसा कि परिशिष्ट 6.6 में वर्णित है) प्राप्त किए बिना ₹ 20.40 करोड़ के अग्रिम अवमुक्त किए (जून 2016 से मई 2019), जबकि कंपनी के वर्किंग मैनुअल में ऐसे अग्रिमों को अवमुक्त करने हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अगस्त 2024) के दौरान, सरकार तथा प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा उपयुक्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

- कंपनी ने, चार कार्यों में, सामग्रियों पर धारणाधिकार सुरक्षित करने हेतु औपचारिक समझौता निष्पादित किए बिना आपूर्तित सामग्रियों के विरुद्ध (जैसा कि **परिशिष्ट 6.7** में वर्णित है) छः उप-संविदाकारों को ₹ 18.47 करोड़ के अग्रिम अवमुक्त किए (मार्च 2015 से अगस्त 2021)।

अपने उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया कि सम्बन्धित अभियंताओं की अनुशंसा पर आपूर्तित सामग्रियों के मूल्यांकन उपरांत अग्रिम दिए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी को सामग्रियों, जिनके विरुद्ध अग्रिम अवमुक्त किए गए थे, पर धारणाधिकार सुरक्षित करने के लिए एक औपचारिक समझौता निष्पादित करना चाहिए था, जो इसके द्वारा नहीं किया गया।

- कंपनी ने 15 कार्यों में, किए गए कार्य के परिमाणीकरण तथा कंपनी के अभियंता से प्रमाणन के बिना, किए गए परंतु मापे नहीं गए कार्य के विरुद्ध 14 उप-संविदाकारों को ₹ 245.71 करोड़ के अग्रिम अवमुक्त (अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2023) किए (जैसा कि **परिशिष्ट 6.8** में वर्णित है)। इनमें से, पाँच कार्यों में, कंपनी ने पाँच उप-संविदाकारों को ₹ 150.65 करोड़ के अग्रिम अनियमित रूप से अवमुक्त किए (सितम्बर 2020 से अक्टूबर 2023), जबकि किए गए परंतु मापे नहीं गए कार्य के विरुद्ध अग्रिम अवमुक्त करने से सम्बन्धित प्रावधान को बीओडी द्वारा अगस्त 2020 में हटा दिया गया था।

विशेषतः, एक कार्य<sup>17</sup> में उप-संविदाकार<sup>18</sup> को चतुर्थ चालू बीजक में मात्र ₹ 2.78 करोड़ की धनराशि के विरुद्ध कुल मिलाकर ₹ 5.90 करोड़ के अग्रिम अवमुक्त किए गए (अप्रैल-अगस्त 2015)। अग्रेतर, एक अन्य कार्य<sup>19</sup> में ₹ 81.86 करोड़ मूल्य के अनुबंध तथा मात्र ₹ 33.38 करोड़ मूल्य के किए गए कार्य के विरुद्ध, कंपनी ने उप-संविदाकार<sup>20</sup> को कुल मिलाकर ₹ 89.89 करोड़ के अग्रिम अवमुक्त किए (दिसम्बर 2022 से अक्टूबर 2023)। वास्तविक रूप से निष्पादित कार्य से अधिक अग्रिम अवमुक्त करना संविदात्मक तथा वित्तीय अनुशासन के अनुपालन के सम्बन्ध में गंभीर चिंताएं उत्पन्न करता है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अगस्त 2024) के दौरान, सरकार तथा प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा उपयुक्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

### **मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की कम वसूली**

**6.13.5** उप-संविदाकारों के साथ निष्पादित समझौतों के नियम एवं शर्तों के अनुसार, संविदाकारों को ब्याज सहित मोबिलाइजेशन अग्रिम देय था।

<sup>17</sup> राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सोनभद्र का निर्माण।

<sup>18</sup> कॉम्ट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

<sup>19</sup> श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज, समस्तीपुर का निर्माण।

<sup>20</sup> माँ वैष्णो इंफ्राकॉन्ट्रैक्ट।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी द्वारा तीन कार्यों<sup>21</sup> हेतु उप-संविदाकारों को अवमुक्त किए गए कुल ₹ 30.75 करोड़ के ब्याज सहित मोबिलाइजेशन अग्रिमों पर ₹ 4.97 करोड़ की ब्याज की कम वसूली हुई थी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अगस्त 2024) के दौरान, सरकार तथा प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए अपने कार्मिकों को ब्याज की वसूली के निर्देश दिये।

### **प्रतिभूति जमा की कम कटौती**

**6.13.6** कंपनी द्वारा निर्गत (जून 2015) निविदा दिशानिर्देशों के अनुसार, सफल बिडरों को अनुबंध मूल्य की पाँच प्रतिशत की दर से निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करना आवश्यक था। अग्रेतर, सफल बिडर के प्रत्येक चालू बीजक से सकल धनराशि के पाँच प्रतिशत की दर से प्रतिभूति जमा काटी जानी चाहिए थी।

इसी प्रकार, यूपीपीडब्ल्यूडी के मॉडल बिडिंग दस्तावेज<sup>22</sup> के क्लॉज 32.1, क्लॉज 43.1 के साथ पठित, के अनुसार संविदाकार को अनुबंध मूल्य के पाँच प्रतिशत के बराबर निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करना आवश्यक था, तथा इसके अतिरिक्त, नियोक्ता को संपूर्ण निर्माण कार्य की पूर्णता तक संविदाकार को देय प्रत्येक भुगतान से धनराशि के पाँच प्रतिशत की प्रतिभूति जमा रोक कर रखना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक कार्य<sup>23</sup> में, कंपनी ने निविदा शर्तों/समझौते में प्रतिभूति जमा की कटौती के सम्बन्ध में शर्त सम्मिलित नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.56 करोड़ की प्रतिभूति जमा की कम कटौती हुई। अग्रेतर, तीन<sup>24</sup> कार्यों में, प्रतिभूति जमा काटने की संविदात्मक शर्तों के बावजूद प्रतिभूति जमा में ₹ 75.91 लाख की कम कटौती की गई।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, राजाजीनगर, बेंगलोर के प्रकरण में, संविदाकार द्वारा प्रतिभूति जमा के विरुद्ध परफारमेंस बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी, अतः प्रतिभूति जमा की कटौती लागू नहीं थी। अग्रेतर यह बताया गया कि बाँयज हॉस्टल, पांडिचेरी, तथा गर्ल्स हॉस्टल, पांडिचेरी के प्रकरण में, ₹ 1.29 करोड़ की प्रतिभूति जमा काट ली गई है। शौचालय कार्यों के प्रकरण में, त्रुटि को स्वीकार किया गया,

<sup>21</sup> राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सोनभद्र का निर्माण; राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा का निर्माण; तथा यूपी. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 500 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक परिसर का निर्माण।

<sup>22</sup> 5 जनवरी 2007 से प्रभावी।

<sup>23</sup> ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, राजाजीनगर, बेंगलोर का निर्माण कनकधारा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया था।

<sup>24</sup> बाँयज हॉस्टल, पांडिचेरी का निर्माण, गर्ल्स हॉस्टल, पांडिचेरी का निर्माण, तथा वाह्य न्यायालय, दुद्धी, सोनभद्र में 10 सीटों वाले सार्वजनिक शौचालय का निर्माण।

तथा आश्वासन दिया गया कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए विशेष सावधानी बरती जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिभूति जमा को रोक कर रखने की आवश्यकता परफारमेंस बैंक गारंटी के अतिरिक्त है। विशेषतः, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, राजाजीनगर, बेंगलोर के संविदाकार ने आंशिक पूर्णता के उपरांत कार्य छोड़ दिया। बॉयज हॉस्टल, पांडिचेरी, तथा गर्ल्स हॉस्टल, पांडिचेरी के प्रकरण में प्रतिभूति जमा की वसूली लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के उपरांत ही की गई।

### कर्मकार कल्याण उपकर की कम कटौती

6.13.7 भारत सरकार (जीओआई) ने नियोक्ताओं द्वारा निर्माण पर किए गए व्यय पर एक उपकर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण का प्रावधान करने हेतु भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) को अधिनियमित किया। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 (उपकर नियम) के नियम 4(3) के अनुसार, जिन प्रकरणों में उपकर का उद्ग्रहण किसी सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के भवन तथा अन्य निर्माण कार्यों से सम्बन्धित है, ऐसी सरकार अथवा पीएसयू को ऐसे कार्यों के लिए भुगतान किए गए बीजकों से अधिसूचित दरों पर उपकर की कटौती करना अथवा कटौती कराना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी द्वारा निष्पादित दो कार्यों के प्रकरण में, कर्मकार कल्याण उपकर संविदाकारों द्वारा वहन किया जाना था। परिणामस्वरूप, कंपनी को संविदाकारों के बीजकों से एक प्रतिशत<sup>25</sup> की दर से उपकर काटना आवश्यक था। तथापि, कंपनी ने संविदाकारों के बीजकों से ₹ 2.03 करोड़ की कर्मकार कल्याण उपकर की कटौती नहीं की, जैसा कि तालिका 6.7 में वर्णित है।

तालिका 6.7: कर्मकार कल्याण उपकर की कटौती न किए जाने का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	किए गए कार्य का मूल्य	कटौती योग्य कल्याण उपकर	काटा गया कल्याण उपकर	कल्याण उपकार की कम कटौती
1.	नवीन जिला कारागार, इटावा का निर्माण	कॉम्ट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	20,235.17	202.35	--	202.35
2.	एस.एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा में विद्युत आपूर्ति के लिए वैकल्पिक मांग की आपूर्ति एवं बिछाने का कार्य	बी पी इलेक्ट्रिकल्स	45.72	0.46	--	0.46
<b>योग</b>				<b>202.81</b>	<b>--</b>	<b>202.81</b>

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख/सूचना

<sup>25</sup> अधिसूचना दिनांक 26 सितम्बर 1996।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि इटावा में जिला कारागार के प्रकरण में कोई वसूली नहीं की गई क्योंकि अनुबंध में वसूली हेतु ऐसी कोई शर्त नहीं थी। अग्रेतर, मेडिकल कॉलेज, आगरा के प्रकरण में ₹ दो लाख की धनराशि रोक ली गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इटावा में नवीन जिला कारागार के प्रकरण में, संविदाकार के साथ निष्पादित समझौते में स्पष्ट प्रावधान था, जो यह प्रावधानित करता था कि श्रम विभाग द्वारा उद्ग्रहित सभी कर तथा देयताएं संविदाकार द्वारा वहन की जाएंगी। अग्रेतर, एस.एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा के प्रकरण में, जुलाई 2024 तक कंपनी द्वारा कर्मकार कल्याण उपकर की धनराशि काटी तथा जमा नहीं की गई थी।

**परियोजना प्रबंधन परामर्श/तृतीय पक्ष गुणवत्ता निरीक्षण हेतु किये गये भुगतान को वसूल नहीं किया गया**

**6.13.8** कंपनी ने समस्तीपुर में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल के निर्माण हेतु मां वैष्णो इंफ्राकॉन्ट्रैक्ट के साथ एक समझौता निष्पादित किया (मार्च 2020)। संविदाकार को कुल मिलाकर ₹ 442.86 करोड़ के कार्य आदेश निर्गत किए गए। समझौते के नियम एवं शर्त यह प्रावधानित करते थे कि कंपनी द्वारा परियोजना प्रबंधन परामर्श/तृतीय पक्ष गुणवत्ता निरीक्षण के मद में किया गया भुगतान, अनुबंध मूल्य के 1.5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक, संविदाकार से वसूल किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने अमूल्या ट्रेडर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 2.34 करोड़ (वस्तु एवं सेवा कर को छोड़कर) की धनराशि पर परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता नियुक्त (जुलाई 2020) किया। कंपनी ने अमूल्या ट्रेडर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 2.81 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया था, परंतु उक्त धनराशि को मां वैष्णो इंफ्राकॉन्ट्रैक्ट से वसूल नहीं किया था। इस प्रकार, कंपनी ने संविदाकार को ₹ 2.81 करोड़ का अधिक भुगतान किया तथा उस सीमा तक उसे अनुचित लाभ प्रदान किया।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता को किया गया भुगतान संविदाकार से वसूली योग्य नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समझौते के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता को किया गया भुगतान संविदाकार से वसूल किया जाना था।

**संविदाकार को अधिक भुगतान**

**6.13.9** उ.प्र. सरकार ने सोनभद्र में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण के लिए ₹ 49.43 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (नवम्बर 2013)। स्वीकृत लागत को बाद में मार्च 2015 में ₹ 51.69 करोड़ तथा दिसम्बर 2016 में ₹ 104.24 करोड़ तक संशोधित किया गया। कॉम्ट

कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 35.77 करोड़ की प्राक्कलित लागत वाले कार्य ₹ 35.77 करोड़ पर प्रदान किए गए (मई 2014)। उ.प्र. सरकार द्वारा प्राक्कलित लागत के संशोधन के उपरांत, ₹ 40.74 करोड़ (अतिरिक्त मर्दे ₹ 35.75 करोड़ तथा विचलन ₹ 4.99 करोड़) मूल्य की अतिरिक्त मर्दे/विचलन भी कॉम्ट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए (नवम्बर 2017)।

लेखापरीक्षा ने उपर्युक्त कार्य में अतिरिक्त व्यय/अधिक भुगतान के निम्नलिखित दृष्टान्त देखे:

- संविदाकार को प्रदान की गई अतिरिक्त मर्दों में अन्य बातों के साथ-साथ फाउंडेशन, ट्रेंच अथवा ड्रेन में यांत्रिक/मैनुअल साधनों द्वारा उत्खनन (ब्लास्टिंग के बिना कठोर चट्टान) का कार्य सम्मिलित था। यह मद ₹ 1,055 प्रति घन मीटर की विश्लेषित दर पर पाँच प्रतिशत छूट अनुमत करने के बाद प्राप्त ₹ 1,002.25 प्रति घन मीटर की दर पर प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपर्युक्त मद दिल्ली दर अनुसूची (डीएसआर) 2014 की मद संख्या 2.9.3 पर आधारित थी, जिसके लिए विहित की गयी दर ₹ 620.55 प्रति घन मीटर थी। इस प्रकार, ₹ 1,055 प्रति घन मीटर की विश्लेषित दर डीएसआर दर से उल्लेखनीय रूप से अधिक थी। ₹ 1,055 प्रति घन मीटर की बढ़ी हुई विश्लेषित दर पर पहुंचने के लिए, कंपनी ने दर विश्लेषण में 'ड्राइवर तथा ईंधन के साथ हाइड्रोलिक ब्रेकर (पोक लेन)' से सम्बन्धित लागतों को सम्मिलित किया। तथापि, डीएसआर मद 2.9.3 की विशिष्टियों के अनुसार, प्रदान किए गए कार्य के लिए ऐसी किसी मद की आवश्यकता नहीं थी।

इस प्रकार, विहित की गयी डीएसआर 2014 दर ₹ 620.55 प्रति घन मीटर के स्थान पर (विश्लेषित दर पर पाँच प्रतिशत छूट के उपरांत) ₹ 1,002.25 प्रति घन मीटर की बढ़ी हुई दर पर उपर्युक्त कार्य को प्रदान करके, कंपनी ने इस अतिरिक्त मद पर ₹ 89.21 लाख का अधिक व्यय किया।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि कार्य का समझौता डीएसआर मद संख्या 2.9.3 के लिए ₹ 620.55 प्रति घन मीटर पर निष्पादित किया गया था, परंतु संविदाकार के साथ असहमति के कारण, कार्य बाजार दरों के आधार पर दर को ₹ 1,002.25 प्रति घन मीटर तक संशोधित करके ही निष्पादित किया गया। इस परिवर्तन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया, तथा कार्य को स्वीकृत लागत के भीतर निष्पादित किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रदान किया गया कार्य डीएसआर मद संख्या 2.9.3 से सम्बन्धित था। तथापि, इस अतिरिक्त मद के लिए दर का विश्लेषण करते समय, कंपनी ने 'ड्राइवर तथा ईंधन के साथ हाइड्रोलिक ब्रेकर (पोक लेन)' की लागत सम्मिलित की, जो डीएसआर मद संख्या 2.9.3 की विशिष्टियों के अनुसार आवश्यक नहीं थी। इस अमान्य मद को सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप ₹ 1,055 प्रति घन मीटर की बढ़ी हुई विश्लेषित दर प्राप्त हुई तथा पाँच प्रतिशत छूट लागू करने के उपरांत, ₹ 1,002.25 प्रति घन मीटर की

प्रभावी दर प्राप्त हुई, जिससे ₹ 89.21 लाख का अधिक व्यय हुआ। अतः, अधिक व्यय एक अमान्य लागत तत्व को सम्मिलित करने के कारण है तथा संविदाकार के साथ किसी भी असहमति द्वारा उचित नहीं ठहराया जा सकता।

- संविदाकार को प्रारम्भ में प्रदान किए गए कार्य में अन्य बातों के साथ-साथ राफ्ट फाउंडेशन तथा फुटिंग, कॉलम, भारी बीम, तथा स्लैब में एम-25 ग्रेड का रिइन्फोर्सड सीमेंट कंक्रीट कार्य सम्मिलित था, जो क्रमशः बीओक्यू के मद संख्या 3.1, 3.2, 3.3 तथा 3.4 थे। यह मदें यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर की संगत मदों (मद संख्या 287, 288बी, 286 तथा 288) पर आधारित थीं, जिनमें दरें सेंटरिंग तथा शटरिंग की लागत सहित थीं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि संविदाकार को प्रदान की गई अतिरिक्त मदों में अन्य बातों के साथ-साथ बीम में एम-25 ग्रेड का रिइन्फोर्सड सीमेंट कंक्रीट कार्य सम्मिलित था, जो यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर मद संख्या 288बी पर आधारित था। यद्यपि उपर्युक्त अतिरिक्त मद में सेंटरिंग तथा शटरिंग की लागत सम्मिलित थी, यह त्रुटिपूर्वक उल्लेख किया गया कि इसमें सेंटरिंग तथा शटरिंग की लागत सम्मिलित नहीं है। अग्रेतर, अतिरिक्त मदों में पृथक रूप से फाउंडेशन, फुटिंग, तथा कालम का बेस; सस्पेंडेड फ्लोर्स, रूफ, लैंडिंग्स, बालकनी तथा एक्सेस प्लेटफॉर्म; लिंटल, बीम, प्लिंथ बीम, गर्डर, ब्रेसमर<sup>26</sup> तथा कैंटीलीवर; एवं कालम, पिलर, पियर, अबटमेंट, पोस्ट तथा स्ट्रट्स में सेंटरिंग तथा शटरिंग का कार्य सम्मिलित था।

चूंकि सेंटरिंग तथा शटरिंग की लागत पहले से ही रिइन्फोर्सड सीमेंट कंक्रीट मदों की दरों में सम्मिलित थी, इन मदों को अतिरिक्त मदों के रूप में सम्मिलित करना तथा उसके विरुद्ध भुगतान करना अनियमित था तथा इसके परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹ 1.83 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि प्राक्कलन में उल्लिखित मदों, जो डीएसआर 2014 पर आधारित थे, में सेंटरिंग तथा शटरिंग के लिए अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया गया क्योंकि यह रिइन्फोर्सड सीमेंट कंक्रीट की मदों में सम्मिलित नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दरें यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर पर आधारित थीं तथा सेंटरिंग तथा शटरिंग की लागत सहित थीं।

### **जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री/सेवाएं का क्रय नहीं किया जाना**

**6.13.10** कंपनी ने अपनी इकाइयों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल से सामग्री/सेवाएं क्रय करने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2018)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी की छः इकाइयों ने जेम पोर्टल से क्रय करने के स्थान पर सामग्रियों तथा सेवाओं के लिए आपूर्ति/कार्य आदेश निर्गत करके

<sup>26</sup> ब्रेसमर एक बड़ा बीम है जो लकड़ी के फ्रेम वाले भवन में दीवारों व उसके ऊपर के फर्श के भार को वहन करता है।

स्थानीय रूप से ₹ 1.55 करोड़ मूल्य की सामग्री/सेवाओं का क्रय किया (अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2022), जैसा कि तालिका 6.8 में वर्णित है।

तालिका 6.8: जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय नहीं की गई सामग्रियों/सेवाओं को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	कार्य का नाम	क्रय की गयी सामग्री/सेवा	धनराशि
1.	मेरठ इकाई, मेरठ	14 कोर्ट रूम, मेरठ का निर्माण	फर्नीचर	79.01
2.	विद्युत इकाई, मेरठ	14 कोर्ट रूम, मेरठ का निर्माण	एयर कंडीशनर तथा एक्सेसरीज़	9.37
3.	इकाई-21ए, लखनऊ	सैनिक स्कूल, अमेठी का निर्माण	फर्नीचर	38.42
4.	विद्युत इकाई-2, लखनऊ	राजकीय एलोपैथिक कॉलेज, बहराइच का निर्माण	श्रमशक्ति तथा बिजली के पंखे	12.48
5.	हल्द्वानी इकाई, हल्द्वानी	मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा का निर्माण	श्रमशक्ति	2.15
		नर्सिंग कॉलेज, अल्मोड़ा का निर्माण	श्रमशक्ति	2.24
		राजकीय डिग्री कॉलेज, जसपुर का निर्माण	श्रमशक्ति	2.12
6.	एमकेआरएसएस विद्युत इकाई, लखनऊ	राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ का निर्माण	श्रमशक्ति	1.73
		जिला न्यायालय, लखनऊ में सीसीटीवी का कार्य	श्रमशक्ति	7.21
<b>योग</b>				<b>154.73</b>

स्रोत: कंपनी द्वारा निर्गत कार्य/आपूर्ति आदेश

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने उपरोक्त क्रय को कार्य की तात्कालिकता, डीएसआर 2018 की दरों का उपयोग, कंपनी के निर्देशों से पूर्व कार्य प्रारम्भ करना, तथा वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान जेम से क्रय किए जाने जैसे आधारों पर उचित ठहराया (जुलाई 2024)। एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अगस्त 2024) के दौरान, सरकार तथा प्रबंधन ने इस प्रकरण की जाँच करने का आश्वासन दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उद्धृत सामग्री/सेवाएं तात्कालिक आवश्यकताओं की विशेषताएं प्रदर्शित नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त, डीएसआर 2018 की दरों का उपयोग कंपनी को जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करने से छूट नहीं देता है, तथा लेखापरीक्षा परिणाम कंपनी के निर्देश निर्गत किए जाने के उपरांत की अवधि से सम्बन्धित है।

#### अतिरिक्त कार्य का अनाधिकृत निष्पादन

6.13.11 नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) ने सेक्टर-16ए, नोएडा में बहु-स्तरीय कार पार्किंग सुविधाओं के निर्माण का कार्य कंपनी को प्रदान किया (जुलाई 2013)। परियोजना की प्रारंभिक स्वीकृत लागत ₹ 76.14 करोड़ (नवम्बर 2013) थी, जिसे बाद में (जून 2018) ₹ 101.86 करोड़

तक संशोधित किया गया। नोएडा के साथ निष्पादित समझौता जापन (एमओयू) के नियम एवं शर्तें यह प्रावधानित करते थे कि यदि कार्य के निष्पादन के दौरान, कार्य की पूर्णता के लिए अतिरिक्त मदों/प्रतिस्थापन मदों की आवश्यकता होती है, तो कंपनी द्वारा प्रस्तुत करने के 30 दिनों के अंदर नोएडा द्वारा इसे अनुमोदित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कार्य के निष्पादन के दौरान, जल निकासी की आवश्यकता महसूस की गई, जिसका स्वीकृत प्राक्कलन में प्रावधान नहीं था। नोएडा ने कंपनी को जल निकासी कार्य के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया (सितम्बर 2015) तथा निर्देश दिया कि 'कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वास्तविक लागत का अनुमान लगाकर संभावित लागत का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें'। कंपनी ने उपर्युक्त जल निकासी की मद के लिए नोएडा को दर विश्लेषण (₹ 51.64 प्रति हॉर्सपावर प्रति घंटा) अग्रेषित किया (अक्टूबर 2015) तथा अनुमोदन की प्रत्याशा में 1 दिसम्बर 2015 से जल निकासी का कार्य प्रारम्भ कर दिया। कंपनी ने मात्रा/अवधि तथा धनराशि के संदर्भ में निष्पादित किए जाने वाले कार्य की अनुमानित मात्रा के सम्बन्ध में नोएडा से औपचारिक लिखित अनुमोदन प्राप्त किए बिना ₹ 12.86 करोड़ मूल्य का जल निकासी कार्य निष्पादित किया (दिसम्बर 2015 से फरवरी 2019)। परिणामस्वरूप, जब कंपनी ने नोएडा से उपर्युक्त ₹ 12.86 करोड़ की धनराशि का दावा किया (मार्च 2019), तो उसने मांग के औचित्यपूर्णता का विरोध किया (जून 2019) तथा बताया कि जल निकासी के मद पर अधिकतम धनराशि मात्र ₹ 4.24 करोड़ ही होगी। नोएडा द्वारा उपर्युक्त अतिरिक्त मद के विरुद्ध जुलाई 2024 तक कोई भुगतान अवमुक्त नहीं किया गया था।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि कार्य के परामर्शदाता द्वारा सुझाई गई आवश्यकता के अनुसार कंपनी द्वारा जल निकासी कार्य निष्पादित किया गया। इस कार्य की प्रगति के बारे में नोएडा को भली-भांति सूचित किया गया था, तथा नोएडा के अभियंताओं ने भी प्रक्रिया की संयुक्त रूप से अनुश्रवण करने के लिए समय-समय पर स्थल का निरीक्षण किया था। नोएडा के निर्देशों पर कार्य बंद कर दिया गया (जनवरी 2019) था। कंपनी के बीजकों की जाँच के दौरान, परामर्शदाता ने नोएडा के निर्देशों पर कंपनी द्वारा जल निकासी कार्य निष्पादित किए जाने के तथ्य को स्वीकार किया तथा दो मंजिलों तक वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुशंसा की। उन्होंने अग्रेतर बताया कि कंपनी के प्रबंध निदेशक ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा से जल निकासी कार्य पर कंपनी द्वारा किए गए व्यय को अवमुक्त करने का अनुरोध किया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने जल निकासी का अतिरिक्त कार्य निष्पादित किया, जिसे नोएडा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के ₹ 12.86 करोड़ के दावे अब तक (जुलाई 2024) अवमुक्त नहीं हुए।

### पूर्व अनुमोदन के बिना अतिरिक्त कार्य का निष्पादन

6.13.12 उ.प्र. सरकार ने लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के निर्माण के लिए ₹ 388.57 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (सितम्बर 2015)। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने, परियोजना का मूल्यांकन करते समय (अगस्त 2015), निर्देश दिया कि परियोजना में कोई भी उल्लेखनीय परिवर्तन, जैसे नए कार्यों को जोड़ना, कार्यों के आकार/क्षेत्र में वृद्धि, उच्च विशिष्टियों का उपयोग, आदि, इसके पूर्व अनुमोदन के बिना निष्पादित नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI का प्रस्तर 316 (2) यह प्रावधानित करता है कि जब किसी कार्य पर व्यय इसके लिए प्रशासनिक रूप से अनुमोदित धनराशि से 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाता है अथवा बढ़ने की संभावना है, अथवा जहां मूल प्रस्तावों से सारभूत विचलन है, भले ही इसकी लागत संभवतः अन्य मदों पर बचत द्वारा कवर की जा सकती हो, ऐसी बढ़ी हुई लागत को अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कार्य के निष्पादन के दौरान, कंपनी ने उपरोक्त नियमों तथा निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक विभाग को सूचित किए बिना मौजूदा कार्य मदों<sup>27</sup> की मात्रा में वृद्धि की तथा नई कार्य मदों<sup>28</sup>, यथा पाइलिंग कार्य, आरसीसी कार्य, ईट कार्य, दीवार पैन्लिंग, पानी के नीचे कंक्रीट बिछाना, कांच का कार्य, आदि, को सम्मिलित किया। ईएफसी ने, परियोजना की संशोधित लागत को ₹ 474.42 करोड़ पर अनुमोदित करते समय (अगस्त 2020), नोट किया कि कंपनी ने तीन वर्ष के विलम्ब के उपरांत संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किया था, तथा संशोधित परियोजना पर अनुमोदन प्राप्त किए बिना निविदा निष्पादित की थी एवं बढ़ी हुई मात्राओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया था। परिणामस्वरूप, ईएफसी ने कंपनी को बढ़ी हुई परियोजना लागत पर ₹ 9.42 करोड़ की सेंटेज<sup>29</sup> धनराशि अस्वीकार कर दी।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि परामर्शदाता ने कार्य में विचलनों से सम्बन्धित मानचित्र तथा प्राक्कलन समय पर प्रदान नहीं किए। परामर्शदाता को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, तथा कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध जाँच चल रही है। एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अगस्त 2024) के दौरान, सरकार तथा प्रबंधन सहमत हुए कि कंपनी को अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए।

<sup>27</sup> इसके परिणामस्वरूप कार्य की प्राक्कलित लागत (उन मदों को छोड़कर जिन पर सेंटेज अनुमन्य नहीं था) में लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात्, ₹ 315.79 करोड़ से ₹ 387.62 करोड़ तक।

<sup>28</sup> मूल्य ₹ 9.87 करोड़ (उन मदों को छोड़कर जिन पर सेंटेज अनुमन्य नहीं था)।

<sup>29</sup> अपने उपरिव्यय को वहन करने के लिए कंपनी द्वारा कार्य की मूल लागत पर सेंटेज उद्ग्रहित किया जाता है।

### संस्तुति

कंपनी ग्राहक से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन कर सकती है।

#### परामर्शी सेवाओं में कमियाँ

**6.13.13** कंपनी ने लखनऊ में दार-उल-शिफा परिसर में विधान सभा सचिवालय विस्तार के निर्माण हेतु एक समझौते के अंतर्गत परियोजना लागत के 0.50 प्रतिशत अथवा ₹ 1.53 करोड़, जो भी कम हो, के शुल्क पर निर्माण पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण (सीएसक्यूसी) परामर्शदाता<sup>30</sup> नियुक्त किया (फरवरी 2015)। कंपनी ने सितम्बर 2018 तक परामर्शदाता को ₹ 1.38 करोड़ का भुगतान किया।

समझौते के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, परामर्शदाता को माप लेना तथा संविदाकारों के बीजकों को तैयार करना, जाँच करना व प्रमाणित करना आवश्यक था। अग्रेतर, परामर्शदाता को उपस्थिति (जैसा कि कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो) के साथ तीन प्रतियों में अपना आवधिक बीजक प्रस्तुत करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि संविदाकारों के बीजकों पर परामर्शदाता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। अग्रेतर, परामर्शदाता के बीजकों के साथ पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण कार्य के लिए उसके द्वारा तैनात जनशक्ति की सत्यापित उपस्थिति संलग्न नहीं थी।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि परियोजना प्रबंधन परामर्शी के कार्य परामर्शदाता द्वारा किए गए, तथा सम्बन्धित अभियंता द्वारा सत्यापन के उपरांत कंपनी द्वारा इसके विरुद्ध भुगतान किए गए।

उत्तर सत्यापन योग्य नहीं है क्योंकि कंपनी आवश्यक समर्थित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कर सकी।

#### ग्राहकों को त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

**6.13.14** प्रचलित प्रथा के अनुसार, कंपनी की फील्ड इकाइयाँ ग्राहक विभागों को आवधिक रूप से उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत करती हैं, जो विशिष्ट परियोजनाओं/कार्यों के लिए ग्राहकों द्वारा अवमुक्त की गई निधियों के उपयोग को प्रमाणित करते हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पाँच कार्यों में, फील्ड इकाइयों ने कंपनी द्वारा किए गए वास्तविक व्यय से अधिक ग्राहक विभागों से प्राप्त निधियों के उपयोग को प्रमाणित करने वाले यूसी प्रस्तुत किए, जैसा कि तालिका 6.9 में वर्णित है।

<sup>30</sup> टेक्टन प्रोजेक्ट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।

तालिका 6.9: ग्राहकों को त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	यूसी प्रस्तुत करने की तिथि	यूसी के अनुसार उपयोग की गई धनराशि	मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार किया गया व्यय
1.	पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, इटावा का निर्माण	27-08-2020	5.00	4.16
2.	मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा का निर्माण	25-02-2023	311.35	279.51
3.	मुन्सियारी में मिनी टेक्सटाइल हब हेतु अवसंरचनात्मक विकास कार्यों का निर्माण	03-08-2017	2.37	1.93
4.	बाह्य न्यायालय दुग्धी, सोनभद्र में 10 सीटों वाले सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	17-02-2023	0.24	0.18
5.	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सोनभद्र का निर्माण	05-11-2022	96.76	89.47
<b>योग</b>			<b>415.72</b>	<b>375.25</b>

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन

त्रुटिपूर्ण यूसी की प्रस्तुति ने कार्यों की वित्तीय प्रगति के सम्बन्ध में ग्राहक विभागों को भ्रमित किया।

एगजिट कॉन्फ्रेंस (अगस्त 2024) के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि फील्ड इकाइयों ने निधियों की प्राप्ति के लिए यूसी प्रस्तुत किए। सरकार ने प्रबंधन को निर्देश दिया कि वह निधियों के वास्तविक उपयोग के अनुसार ग्राहक विभागों को यूसी की प्रस्तुति सुनिश्चित करे।

#### आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण

6.14 आंतरिक नियंत्रण में विशिष्ट नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं निहित हैं जो प्रबंधन को यथोचित आश्वासन प्रदान करने के लिए परिकल्पित किए गए हैं कि वे लक्ष्य तथा उद्देश्य, जिन्हें वह संस्था के लिए महत्वपूर्ण मानता है, पूरे किए जाएंगे। 'आंतरिक नियंत्रण प्रणाली' का तात्पर्य किसी संस्था के प्रबंधन द्वारा अपनाई गई सभी नीतियों तथा प्रक्रियाओं (आंतरिक नियंत्रण) से है जो प्रबंधन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करती हैं ताकि, जहां तक व्यावहारिक हो, अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें प्रबंधन नीतियों का पालन, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटि की रोकथाम व पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता, तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी सम्मिलित है।

#### वित्तीय विवरणों के अंतिमीकरण में विलम्ब

6.14.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (2) यह प्रावधानित करती है कि निदेशक बोर्ड को प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन (एजीएम) में वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने चाहिए। अग्रेतर, धारा 96 (1) यह अधिदेशित करती है कि प्रत्येक कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी

को छोड़कर, को प्रत्येक वर्ष (प्रथम वर्ष को छोड़कर) वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छः माह के अंदर एजीएम आयोजित करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी के सात वर्षों (2016-17 से 2022-23) के वित्तीय विवरण अभी तक वार्षिक साधारण अधिवेशन में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेखाओं के अंतिमिकरण में विलम्ब न केवल कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि यह समय पर किसी भी त्रुटि अथवा धोखाधड़ी का पता लगाना तथा सुधारात्मक कार्रवाई करना भी कठिन बना देता है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने सूचित किया (अगस्त 2024) कि वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा प्रगति पर है। सरकार ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा प्रबंधन को वित्तीय विवरणों को शीघ्रता से अंतिम रूप देने का निर्देश दिया।

### **संस्तुति**

कंपनी सात वर्षों के वित्तीय विवरणों (2016-17 से 2022-23) के बकाये को समाप्त करने के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार कर सकती है। अग्रेतर, कंपनी लेखाओं की समय पर तैयारी, लेखापरीक्षा, तथा वार्षिक वित्तीय विवरणों के अंगीकरण के निरीक्षण हेतु एक वित्तीय रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित कर सकती है।

### **वार्षिक प्रतिवेदन विधानमण्डल के सदनों के समक्ष नहीं रखे गए**

6.14.2 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 यह प्रावधानित करती है कि किसी सरकारी कंपनी के कार्यकरण तथा कार्यकलापों पर एक वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक साधारण अधिवेशन के तीन माह के अंदर तैयार की जाएगी तथा ऐसी तैयारी के उपरांत यथाशीघ्र वार्षिक प्रतिवेदन को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अथवा उसके अनुपूरक में सीएजी की टिप्पणियों के साथ विधानमंडल के सदन(नों) के समक्ष रखा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2000-01 से 2014-15 तक के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल के सदन(नों) के समक्ष नहीं रखे गए थे। वर्ष 2000-01 से 2010-11 की अवधि के लिए प्रतिवेदनों का हिंदी संस्करण जून 2022 में जाकर ही यूपीपीडब्ल्यूडी को प्रेषित किया गया था। कंपनी को वर्ष 2011-12 से 2014-15 के लिए वार्षिक प्रतिवेदनों को राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार को अग्रेषित करना अभी शेष था।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि कंपनी ने राज्य वर्ष 2000-01 से 2014-15 के लिए वार्षिक प्रतिवेदनों को विधानमण्डल में रखने हेतु यूपीपीडब्ल्यूडी से अनुरोध किया था (जून 2024)।

### **अंतर-इकाई लेनदेनों का समाधान न किया जाना**

6.14.3 लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के असंप्रेक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, 31 मार्च 2023 को अंतर-इकाई लेनदेन के कारण

₹ 316.87 करोड़ का उल्लेखनीय डेबिट शेष था, जो समेकन प्रक्रिया के दौरान अंतर-इकाई लेनदेन के समुचित समाधान की कमी इंगित करता है।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि कंपनी ने सभी फील्ड महाप्रबंधकों को यथाशीघ्र अंतर-इकाई लेनदेन का समाधान करने के निर्देश दिए हैं।

### **संस्तुति**

कंपनी व्यापक समाधान प्रक्रियाओं के माध्यम से ₹ 316.87 करोड़ के शुद्ध डेबिट शेष की जाँच तथा समाधान को प्राथमिकता दे सकती है।

### **स्रोत पर काटे गए यूपीवैट के प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए**

**6.14.4** उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (यूपीवैट) अधिनियम, 2008 की धारा 34 (1) यह प्रावधानित करती है कि विक्रेता व्यवहारी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक विनिर्दिष्ट व्यक्ति विक्रेता को ऐसा भुगतान करते समय, विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित धनराशि की कटौती करेगा। यूपीवैट अधिनियम की धारा 34 (7) यह जोड़ती है कि उपधारा (1) के अधीन कटौती करने वाला व्यक्ति, भुगतान अथवा निर्वहन करते समय, विक्रेता व्यवहारी को कटौती की गई धनराशि का प्रमाणपत्र ऐसे प्रारूप तथा रीति में तथा ऐसी अवधि के भीतर उपलब्ध करायेगा, जैसा कि विहित किया जाएगा।

यूपीवैट अधिनियम की धारा 24 (1) यह प्रावधानित है कि प्रत्येक कराधेय व्यवहारी, जिसमें ऐसा व्यवहारी सम्मिलित है, जिससे स्रोत पर कर की कोई धनराशि काटी गई हो, ऐसी कर अवधि के लिए तथा ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, अपना स्व-निर्धारित टर्नओवर तथा कर की विवरणी, ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति से सत्यापित करके प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी के ग्राहकों ने, इसे निधियाँ/भुगतान अवमुक्त करते समय, ₹ 224.69 करोड़ का यूपीवैट स्रोत पर काटा। तथापि, कंपनी अब तक (जुलाई 2023) मात्र ₹ 47.86 करोड़ के स्रोत पर काटे गए यूपीवैट के प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकी। इस प्रकार, इसके ग्राहकों द्वारा काटी गई ₹ 176.83 करोड़ की धनराशि वाणिज्य कर विभाग से बिना दावे के रही।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि फील्ड महाप्रबंधकों/इकाइयों को ग्राहकों से प्रमाणपत्र एकत्र करने तथा उन्हें वाणिज्य कर विभाग में जमा करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। इस बीच, वाणिज्य कर विभाग से ₹ 33.23 करोड़ प्राप्त/आदेशित किए गए हैं, तथा ₹ 47.86 करोड़ के दावे वाणिज्य कर विभाग को प्रस्तुत किए गए हैं।

कंपनी को ग्राहकों द्वारा स्रोत पर यूपीवैट के रूप में काटे गए ₹ 143.60 करोड़<sup>31</sup> के प्रमाणपत्र प्राप्त करना अभी शेष था (जुलाई 2024)।

#### **निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त नहीं किया जाना**

**6.14.5** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4), कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित, यह अधिदेशित करती है कि सार्वजनिक कंपनियों, जिनका टर्नओवर एक सौ करोड़ रुपये अथवा अधिक है, में स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कम से कम दो निदेशक होने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 100 करोड़ से अधिक के टर्नओवर के बावजूद कंपनी के पास वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान अपने निदेशक बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में विफलता न केवल उपरोक्त सांविधिक आवश्यकताओं के साथ गैर-अनुपालन है बल्कि सुदृढ़ निगमित अभिशासन के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रण एवं संतुलन को भी कमजोर करता है।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

#### **सांविधिक बोर्ड समितियों का गठन नहीं किया गया**

**6.14.6** कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 177 तथा 178, कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं इसकी शक्तियां) नियम, 2014 का नियम 6 के साथ पठित, यह अधिदेशित करती हैं कि सार्वजनिक कंपनियाँ, जिनका टर्नओवर एक सौ करोड़ रुपये अथवा अधिक है, बोर्ड की एक 'लेखापरीक्षा समिति' तथा एक 'नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति' का गठन करेंगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 100 करोड़ से अधिक का टर्नओवर होने के बावजूद, कंपनी ने, 'लेखापरीक्षा समिति' तथा 'नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति' का गठन नहीं किया था।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि इस प्रकरण पर विधायी परामर्श लिया जाएगा, तथा तत्पश्चात्, नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाएगा।

#### **नियमित बोर्ड बैठकें आयोजित नहीं की गईं**

**6.14.7** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 (1) यह अधिदेशित करती है कि प्रत्येक वर्ष निदेशक बोर्ड (बीओडी) की न्यूनतम चार बैठकें आयोजित की जानी चाहिए, जिसमें दो क्रमिक बीओडी बैठकों के मध्य अधिकतम अनुमन्य अंतराल 120 दिन का होना चाहिए।

<sup>31</sup> ₹ 224.69 करोड़ - (₹ 33.23 करोड़ + ₹ 47.86 करोड़)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने वर्ष 2018-19 से 2022-2023 की अवधि के दौरान बीओडी बैठकें आयोजित करने के उपरोक्त सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया, जैसा कि तालिका 6.10 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 6.10: वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान आयोजित बीओडी बैठकों का विवरण

वित्तीय वर्ष	बीओडी बैठक संख्या	बीओडी बैठक का दिनांक	बीओडी बैठकों के बीच अंतराल (दिनों में)
2018-19	186	08-12-2018	270 <sup>32</sup>
2019-20	187	31-12-2019	388
2020-21	188	12-06-2020	164
	189	31-08-2020	80
	190	24-02-2021	177
2021-22	191	23-06-2021	119
	192	27-10-2021	126
2022-23	193	27-09-2022	335

स्रोत: बीओडी बैठकों का कार्यवृत्त

तालिका 6.10 से यह स्पष्ट है कि कंपनी न केवल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्दिष्ट न्यूनतम चार बीओडी बैठकें आयोजित करने में विफल रही बल्कि दो क्रमिक बैठकों के मध्य अनुमन्य 120 दिनों की सीमा से अधिक का अंतराल भी घटित होने दिया।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि कोविड-19 तथा निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण उक्त अवधि के दौरान नियमित बीओडी बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं। भविष्य में, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नियमित बोर्ड बैठकें आयोजित करने के प्रयास किए जाएंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने वर्ष 2018-19 तथा 2022-23 के दौरान भी बीओडी बैठकों के सम्बन्ध में सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जब कोविड-19 से समबन्धित कोई प्रतिबंध नहीं थे। वास्तव में, कोविड-19 अवधि के दौरान तुलनात्मक रूप से अधिक बैठकें आयोजित की गईं।

#### निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व में कमियाँ

6.14.8 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) यह निर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक कंपनी, जिसका किसी वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध मूल्य ₹ 500 करोड़ या अधिक, अथवा टर्नओवर ₹ 1,000 करोड़ या अधिक, अथवा शुद्ध लाभ ₹ पाँच करोड़ या अधिक है, बोर्ड की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन करेगी जिसमें तीन अथवा अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

<sup>32</sup> 185वीं बोर्ड बैठक 13.03.2018 को आयोजित की गयी थी।

अग्रेतर, धारा 135 (5) यह प्रावधानित करती है कि धारा 135 (1) में संदर्भित प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कंपनी अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान की गई कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय करे। किसी वित्तीय वर्ष के अंत में शेष बची कोई भी अव्ययित सीएसआर निधियाँ निम्नलिखित में से किसी भी रीति से अंतरित की जानी चाहिए<sup>33</sup>:

- चालू परियोजना से कोई भी अव्ययित धनराशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर विशेष रूप से नामित 'अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खाते' में अंतरित की जानी चाहिए जिसे कंपनी द्वारा किसी अनुसूचित बैंक में खोला जाना है। इन धनराशियों को कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार अगले तीन वित्तीय वर्षों के भीतर व्यय किया जाना चाहिए। यदि ये धनराशियां तीन वर्ष की अवधि के उपरांत भी अव्ययित रहती हैं, तो इन्हें तीसरे वित्तीय वर्ष के अंत के 30 दिनों के भीतर, अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित किया जाना चाहिए।
- यदि निधियाँ किसी चालू सीएसआर परियोजना से सम्बन्धित नहीं हैं, तो ऐसी अव्ययित धनराशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित कर दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बीओडी द्वारा अपनी 170वीं बैठक में पाँच निदेशकों से युक्त, परंतु स्वतंत्र निदेशक के बिना, एक सीएसआर समिति का गठन किया था (सितम्बर 2014)। यह उल्लेख करना समीचीन है कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि कंपनी को वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर ₹ 13.78 करोड़ की धनराशि व्यय करना आवश्यक था। तथापि, कंपनी ने ऐसी धनराशि के विरुद्ध सीएसआर गतिविधियों पर कोई धनराशि आवंटित/व्यय नहीं की। इसके अतिरिक्त, इसने वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि से सम्बन्धित ₹ 4.72 करोड़ की अव्ययित धनराशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट किसी निधि में भी अंतरित नहीं किया।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि कंपनी (निदेशक की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के उपरांत सीएसआर समिति में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। कंपनी ने वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान ₹ 1.99 करोड़ व्यय किए हैं तथा अव्ययित निधि को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया है।

<sup>33</sup> अव्ययित सीएसआर निधियों के अंतरण के सम्बन्ध में प्रावधान 22 जनवरी 2021 से प्रभावी थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की गई धनराशि तथा अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खाते में अंतरित अव्ययित निधियाँ वर्ष 2013-14 तक की अवधि से सम्बन्धित हैं।

#### **सामग्री उपभोग विवरण तैयार नहीं किए गए**

**6.14.9** कंपनी के वर्किंग मैनुअल का प्रस्तर 159 यह अभीष्ट करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में तथा कार्य के समापन पर सभी कार्यों के लिए सामग्री उपभोग विवरण तैयार किए जाएँ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि छः कार्यों में, जैसा कि **परिशिष्ट 6.9** में वर्णित है, जो कंपनी द्वारा सीधे निष्पादित किए गए थे, अर्थात् सामग्री खरीद कर तथा पीआरडब्ल्यू के माध्यम से श्रमिकों को नियुक्त करके, कंपनी ने सामग्री उपभोग विवरण तैयार नहीं किए।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि पाँच कार्यों के सम्बन्ध में शीघ्र ही सामग्री उपभोग विवरण की तैयारी पूर्ण कर ली जाएगी तथा प्रस्तुत कर दी जाएगी। शेष एक कार्य<sup>34</sup> के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

#### **कंपनी की निधि से अवरुद्ध कार्यों का निष्पादन**

**6.14.10** जैसा कि **प्रस्तर 6.11.3** में चर्चा की गई है, डिपॉजिट कार्यों की दशा में, व्यय को उ.प्र. सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा जमा की गई धनराशि तक सीमित रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जैसा कि **प्रस्तर 6.13.4** में चर्चा की गई है, कंपनी ने बिना किसी संपार्श्विक अथवा प्रतिभूति के उप-संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं/पीआरडब्ल्यू को अप्रतिभूत अग्रिम अवमुक्त किए थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय अनियमितताओं, जैसे प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय करना, आपूर्तिकर्ताओं/पीआरडब्ल्यू को अप्रतिभूत अग्रिम अवमुक्त करना, आदि के कारण ₹ 573.07 करोड़ मूल्य के 137 डिपॉजिट कार्य बाधित हुए। कंपनी के बीओडी ने अपनी 190वीं बैठक (फरवरी 2021) में ऐसे बाधित कार्यों को अपने स्वयं के संसाधनों से ₹ 165.72 करोड़ का व्यय करके पूर्ण करने का निर्णय लिया।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि विशेष जाँच दल, उ.प्र. सरकार इस प्रकरण की जाँच कर रहा है, तथा दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

#### **कार्य के वास्तविक निष्पादन के बिना भुगतान**

**6.14.11** कंपनी के वर्किंग मैनुअल का प्रस्तर 528 यह प्रावधानित करता है कि जब माप किसी उप-अभियंता द्वारा अभिलिखित किए जाते हैं, तो कम से कम

<sup>34</sup> केजीएमयू, लखनऊ के विभिन्न विभागों में मेडिकल गैस प्लांट एवं पाइपलाइन।

15 प्रतिशत प्रविष्टियों की जाँच स्थानिक अभियंता/सहायक स्थानिक अभियंता द्वारा तथा कम से कम दो प्रतिशत प्रविष्टियों की जाँच इकाई प्रभारी द्वारा की जानी चाहिए। जाँच की गई प्रविष्टियों को जाँच अधिकारी द्वारा स्याही में टिक किया जाना चाहिए, तथा जाँच का प्रमाणपत्र मार्जिन में अभिलिखित किया जाना चाहिए जहां ऐसे माप अभिलिखित किए गए हैं।

अग्रेतर, कंपनी के वर्किंग मैनुअल का प्रस्तर 532 (बी) यह प्रावधानित करता है कि उप-अभियंता/सहायक स्थानिक अभियंता सम्बन्धित माप पुस्तिका से बीजक तैयार करेगा तथा बीजक एवं माप पुस्तिका को इकाई के लेखाकार को देगा। लेखाकार बीजक के दर कॉलम में सम्बन्धित कार्य आदेश अथवा अनुबंध बांड से दरें भरेगा/जाँचेगा तथा गणनाओं की जाँच करेगा।

सात कार्यों के स्थलों के भौतिक सत्यापन के दौरान, कंपनी ने पाया कि वास्तविक कार्य किए बिना ₹ 31.72 करोड़ के अधिक भुगतान किए गए थे, जैसा कि तालिका 6.11 में वर्णित है।

तालिका 6.11: कार्य के वास्तविक निष्पादन के बिना संविदाकारों को भुगतान का विवरण  
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	किया गया भुगतान	किए गए वास्तविक कार्य की लागत	अधिक भुगतान
1.	इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट्लिशमेंट, पंतनगर में 11 केवी/33 केवी ओवरहेड लाइन तथा 11 केवी अंडरग्राउंड लाइन की शिफ्टिंग एवं डिसमेंटलिंग	6.90	1.07	5.83
2.	राजकीय नर्सिंग कॉलेज एवं नर्सिंग स्कूल, देहरादून में प्रशासनिक एवं शिक्षण ब्लॉक का निर्माण	5.52	1.60	3.92
3.	राजकीय नर्सिंग कॉलेज एवं नर्सिंग स्कूल, देहरादून में छात्रावास ब्लॉक का निर्माण	8.90	2.60	6.30
4.	दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में ओपीडी ब्लॉक का निर्माण	9.93	--	9.93
5.	भगवानपुर, चंदनपुर ब्लॉक नॉर्सन, हरिद्वार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण	1.26	0.61	0.65
6.	दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में ओटी एवं आपातकालीन ब्लॉक का निर्माण तथा मौजूदा अस्पताल का नवीनीकरण एवं उन्नयन	4.35	शून्य	4.35
7.	इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल प्लेस, पंतनगर में ओमेक्स के पीछे से एनएच-74 तक पहुँच मार्ग का पुनर्निर्माण	4.12	3.38	0.74
<b>योग</b>				<b>31.72</b>

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख/सूचना

उपर्युक्त उदाहरण यह संकेत करते हैं कि माप तथा बीजकों की तैयारी के सम्बन्ध में कंपनी के वर्किंग मैनुअल में प्रलेखित आंतरिक नियंत्रणों का या तो अनुपालन नहीं किया गया अथवा प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त, इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि स्थापित आंतरिक नियंत्रणों को जानबूझकर मिलीभगत अथवा कपटपूर्ण गतिविधियों द्वारा अधिक्रमित अथवा नाकाम किया गया था।

अग्रेतर, भुगतानों तथा किए गए कार्य के मध्य उल्लेखनीय विसंगतियां पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल निरीक्षणों तथा वित्तीय परिव्ययों के साथ भौतिक प्रगति के समाधान का पूर्ण अभाव का संकेत करते हैं। विभिन्न परियोजनाओं में ऐसे अधिक भुगतानों का स्तर, असामान्य भुगतान पैटर्न को चिह्नित करने तथा जाँच करने हेतु कंपनी के परियोजना अनुश्रवण ढांचे में एक प्रणालीगत विफलता का संकेत करता है।

यद्यपि कंपनी ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई<sup>35</sup> प्रारम्भ की है, कंपनी ने अब तक (नवम्बर 2023) किसी भी प्रकरण में सम्बन्धित कार्मिकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं की है।

उत्तर में, सरकार तथा प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2024) कि सम्बन्धित कार्मिकों को नोटिस निर्गत कर दिए गए हैं तथा कार्यवाही प्रगति पर है।

तथ्य यथावत है कि माप तथा बीजकों की तैयारी के सम्बन्ध में कंपनी के वर्किंग मैनुअल में प्रलेखित आंतरिक नियंत्रणों के अप्रभावी कार्यान्वयन अथवा अनुपालन ना करने के कारण ₹ 31.72 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

### निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा ने वित्तीय प्रबंधन, परिचालन नियोजन, कार्यों के निष्पादन, तथा आंतरिक नियंत्रणों में प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर किया। कंपनी में वित्तीय अनुशासन का अभाव था, क्योंकि गतिविधियां बजट के बिना निष्पादित की गईं, व्यय उपलब्ध निधियों से अधिक हुआ, अव्ययित शेष धनराशियाँ ग्राहक विभागों को वापस नहीं की गईं, तथा सरकारी निधियों पर अर्जित ब्याज कोषागार में जमा नहीं किया गया। अग्रेतर, मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज को गलत तरीके से आय माना गया।

कंपनी में परिचालनात्मक अक्षमताएं थीं जो खराब अभिलेखीकरण तथा ब्लैकलिस्ट किए जाने के कारण उच्च मूल्य के निविदा कार्यों की हानि, अनिवार्य अनुमोदनों के बिना परियोजनाओं का प्रारम्भ, तथा विहित किए गए समयसीमाओं तथा माइलस्टोन की अनुपस्थिति द्वारा चिह्नित थीं, जिसने जवाबदेहिता को कमजोर किया। लागत प्राक्कलनों से विहित की गयी पाँच प्रतिशत की कटौती को लागू करने में विफलता ने नियोजन में चूकों को अग्रेतर प्रतिबिम्बित किया।

<sup>35</sup> दो प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा कंपनी द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों के विरुद्ध वसूली आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

निविदा तथा निष्पादन प्रथाएं दोषपूर्ण थीं, जिसने पारदर्शिता तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को कमजोर किया। लेखापरीक्षा ने कार्यों का अनियमित तरीके से सबलेट करना, अप्रतिभूत अग्रिमों को अवमुक्त करना, मोबिलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज की कम वसूली, सांविधिक बकायों की वसूली न करना, अतिरिक्त कार्यों का अनाधिकृत निष्पादन, तथा गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल के माध्यम से सामग्रियों का क्रय नहीं करना नोट किया।

कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग, निगमित अभिशासन, तथा परियोजना प्रबंधन, सभी में, अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों तथा अनुश्रवण तंत्रों में गंभीर कमजोरियां प्रदर्शित कीं। सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन न करना, जिसमें विलम्बित वित्तीय विवरण एवं वार्षिक प्रतिवेदन सम्मिलित हैं, ने अपर्याप्त निगमित अभिशासन प्रथाओं के साथ मिलकर, पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता को कमजोर किया। महत्वपूर्ण निरीक्षण तंत्रों, जैसे स्वतंत्र निदेशकों तथा सांविधिक समितियों की अनुपस्थिति ने इन विषयों को और गम्भीर बना दिया। कमजोर वित्तीय नियंत्रण उल्लेखनीय असमाधानित शेष तथा कर प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विलम्ब में परिणत हुईं। परियोजना निष्पादन अपर्याप्त अनुश्रवण से ग्रस्त रहा, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितताएं हुईं जिनमें न किए गए कार्य के लिए भुगतान सम्मिलित था।

#### *संस्तुतियों के प्रति प्रतिक्रिया:*

सरकार तथा प्रबंधन ने संस्तुतियों को स्वीकार किया तथा सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।



## **अध्याय-VII**

**राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण**



## अध्याय-VII

### राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

### अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग

#### डीएमआईसी इंडीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड

#### 7.1 अर्नेस्ट मनी डिपाजिट दस्तावेज (बैंक गारंटी) का नकदीकरण एवं जब्तीकरण न करने से कंसोर्टियम को अनुचित लाभ

कंपनी ने, निविदा योग्यता के सम्बन्ध में की गई मिथ्या प्रस्तुति के कारण कार्य आवंटन निरस्त किए जाने के बावजूद, ₹ दो करोड़ की अर्नेस्ट मनी डिपाजिट (ईएमडी) दस्तावेज (बैंक गारंटी) का नकदीकरण एवं जब्तीकरण न करके, कंसोर्टियम को अनुचित लाभ प्रदान किया।

डीएमआईसी इंडीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड (कंपनी) ने इंडीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ग्रेटर नोएडा में स्मार्ट सिटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी घटकों की आपूर्ति, कार्यान्वयन, एकीकरण, संचालन, तथा रखरखाव हेतु मास्टर सिस्टम इंडीग्रेटर (एमएसआई) की नियुक्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित कीं (अगस्त 2020)। निविदा को अंतिम रूप दिया गया तथा एल-1 कंसोर्टियम, जिसमें केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड (केईसी), सिल्वरटच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एसटीएल), तथा ई-सेंट्रिक सॉल्यूशंस (ईसीएस) सम्मिलित थे, को ₹ 70.87 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर एक कार्यादेश पत्र (एलओए) निर्गत किया गया (जनवरी 2021)।

यद्यपि, एलओए निर्गत होने के पश्चात्, अन्य निविदादाताओं ने कंसोर्टियम के विरुद्ध असत्य सूचना देने की शिकायत दर्ज कराई, विशेष रूप से यह कि, कंसोर्टियम के सदस्यों को किसी भी केंद्रीय या राज्य विभाग या राज्य पीएसयू द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था। कंपनी ने पाया कि कंसोर्टियम द्वारा अपने प्रस्तुत शपथ पत्र में मिथ्या प्रस्तुति<sup>1</sup> की गयी थी तथा तथ्यों को छिपाया गया था। फलस्वरूप, निर्गत एलओए जून 2021 में निरस्त कर दिया गया और कंपनी द्वारा निविदा प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। एलओए निरस्त होने के पश्चात्,

<sup>1</sup> कंसोर्टियम के सदस्यों ने एक शपथ पत्र जमा किया, जिसमें कहा गया कि, सदस्यों को पिछले पाँच वर्षों में किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग या केंद्रीय/राज्य पीएसयू द्वारा किसी भी परियोजना में भाग लेने या कोई भी अनुबंध प्राप्त करने से प्रतिबंधित या ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या कंसोर्टियम के सदस्य के रूप में हो, और प्रस्ताव की तिथि को ऐसा कोई प्रतिबंध या ब्लैकलिस्ट होना प्रभावी नहीं है। चयन के किसी भी चरण में निविदा की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण मिथ्या प्रस्तुति किए जाने या पाए जाने की स्थिति में हमारा प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि, अभिलेख यह इंगित करते हैं कि केईसी को एम.पी. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा 23.11.2013 से 23.11.2016 तक प्रतिबंधित किया गया था, तथा मैसर्स सिल्वरटच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा छः माह के लिए प्रतिबंधित किया गया था, जो 12.03.2020 से प्रारम्भ था अर्थात् 11.09.2020 तक था।

कंपनी ने कंसोर्टियम द्वारा ईएमडी के विरुद्ध जमा की गई ₹ दो करोड़ की बैंक गारंटी वापस कर दी (अगस्त 2021)।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2023) कि कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में मिथ्या प्रस्तुति तथा तथ्यों को छिपाने के आधार पर कार्य के आवंटन को निरस्त करने के प्रकरण में ईएमडी दस्तावेज (बैंक गारंटी) को वापस करना न केवल कंपनी के हित के लिए हानिकारक था, बल्कि निविदा दस्तावेजों के प्रावधानों का भी उल्लंघन था, जैसा कि नीचे दिया गया है:

*निविदा दस्तावेजों का क्लॉज 2.2, क्लॉज 4.6 तथा परिशिष्ट 8 (शपथपत्र का प्रारूप) के साथ पठित, यह प्रावधानित करता है कि निविदादाता (कंसोर्टियम के प्रकरण में कंसोर्टियम के सदस्य) एवं उसके उप-संविदाकारों को पिछले पाँच वर्षों में किसी भी परियोजना में भाग लेने या अनुबंध प्राप्त करने से किसी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग या केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रम द्वारा प्रतिबंधित या ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया होना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या किसी कंसोर्टियम के सदस्य के रूप में, तथा प्रस्ताव की नियत तिथि को ऐसा कोई प्रतिबंध या ब्लैकलिस्ट होना प्रभावी नहीं होना चाहिए।*

*अग्रेतर, क्लॉज 20(सी) यह प्रावधानित करता है कि यदि कोई निविदादाता मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करता है या भ्रष्ट, धोखाधड़ीपूर्ण, दबावपूर्ण, अवांछनीय या प्रतिबंधात्मक आचरण में संलिप्त पाया जाता है, तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और कंपनी द्वारा लगाए गए समय, लागत एवं प्रयास की प्रतिपूर्ति हेतु इसे पारस्परिक रूप से सहमति प्राप्त वास्तविक पूर्व-निर्धारित क्षतिपूर्ति के रूप में ग्राहक द्वारा विनियोजित कर लिया जाएगा।*

चूँकि कंसोर्टियम के सदस्यों ने असत्य शपथपत्र प्रस्तुत किया तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया, जो कि धोखाधड़ीपूर्ण आचरण की श्रेणी में आता है, अतः निविदा दस्तावेज के क्लॉज 20(सी) के अनुसार कंपनी के समय, लागत एवं प्रयास के लिए देय पूर्व-अनुमानित प्रतिकर तथा क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी द्वारा ₹ दो करोड़ के ईएमडी दस्तावेज (बैंक गारंटी) का नकदीकरण एवं जब्तीकरण किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।

इस प्रकार, कंपनी ने निविदा योग्यता के सम्बन्ध में की गई मिथ्या प्रस्तुति के आधार पर कार्यादेश पत्र (एलओए) निरस्त किए जाने के बावजूद ₹ दो करोड़ की अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ईएमडी) दस्तावेज (बैंक गारंटी) का नकदीकरण एवं जब्तीकरण न करके कंसोर्टियम को अनुचित लाभ प्रदान किया।

अपने उत्तर में प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2024) कि आरएफक्यू-सह-आरएफपी दस्तावेजों में अस्पष्टता थी। आरएफक्यू-सह-आरएफपी में निविदादाता की ब्लैकलिस्टिंग से सम्बन्धित कई प्रावधान थे, विशेष रूप से जब क्लॉज 2.2, 4.6, 4.7 एवं निविदादाता द्वारा दिए गए शपथपत्र को संयुक्त रूप से पढ़ने पर विभिन्न व्याख्याएँ प्रकट होती थीं, जिससे निविदादाताओं तथा कंपनी दोनों में

<sup>2</sup> निविदा दस्तावेजों (निविदादाताओं के लिए निर्देश) के क्लॉज 5 के अनुसार, धोखाधड़ीपूर्ण आचरण का अर्थ, चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से तथ्यों की मिथ्या प्रस्तुति करना, या तथ्यों को छिपाना या अधूरे तथ्य प्रस्तुत करना है।

भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। प्रबंधन ने आगे यह भी उल्लेख किया कि ईएमडी को जल्द न करने का निर्णय कंपनी ने इस कारण लिया कि ऐसा करने पर लम्बी कानूनी कार्यवाही की संभावना थी, जिससे आरएफक्यू-सह-आरएफपी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण विलम्ब हो सकता था; उद्योग जगत की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने तथा भविष्य के निविदादाताओं के हतोत्साहित होने का भी जोखिम था; साथ ही, कंपनी को प्राथमिकता के आधार पर एमएसआई की नियुक्ति की तत्काल आवश्यकता थी और वर्ष 2021 में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि आरएफक्यू-सह-आरएफपी प्रक्रिया तथा कार्य प्रदान करने में विलम्ब होगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरएफक्यू-सह-आरएफपी दस्तावेजों में अस्पष्टता का दावा निराधार है। क्लॉज 4.6 स्पष्ट रूप से पिछले पाँच वर्षों में ब्लैकलिस्टिंग पर प्रतिबंध लगाती है, और शपथपत्र का प्रारूप अतीत एवं वर्तमान स्थिति दोनों का प्रमाणीकरण करने की आवश्यकता रखता है। जब इन्हें एक साथ पढ़ा जाता है, तो ये एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं, जिससे प्रबंधन द्वारा बताए गए विभिन्न व्याख्याओं की कोई संभावना शेष नहीं रहती। अग्रेतर, लम्बी कानूनी कार्यवाही से बचने का तर्क भी निराधार है। विलम्ब की चिंता तथ्यों से विरोधाभासी है, क्योंकि सितम्बर 2024 तक कार्य आवंटित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उद्योग जगत की भावना के सम्बन्ध में तर्क असमर्थित है, तथा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि ईएमडी जल्द करने से निविदादाता हतोत्साहित होंगे।

#### परिवहन विभाग

#### उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

#### 7.2 स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित न करने के कारण निगम को हानि

निगम ने स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा सूचना प्रकाशित नहीं की, जिसके कारण निविदा निरस्त करनी पड़ी। आगामी निविदा प्रक्रिया में, निगम को प्रथम निविदा के सापेक्ष निविदाएँ प्राप्त नहीं हुईं और अंततः उसे कम दरों पर अनुबंध प्रदान करना पड़ा। इससे निगम को ₹ 2.15 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) स्टॉल नियम, 2009<sup>3</sup> यह प्रावधानित करते हैं कि बस स्टेशन पर प्रत्येक स्टॉल को उसकी अनुबंध अवधि समाप्त होने से तीन माह<sup>4</sup> पूर्व मासिक नीलामी में रखा जाना चाहिए, जब तक कि कोई नया प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता। व्यापक प्रचार हेतु, सम्बन्धित बस स्टेशन पर सभी स्टॉलों के लिए निविदा सूचनाएं बस स्टेशनों, डिपो एवं क्षेत्रीय कार्यालय के नोटिस बोर्डों के साथ-साथ स्थानीय समाचार पत्रों तथा निगम की वेबसाइट पर प्रकाशित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि किसी स्टॉल के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस पाँच लाख रुपये से अधिक है, तो निविदा सूचना एचटीटीपीएस://ई-टेंडर.यूपी.एनआईसी.इन पर भी पोस्ट की जानी चाहिए।

<sup>3</sup> 19.11.2020 को संशोधित।

<sup>4</sup> निविदा प्रक्रिया विद्यमान अनुबंध की समाप्ति से छः माह पूर्व आरम्भ होगी।

अग्रेतर, यूपीएसआरटीसी ने एक आदेश निर्गत (अगस्त 2019) किया जो यह अधिदेशित करता है कि ₹ 10 लाख से अधिक की सभी निविदाएं ई-टेंडरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जाएंगी और निविदाएं आमंत्रित करने के लिए नोटिस व्यापक रूप से प्रसारित दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि बरेली में सैटेलाइट बस स्टेशन पर फूड प्लाजा के संचालन हेतु वर्तमान अनुबंध, जो ₹ 2.17 लाख प्रति माह के लाइसेंस शुल्क पर दिया गया था, 31 जनवरी 2021 को समाप्त होना निर्धारित था। क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम), यूपीएसआरटीसी, बरेली क्षेत्र ने फूड प्लाजा के संचालन हेतु अगले तीन वर्षों के लिए 15 जनवरी 2021 को निविदा आमंत्रित की तथा निविदा सूचना निगम की वेबसाइट एवं एचटीटीपीएस://ई-टेंडर.यूपी.एनआईसी.इन पर प्रकाशित की। तथापि, क्षेत्रीय प्रबंधक ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि निविदा की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाए।

योग्य निविदादाताओं की निविदाएं खोलने के पश्चात्, श्री सुचिंत जायसवाल को ₹ 7.25 लाख प्रति माह की उद्धृत दर के साथ सर्वोच्च निविदादाता के रूप में निर्धारित किया गया। आरएम ने उच्चतम निविदादाता को अनुबंध प्रदान करने हेतु यूपीएसआरटीसी मुख्यालय को एक प्रस्ताव प्रेषित किया (30 जनवरी 2021)। यद्यपि, यूपीएसआरटीसी मुख्यालय द्वारा सभी प्रावधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर, आरएम ने निविदा को निरस्त (01 फरवरी 2021) कर दिया, क्योंकि यह स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं हुई थी।

तत्पश्चात्, यूपीएसआरटीसी मुख्यालय के निर्देश पर फूड प्लाजा के संचालन हेतु सभी प्रावधानों का अनुपालन करते हुए दो और निविदाएं<sup>5</sup> निर्गत की गईं। द्वितीय और तृतीय निविदा में क्रमशः ₹ 3.06 लाख तथा ₹ 2.42 लाख की उच्चतम निविदाएं प्राप्त हुईं। यूपीएसआरटीसी मुख्यालय ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये दरें कम<sup>6</sup> थीं।

यूपीएसआरटीसी मुख्यालय के अग्रेतर निर्देश पर आरएम ने पुनः 13 मार्च 2022 को एक नई निविदा निर्गत की। यूपीएसआरटीसी मुख्यालय से निविदा दरों का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात्, आरएम ने ₹ 2.55 लाख की मासिक दर को अन्तिमीकृत किया और श्री प्रशांत कुमार को 13 जून 2022 को अनुबंध प्रदान किया। अनुबंध पर 30 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर किए गए और यह 1 अगस्त 2022 से 31 जुलाई 2025 तक प्रभावी है।

लेखापरीक्षा ने देखा (मई 2023) कि आरएम, बरेली क्षेत्र ने वर्तमान अनुबंध अवधि समाप्त होने के कम से कम तीन माह पूर्व निविदा प्रक्रिया आरम्भ नहीं की, जैसा कि यूपीएसआरटीसी स्टॉल नियमों द्वारा अनिवार्य था। अग्रेतर, स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित न करने के कारण प्रथम निविदा निरस्त कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप बार-बार निविदाएं निर्गत करनी पड़ीं और अंतिम अनुबंध प्रदान करने में 18 माह का विलम्ब हुआ। अंततः,

<sup>5</sup> द्वितीय निविदा एवं तृतीय निविदा क्रमशः 1 मार्च 2021 एवं 10 नवम्बर 2021 को निर्गत की गईं।

<sup>6</sup> द्वितीय निविदा की दर प्रथम निविदा से कम है तथा तृतीय निविदा की दर प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कम है।

₹ 2.55 लाख की मासिक दर पर अनुबंध प्रदान किया गया, जो कि प्रथम निविदा में प्राप्त उच्चतम दर ₹ 7.25 लाख से 65 प्रतिशत कम थी।

इस प्रकार, स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित न करने के कारण, निगम को फरवरी 2021 से जनवरी 2024<sup>7</sup> तक की तीन वर्षों की अवधि में ₹ 2.15 करोड़<sup>8</sup> के राजस्व की हानि हुई।

अपने उत्तर में, प्रबंधन ने बताया (मार्च 2024) कि ई-निविदा की प्रति समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु भेजी गई थी, परंतु कुछ परिस्थितिजन्य कारणों से उसका प्रकाशन नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, प्रथम निविदा निरस्त कर दी गयी। तथापि, बार-बार निविदा आमंत्रित किए जाने के बाद, अंततः स्टॉल के आरक्षित मूल्य से 18 प्रतिशत अधिक दर पर विक्रेता को आवंटन किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरएम ने प्रथम अवसर पर निविदा का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में सुनिश्चित नहीं किया, जिसके कारण पुनः निविदा आमंत्रित करनी पड़ी, जहाँ निगम को उच्च दर प्राप्त नहीं हो सकी।

लखनऊ

दिनांक: 4 दिसम्बर 2025

संजय कुमार

(संजय कुमार)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),  
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 8 DEC 2025

संजय मूर्ति

(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

<sup>7</sup> प्रथम निविदा की अनुबंध अवधि, यदि वह समाचार पत्र में प्रकाशित की गयी हो।

<sup>8</sup> [₹ 7.25 लाख x 18 माह (फरवरी 2021 से 31 जुलाई 2022 तक)] + [₹ 7.25 लाख - ₹ 2.55 लाख = ₹ 4.70 लाख x 18 माह (अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक)] = ₹ 215.10 लाख।



परिशिष्टियाँ



## परिशिष्ट 1.1

(प्रस्तर 1.4, 1.14, एवं 1.22 में संदर्भित)

30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत उनके नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार एसपीएसई की संक्षेपित वित्तीय स्थिति तथा कार्यकलापों के परिणाम को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	लेखाओं की अवधि	वित्तीय लागत एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि (-)	वित्तीय लागत एवं कर पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि (-)	टर्नओवर	समाप्त पूंजी (शेयर आवेदन धनराशि सहित)	नियोजित पूंजी	नेट वर्थ	मुक्त संचय एवं संचित लाभ/हानि (-)	दीर्घावधि ऋण	कुल परिसम्पत्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>अ. ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई</b>											
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पृथक)	2021-22	2574.79	235.66	9174.87	18580.82	38971.03	20069.38	1488.56	18901.65	47624.32
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2021-22	286.54	275.88	98.16	435.33	358.78	291.91	-143.42	66.87	834.29
3	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2021-22	616.05	0.42	0.00	1783.30	8346.48	1788.53	5.23	6557.95	9475.46
4	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	955.95	-556.26	3418.97	18590.01	31091.49	17188.41	-1401.42	13903.08	40234.10
5	उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पृथक)	2022-23	-14572.24	-14572.24	0.00	119625.63	24486.30	24486.30	-95139.33	0.00	125512.68
6	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2022-23	-3916.95	-6610.27	13560.98	25885.58	29492.48	6804.65	-19080.93	22687.83	57091.18
7	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2022-23	2066.79	991.67	21483.30	19004.09	9204.81	1034.56	-17969.53	8170.25	37088.24
8	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2022-23	-3043.41	-5073.77	12447.81	23988.47	10346.51	-6061.51	-30049.98	16408.02	37057.57

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	लेखाओं की अवधि	वित्तीय लागत एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि (-)	वित्तीय लागत एवं कर पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि (-)	टर्नओवर	समादत्त पूँजी (शेयर आवेदन धनराशि सहित)	नियोजित पूँजी	नेट वर्थ	मुक्त संचय एवं संचित लाभ/हानि (-)	दीर्घावधि ऋण	कुल परिसम्पत्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	मध्योचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2022-23	-3076.13	-4819.92	13707.75	23391.02	17400.76	3045.97	-20345.05	14354.79	43106.23
10	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2022-23	270.64	0.51	3161.48	2431.28	560.28	-1755.65	-4186.93	2315.93	5048.01
11	यूसीएम कोल कंपनी लिमिटेड	2021-22	-0.10	-0.12	0.00	0.16	0.33	-2.17	-2.33	2.50	45.58
12	यूपीएसआईसीसी पाँवर कंपनी लिमिटेड	2013-14	-0.02	-0.02	0.00	0.05	-0.20	-0.20	-0.25	0.00	0.01
	<b>उप-योग (अ)</b>		<b>-17838.09</b>	<b>-30128.46</b>	<b>77053.32</b>	<b>253715.74</b>	<b>170259.05</b>	<b>66890.18</b>	<b>-186825.38</b>	<b>103368.87</b>	<b>403117.67</b>
<b>ब. ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त एसपीएसई</b>											
13	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2.07	-1.10	3.10	29.99	116.12	32.22	2.23	83.90	122.82
14	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2016-17	0.41	-1.32	1.11	12.23	69.42	17.53	5.30	51.89	70.31
15	यू.पी. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	3.90	2.79	54.54	230.42	384.79	344.98	114.56	39.81	988.78
16	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2010-11	16.98	10.86		5.50	143.13	56.87	51.37	86.26	539.29
17	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2019-20	0.01	0.01	0.08	1.50	2.54	2.54	1.04		124.83
18	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2015-16	0.11	0.11	0.59	5.19	7.64	7.64	2.45	0.00	30.07
19	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	2003-04	-0.21	-0.21	0.30	5.25	5.50	5.50	0.25	0.00	5.50
20	उत्तर प्रदेश स्टेट एगो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	17.51	10.26	793.26	46.30	62.80	30.21	-16.09	32.59	78.90
21	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	189.94	120.38	3778.66	1.00	1004.09	1004.09	1003.09	0.00	5943.37
22	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2019-20	124.22	41.03	1511.18	15.00	798.45	275.58	260.58	522.87	3341.65

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	लेखाओं की अवधि	वित्तीय लागत एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/ हानि (-)	वित्तीय लागत एवं कर पश्चात् शुद्ध लाभ/ हानि (-)	टर्नओवर	समाप्त पूँजी (शेयर आवेदन धनराशि सहित)	नियोजित पूँजी	नेट वर्थ	मुक्त संचय एवं संचित लाभ/ हानि (-)	दीर्घावधि ऋण	कुल परिसम्पत्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2011-12	8.47	5.59	319.86	5.96	30.29	23.55	17.59	6.74	134.33
24	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2019-20	4.08	2.15	177.46	6.92	61.93	61.93	55.01		243.21
25	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2016-17	1.08	0.92	8.58	1.07	7.36	7.36	6.29	0.00	36.49
26	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	2009-10	-9.21	-9.21	0.55	1.10	-25.49	-25.49	-26.59	0.00	12.57
27	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2017-18	-3.64	-3.64	0.00	880.13	194.12	118.24	-761.89	75.88	208.29
28	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड (पृथक)	2017-18	-36.20	-36.20	146.15	1648.31	1750.91	1492.15	-156.16	258.76	1978.42
29	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	2008-09	-1.88	-1.90	5.29	7.24	-6.60	-17.41	-24.65	10.81	38.05
30	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2017-18	1.55	1.55	35.78	32.60	15.57	15.57	-17.03	0.00	56.12
31	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	0.04	0.04	0.18	0.26	1.98	-0.50	-0.76	2.48	2.38
32	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड	2018-19	-1.37	-5.65	0.00	93.24	-79.84	-181.25	-274.49	101.41	43.19
33	उत्तर प्रदेश स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2000-01	-8.02	-8.80	25.44	47.07	0.85	-37.86	-84.93	38.71	56.66
34	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	14.74	10.03	327.06	1.00	51.63	51.63	50.63	0.00	230.06
35	यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	7.69	4.32	417.86	6.40	129.88	129.88	123.48	0.00	4283.16
36	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	-276.43	-319.02	91.20	5580.99	14412.37	4218.98	-1362.01	10193.39	16508.91
37	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	-15.89	-53.98	52.24	1400.24	1929.79	1015.23	-385.01	914.56	4507.03
38	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2020-21	6.86	4.29	4.79	135.58	754.24	-241.17	-376.75	995.41	1068.13

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	लेखाओं की अवधि	वित्तीय लागत एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि (-)	वित्तीय लागत एवं कर पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि (-)	टर्नओवर	समाप्त पूँजी (शेयर आवेदन धनराशि सहित)	नियोजित पूँजी	नेट वर्थ	मुक्त संचय एवं संचित लाभ/हानि (-)	दीर्घावधि ऋण	कुल परिसम्पत्तियाँ
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	श्रीद्वीप इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2021-22	2.56	1.78	28.17	7.12	18.00	16.34	9.22	1.66	47.36
40	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2020-21	3.20	2.40	55.44	4.07	8.24	5.97	1.90	2.27	48.73
41	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पृथक)	2020-21	1.54	1.06	43.26	91.54	217.37	105.69	14.15	111.68	404.64
42	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	44.13	44.13	475.45	0.42	482.52	482.52	482.10	0.00	573.50
43	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2020-21	8.26	6.75	251.71	3.00	21.43	21.43	18.43	0.00	1208.67
44	उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद	2022-23	0.28	0.28	0.33	0.05	7.11	2.11	2.06	5.00	13.03
45	उत्तर प्रदेश मोडिकल सप्लाइ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	36.20	25.61	37.13	11.00	54.83	54.83	43.83	0.00	758.47
46	उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड के नाम से ज्ञात)	2020-21	0.54	0.45	685.87	0.15	73.79	73.79	73.64	0.00	4440.28
47	मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	-8.59	-8.59	21.74	4.04	5.44	2.78	-1.26	2.66	6.52
48	कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	-11.48	-11.48	15.44	0.67	-6.74	-6.74	-7.41	0.00	2.46
49	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2019-20	-10.90	-10.90	15.19	4.91	-5.00	-11.57	-16.48	6.57	10.09
50	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	0.01	0.01	0.00	216.00	216.04	216.04	0.04	0.00	804.28
51	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	-4.09	-4.09	0.01	2.00	-18.64	-18.64	-20.64	0.00	775.30
52	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	0.00	0.00	0.18	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	384.65
53	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	-0.04	-0.04	0.00	490.00	489.34	489.34	-0.66	0.00	615.78
54	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	0.22	0.16	0.00	200.00	200.28	200.28	0.28	0.00	287.04

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	लेखाओं की अवधि	वित्तीय लागत एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/ हानि (-)	वित्तीय लागत एवं कर पश्चात् शुद्ध लाभ/ हानि (-)	टर्नओवर	समादत पूँजी (शेयर आवेदन धनराशि सहित)	नियोजित पूँजी	नेट वर्थ	मुक्त संचय एवं संचित लाभ/ हानि (-)	दीर्घावधि ऋण	कुल परिसम्पत्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	झॉसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	97.70
56	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	0.16	0.16	0.00	100.50	92.49	92.49	-8.01	0.00	230.22
57	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	0.00	0.00 <sup>1</sup>	0.00	0.50	26.35	26.35	25.85	0.00	221.23
58	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017-18	-0.90	-0.90	0.00	216.00	214.50	214.50	-1.50	0.00	215.09
59	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	-4.95	-4.95	0.00	382.00	370.75	370.75	-11.25	0.00	457.61
60	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	2021-22	0.61	0.43	31.34	2.00	6.40	6.16	4.87	0.24	25.83
61	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	2019-20	2.52	1.61	0.00	0.01	3604.38	-2.74	-2.75	3607.12	3610.24
62	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	2021-22	46.45	32.65	0.00	2940.51	3018.65	3018.65	78.14	0.00	3324.80
63	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2020-21	-27.82	-27.82	3830.94	981.42	77.07	47.07	-934.35	30.00	3332.06
64	उत्तर प्रदेश वन निगम	2021-22	5.96	5.96	151.33	0.00	1382.91	1382.91	1382.91	0.00	1713.90
65	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2021-22	144.68	144.68	858.41	0.00	5308.19	5308.19	5308.19	0.00	20816.35
66	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2012-13	17.40	17.38	22.22	179.28	-52.98	-719.11	-898.39	666.13	963.87
67	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2020-21	219.97	165.53	594.03	13.01	1073.67	961.68	952.00	111.99	1384.46
68	उत्तर प्रदेश जल निगम	2019-20	-197.80	-250.68	769.83	0.00	-724.25	-1820.15	-1820.15	1095.90	65987.23
<b>उप-योग (ब)</b>			<b>314.93</b>	<b>-95.12</b>	<b>15643.28</b>	<b>16051.69</b>	<b>37986.61</b>	<b>18929.92</b>	<b>2882.27</b>	<b>19056.69</b>	<b>153413.91</b>
<b>कुल योग (अ+ब)</b>			<b>-17523.16</b>	<b>-30223.58</b>	<b>92696.60</b>	<b>269767.43</b>	<b>208245.66</b>	<b>85820.10</b>	<b>-183943.11</b>	<b>122425.56</b>	<b>556531.58</b>

**टिप्पणी:**

- वित्तीय लागत में ब्याज, मोचनीय अधिमानी शेयरों पर लाभांश, उधार लागत में समायोजन के रूप में माने जाने वाले विनिमय अंतर, तथा अन्य उधार लागतें सम्मिलित हैं।
- नेट वर्थ, समादत पूँजी (शेयर आवेदन धनराशि सहित) तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष में से संचित हानि तथा आस्थगित राजस्व व्यय को घटाकर प्राप्त धनराशि है।
- नियोजित पूँजी = समादत पूँजी (शेयर आवेदन धनराशि सहित) + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण - आस्थगित राजस्व व्यय।

<sup>1</sup> वर्ष 2021-22 के लिए सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का शुद्ध लाभ ₹ 7,011 था।

**परिशिष्ट 1.2**  
**(प्रस्तर 1.11 में संदर्भित)**  
**बकाया लेखाओं वाले अवधि के दौरान उ.प्र. सरकार द्वारा एसपीएसई में किए गए निवेश और प्रदान की गई अन्य बजटीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं के अवधि	नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार शेषर आवेदन धनराशि सहित समादत्त पूंजी	बकाया लेखाओं वाले अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				निर्गत की गई प्रत्याभूति	कुल
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = कॉलम 6 + कॉलम 7 + कॉलम 8 + कॉलम 9
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	18580.82	1522.32	--	--	--	5242.68	1522.32
2	उत्तर प्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2022-23	18590.01	1277.25	--	6.86	--	--	1284.11
3	उत्तर प्रदेश मोडिकल सप्लाइ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	2022-24	11.00	3.17	--	--	--	--	3.17
4	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2019-20	2022-23	4.91	--	--	40.10	--	--	40.10
5	यू.पी. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2022-23	230.42	--	--	--	591.29	--	591.29
6	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2015-16	2022-23	5.19	--	--	14.38	--	--	14.38
7	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2022-23	5.25	4.75	--	--	--	--	4.75
8	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2022-23	46.30	12.02	--	--	--	--	12.02
9	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2022-23	6.92	--	--	3.49	--	--	3.49
10	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2022-23	1.07	--	--	20.36	--	--	20.36
11	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड (पृथक)	2017-18	2022-23	1648.31	--	741.30	--	--	150.00	741.30
12	लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए	2009-10 से 2022-23	--	--	0.50	69.15	--	--	69.65
13	मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	2022-23	4.04	--	--	26.32	--	--	26.32
14	आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए	2009-10 से 2022-23	0.00	--	--	12.96	--	--	12.96
15	कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	2022-23	0.67	--	0.53	149.34	--	--	149.87

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं के अवधि	नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार शेयर आवेदन धनराशि सहित समादात पूँजी	बकाया लेखाओं वाले अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश					
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	निर्गत की गई प्रत्याभूति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = कॉलम 6 + कॉलम 7 + कॉलम 8 + कॉलम 9
16	वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए	2009-10 से 2022-23	0.00	--	--	45.37	--	--	45.37
17	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड	2018-19	2019-20 से 2022-23	93.24	--	9.88	--	--	--	9.88
18	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	2022-23	216.00	--	--	98.00	--	--	98.00
19	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	2022-23	0.50	185.75	--	196.00	--	--	381.75
20	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	2022-23	490.00	--	--	196.00	--	--	196.00
21	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	2022-23	200.00	--	--	98.00	--	--	98.00
22	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	2022-23	100.50	--	--	283.00	--	--	283.00
23	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	2022-23	0.50	--	--	185.00	--	--	185.00
24	झांसी स्मार्ट सिटी	2019-20	2020-21 से 2022-23	0.50	--	--	1389.50	--	--	1389.50
25	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017-18	2018-19 से 2022-23	216.00	0.25	--	333.50	--	--	333.75
26	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2022-23	382.00	--	--	204.50	--	--	204.50
27	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2022-23	0.01	1325.67	--	--	--	--	1325.67
28	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2020-21	2021-22 से 2022-23	981.42	229.50	--	124.88	200.00	--	554.38
29	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2012-13	2013-14 से 2022-23	179.28	--	354.94	--	--	--	354.94
30	उत्तर प्रदेश जल निगम	2019-20	2020-21 से 2022-23	--	--	--	890.36	--	--	890.36
<b>योग</b>					<b>4560.68</b>	<b>1107.15</b>	<b>4387.07</b>	<b>791.29</b>	<b>5392.68</b>	<b>10846.19</b>

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

**परिशिष्ट 1.3**  
**(प्रस्तर 1.12 में संदर्भित)**  
**31 मार्च 2023 को वित्त लेखाओं और एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, दीर्घवधि ऋण, तथा बकाया प्रत्याभूति के आँकड़ों में अंतर को दर्शाने वाला विवरण**

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार			वित्त लेखाओं के अनुसार		
		समादत्त पूँजी, शेयर आवेदन धनराशि सहित	दीर्घवधि ऋण	बकाया प्रत्याभूति	समादत्त पूँजी, शेयर आवेदन धनराशि सहित	दीर्घवधि ऋण	बकाया प्रत्याभूति
1	कानपुर विद्युत् आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	0.00		3782.22			
2	पूर्वांचल विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	0.00		34217.86			
3	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	17653.92			17654.05		
4	पश्चिमांचल विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	0.00		11780.94			
5	उत्तर प्रदेश जल विद्युत् निगम लिमिटेड	435.33	64.65		435.33		
6	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड	20103.13			18550.82	25981.55	
7	जवाहरपुर विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड	0.00		8453.01	487.25	8453.01	
8	उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	119625.63	0.00		118467.77	96212.99	
9	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	91.54	110.87		91.54	34.08	
10	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.25	0.00				
11	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	186.00	0.00				
12	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.25	0.00				
13	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	191.00					
14	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	50.25	0.00				
15	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	107.25					
16	वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05					
17	लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	17.84					
18	कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05					
19	उत्तर प्रदेश जल निगम	0.00	237.96			537.23	
20	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2860.80	1676.20		2825.80	1309.60	

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार			वित्त लेखाओं के अनुसार		
		समादत्त पूँजी, शेयर आवेदन धनराशि सहित	दीर्घावधि ऋण	बकाया प्रत्याभूति	समादत्त पूँजी, शेयर आवेदन धनराशि सहित	दीर्घावधि ऋण	बकाया प्रत्याभूति
21	उत्तर प्रदेश स्टेट हैडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	36.45	159.49		28.26	10.54	2.34
22	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	712.62	283.00				
23	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	110.58	942.44	1.39	110.58	1234.88	1.39
24	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	32.60			32.60	2.77	
25	उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद	0.05	5.00				
26	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	114.51	345.94	2.46	73.13	9.44	2.46
27	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	100.00					2.46
28	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	108.00	0.00				
29	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	245.00					
30	झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.25					
31	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	12.23	57.03		13.56		
32	यूपी. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	134.28			64.76		
33	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14.16					
34	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	5.40		140.99	2.70	0.34	140.98
35	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	12.34			12.34	0.78	
36	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1150.45	26.72		710.56	29.64	
37	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1648.31	931.30	223.96	1648.31	406.96	423.96
38	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड	93.24	151.08		93.24	19.68	
39	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	0.00		200.00	880.13		
40	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	3313.31					
41	उत्तर प्रदेश स्टेट एगो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	58.31	5.00		58.32	4.69	
42	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	0.05				0.45	
43	उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.96	7.29		5.96	0.41	
44	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड	6.34	10.59	0.56	5.55	5.29	
	<b>योग</b>	<b>169237.72</b>	<b>5014.56</b>	<b>58803.39</b>	<b>162252.55</b>	<b>3606.78</b>	<b>131221.14</b>

**परिशिष्ट 2.1**  
**(प्रस्तर 2.3 में संदर्भित)**  
**एसपीएसई के बकाया लेखाओं को दर्शाने वाला विवरण**

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखे बकाया थे	बकाया लेखाओं की संख्या	एसपीएसई की स्थिति
1	2	3	4	5
<b>अ कंपनियाँ</b>				
<b>ऊर्जा क्षेत्र</b>				
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पृथक एवं सीएफएस)	2022-23	2	कार्यरत
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
3	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
4	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
5	यूसीएम कोल कंपनी लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
6	यूपीएसआईडीसी पावर कंपनी लिमिटेड	2014-15 से 2022-23	9	कार्यरत
<b>ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त</b>				
7	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2006-07 से 2022-23	17	कार्यरत
8	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18 से 2022-23	6	कार्यरत
9	यू.पी. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	कार्यरत
10	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2011-12 से 2022-23	12	कार्यरत
11	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
12	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2016-17 से 2022-23	7	कार्यरत
13	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	2004-05 से 2022-23	19	कार्यरत
14	उत्तर प्रदेश स्टेट एगो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2011-12 से 2022-23	12	कार्यरत
15	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2015-16 से 2022-23	8	कार्यरत
16	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
17	उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13 से 2022-23	11	कार्यरत
18	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
19	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2017-18 से 2022-23	6	कार्यरत
20	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	2010-11 से 2022-23	13	कार्यरत
21	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	कार्यरत
22	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड (पृथक और सीएफएस)	2018-19 से 2022-23	10	कार्यरत
23	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	2009-10 से 2022-23	14	कार्यरत
24	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	कार्यरत
25	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	कार्यरत
26	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	कार्यरत
27	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड	2019-20 से 2022-23	4	कार्यरत
28	उत्तर प्रदेश स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2001-02 से 2022-23	22	कार्यरत

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखे बकाया थे	बकाया लेखाओं की संख्या	एसपीएसई की स्थिति
1	2	3	4	5
29	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	2	कार्यरत
30	यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
31	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	2	कार्यरत
32	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
33	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	2	कार्यरत
34	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	4	कार्यरत
35	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
36	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2021-22 से 2022-23	2	कार्यरत
37	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	2	कार्यरत
38	उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड के नाम से ज्ञात)	2021-22 एवं 2022-23	2	कार्यरत
39	लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2010-11 से 2022-23	13	कार्यरत
40	मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	कार्यरत
41	आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2010-11 से 2022-23	13	कार्यरत
42	कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	कार्यरत
43	वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2010-11 से 2022-23	13	कार्यरत
44	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
45	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
46	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
47	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
48	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
49	झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
50	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
51	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
52	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	कार्यरत
53	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
54	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
55	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
56	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप गेटर नोएडा लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
57	अपलीज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	1998-99 से 2022-23	25	निष्क्रिय
58	छाता शुगर कंपनी लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	निष्क्रिय
59	घाटमपुर शुगर कंपनी लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	निष्क्रिय
60	नंदगंज-सिहोरी शुगर कंपनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19 से 2022-23	5	निष्क्रिय

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखे बकाया थे	बकाया लेखाओं की संख्या	एसपीएसई की स्थिति
1	2	3	4	5
61	दि इंडियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कंपनी लिमिटेड	2011-12 से 2022-23	12	निष्क्रिय
62	उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2002-03 से 2022-23	21	निष्क्रिय
63	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1998-99 से 2022-23	25	निष्क्रिय
64	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22 से 2022-23	2	निष्क्रिय
65	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2001-02 से 2022-23	22	निष्क्रिय
66	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड	2022-23	1	निष्क्रिय
67	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	2017-18 से 2022-23	6	निष्क्रिय
68	उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एवं लाइवस्टॉक स्पेशलिटीज लिमिटेड	2014-15 से 2022-23	9	निष्क्रिय
69	उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1985-86 से 2022-23	38	निष्क्रिय
70	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2013-14 से 2022-23	10	निष्क्रिय
71	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1996-97 से 2022-23	27	निष्क्रिय
72	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1989-90 से 2022-23	34	निष्क्रिय
73	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1984-85 से 2022-23	39	निष्क्रिय
74	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1989-90 से 2022-23	34	निष्क्रिय
75	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1989-90 से 2022-23	34	निष्क्रिय
76	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	1982-83 से 2022-23	41	निष्क्रिय
77	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2009-10 से 2022-23	14	निष्क्रिय
78	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1992-93 से 2022-23	31	निष्क्रिय
79	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1983-84 से 2022-23	40	निष्क्रिय
80	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	2011-12 से 2022-23	12	निष्क्रिय
81	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	2010-11 से 2022-23	13	निष्क्रिय
82	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1988-89 से 2022-23	35	निष्क्रिय
83	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89 से 2022-23	35	निष्क्रिय
84	कमांड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1995-96 से 2022-23	28	निष्क्रिय
<b>अ (i) कंपनियों के बकाया लेखाओं की कुल संख्या, समापनाधीन कंपनियों को छोड़कर</b>			<b>908</b>	
<b>अ (ii) समापनाधीन कंपनियाँ</b>				
85	उत्तर प्रदेश सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1996-97 से 1998-99	3	यूएल
86	विंध्याचल अग्नेसिक्स लिमिटेड	1988-89 से 2002-03	15	यूएल
87	ऑटो ट्रेक्टर लिमिटेड	1992-93 से 2002-03	11	यूएल
88	भदोही वूलेन्स लिमिटेड	1995-96	1	यूएल
89	कॉन्टिनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड	1998-99 से 2001-02	4	यूएल
90	कानपुर कम्पोजिट्स लिमिटेड	1978-79 से 1996-97	19	यूएल
91	उत्तर प्रदेश एबस्काट प्राइवेट लिमिटेड	1976-77 से 1986-87	11	यूएल
92	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	1993-94	1	यूएल
93	उत्तर प्रदेश प्लांट प्रोटेक्शन एप्लान्सेस (प्राइवेट) लिमिटेड	1975-76 से 2003-04	29	यूएल

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखे बकाया थे	बकाया लेखाओं की संख्या	एसपीएसई की स्थिति
1	2	3	4	5
94	अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड	1996-97 से 2013-14	18	यूएल
95	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कंप्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	1974-75 से 1981-82	8	यूएल
अ (ii) समापनाधीन कंपनियों के बकाया लेखाओं की कुल संख्या			120	
कंपनियों के बकाया लेखाओं की कुल संख्या {अ(i)+अ(ii)}			1028	
<b>ब</b>	<b>सांविधिक निगम</b>			
96	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2021-22 एवं 2022-23	2	कार्यरत
97	उत्तर प्रदेश वन निगम	2022-23	1	कार्यरत
98	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2022-23	1	कार्यरत
99	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2013-14 से 2022-23	10	कार्यरत
100	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2021-22 से 2022-23	2	कार्यरत
101	उत्तर प्रदेश जल निगम	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
सांविधिक निगमों के बकाया लेखाओं की कुल संख्या (ब)			19	
एसपीएसई के बकाया लेखाओं की कुल संख्या (अ+ब)			1047	

परिशिष्ट 2.2

(प्रस्तर 2.5 एवं 2.7 में संदर्भित)

सीएजी द्वारा अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर निर्गत की गई टिप्पणियाँ/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	वित्तीय विवरणों का वर्ष	लेखाओं की संख्या
	<b>सरकारी कंपनियाँ</b>		
1	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20 से 2021-22	3
2	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2021-22	1
3	कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	2019-20 से 2021-22	3
4	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	1
5	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20 से 2021-22	3
6	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21 से 2021-22	2
7	श्रीद्वान इण्डिया लिमिटेड	2020-21 से 2021-22	2
8	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	1
9	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (समेकित) एवं (पृथक)	2017-18 से 2018-19	4
10	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2020-21 से 2021-22	2
11	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (समेकित) एवं (पृथक)	2018-19 से 2020-21	6
12	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	1
13	यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (समेकित) और (पृथक)	2020-21 से 2021-22	4
14	अपट्रॉन पावरट्रॉनिक्स लिमिटेड	2020-21	1
15	छाता शुगर कंपनी लिमिटेड	2017-18	1
16	घाटमपुर शुगर कंपनी लिमिटेड	2017-18	1
17	नंदगंज सिहोरी शुगर कंपनी लिमिटेड	2017-18	1
18	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	1
19	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2020-21	1
20	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2018-19	1
21	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2018-19 से 2019-20	2
22	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	1
23	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (लखनऊ मेट्रो)	2021-22 से 2022-23	2
24	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2020-21	1
25	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	1
26	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	1
27	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2018-19	1
28	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड (समेकित) एवं (पृथक)	2017-18	2
29	यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	1
30	उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2017-18	1
31	उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद	2021-22	1
	<b>सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ</b>		
32	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	1
33	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	1

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	वित्तीय विवरणों का वर्ष	लेखाओं की संख्या
34	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2019-20	1
35	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	2021-22	1
36	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	2021-22	1
37	कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2010-11 एवं 2015-16	2
38	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016-17 एवं 2017-18	2
39	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	1
40	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	1
41	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	1
42	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	1
43	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	1
	<b>सांविधिक निगम</b>		
44	उत्तर प्रदेश वन निगम	2020-21 से 2021-22	2
45	उत्तर प्रदेश जल निगम	2013-14 से 2016-17	4
46	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2018-19	1
47	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2020-21	1

**परिशिष्ट 2.3**  
(प्रस्तर 2.7 में संदर्भित)  
**सीएजी द्वारा 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 के दौरान एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर निर्गत किए गए महत्वपूर्ण टिप्पणियों को दर्शाने वाला विवरण**

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	लेखाओं की अवधि	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ संक्षेप में
<b>अ. सरकारी कंपनियाँ</b>				
<b>हानि को कम दर्शाया गया</b>				
1.	मध्यांचल विद्युत वितरण लिमिटेड	2020-21	62.67	परिचालन से प्राप्त राजस्व में सौभाग्य योजना के अंतर्गत गरीब घरेलू उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य उपभोक्ताओं से ₹ 500 प्रति संयोजन के दर से संयोजन शुल्क के रूप में वसूले गए ₹ 62.67 करोड़ सम्मिलित हैं। चूंकि यह धनराशि उपभोक्ताओं को संयोजन प्रदान करने के कारण वसूल की गई थी, इसलिए इसे दायित्व-सेवा संयोजन हेतु उपभोक्ता योगदान के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इसे राजस्व में सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप परिचालन से प्राप्त राजस्व को अधिक दर्शाया गया है और दायित्व-सेवा संयोजन के तहत उपभोक्ता योगदान को ₹ 62.67 करोड़ कम दर्शाया गया है। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि उसी धनराशि की सीमा तक कम दर्शायी गयी। अन्य आय में कंपनी द्वारा विगत वर्षों में हुए वास्तविक हानि के अनुसार स्वीकार्य धनराशि के अतिरिक्त कंपनी द्वारा किए गए उदय हानि सब्सिडी के दावे के रूप में ₹ 978.08 करोड़ भी सम्मिलित हैं। उदय हानि सब्सिडी के दावे के लिए अनुमत अवधि 2020-21 में समाप्त हो गई। कंपनी ने 2020-21 तक समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपने लेखाओं में पहले ही उ.प्र. सरकार से प्राप्त होने वाली उदय हानि सब्सिडी का लेखांकन कर लिया है। अतः, अतिरिक्त उदय हानि सब्सिडी के लेखांकन से उ.प्र. सरकार से अन्य आय और प्राप्तियों को ₹ 978.08 करोड़ से अधिक दर्शाया गया, जिसके फलस्वरूप उसी सीमा तक वर्ष के लिए हानि को कम दर्शाया गया।
2.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण लिमिटेड	2021-22	209.49	विद्युत वितरण कंपनी की ओर से नियंत्री कंपनी यूपीपीसीएल ने उदय के अंतर्गत परिचालन हानि के वित्तपोषण के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान उ.प्र. सरकार से अनुचित रूप से ₹ 5,372.50 करोड़ की धनराशि का दावा किया, जिसे उ.प्र. सरकार द्वारा उदय के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण तरीके से स्वीकृत और अवमुक्त किया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान यूपीपीसीएल ने कंपनी को ₹ 5,372.50 करोड़ में से ₹ 209.49 करोड़ की धनराशि आवंटित की। चूंकि उदय के अंतर्गत परिचालन हानियों के वित्तपोषण के लिए स्वीकार्य अवधि 31 मार्च 2021 पहले ही समाप्त हो चुकी है और 2021-22 के दौरान ऐसी परिचालन हानियों के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार/उ.प्र. सरकार की कोई योजना नहीं थी इसलिए उदय के अंतर्गत अवमुक्त की गई सब्सिडी उ.प्र. सरकार को वापस करने योग्य थी। इसके

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	लेखाओं की अवधि	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ संक्षेप में
				<p>परिणामस्वरूप अन्य आय और चालू दायित्वों को ₹ 209.49 करोड़ से क्रमशः अधिक एवं कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि भी उसी सीमा तक कम दर्शायी गयी है।</p> <p>कंपनी ने विगत वर्ष (2020-21) में उदय के अंतर्गत ₹ 2159.69 करोड़ का प्राप्य अनुदान सामान्य संचय में दर्ज किया तथा वर्ष 2021-22 के लाभ-हानि विवरण में सामान्य संचय से ₹ 206.27 करोड़ की प्राप्त अनुदान की वास्तविक धनराशि को अन्य आय में अंतरित कर दिया, जो कि गलत है, क्योंकि उदय अनुदान पहले ही प्राप्त हो चुका था। इसके परिणामस्वरूप सामान्य संचय और उ.प्र. सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 1,953.42 करोड़ से प्रत्येक को अधिक दर्शाया गया तथा अन्य आय तथा चालू दायित्वों को ₹ 206.27 करोड़ से प्रत्येक को क्रमशः अधिक एवं कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि में भी उसी सीमा तक कमी दर्शायी गई।</p> <p>उपरोक्त में ₹ 36.22 करोड़ का बिल रहित राजस्व सम्मिलित है, जिसे टॉरेंट पॉवर लिमिटेड को विद्युत की थोक आपूर्ति के विरुद्ध दो बार त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 'परिचालन से राजस्व' और 'व्यापार प्राप्तियों' को अधिक दर्शाया गया है, जिसके फलस्वरूप वर्ष के लिए 'हानि' को ₹ 36.22 करोड़ से कम दर्शाया गया है।</p>
3.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	2021-22	219.96	<p>उदय के अंतर्गत कंपनी को अपनी नियंत्री कंपनी से परिचालन हानियों के लिए सब्सिडी से सम्बन्धित ₹ 219.96 करोड़ प्राप्त हुए, जिसे त्रुटिपूर्ण तरीके से स्वीकृत किया गया और वर्ष 2021-22 के दौरान उ.प्र. सरकार से नियंत्री कंपनी द्वारा अनुचित तरीके से दावा किए जाने के बाद अवमुक्त किया गया। चूंकि उदय के अंतर्गत परिचालन हानियों के वित्तपोषण के लिए स्वीकार्य अवधि 31 मार्च 2021 को ही समाप्त हो चुकी है और वर्ष 2021-22 के दौरान ऐसी परिचालन हानियों के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार/उ.प्र. सरकार की कोई योजना नहीं थी, इसलिए उदय के अंतर्गत जारी सब्सिडी उ.प्र. सरकार को वापस करने योग्य थी। इसके परिणामस्वरूप अन्य आय और चालू दायित्वों को ₹ 219.96 करोड़ से क्रमशः अधिक एवं कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि भी उसी सीमा तक कम दर्शाया गया।</p> <p>अन्य आय में कंपनी द्वारा विगत वर्षों में हुए वास्तविक हानि के अनुसार स्वीकार्य धनराशि के अतिरिक्त कंपनी द्वारा किए गए उदय हानि सब्सिडी के दावे के रूप में ₹ 540.24 करोड़ सम्मिलित हैं। उदय हानि सब्सिडी के दावे के लिए स्वीकार्य अवधि 2020-21 में समाप्त हो गई है। अग्रेतर, कंपनी ने 2020-21 तक समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपने लेखाओं में उ.प्र. सरकार से प्राप्त होने वाली उदय हानि सब्सिडी का लेखांकन पूर्व में ही कर लिया है। अतः, अतिरिक्त उदय हानि सब्सिडी के लेखांकन के परिणामस्वरूप उ.प्र. सरकार से अन्य आय और प्राप्तियों को ₹ 540.24 करोड़ से अधिक दर्शाया गया, जिसके फलस्वरूप वर्ष के लिए उसी सीमा तक हानि को कम दर्शाया गया।</p>

टिप्पणियाँ संक्षेप में	
क्र. सं.	एसपीएसई का नाम
4.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
	लेखाओं की अवधि
	2021-22
	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)
	873.59
	लेखाओं की अवधि
	2020-21
	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)
	333.02
	लेखाओं की अवधि
	2020-21
	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)
	112.42
5	उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
	लेखाओं की अवधि
	2019-20
	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)
	10.38
	योग
	3582.34
हानि को अधिक दर्शाया गया	
1.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
	लेखाओं की अवधि
	2020-21
	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)
	79.69

अन्य इक्विटी में 2021-22 से प्रारम्भ होने वाले अगले दस वर्षों में उ.प्र. सरकार से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राजस्व सब्सिडी के रूप में ₹ 8260.04 करोड़ सम्मिलित हैं। तदनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 826.00 करोड़ (8260.04/10) की धनराशि को 'अन्य आय' में अंतरित किया जाना चाहिए था। यद्यपि, कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्तियों के आधार पर 'सामान्य संचय' से इसे समायोजित करके ₹ 873.59 करोड़ की वास्तविक प्राप्त धनराशि को अन्य आय में अंतरित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अन्य आय को अधिक और सामान्य संचय के साथ-साथ वर्ष के लिए हानि को ₹ 873.59 करोड़ से कम करके दर्शाया गया।

कंपनी ने वर्ष 2019-20 के लाभ-हानि विवरण में अन्य आय के रूप में उदय के अंतर्गत प्राप्य धनराशि ₹ 322.63 करोड़ के विरुद्ध ₹ 655.65 करोड़ की धनराशि लेखांकित की, इस प्रकार, कंपनी ने अन्य आय के रूप में ₹ 333.02 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि लेखांकित की, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए हानि और अन्य वित्तीय दायित्वों प्रत्येक को ₹ 333.02 करोड़ से कम करके दर्शाया गया।

कंपनी ने आर-एपीडीआरपी के उन कार्यों पर ₹ 112.42 करोड़ धनराशि का ब्याज पूंजीकृत किया जो पहले ही पूर्ण हो चुके थे। इसके परिणामस्वरूप प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य को ₹ 112.42 करोड़ अधिक दर्शाया गया तथा वित्त लागत को ₹ 112.42 करोड़ कम दर्शाया गया साथ ही साथ उसी धनराशि की हानि भी हुई।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) ने कंपनी को ₹ 450 करोड़ (15.06.2012 को ₹ 200 करोड़ और 02.05.2013 को ₹ 250 करोड़) का ऋण दिया था। 30.09.2013 तक ऋण धनराशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाना था और तदोपरांत यूपीपीसीएल ऋण की शेष धनराशि पर ब्याज देने के लिए उत्तरदायी था। 31 मार्च 2020 तक नोएडा को देय कुल संचित ब्याज ₹ 96.42 करोड़ था, जिसमें चालू वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित ₹ 10.38 करोड़ की धनराशि सम्मिलित थी। यद्यपि, नोएडा को देय ब्याज का लेखांकन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वित्त लागत में ₹ 10.38 करोड़, चालू दायित्वों में ₹ 96.42 करोड़ तथा अन्य इक्विटी-पूर्व अवधि समायोजन (ऋणात्मक शेष) में ₹ 86.04 करोड़ की कमी दर्शायी गई। अग्रतर, वर्ष के लिए हानि भी ₹ 10.38 करोड़ कम दर्शाया गया है।

इंड एएस-20 के अनुसार, पहले से हुई हानि के लिए सरकारी अनुदान को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाना चाहिए जिसमें यह प्राप्य योग्य हो। कंपनी ने वर्ष 2020-21 के लाभ और हानि विवरण में उदय हानि के अनुसार अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में प्राप्य धनराशि ₹ 487.42 करोड़ (जो वर्ष 2019-20 के हानि का 50 प्रतिशत था) के विरुद्ध ₹ 407.73 करोड़ की धनराशि का लेखांकन किया। इस प्रकार, कंपनी ने अतिरिक्त

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	लेखाओं की अवधि	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ संक्षेप में
2.	दक्षिणांचल विद्युत निगम लिमिटेड	2020-21	185.84	<p>सब्सिडी के लिए ₹ 79.69 करोड़ का कम लेखांकन किया जिसके परिणामस्वरूप 'अन्य आय' और 'अन्य चालू परिसम्पत्तियों' को ₹ 79.69 करोड़ से कम दर्शाया गया है, फलस्वरूप वर्ष के लिए हानि को उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया है।</p> <p>उल्लेखनीय लेखांकन नीति संख्या 3VII(बी) के अनुसार, यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित दरों पर यूपी पाँवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) द्वारा जारी किए गए बिलों पर पारोषण शुल्क का लेखांकन उपार्जन आधार पर किया जाता है। लेखांकन नीति के उल्लंघन में, 2020-21 के दौरान ₹ 185.84 करोड़ के पारोषण शुल्क का लेखांकन यूपीपीटीसीएल द्वारा अगस्त 2021 में जारी किए गए बिलों के लिए किया गया। इसके परिणामस्वरूप विद्युत क्रय की लागत और चालू दायित्व प्रत्येक को ₹ 185.84 करोड़ से अधिक दर्शाया गया। अग्रेतर, परिणामस्वरूप वर्ष के लिए हानि को भी उसी धनराशि से अधिक दर्शाया गया।</p> <p>उ.प्र. सरकार से प्राप्त उदय सब्सिडी को ₹ 645.48 करोड़ के विरुद्ध ₹ 516.96 करोड़ दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य आय' और 'अन्य चालू परिसम्पत्तियों' को ₹ 128.52 करोड़ से कम दर्शाया गया। वर्ष के लिए हानि को भी उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया।</p>
3.	कानपुर आपूर्ति लिमिटेड	2020-21	54.76	<p>कंपनी ने उदय के अंतर्गत हानि के लिए सब्सिडी को स्वीकार्य नहीं माना है। इंड एएस-20 के अनुसार, पूर्व में हुई हानि के लिए सरकारी अनुदान को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार्यता दी जानी चाहिए जिसमें यह प्राप्य योग्य हो। आगणित स्वीकार्य सब्सिडी ₹ 54.76 करोड़ थी। इस प्रकार, कंपनी द्वारा सब्सिडी को स्वीकार्यता देने के परिणामस्वरूप 'अन्य आय' और चालू परिसम्पत्तियों-अन्य' प्रत्येक को ₹ 54.76 करोड़ से कम दर्शाया गया है। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि भी ₹ 54.76 करोड़ से अधिक दर्शायी गयी है।</p>
4.	पश्चिमांचल विद्युत निगम लिमिटेड	2021-22	168.42	<p>कंपनी ने उदय के अंतर्गत हानि के लिए सब्सिडी को स्वीकार्य नहीं माना है। इंड-एएस-20 के अनुसार, पूर्व में हुई हानि के लिए सरकारी अनुदान को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार्यता दी जानी चाहिए जिसमें यह प्राप्य योग्य हो। अगणित स्वीकार्य सब्सिडी ₹ 112.05 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य आय' और चालू परिसम्पत्तियों-अन्य' प्रत्येक को ₹ 112.05 करोड़ से कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि भी ₹ 112.05 करोड़ से अधिक दर्शायी गयी है।</p> <p>आर-एपीडीआरपी की पार्ट-ए और पार्ट-बी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पीएफसी से लिए गए क्रमशः ₹ 197.54 करोड़ और ₹ 373.41 करोड़ के ऋण पर ब्याज ₹ 279.06 करोड़ को पूंजीकरण के बजाय आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है क्योंकि आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत सभी परियोजनाएं पूर्ण हो गई थीं। अग्रेतर, कंपनी ने ₹ 110.64 करोड़ की ब्याज धनराशि को अनुदान में अंतरित करने के बजाय इसे लाभ और हानि विवरण में 'अन्य आय' के रूप में अंतरित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अन्य आय को ₹ 110.64 करोड़ से अधिक और</p>

टिप्पणियाँ संक्षेप में		टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	लेखाओं की अवधि	एसपीएसई का नाम	क्र. सं.
	पूँजी अनुदान (पूँजीगत संचय) को कम करके दर्शाया गया। अग्रेतर, परिणामतः वित्त लागत को भी अधिक और स्थिर परिसम्पत्तियों को ₹ 279.06 करोड़ से कम दर्शाया गया है। इसलिए वर्ष की हानि भी ₹ 168.42 करोड़ (₹ 279.06 करोड़ - ₹ 110.64 करोड़) से अधिक दर्शाया गया।				
	प्राच्य राशि ₹ 700.44 करोड़ के विरुद्ध कंपनी ने वर्ष 2020-21 के लिए लाभ और हानि विवरण में उदय हानि के अनुसार सब्सिडी के रूप में ₹ 659.69 करोड़ की धनराशि लेखांकित की। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य आय' और 'अन्य चालू परिसम्पत्तियों' को ₹ 40.75 करोड़ से कम दर्शाया गया, फलस्वरूप वर्ष के लिए हानि को भी उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया।	40.75	2020-21		
5.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	83.94	2021-22		
	यूपी पाँवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए बिलों पर पारोषण शुल्क का लेखांकन करने उपार्जन आधार की लेखांकन नीति के उल्लंघन में, 2021-22 में ₹ 83.94 करोड़ के पारोषण शुल्क का लेखांकन किया, जिसके लिए बिल यूपीपीटीसीएल द्वारा जुलाई, 2022 में वर्ष 2020-21 के लिए उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ के डू-अप पर जारी किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप विद्युत क्रय की लागत और चालू दायित्वों प्रत्येक में ₹ 83.94 करोड़ की अधिकता दर्शायी गई। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि को भी उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया है।				
	उल्लेखनीय लेखांकन नीति जो यह प्रावधानित करती है कि यूपी पाँवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) द्वारा जारी किए गए बिलों पर पारोषण शुल्क का लेखांकन उपार्जन आधार पर यूपीआईआरसी द्वारा अनुमोदित दरों पर किया जाता है। उपरोक्त नीति के उल्लंघन में, यूपीपीटीसीएल द्वारा अगस्त, 2021 में जारी किए गए बिल के लिए कंपनी ने 2020-21 में ₹ 199.80 करोड़ के पारोषण शुल्क का लेखांकन किया, जिसके लिए इसके परिणामस्वरूप विद्युत क्रय की लागत और वर्तमान दायित्वों प्रत्येक में ₹ 199.80 करोड़ की वृद्धि पायी गई। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि भी उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया।	199.80	2020-21		
	<b>योग</b>	<b>1053.77</b>			
	<b>लाभ को कम दर्शाया गया</b>				
1.	यूपी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.39	2019-20		
	प्रशासनिक और अन्य व्यय में अप्रयुक्त सरकारी निधियों पर ब्याज के लिए प्रावधान के रूप में ₹ 41.01 करोड़ और सरकार को भुगतान किया गया ब्याज क्रमशः ₹ 8.63 करोड़ और ₹ 32.38 करोड़ सम्मिलित हैं। नोट संख्या 29 में यह प्रकट किया गया है कि अप्रयुक्त सरकारी निधियों से सम्बन्धित अन्य आय के रूप में लेखांकित ₹ 41.20 करोड़ के ब्याज में आयकर वापसी पर ब्याज सम्मिलित है। लेखाओं के अनुसार, वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 1.39 करोड़ का आयकर वापसी प्राप्त हुई, और इसे सरकार को देय प्रशासनिक और अन्य व्यय के रूप में भी लेखांकित किया गया। यद्यपि, आयकर वापसी पर ब्याज कंपनी की आय से सम्बन्धित है, इसलिए इसे सरकार				

टिप्पणियाँ संक्षेप में		टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)
क्र. सं.	लेखाओं की अवधि	
	एसपीएसई का नाम	
	योग	1.39
<b>परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्वों को कम दर्शाया गया</b>		
1.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	2021-22 540.24
		अन्य इक्विटी में कंपनी द्वारा विगत वर्ष में हुए वास्तविक हानि के अनुसार स्वीकार्य धनराशि के अतिरिक्त उदय हानि सब्सिडी का दावा किया गया ₹ 540.24 करोड़ सम्मिलित है। इसके अनुसार, उदय हानि सब्सिडी के दावे के लिए स्वीकार्य अवधि 2020-21 में समाप्त हो गई है। अग्रेतर, कंपनी ने 2020-21 तक समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपने लेखाओं में उ.प्र. सरकार से प्राप्त होने वाली उदय हानि सब्सिडी का पहले ही लेखांकन लगा लिया था। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य इक्विटी' (ऋणात्मक शेष) और 'चालू दायित्वों' प्रत्येक में ₹ 540.24 करोड़ की कमी दर्शायी गई।
		2019-20 62.72
		अन्य वित्तीय दायित्वों में ₹ 62.72 करोड़ जो नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड भूमि में बदलने के लिए रूपांतरण शुल्क के भुगतान में विलम्ब के कारण उ.प्र. सरकार को देय ब्याज के रूप में सम्मिलित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य वित्तीय दायित्वों' के साथ-साथ 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' को ₹ 62.72 करोड़ से कम दर्शाया गया।
2.	पश्चिमांचल विद्युत निगम लिमिटेड	2021-22 40.75
		प्राप्य राशि ₹ 700.44 करोड़ के विरुद्ध कंपनी ने वर्ष 2020-21 के लिए लाभ-हानि विवरण में उदय हानि के अनुसार सब्सिडी के रूप में ₹ 659.69 करोड़ की धनराशि का लेखांकन किया। इसके परिणामस्वरूप 'सामान्य संचय (अन्य इक्विटी)' और चालू परिसम्पत्तियों को ₹ 40.75 करोड़ से कम दर्शाया गया।
3.	पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड	2021-22 404.58
		उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने वर्ष 2022-23 के लिए राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के लिए एआरआर और टैरिफ, 2021-22 के लिए एआरआर और वर्ष 2020-21 के लिए डू-अप को अनुमोदित करते हुए वर्ष 2020-21 के लिए विद्युत वितरण कंपनी-वार सब्सिडी (आरई और राजस्व सब्सिडी) की गणना की। इसकी गणना करते समय, यूपीईआरसी ने पाया कि पीयूवीएनएल (कंपनी) ने 2020-21 के दौरान ₹ 404.58 करोड़ की अधिक सब्सिडी (आरई और राजस्व सब्सिडी) का दावा किया और प्राप्त किया। अतः, इसे इस सम्बन्ध में नियंत्री कंपनी यूपीसीएल द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार चालू दायित्व के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। यद्यपि, कंपनी ने केवल "लेखों के लिए टिप्पणियाँ" के प्रस्तर संख्या 41 में तथ्यों का प्रकटीकरण किया है। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य इक्विटी' (ऋणात्मक शेष) और 'अन्य वित्तीय दायित्वों' में प्रत्येक को ₹ 404.58 करोड़ से कम दर्शाया गया।

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	लेखाओं की अवधि	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ संक्षेप में
4.	उत्तर प्रदेश पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	2463.68	त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए उदय योजना में उ.प्र. सरकार द्वारा वित्तपोषित किए जाने के लिए ₹ 4,825.65 करोड़ की धनराशि पात्र थी। यद्यपि, यूपीपीसीएल ने ₹ 7,289.33 करोड़ की अन्य आय दर्ज की और इस प्रकार, 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान परिचालन हानियों के लिए सरकारी अनुदान के कारण ₹ 2,463.68 करोड़ (₹ 7,289.33 करोड़ - ₹ 4,825.65 करोड़) की अतिरिक्त आय को अन्य आय के रूप में दर्ज किया गया। इस अतिरिक्त अनुदान को 'अन्य आय' के रूप में दर्ज करने के अपेक्षा, लेखा पुस्तकों में उ.प्र. सरकार को देय देयता के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य वित्तीय दायित्वों' और 'वित्तीय परिसम्पत्तियों-अन्य (चालू)' को ₹ 2,463.68 करोड़ से कम दर्शाया गया।
		2019-20	1282.95	कंपनी द्वारा वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में उदय योजना के अंतर्गत उ.प्र. सरकार से ₹ 1,282.95 करोड़ की अतिरिक्त शुद्ध हानि का दावा/प्राप्त किया गया। इसे उ.प्र. सरकार को देय दायित्व के रूप में लेखा पुस्तकों में दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य वित्तीय दायित्वों' और 'वित्तीय परिसम्पत्तियों-अन्य (चालू)' में से प्रत्येक में ₹ 1,282.95 करोड़ की कमी दर्शायी गयी।
		2018-19	490.17	वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में उदय योजना के अंतर्गत उ.प्र. सरकार से ₹ 490.17 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि का दावा/प्राप्ति की गई, जिसे लेखा पुस्तकों में उ.प्र. सरकार को देय दायित्व के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य वित्तीय दायित्वों' और 'वित्तीय परिसम्पत्तियों-अन्य (चालू)' में ₹ 490.17 करोड़ की कमी दर्शायी गयी।
5.	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	11.30	पूँजीगत कार्य-प्रगति में वर्ष 2019-20 के दौरान निष्पादित कार्यों के लिए फर्मा द्वारा प्रस्तुत बिलों के लिए लेखाओं में प्रावधानित न किए जाने के कारण ₹ 11.30 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप पूँजीगत कार्य-प्रगति और चालू दायित्वों में प्रत्येक के ₹ 11.30 करोड़ से कम दर्शाया गया।
6.	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	27.12	बैलेंस शीट के नोट 1.1 के लिए व्याख्यात्मक नोट संख्या 1 के साथ पठित नोट संख्या 1.3 के अनुसार, कंपनी ने नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीडा) से ₹ 339.00 करोड़ की लीजहोल्ड भूमि 90 वर्ष की अवधि के लिए ₹ 1 प्रति वर्ष के नाममात्र पट्टा किराया पर प्राप्त किया। पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए अचल सम्पत्ति के पट्टे को पंजीकृत कराना आवश्यक है। यद्यपि, कंपनी ने न तो लीज को पंजीकृत किया और न ही स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के लिए दायित्व का प्रावधान किया। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू परिसम्पत्तियों (नोएडा/जीनीडा से वसूली योग्य) और अन्य चालू दायित्वों को ₹ 27.12 करोड़ से कम दर्शाया गया।

टिप्पणियाँ संक्षेप में				
क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	लेखाओं की अवधि	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	
7.	डीएमआईसी इंडीगोटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप गेटर नोएडा लिमिटेड	2021-22	25.20	व्यापारिक देयताओं में 220 केवी उपकेन्द्र और उससे जुड़ी सम्बन्धित लाइनों के निर्माण कार्य के लिए उत्तर प्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) को देय अतिरिक्त दायित्व के रूप में ₹ 25.20 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं। यूपीपीटीसीएल ने माल और सेवा कर लगाने और पर्यवेक्षण शुल्क में संशोधन के कारण कंपनी द्वारा ₹ 155.00 करोड़ के अग्रिम भुगतान के विरुद्ध ₹ 180.20 करोड़ का संशोधित लागत अनुमान प्रस्तुत किया। इसके परिणामस्वरूप व्यापारिक देयताएं और इन्वेंट्री में ₹ 25.20 करोड़ से प्रत्येक को कम करके दर्शाया गया।
योग			5348.71	
<b>परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को अधिक दर्शाया गया</b>				
1.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	1953.42	कंपनी ने विगत वर्ष (2020.21) में उदय के अंतर्गत ₹ 2,159.69 करोड़ का प्राप्य अनुदान सामान्य संचय में दर्ज किया तथा वर्ष 2021-22 के लाभ-हानि विवरण में सामान्य संचय से ₹ 206.27 करोड़ के प्राप्य अनुदान की वास्तविक धनराशि को अन्य आय में अंतरित कर दिया, जो कि गलत है क्योंकि उदय अनुदान पहले ही प्राप्त हो चुका था। इसके परिणामस्वरूप सामान्य संचय और उ.प्र. सरकार से प्राप्य में से प्रत्येक को ₹ 1,953.42 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
		2020-21	2159.69	सामान्य संचय में कंपनी द्वारा स्वीकार्य धनराशि के अतिरिक्त उदय हानि सब्सिडी का ₹ 2159.69 करोड़ का दावा सम्मिलित है, क्योंकि कंपनी ने 2020-21 तक समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपने लेखाओं में पहले ही उ.प्र. सरकार से प्राप्त होने वाली उदय हानि सब्सिडी का लेखांकन कर लिया था। इसलिए, अतिरिक्त उदय हानि सब्सिडी के लेखांकन के फलस्वरूप सामान्य संचय और उ.प्र. सरकार से प्राप्य को ₹ 2,159.69 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
2.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	886.41	अन्य इक्विटी में कंपनी द्वारा विगत वर्षों में हुई वास्तविक हानि के अनुसार स्वीकार्य धनराशि के अतिरिक्त कंपनी द्वारा किए गए उदय हानि सब्सिडी के दावे के रूप में ₹ 886.41 करोड़ सम्मिलित हैं। इसलिए, अतिरिक्त उदय हानि सब्सिडी के लेखांकन के परिणामस्वरूप सामान्य संचय और उ.प्र. सरकार से प्राप्य में से प्रत्येक को ₹ 886.41 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।

टिप्पणियाँ संक्षेप में			
क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	लेखाओं की अवधि	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)
3.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	14.99
	<b>योग</b>		<b>5014.51</b>
<b>ब. सांविधिक निगम</b>			
<b>लाभ को अधिक दर्शाया गया</b>			
1.	उत्तर प्रदेश वन निगम	2021-22	1.75
	<b>योग</b>		<b>1.75</b>
<b>हानि को कम दर्शाया गया</b>			
1	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2020-21	47.03
	<b>योग</b>		<b>47.03</b>

व्यापार प्राप्यों में वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से और वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य (डीजीएमएच) से देय सैंटेज धनराशि के रूप में दिखाए गए ₹ 14.99 करोड़ सम्मिलित हैं। कंपनी को दवाओं और उपकरणों की क्रय के लिए सैंटेज सहित धनराशि प्राप्त हुआ है लेकिन देय सैंटेज को समायोजित किए बिना इसे अल्पावधि ऋण के अंतर्गत अप्रयुक्त निधि के रूप में दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्तियों और अल्पावधि ऋण (अप्रयुक्त निधि) को ₹14.99 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।

वन विकास गतिविधियों (अनुसूची पी) में 26 एवं 27 नवम्बर, 2016 को इटावा (सैफई) से आगरा तक अंतरराष्ट्रीय साइकिल रैली (आईसीआर) के आयोजन के लिए पर्यटन विभाग को देय ₹ 1.75 करोड़ की धनराशि सम्मिलित नहीं है। आईसीआर के लिए कुल बजट आवंटन ₹ 3.50 करोड़ था। ₹ 3.50 करोड़ के कुल बजट आवंटन के विरुद्ध निगम द्वारा पर्यटन विभाग को ₹ 1.75 करोड़ अवमुक्त किए गए। शेष ₹ 1.75 करोड़ की धनराशि पर्यटन विभाग को अवमुक्त नहीं की गई, जिसके लिए लेखाओं में दायित्व का उल्लेख नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप चालू दायित्वों एवं प्रावधानों को कम तथा लाभ को ₹ 1.75 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।

अतिरिक्त कर में 2009 से 2020 की अवधि से सम्बन्धित कम भुगतान किए गए अतिरिक्त कर की देयता के रूप में ₹ 47.03 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं। इसके सम्बन्ध में, निगम ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 53.97 करोड़ की देय धनराशि के विरुद्ध ₹ 6.94 करोड़ का भुगतान किया था। देय धनराशि एक निश्चित दायित्व होने के बावजूद, इसे लेखों की टिप्पणी में 'आकस्मिक दायित्व' के रूप में गलत तरीके से प्रकट किया गया है। इसके परिणामस्वरूप चालू दायित्वों (अतिरिक्त कर) और लाइसेंस और कर (अतिरिक्त कर) को कम करके दिखाया गया और वर्ष के लिए 'हानि' में प्रत्येक को ₹ 47.03 करोड़ से कम दर्शाया गया।

टिप्पणियाँ संक्षेप में		टिप्पणी का	लेखाओं	एसपीएसई का नाम	लेखाओं	टिप्पणी का
क्र. सं.	परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को कम दर्शाया गया	मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	की अवधि	सड़क परिवहन निगम	को कम दर्शाया गया	(₹ करोड़ में)
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	5.84	2020-21	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2020-21	5.84
<p>निगम ने राज्य सरकार के निर्देश/अनुमोदन के बिना सड़क परिवहन सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए यात्री सुविधा निधि बनाई थी।</p> <p>वर्ष 2020-21 के दौरान, रक्षाबंधन के अवसर पर महिला यात्रियों को प्रदान की गई निःशुल्क यात्रा सुविधा पर ₹ 5.84 करोड़ व्यय किया गया और जिसे बोर्ड के निर्णय के अनुसार यात्री सुविधा निधि में डाला गया है। सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 29 के प्रावधान के विपरीत, इस व्यय को राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए बिना यात्री सुविधा निधि से लेखांकित किया गया।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप यात्री सुविधा निधि और विविध देनदारों (सरकारी विभाग को अग्रिम) में प्रत्येक को ₹ 5.84 करोड़ से कम दर्शाया गया।</p>						
		3.26	2020-21			3.26
<p>लेखाओं के लिए टिप्पणियों के टिप्पणी संख्या 29 में कहा गया है कि यात्री राहत योजना और निर्भया निधि की बैंक जमाराशि पर प्राप्त ब्याज को इन निधियों की प्राप्ति के रूप में दिखाया गया है। यद्यपि, 2020-21 की अवधि के दौरान निर्भया निधि से आईसीआईसीआई बैंक में जमाराशि पर अर्जित ₹ 3.29 करोड़ के ब्याज का लेखांकन पुस्तकों में नहीं किया गया।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप संचय एवं निधि (निर्भया निधि) और चालू आस्तियाँ (बैंक में नकदी-चालू खाते में) में प्रत्येक को ₹ 3.26 करोड़ से कम दर्शाया गया।</p>						
<b>योग</b>		<b>9.10</b>				
परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को अधिक दर्शाया गया						
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	3.30	2020-21	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2020-21	3.30
<p>निर्भया निधि: वर्ष 2019-20 के दौरान निर्भया निधि से ₹ 19.80 करोड़ का व्यय घटाने के बाद ₹ 59.57 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। यद्यपि, निगम ने इस निधि से 50 पेंक बसों को क्रय और अन्य व्यय के लिए ₹ 23.10 करोड़ का भुगतान किया, जिसके सापेक्ष 2019-20 की अवधि के दौरान लेखों में केवल ₹ 19.80 करोड़ का व्यय लेखांकित किया गया।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप संचय एवं निधि (निर्भया निधि) और चालू परिसम्पत्तियों (बैंक के चालू खाते में नकदी) में प्रत्येक को ₹ 3.30 करोड़ (₹ 23.10 करोड़ - ₹ 19.80 करोड़) से अधिक दर्शाया गया।</p>						
<b>योग</b>		<b>3.30</b>				

परिशिष्ट 2.4

(प्रस्तर 2.8 में संदर्भित)

एसपीएसई जहाँ सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एस/इंड एस का अनुपालन न करना प्रतिवेदित किया था को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	वित्तीय विवरण का वर्ष	अनिवार्य एस/इंड एस का नाम
1	2	3	4
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2021-22	इंड एस- 1, 8, 19 एवं 20
2	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	इंड एस-1, 2, 16, 19, 20, 36, 107, 109 एवं 116
3	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	इंड एस -2 एवं 19
4	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	इंड एस-23 एवं 37
5	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	इंड एस-109
6	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	इंड एस-1, 2, 16, 19 एवं 20
7	यू.पी. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	एस-29
8	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2010-11	एस-9, 10, 15 एवं 22
9	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2019-20	एस-9, 22, 28 एवं 29
10	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	2003-04	एस-15
11	उत्तर प्रदेश स्टेट एगो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	एस-2
12	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	एस-1,2, 5, 7 एवं 29
13	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2019-20	इंड एस-119
14	उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2011-12	एस.-2, 3, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28 एवं 29
15	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	एस-16
16	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड (पृथक)	2017-18	इंड एस-1, 2, 10, 12, 19, 24, 27, 36, 105 एवं 112
17	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती में उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	2008-09	एस-2, 12, 15, 22 एवं 29
18	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2017-18	एस-1, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 28
19	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड	2018-19	एस-9
20	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	इंड एस-21 एवं 109
21	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड	2021-22	एस-15
22	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	एस-15
23	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2020-21	एस-2, 7 एवं 29
24	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	एस-12
25	उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड के नाम से ज्ञात)	2020-21	एस-1
26	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	इंड एस-101
27	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	एस-3 एवं 7

## परिशिष्ट 2.5

(प्रस्तर 2.8 में संदर्भित)

एसपीएसई जहाँ सीएजी द्वारा अनिवार्य एएस/इंड एएस का अनुपालन न करना इंगित किया गया था को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	वित्तीय विवरण का वर्ष	एएस/ इंड एएस	एएस/इंड एएस जिनका अनुपालन नहीं किया गया
1	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	इंड एएस	8, 20, एवं 23
2	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	इंड एएस	8, 20, एवं 23
3	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	इंड एएस	19, 20, एवं 23
4	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	2020-21	इंड एएस	20
5	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	2021-22	इंड एएस	20
6	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	इंड एएस	20
7	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	इंड एएस	8, 20, एवं 23
8	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	इंड एएस	1, 20, एवं 23
9	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	इंड एएस	1, 19, 23, एवं 20
10	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	इंड एएस	1 एवं 20
11	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	इंड एएस	1 एवं 20
12	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड	2021-22	एएस	2, 3, एवं 5
13	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (समेकित)	2017-18	एएस	3, 4, एवं 29
14	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पृथक)	2017-18	एएस	3 एवं 4
15	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पृथक)	2018-19	एएस	13 एवं 12
16	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2021-22	एएस	9
17	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पृथक)	2019-20	इंड एएस	8
18	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (समेकित)	2020-21	इंड एएस	8 एवं 16
19	अपट्रॉन पावरट्रॉनिक्स लिमिटेड	2020-21	एएस	3
20	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	एएस	12
21	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	एएस	12
22	छाता शूगर कंपनी लिमिटेड	2017-18	इंड एएस	37
23	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	2021-22	इंड एएस	8
24	कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2010-11	एएस	1
25	कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2015-16	एएस	1 एवं 5
26	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016-17	एएस	12
27	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017-18	एएस	12
28	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2020-21	एएस	4 एवं 29
29	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	एएस	2 एवं 12
30	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	इंड एएस	7 8, 10, 16, 17, एवं 101
31	यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	एएस	4
32	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	एएस	12 एवं 20

स्रोत: एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर निर्गत टिप्पणियों से संकलित

परिशिष्ट 2.6

(प्रस्तर 2.9 में संदर्भित)

1 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 तक की अवधि के दौरान एसपीएसई को निर्गत किए गए प्रबंधन पत्रों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	वित्तीय विवरण का वर्ष	लेखाओं की संख्या
1	2	3	
1	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20 एवं 2020-21	2
2	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	1
3	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2021-22	1
4	कानपुर विद्युत् आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	2021-22	1
5	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	1
6	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड	2020-21 एवं 2021-22	2
7	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड	2020-21	1
8	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016-17 एवं 2017-18	2
9	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	1
10	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2020-21	1
11	उत्तर प्रदेश जल निगम	2013-14 से 2016-17	4
12	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	1
13	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	2
14	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2020-21	1
15	उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड के नाम से ज्ञात)	2019-20	1
16	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2018-19	1
17	यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	1
18	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	1

## परिशिष्ट 3.1

(प्रस्तर 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11 एवं 3.20 में संदर्भित)  
 एसपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों, महिला निदेशकों, बोर्ड बैठकों, लेखापरीक्षा समितियों, नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समितियों (एनआरसी), तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	आवश्यकता		31-03-2023 को स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	31-03-2023 को महिला निदेशकों की संख्या	आवश्यकता			लेखापरीक्षा समिति	बोर्ड बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या
		स्वतंत्र निदेशक	महिला निदेशक			एनआरसी	केएमपी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2	1		1	हो	हो		1	1	
2	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2	1	1		हो	हो	हो	3	1	
3	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड	2				हो	हो	हो	4		
4	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	1		1	हो	हो	हो	9	6	
5	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2				हो	हो	हो	2	2	
6	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		1					हो	6		
7	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड								3		
8	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		1		1			हो	10		
9	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप गेटर नोएडा लिमिटेड	2	1	2	1	हो	हो	हो	5	4	
10	उत्तर प्रदेश स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2				हो	हो	हो	1	1	
11	उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद								2		
12	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड							हो	3		
13	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2	1			हो	हो	हो	1	1	
14	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	1			हो	हो	हो	2	1	
15	यूपीएसआईडीसी पावर कंपनी लिमिटेड								0		
16	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2	1		1	हो	हो	हो	11	4	
17	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		1		1			हो	9		
18	उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	1			हो	हो	हो	3		

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	आवश्यकता		31-03-2023 को स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	31-03-2023 को महिला निदेशकों की संख्या	आवश्यकता			बोर्ड बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या
		स्वतंत्र निदेशक	महिला निदेशक			लेखापरीक्षा समिति	एनआरसी	केएमपी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड		1		1			हाँ	4	
20	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2				हाँ	हाँ	हाँ	4	
21	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		1		1			हाँ	10	
22	अपटून पॉवरट्रान्निक्स लिमिटेड								2	
23	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		1		1			हाँ	10	
24	उत्तर प्रदेश पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	1		1	हाँ	हाँ	हाँ	13	11
25	उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2	1			हाँ	हाँ	हाँ	0	4
26	यूसीएम कोल कंपनी लिमिटेड								0	
27	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड		1		1			हाँ	7	
28	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड								0	
29	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड								0	
30	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2				हाँ	हाँ	हाँ	1	
31	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड							हाँ	1	
32	उत्तर प्रदेश ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड								0	
33	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2		1 <sup>2</sup>		हाँ	हाँ	हाँ	4	3
34	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2				हाँ	हाँ	हाँ	1	
35	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड								0	
36	उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	1		1	हाँ	हाँ	हाँ	5	
37	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2	1		1	हाँ	हाँ	हाँ	4	2

<sup>2</sup> वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में दिनांक 21.03.2023 तक एक स्वतंत्र निदेशक था।

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	आवश्यकता		31-03-2023 को स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	31-03-2023 को महिला निदेशकों की संख्या	आवश्यकता			लेखापरीक्षा समिति	एनआरसी	केएमपी	बोर्ड बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या
		स्वतंत्र निदेशक	महिला निदेशक			लेखापरीक्षा समिति	एनआरसी	केएमपी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
38	यू.पी. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2	1			हाँ	हाँ	हाँ	4				
39	आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड								0				
40	कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड								1				
41	लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड							हाँ	2				
42	मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड								0				
43	वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड								0				
44	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड								0				
45	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड								4				
46	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड							हाँ	4				
47	झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड								4				
48	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2	1	2	1	हाँ	हाँ	हाँ	2				
49	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2	1			हाँ	हाँ	हाँ	3				1
50	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड								10				
51	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2	1	2	1	हाँ	हाँ	हाँ	5				4
52	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2	1			हाँ	हाँ	हाँ	4				
53	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2	1	2	1	हाँ	हाँ	हाँ	5				4
54	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2	1			हाँ	हाँ	हाँ	5				
55	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2				हाँ	हाँ	हाँ	4				1
56	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड		1		1				4				
57	यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	1		1	हाँ	हाँ	हाँ	4				3
58	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम								0				
59	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड		1					हाँ	4				
60	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2	1		1	हाँ	हाँ	हाँ	4				1
61	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड								3				

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	आवश्यकता		31-03-2023 को स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	31-03-2023 को महिला निदेशकों की संख्या	आवश्यकता			बोर्ड बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या
		स्वतंत्र निदेशक	महिला निदेशक			लेखापरीक्षा समिति	एनआरसी	केएमपी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड									
63	उत्तर प्रदेश स्टेट एगो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	1			हाँ	हाँ	हाँ	1	
64	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2				हाँ	हाँ		2	2
65	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2				हाँ	हाँ		1	
66	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड								2	

**परिशिष्ट 3.2**  
(प्रस्तर 3.22 में संदर्भित)  
**एसपीएसई में आंतरिक लेखापरीक्षा की रूपरेखा को दर्शाने वाला विवरण**

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति	आंतरिक लेखापरीक्षा जिसके द्वारा की गई
1	2	3	4
1	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	अर्धवार्षिक	सीए
2	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड	शून्य	शून्य
3	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वार्षिक	सीए
4	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	त्रैमासिक	सीए
5	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	वार्षिक	आईसीडब्ल्यूए
6	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	वार्षिक	सीए/आईसीडब्ल्यूए
7	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	अर्धवार्षिक	सीए
9	उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अर्धवार्षिक	सीए
10	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	वार्षिक	सीए
11	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	अर्धवार्षिक	सीए
12	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	त्रैमासिक	सीए
13	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	वार्षिक	सीए/आईसीडब्ल्यूए
14	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	वार्षिक	सीए/आईसीडब्ल्यूए
15	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	वार्षिक	सीए
16	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	वार्षिक	सीए
17	यू.पी. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	वार्षिक	विभागीय
18	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	त्रैमासिक	सीए
19	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शून्य	शून्य
20	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	त्रैमासिक	सीए
21	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	त्रैमासिक	सीए
22	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शून्य	शून्य
23	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	त्रैमासिक	सीए
24	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	वार्षिक	सीए
25	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	त्रैमासिक	सीए
26	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	शून्य	शून्य
27	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	शून्य	शून्य
28	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शून्य	शून्य
29	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	वार्षिक	सीए
30	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	वार्षिक	विभागीय
31	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कंपनी लिमिटेड	त्रैमासिक	सीए
32	उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शून्य	शून्य
33	उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वार्षिक	सीए
34	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	त्रैमासिक	सीए
35	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	त्रैमासिक	सीए
36	यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वार्षिक	सीए
37	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	शून्य	शून्य
38	आगरा मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	वार्षिक	सीए

परिशिष्ट 4.1

(प्रस्तर 4.1 में संदर्भित)

31 मार्च 2023 को प्रभावी भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	इंड एस की संख्या	इंड एस का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	इंड एस 101	भारतीय लेखा मानकों का प्रथम-बार अंगीकरण	--
2.	इंड एस 102	शेयर आधारित भुगतान	--
3.	इंड एस 103	व्यावसायिक संयोजन	--
4.	इंड एस 104	बीमा अनुबंध	--
5.	इंड एस 105	बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियों एवं बंद परिचालन	--
6.	इंड एस 106	खनिज संसाधनों की खोज एवं उनका मूल्यांकन	--
7.	इंड एस 107	वित्तीय लिखतें एवं प्रकटन	--
8.	इंड एस 108	परिचालन खण्ड	--
9.	इंड एस 109	वित्तीय प्रपत्र	--
10.	इंड एस 110	समेकित वित्तीय विवरण	--
11.	इंड एस 111	संयुक्त व्यस्थाएं	--
12.	इंड एस 112	अन्य प्रतिष्ठानों में हितों का प्रकटन	--
13.	इंड एस 113	उचित मूल्य माप	--
14.	इंड एस 114	नियामक आस्थगन लेखा	--
15.	इंड एस 115	ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व (अप्रैल 2018 से लागू)	हटाया गया (मार्च 2016) एवं पुनः अधिसूचित (मार्च 2018)
16.	इंड एस 116	पट्टे	अधिसूचित (मार्च 2019)
17.	इंड एस 1	वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण	--
18.	इंड एस 2	इन्वेंटरीज	--
19.	इंड एस 7	नकदी प्रवाह विवरण	--
20.	इंड एस 8	लेखा नीतियाँ, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियाँ	--
21.	इंड एस 10	रिपोर्टिंग अवाधि के बाद की घटनाएँ	--
22.	इंड एस 12	आयकर	--
23.	इंड एस 16	सम्पति, सयंत्र एवं उपकरण	--
24.	इंड एस 19	कर्मचारी फायदे	--
25.	इंड एस 20	सरकारी अनुदानों का लेखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटन	--
26.	इंड एस 21	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव	--
27.	इंड एस 23	उधार लागतें	--
28.	इंड एस 24	सम्बन्धित पक्ष का प्रकटन	--
29.	इंड एस 27	पृथक वित्तीय विवरण	--
30.	इंड एस 28	सहयोगी प्रतिष्ठानों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश	--
31.	इंड एस 29	उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग	--
32.	इंड एस 32	वित्तीय लिखतें: प्रस्तुतीकरण	--
33.	इंड एस 33	प्रति शेयर अर्जन	--
34.	इंड एस 34	अंतरिम वित्तीय विवरण	--
35.	इंड एस 36	परिसम्पतियों की क्षतिग्रस्तता	--
36.	इंड एस 37	प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसम्पतियाँ	--
37.	इंड एस 38	अमूर्त परिसम्पतियाँ	--
38.	इंड एस 40	निवेश सम्पति	--
39.	इंड एस 41	कृषि	--

**परिशिष्ट 4.2**  
**(प्रस्तर 4.3 में संदर्भित)**  
**इंड-एस को अंगीकृत करने वाले एसपीएसई को दर्शाने वाला विवरण**

क्र.सं.	एसपीएसई का नाम	इंड-एस के अंगीकरण का वर्ष	स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4	5
<b>चरण-I (2016-17)</b>				
1.	उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	कार्यरत	उत्तर प्रदेश में पाँच विद्युत वितरण कंपनियों की नियंत्री कंपनी (क्र.सं. 2 से 6 तक)
2.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	कार्यरत	उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक
3.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	कार्यरत	
4.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	कार्यरत	
5.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	कार्यरत	
6.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	2016-17	कार्यरत	
7.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2016-17	कार्यरत	-
8.	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2016-17	कार्यरत	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक
9.	यूसीएम कोल कंपनी लिमिटेड	2016-17	स्थापना के बाद से कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं (10/2018)	यह कंपनी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड एवं महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की संयुक्त उद्यम है।
10.	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	कार्यरत	-
11.	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	2016-17	कार्यरत	-
12.	अल्मोड़ा मैंगनेसाइट लिमिटेड	2016-17	कार्यरत	यह कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, टीआरएल क्रोसाकी रिफ़्रेक्टरीज लिमिटेड एवं उत्तराखण्ड राज्य इंप्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है।
13.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2016-17	कार्यरत	चार कंपनियों की नियंत्री कंपनी (क्र.सं.14 से 17 तक)
14.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	2016-17	कार्यरत	क्र.सं.15 से 17 पर उत्तर प्रदेश चीनी निगम लिमिटेड की सहायक
15.	नंदगंज सिरौही शुगर कंपनी लिमिटेड	2017-18	कार्यरत	ने वर्ष 2016-17 के स्थान पर वर्ष 2017-18 हेतु वित्तीय विवरण

क्र.सं.	एसपीएसई का नाम	इंड-एस के अंगीकरण का वर्ष	स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4	5
16.	घाटमपुर शुगर कंपनी लिमिटेड	2017-18	वर्ष 2009-10 से व्यावसायिक गतिविधि बंद	तैयार करने के लिए इंड-एस को अंगीकृत किया जैसा कि प्रस्तर 4.5.1 में दर्शाया गया है।
17.	छाता शुगर कंपनी लिमिटेड	2017-18	कार्यरत	लागू नेट वर्थ के अनुसार, कंपनी ने वर्ष 2017-18 हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए इंड-एस को अंगीकृत किया।
18.	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	कार्यरत	
<b>चरण-II (2017-18)</b>				
19.	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	कार्यरत	--
20.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2019-20	कार्यरत	लागू नेट वर्थ के अनुसार, कंपनी ने वर्ष 2019-20 हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए इंड-एस को अंगीकृत किया।
21.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	कार्यरत	कंपनी ने वर्ष 2018-19 के बजाय वर्ष 2021-22 हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए इंड-एस को अंगीकृत किया, जैसा कि प्रस्तर 4.5.1 में दर्शाया गया है।
22.	नोएडा इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड	2020-21	कार्यरत	लागू नेट वर्थ के अनुसार, कंपनी ने वर्ष 2020-21 हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए इंड-एस को अंगीकृत किया।
23.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2022-23	कार्यरत	लागू नेट वर्थ के अनुसार, कंपनी ने वर्ष 2022-23 हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए इंड-एस को अंगीकृत किया।
<b>स्वैच्छिक अंगीकरण</b>				
24.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	कार्यरत	कंपनी ने स्वेच्छा से अपने प्रथम वित्तीय विवरण वर्ष 2018-19 को तैयार करने के लिए इंड-एस को अंगीकृत किया।
25.	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	कार्यरत	--
26.	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	कार्यरत	--

**परिशिष्ट 4.3**  
**(प्रस्तर 4.4. में संदर्भित)**  
**इंड-एसस को प्रथम बार अंगीकृत करते समय एसपीएसई द्वारा उपयोग किये गये विकल्पों/छूटों को दर्शाने वाला विवरण**

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	इंड-एसस 16 (सम्पत्ति, सयंत्र एवं उपकरण), इंड-एसस 38 (अमूर्त परिसम्पत्तियाँ) एवं इंड-एसस 40 (निवेश सम्पत्ति)		इंड-एसस 17 (पट्टा वर्गीकरण)		इंड-एसस 27 (पृथक वित्तीय विवरण)	
		उचित मूल्य	वहन मूल्य	पारगमन तिथि	भावी प्रभाव से	लागत	इंड-एसस 109 के अनुरूप
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>चरण-I (2016-17)</b>							
1.	उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	हाँ	-	-	हाँ	-
2.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
3.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
4.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
5.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
6.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
7.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
8.	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
9.	यूसीएम कोल कंपनी लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
10.	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
11.	डीएमआईसी इंडीगोटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप गेटर नोएडा लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
12.	अल्मोडा मैंगनेसाइट लिमिटेड	-	हाँ	हाँ	-	-	-
13.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
14.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
15.	नंदगंज सिरोही शुगर कंपनी लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
16.	घाटमपुर शुगर कंपनी लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
17.	छाता शुगर कंपनी लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	इंड-एस 16 (सम्पत्ति, संचयन एवं उपकरण), इंड-एस 38 (अमूर्त परिसम्पत्तियाँ) एवं इंड-एस 40 (निवेश सम्पत्ति)		इंड-एस 17 (पट्टा वर्गीकरण)		इंड-एस 27 (पृथक वित्तीय विवरण)	
		उचित मूल्य	वहन मूल्य	पारगमन तिथि	भावी प्रभाव से	लागत	इंड-एस 109 के अनुरूप
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्वती लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड)	-	हाँ	-	-	-	-
19.	नॉएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
20.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
21.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
22.	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
23.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
24.	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-
25.	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	हाँ	-	-	-	-

## परिशिष्ट 4.4

(प्रस्तर 4.8. में संदर्भित)

कर पश्चात् लाभ (पीएटी) में वृद्धि/कमी में योगदान देने वाले कारकों/कारणों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	योगदान देने वाले कारक/कारण	
		वृद्धि	कमी
1	2	3	1
1.	उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अन्य आय (₹ 7.94 करोड़) में वृद्धि, कर्मचारियों के लाभ व्यय और प्रशासन, सामान्य एवं अन्य व्यय (₹ 0.017 करोड़), और पूर्व अवधि व्यय (₹ 0.29 करोड़) के समायोजन में कमी के कारण ₹ 8.25 करोड़ की वृद्धि हुई।	विद्युत क्रय व्यय में ₹ 125.27 करोड़ की वृद्धि के कारण ₹ 125.27 करोड़ की कमी हुई।
2.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	कर्मचारियों के लाभ व्यय (₹ 73.84 करोड़), मूल्यहास और परिशोधन व्यय (₹ 93.39 करोड़), प्रशासन, सामान्य एवं अन्य व्यय (₹ 2.88 करोड़) एवं पूर्व अवधि के व्यय (₹ 93.39 करोड़) के समायोजन में कमी के कारण ₹ 263.50 करोड़ की वृद्धि।	अन्य आय (₹ 14.20 करोड़) में कमी और वित्त लागत में वृद्धि (₹ 5.07 करोड़) के कारण ₹ 19.27 करोड़ की कमी हुई।
3.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	राजस्व (₹ 3.29 करोड़) में वृद्धि, वित्त लागत (₹ 17.01 करोड़) में कमी और पूर्व अवधि व्यय (₹ 2.04 करोड़) में समायोजन के कारण ₹ 22.34 करोड़ की वृद्धि हुई।	कर्मचारियों के लाभ व्यय (₹ 17.62 करोड़), प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय (₹ 0.0087 करोड़) तथा मरम्मत एवं रखरखाव लागत (₹ 0.17 करोड़) में वृद्धि के कारण ₹ 17.80 करोड़ की कमी हुई।
4.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	कर्मचारियों के लाभ व्यय (₹ 1.16 करोड़), मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय (₹ 0.70 करोड़) और पूर्व अवधि व्यय (₹ 71.11 करोड़) में समायोजन में कमी के कारण ₹ 72.97 करोड़ की वृद्धि हुई।	परिचालन से राजस्व एवं अन्य आय (₹ 2.01 करोड़) में कमी के कारण ₹ 2.01 करोड़ की कमी हुई।
5.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	पूर्व अवधि व्यय में समायोजन के कारण ₹ 108.44 करोड़ की वृद्धि हुई।	कर्मचारियों के लाभ व्यय (₹ 16.83 करोड़) और प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (₹ 3.46 करोड़) में वृद्धि के कारण ₹ 20.29 करोड़ की कमी हुई।
6.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	पूर्व अवधि व्यय में समायोजन के कारण ₹ 1.41 करोड़ की वृद्धि हुई।	कर्मचारियों के लाभ व्यय (₹ 0.03 करोड़), मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय (₹ 0.03 करोड़), तथा मरम्मत एवं रखरखाव व्यय (₹ 0.18 करोड़) में वृद्धि के कारण ₹ 0.24 करोड़ की कमी हुई।
7.	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	परिचालन से राजस्व (₹ 40.07 करोड़) में कमी, एवं अन्य आय (₹ 17.78 करोड़) और कर्मचारियों के लाभ व्यय (₹ 22.63 करोड़),

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	योगदान देने वाले कारक/कारण	
		वृद्धि	कमी
1	2	3	1
			वित्त लागत (₹ 0.40 करोड़), मूल्यहास और परिशोधन व्यय (₹ 29.00 करोड़), प्रशासन एवं सामान्य व्यय (₹ 7.22 करोड़), मरम्मत और रखरखाव व्यय (₹ 0.06 करोड़), और पूर्व अवधि व्यय (₹ 14.87 करोड़) के समायोजन में वृद्धि के कारण ₹ 132.03 करोड़ की कमी हुई।
8.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय (₹ 0.02 करोड़), अन्य व्यय (₹ 0.001 करोड़) और कर्मचारी लाभ व्यय (₹ 0.42 करोड़) में कमी के कारण ₹ 0.44 करोड़ की वृद्धि हुई।	परिचालन से राजस्व (₹ 0.02 करोड़) और प्रशासन एवं बिक्री व्यय (₹ 0.01 करोड़) में कमी के कारण ₹ 0.03 करोड़ की कमी हुई।
9.	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्वर्ती लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	परिचालन से राजस्व (₹ 0.0043 करोड़), कर्मचारियों के लाभ व्यय (₹ 0.43 करोड़) में कमी, अन्य व्यय (₹ 0.70 करोड़) और पूर्व अवधि व्यय (₹ 0.50 करोड़) के समायोजन में वृद्धि के कारण ₹ 1.63 करोड़ की वृद्धि हुई।	अन्य आय (₹ 0.004 करोड़) में कमी, पूर्व अवधि राजस्व (₹ 0.025 करोड़) के समायोजन और परिचालन व्यय (₹ 0.63 करोड़) में वृद्धि के कारण ₹ 0.66 करोड़ की कमी हुई।
10.	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	असाधारण मदों के समायोजन के कारण ₹ 1.56 करोड़ की वृद्धि हुई।	परिचालन व्यय (₹ 0.18 करोड़), कर्मचारी लाभ व्यय (₹ 0.03 करोड़) और अन्य व्यय (₹ 0.15 करोड़) में वृद्धि के कारण ₹ 0.36 करोड़ की कमी।

**परिशिष्ट 4.5**  
(प्रस्तर 4.8 में संदर्भित)

**कुल परिसम्पतियों में वृद्धि/कमी में योगदान देने वाले कारकों/कारणों को दर्शाने वाला विवरण**

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	योगदान देने वाले कारक/कारण	
		वृद्धि	कमी
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	प्रगतिरत पूँजीगत कार्य (₹ 0.39 करोड़) और अन्य चालू परिसम्पतियों (₹ 8.21 करोड़) में समायोजन के कारण ₹ 8.60 करोड़ की वृद्धि हुई।	पूर्व अवधियों में गलत तरीके से लगाए गए मूल्यहास के सही वर्गीकरण के कारण ₹ 0.05 करोड़ की कमी हुई।
2.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (₹ 2.23 करोड़), अन्य चालू परिसम्पतियों (₹ 938.06 करोड़) और अंतर-इकाई हस्तांतरण (₹ 123.83 करोड़) में पुनर्कथन के कारण ₹ 1,064.12 करोड़ की कमी हुई।
3.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	--	अन्य चालू परिसम्पतियों में पुनर्वर्गीकरण (₹ 568.52 करोड़), अंतर-इकाई हस्तांतरण (₹ 177.67 करोड़) के समायोजन और अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (₹ 0.93 करोड़) के कारण ₹ 747.12 करोड़ की कमी हुई।
4.	उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	प्रगतिरत पूँजीगत कार्य में समायोजन के कारण ₹ 48.25 करोड़ की वृद्धि हुई।	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (₹ 65.03 करोड़), अन्य अमूर्त परिसम्पतियों (₹ 0.07 करोड़), व्यापार प्राप्य (₹ 43.97 करोड़) और अन्य चालू परिसम्पतियों (₹ 15.10 करोड़) में समायोजन के कारण 124.17 करोड़ की कमी हुई।
5.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	वित्तीय परिसम्पतियों (₹ 0.003 करोड़), अन्य चालू परिसम्पतियों (₹ 0.71 करोड़), चालू कर परिसम्पतियों (शुद्ध) (₹ 0.43 करोड़), सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (₹ 0.04 करोड़), और अमूर्त परिसम्पतियों (₹ 0.005 करोड़) में वृद्धि के कारण ₹ 1.19 करोड़ की वृद्धि हुई।	अल्पावधि ऋण और अग्रिम (₹ 1.14 करोड़) एवं आस्थगित कर परिसम्पतियों (₹ 0.02 करोड़) में कमी के कारण ₹ 1.16 करोड़ की कमी हुई।
6.	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	प्रगतिरत पूँजीगत कार्य (₹ 4.43 करोड़), अन्य चालू परिसम्पतियों (₹ 0.008 करोड़) और अन्य परिसम्पतियों (₹ 3,600.87 करोड़) में वृद्धि के कारण ₹ 3,605.30 करोड़ की वृद्धि हुई।	अन्य वित्तीय परिसम्पतियों (₹ 3,605.12 करोड़) और आस्थगित कर परिसम्पतियों (₹ 0.91 करोड़) में कमी के कारण ₹ 3,606.03 करोड़ की कमी हुई।

**परिशिष्ट 5.1**  
**(प्रस्तर 5.3 में संदर्भित)**  
**एसपीएसई जिन्होंने अपने नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणों के अनुसार सीएसआर कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए योग्यता मानदण्डों को पूर्ण किया को दर्शाने वाला विवरण**

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरण का वर्ष	सीएसआर प्रावधानों की प्रयोज्यता के लिए एसपीएसई का शुद्ध लाभ <sup>3</sup>					तीन वर्षों के लाभ का योग	तीन वर्षों के लाभ का औसत	तीन वर्षों के लाभ के औसत का दो प्रतिशत	चयनित/अचयनित	चयन/अचयन के कारण	
			वर्ष	कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	वर्ष	कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	वर्ष						कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=	11=	12=	13	14
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2021-22	2020-21	-49.35	2019-20	116.31 <sup>4</sup>	2018-19	136.72 <sup>5</sup>	203.68	67.89	1.36	चयनित	आवंटन योग्य लाभ
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2021-22	2020-21	3.28	2019-20	-18.81	2018-19	-25.38	-40.91	एनए	एनए	अचयनित	हानि में चल रही
3	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2021-22	2020-21	0.95	2019-20	2.52	2018-19	3.74	7.21	2.40	0.05	चयनित	आवंटन योग्य लाभ
4	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2020-21	54.51 <sup>6</sup>	2019-20	578.55	2018-19	-385.31 <sup>7</sup>	247.75	82.58	1.65	चयनित	आवंटन योग्य लाभ
5	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	2021-22	-150.47	2020-21	-3566.14	2019-20	-1204.3	-4920.91	एनए	एनए	अचयनित	हानि में चल रही
6	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	2021-22	-365.18	2020-21	-3735.97	2019-20	-1067.86	-5169.01	एनए	एनए	अचयनित	हानि में चल रही

3 ऋणात्मक आंकड़े शुद्ध हानि दर्शाते हैं।

4 ₹ 116.91 करोड़ का शुद्ध लाभ से ₹ 0.60 करोड़ का समायोजन घटाया गया।

5 ₹ 160.92 करोड़ का शुद्ध लाभ से ₹ 24.20 करोड़ का समायोजन घटाया गया।

6 ₹ 125.60 करोड़ का शुद्ध लाभ से ₹ 71.09 करोड़ का समायोजन घटाया गया।

7 ₹ 356.27 करोड़ का शुद्ध हानि में ₹ 29.04 करोड़ का समायोजन जोड़ा गया।

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरण का वर्ष	सीएसआर प्रावधानों की प्रयोज्यता के लिए एसपीएसई का शुद्ध लाभ <sup>8</sup>						तीन वर्षों के लाभ का योग	तीन वर्षों के लाभ का औसत	तीन वर्षों के औसत का दो प्रतिशत	चयनित/अचयनित	चयन/अचयन के कारण
			वर्ष	कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	वर्ष	कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	वर्ष	कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (कॉलम 5 + कॉलम 7 + कॉलम 9)	11= (कॉलम 10/3)	12= कॉलम 11 का दो प्रतिशत)	13	14
7	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	2021-22	-1665.24	2020-21	-925.81	2019-20	-659.99	-3251.04	एनए	एनए	अचयनित	हानि में चल रही
8	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	2021-22	-2713.87	2020-21	-2241.24	2019-20	-629.03	-5584.14	एनए	एनए	अचयनित	हानि में चल रही
9	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	2022-23	2021-22	-215.45	2020-21	-172.1	2019-20	-231.05	-618.60	एनए	एनए	अचयनित	हानि में चल रही
10	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (लखनऊ मेट्रो)	2022-23	2021-22	-313.74	2020-21	-329.03	2019-20	-251.51	-894.28	एनए	एनए	अचयनित	हानि में चल रही
11	नोरखा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	2021-22	-95.24	2020-21	-78.29	2019-20	-92.25	-265.78	एनए	एनए	अचयनित	हानि में चल रही
12	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	2020-21	51.35	2019-20	62.97	2018-19	54.71	169.03	56.34	1.13	चयनित	आवंटन योग्य लाभ
13	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2020-21	2019-20	-6.46	2018-19	-9.14	2017-18	-0.91	-16.51	एनए	एनए	अचयनित	हानि में चल रही
14	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	2019-20	28.6	2018-19	-2.43	2017-18	कंपनी 23 मार्च 2018 को निगमित हुई, अतः एफ एस तैयार करने की कोई	26.17	13.09 <sup>8</sup>	0.26	चयनित	आवंटन योग्य लाभ

8 केवल दो वर्षों का औसत लिया गया।

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरण का वर्ष	सीएसआर प्रावधानों की प्रयोज्यता के लिए एसपीएसई का शुद्ध लाभ <sup>3</sup>						तीन वर्षों के लाभ का योग	तीन वर्षों के लाभ का औसत	तीन वर्षों के लाभ के औसत का प्रतिशत	चयनित/अचयनित	चयन/अचयन के कारण
			वर्ष	कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	वर्ष	कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	वर्ष	कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (कॉलम 5 + कॉलम 7 + कॉलम 9)	11= (कॉलम 10/3)	12= (कॉलम 11 का दो प्रतिशत)	13	14
								आवश्यकता नहीं है					
15	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	2013-14	136.95	2012-13	115.29	2011-12	207.19	459.43	153.14	3.06	चयनित	आवंटन योग्य लाभ
16	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2019-20	2018-19	35.55	2017-18	24.92	2016-17	26.64	87.11	29.04	0.58	चयनित	आवंटन योग्य लाभ
17	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	2019-20	12.36	2018-19	18.94	2017-18	12.21	43.51	14.50	0.29	चयनित	आवंटन योग्य लाभ
18	यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	2018-19	2.93	2017-18	13.94	2016-17	37.99	54.86	18.29	0.37	चयनित	आवंटन योग्य लाभ
19	डीएमआईसी इंडीगोटैड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	2021-22	2020-21	24.73	2019-20	7.81	2018-19	-114.15	-81.61	एनए	एनए	अचयनित	हानि में चल रही

स्रोत: एसपीएसई के वित्तीय विवरण

एनए का अर्थ है लागू नहीं

## परिशिष्ट 6.1

(प्रस्तर 6.8 में संदर्भित)

कंपनी द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी सूचना/अभिलेखों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	संदर्भ	निर्गत करने की तिथि	लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये अभिलेख/सूचना
<b>कंपनी का मुख्यालय</b>			
1.	लेखापरीक्षा मांग:11	06-04-2023	प्रारंभिक प्राक्कलनों से सम्बन्धित पत्राचार पत्रावलियाँ, प्रारंभिक प्राक्कलनों की स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, तकनीकी स्वीकृति (टीएस) से सम्बन्धित पत्राचार पत्रावलियाँ तथा वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान प्रदान की गई टीएस की हस्ताक्षरित प्रतियाँ
2.	लेखापरीक्षा मांग:14	13-04-2023	कॉलम संख्या 8 और 9 (कार्य पूर्ण होने की तिथि और कार्य ग्राहक को हस्तांतरित किए जाने की तिथि) से सम्बन्धित जानकारी।
3.	लेखापरीक्षा मांग:04	20-07-2023	वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान किए गए कार्यों का निर्धारित प्रारूप में विवरण/अभिलेख।
4.	लेखापरीक्षा मांग:05	20-07-2023	वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान संविदाकार/उप-संविदाकार के माध्यम से किए गए कार्यों का निर्धारित प्रारूप में विवरण।
5.	लेखापरीक्षा प्रेच्छा:03	21-07-2023	निर्धारित परीक्षणों की संख्या, परीक्षण रिपोर्टों तथा क्रय एवं उपयोग किए गए विभिन्न उपकरणों से सम्बन्धित सूचना।
6.	लेखापरीक्षा मांग:08	21-07-2023	वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान मुख्यालय/क्षेत्र में पदस्थापन, स्थानांतरण आदेश, जेम के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों तथा जारी की गई पदोन्नतियों का विवरण।
7.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण:08	24-07-2023	78 चयनित कार्यों के विभिन्न मदों के लेखा खातों का विवरण।
8.	लेखापरीक्षा मांग:14	24-07-2023	मासिक शेष राशि का विवरण एवं बैंक विवरणों की प्रतियाँ।
9.	लेखापरीक्षा मांग:16	24-07-2023	कल्याण उपकर, सेंटेंज, ब्याज, आयकर आदि से सम्बन्धित विवरण/अभिलेख।
10.	लेखापरीक्षा मांग:19	12-10-2023	वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृतियों (टीएस) का वर्षवार विवरण निर्धारित प्रारूप में।
11.	लेखापरीक्षा मांग:18	12-10-2023	वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों के संकलन की हस्ताक्षरित प्रति एवं सॉफ्ट प्रति, ग्राहकों की निधि पर अर्जित ब्याज का विवरण साथ में ग्राहकों की निधि को बनाए रखने वाले खातों का विवरण, अर्जित ब्याज के विभाजन (मुख्यालय का हिस्सा एवं ग्राहक का हिस्सा) की अपनाई गई प्रक्रिया, तथा 31 मार्च 2023 को में पक्षवार एवं आयु-वार देनदारों का विश्लेषण।
12.	लेखापरीक्षा मांग:21	21-10-2023	वर्ष 2018-19 से 2022-23 के कार्यों में जमा की गई ईएमडी/निष्पादन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बी जी/एफ डी आर से सम्बन्धित विवरण/अभिलेख।
13.	लेखापरीक्षा मांग:22	21-10-2023	डीडीओ का विवरण, रिटर्न्स, जेम के माध्यम से क्रय का अनुश्रवण एवं विनियमन के लिए विकसित की गई व्यवस्था, जेम के माध्यम से क्रय में आने वाली बाधाएं, निर्गत किए गए निर्देश एवं जेम के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद न करने पर की गई कार्रवाई आदि का विवरण।
14.	लेखापरीक्षा प्रेच्छा:11	27-10-2023	इकाई-वार स्वीकृत पदों, वास्तविक आवश्यकता एवं तैनात स्टाफ का विवरण निर्धारित प्रारूप में।
15.	लेखापरीक्षा मांग:26	30-10-2023	आउटसोर्स किए गए जनशक्ति एवं उनके भुगतान का विवरण, भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण/पदस्थापन, अवकाश नकदीकरण, वी आर एस, सेवानिवृत्ति सहित पेंशन नीति/दिशानिर्देशों का विवरण।

क्र. सं.	संदर्भ	निर्गत करने की तिथि	लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये अभिलेख/सूचना
16.	लेखापरीक्षा प्रेक्षा:12	01-11-2023	वर्ष 2018-19 से नियुक्त किए गए एफ ए का विवरण, सम्बन्धित सेवा जिससे एफ ए सम्बन्धित हैं, नियुक्ति पत्र की प्रति तथा वित्त सलाहकार की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित शासनादेश/परिपत्र/आदेश की प्रति।
17.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण:20	08-11-2023	शेष 60 चयनित कार्यों की नियुक्ति से सम्बन्धित फाइलें।
18.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण:22	08-11-2023	आंशिक रूप से उत्तर प्राप्त। 31 मार्च 2019, 2020, 2021, 2022 एवं 2023 को पड़ी हुई शटरिंग सामग्री/मशीनरी की प्राप्ति लागत एवं वर्तमान मूल्य, 31 मार्च 2020, 2021 एवं 2022 को उपयोगी एवं अनुपयोगी सामग्री/मशीनरी का विवरण, वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान सामग्री/मशीनरी के क्रय एवं निस्तारण का विवरण, समिति की रिपोर्ट आदि।
19.	लेखापरीक्षा मांग:30	09-11-2023	आईटी हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की खरीद एवं रखरखाव से सम्बन्धित पत्रावलियाँ तथा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से सम्बन्धित अभिलेख।
20.	लेखापरीक्षा मांग:31	21-11-2023	ई-पोर्टल (एफएमएस) पर 31 मार्च 2023 को कार्य की स्थिति/परियोजना का विवरण तथा वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान ई-पोर्टल (एफएमएस) से कार्यों/परियोजनाओं के समापन/हटाए जाने का वर्षवार विवरण।
21.	लेखापरीक्षा प्रेक्षा:13	23-11-2023	पत्राचार पत्रावलियाँ एवं भुगतान की गई विधिक शुल्क का विवरण।
22.	लेखापरीक्षा मांग:33	25-11-2023	उत्तर में उल्लिखित परिशिष्टियाँ।
23.	लेखापरीक्षा मांग:35	28-11-2023	ग्राहकों से प्राप्त बकाया राशि एवं इस सम्बन्ध में ग्राहक विभागों के साथ किया गया पत्राचार।
24.	लेखापरीक्षा मांग:36	04-12-2023	ई-निविदा आमंत्रित करने के लिए जारी किए गए निर्देश/दिशानिर्देश, प्रकाशित निविदाओं का विवरण, समाचार पत्रों में एनआईटी प्रकाशित करने की अपनाई गई प्रक्रिया, समाचार पत्रों के चयन के लिए अपनाए गए मानदण्ड, निविदा को अंतिम रूप देने के लिए अपनाई गई प्रणाली, निविदा अंतिमीकरण हेतु समिति का गठन, निविदा अन्तिमीकरण समिति की बैठकों की कार्यवृत्त की प्रतियाँ, निर्धारित पूर्णता तिथि से विलंबित कार्यों का विवरण उनके औचित्य/कारणों सहित तथा प्रबंधन द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण।
25.	लेखापरीक्षा मांग:42	15-12-2023	विभिन्न माननीय न्यायालयों में लंबित 364 मामलों पर किए गए विधिक व्यय का विवरण।
<b>कंपनी की फील्ड इकाइयाँ</b>			
26.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण: 8	18-08-2023	<b>राजकीय मेडिकल कॉलेज, बहराइच का निर्माण</b> एमबी, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से अब तक के सभी भुगतान अभिलेख (चेक बुक एवं बैंक विवरण सहित), अग्रिम एवं उनकी वसूली का विवरण, बीजी, कार्यादेश/आपूर्ति आदेश, एसटीपी/ईटीपी का विवरण, भण्डार/स्टॉक अभिलेख, नए कार्यों/अतिरिक्त कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख, थर्ड पार्टी परीक्षण एवं सम्बन्धित अभिलेख, निरीक्षण रिपोर्ट आदि।
27.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण:11	19-08-2023	<b>श्रावस्ती में नो-फ्रिल एयरपोर्ट का निर्माण</b> मृदा कार्य से सम्बन्धित अभिलेख।
28.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण:14	21-08-2023	<b>वन आवास, बलरामपुर का निर्माण</b> डीपीआर, प्रारंभिक प्राक्कलन, एमबी, भुगतान विवरण, कार्यादेश/आपूर्ति आदेश, निविदा दस्तावेज, रोकड़ बही, भण्डार एवं स्टॉक अभिलेख,

क्र. सं.	संदर्भ	निर्गत करने की तिथि	लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये अभिलेख/सूचना
			पीआरडब्ल्यू/आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अग्रिम, ग्राहक निधियों पर अर्जित ब्याज, आईयूटी, बीआरएस तथा कार्य की वर्तमान स्थिति।
29.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण:16	21-08-2023	<b>राजकीय डिग्री कॉलेज, बिसोहा, बलरामपुर का निर्माण</b> भंडार/स्टॉक अभिलेख एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, सभी भुगतानों/अग्रिमों का विवरण, लेखा बही, रोकड़ बही, चेक बुक एवं बैंक विवरण, कार्यादेश/आपूर्ति आदेश, एमबी, परामर्शदाताओं से सम्बन्धित अभिलेख, थर्ड पार्टी परीक्षण एवं सम्बन्धित अभिलेख, सामग्री उपभोग रजिस्टर, निरीक्षण रिपोर्ट, जाँच रिपोर्ट आदि।
30.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण:17	21-08-2023	<b>श्रावस्ती में स्वदेश दर्शन की बुद्ध सर्किट योजना के अंतर्गत पर्यटन कार्य</b> मूल/संशोधित तकनीकी स्वीकृति, ईएफसी, जीओ, संशोधित विस्तृत अनुमान, निरीक्षण रिपोर्ट, प्रयोगशाला रिपोर्ट, एमबी, तुलनात्मक विवरण तालिका निविदा पत्रावलियाँ सहित।
31.	लेखापरीक्षा मांग-13	03-08-2023	<b>(अ) दार-उल-शिफा परिसर, लखनऊ में विधान भवन विस्तार (कार्यालय भवन) का निर्माण:</b> मूल विस्तृत प्राक्कलन की प्रतियाँ, इकाई पीसीआर, निविदा अनुबंध पत्रावली, ब्लॉक-बी के लिए फर्नीचर की खरीद से सम्बन्धित अभिलेख, आपूर्ति आदेश/एल ओ आई पत्रावली आदि सहित, वैधानिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, माप पुस्तिकाएं, क्रय की गई सामग्री का विवरण, इकाई द्वारा सत्यापित एम एम-11, उपभोग प्रमाणपत्र, बैंक खाता विवरण एवं 31 मार्च 2023 का तुलन पत्र। <b>(ब) राजकीय मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर का निर्माण:</b> मूल विस्तृत प्राक्कलन एवं संशोधित विस्तृत प्राक्कलन की प्रतियाँ, संविदाकार के साथ निष्पादित अनुबंध का बीओक्यू, इकाई पीसीआर/संयुक्त पीसीआर, कार्यादेश पुस्तिकाएं एवं आपूर्ति आदेश पुस्तिकाएं, वैधानिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, चालू बीजकों का विस्तृत विवरण, मूल्यवृद्धि बीजकों की विस्तृत गणना पत्रक, बैंक विवरण एवं बैंक समाधान विवरण, 31 मार्च 2023 का तुलन पत्र एवं उपभोग प्रमाणपत्र। <b>(स) सैनिक स्कूल, कौहर, अमेठी का निर्माण:</b> 31 मार्च 2023 का तुलन पत्र, कार्य की माप पुस्तिकाएं, संविदाकार के चालू भुगतान वाउचर्स, कार्यादेश पुस्तिकाएं एवं आपूर्ति आदेश पुस्तिकाएं, ग्राहक द्वारा समायोजित न किए गए डब्ल्यूसीटी/टीडीएस से सम्बन्धित अभिलेख, बैंक खाता विवरण, बैंक स्टेटमेंट, बैंक मिलान विवरण तथा उपभोग प्रमाणपत्र। <b>(द) जेल मुख्य बाउंड्री वॉल, बस्ती का निर्माण:</b> 31 मार्च 2023 का तुलन पत्र एवं उपभोग प्रमाणपत्र।
32.	अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 463	13-03-2024	<b>विस्तृत परीक्षण हेतु चयनित समस्त 18 फील्ड इकाइयों से सम्बन्धित:</b> संविदाकार की लेखा पुस्तिका, सामग्री उपभोग विवरण, गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुसार स्थल पर संविदाकार द्वारा इकाई स्तर पर प्रयोगशाला की स्थापना का प्रमाण।

परिशिष्ट 6.2

(प्रस्तर 6.12.4 में संदर्भित)

तकनीकी स्वीकृति के बिना प्रारम्भ किए गए निर्माण कार्यों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (₹ लाख में)	तकनीकी स्वीकृति का माह	कार्य प्रारम्भ करने का माह	विलम्ब (माह में)
1.	सोबन सिंह जीना राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा का निर्माण (चरण 1 एवं 2)	21,677.00	अगस्त-14	अगस्त-12	24
2.	जिला न्यायालय, प्रयागराज में 24 न्यायालय कक्षों का निर्माण	2,455.42	नवम्बर-17	अप्रैल-13	56
3.	50 शय्या एनआरएचएम लालगंज, प्रतापगढ़ का निर्माण	633.48	नवम्बर-17	फरवरी-17	9
4.	सीएचसी डेरवा, प्रतापगढ़ का निर्माण	374.14	मार्च-17	जून-15	21
5.	जिला कारागार, प्रयागराज का निर्माण	16,011.29	सितम्बर-15	मई-15	4
6.	प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज का निर्माण (चरण-1)	20,009.34	सितम्बर-17	मार्च-17	6
7.	मेडिकल कॉलेज, सैफई का निर्माण-आवासीय कार्य	7,259.92	जनवरी-15	दिसम्बर-07	86
8.	नवीन जिला कारागार, इटावा का निर्माण	18,391.88	अगस्त-15	मार्च-15	5
9.	पीडब्ल्यूडी निरीक्षण गृह, इटावा का निर्माण	1,087.21	अक्टूबर-16	सितम्बर-16	1
10.	उ.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 500 शय्या वाले सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में 100 टाइप-V आवासों का निर्माण	8,405.63	मई-17	मार्च-17	2
11.	विधान भवन विस्तार (कार्यालय भवन), दार-उल-शिफा परिसर, लखनऊ	34,157.73	फरवरी-16	मार्च-13	36
12.	होटल प्रबंधन संस्थान, जगदीशपुर का निर्माण	4,760.00	नवम्बर-15	मई-15	6
13.	कारागार, बस्ती की मुख्य दीवार का निर्माण	353.39	अगस्त-12	मई-11	15
14.	राजकीय मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर का निर्माण	23,626.44	मार्च-12	अक्टूबर-08	42
15.	श्री राम जन्म भूमि परिसर सीसीटीवी कार्य, अयोध्या	2,065.08	मई-20	मार्च-20	2
16.	एस.एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा में वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था	90.05	मार्च-19	जनवरी-19	2
17.	एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, मेरठ में लेबर रूम मॉड्यूलर ओटी का निर्माण	1,674.08	नवम्बर-19	दिसम्बर-18	11
18.	लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, कानपुर में अग्निशमन कार्य	810.48	अप्रैल-22	मार्च-21	13
19.	मेडिकल कॉलेज, उरई में बाल चिकित्सा वार्ड में 100 शय्या पाइपलाइन, मेडिकल गैस पाइपलाइन कार्य।	73.03	दिसम्बर-21	अगस्त-21	4
20.	महाराजा सुहेलदेव स्वसाथी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच का निर्माण	18,916.66	जून-17	मार्च-17	3
21.	मेरठ में 14 न्यायालय कक्षों का निर्माण	1,977.66	सितम्बर-16	दिसम्बर-14	21
22.	व्याख्यान कक्ष और केंद्रीय पुस्तकालय भवन, मेरठ का निर्माण	1,617.60	दिसम्बर-17	अगस्त-15	28

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (₹ लाख में)	तकनीकी स्वीकृति का माह	कार्य प्रारम्भ करने का माह	विलम्ब (माह में)
23.	क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, गाजियाबाद का निर्माण (श्रेणी-ए)	5,863.76	अक्टूबर-16	मार्च -16	7
24.	एससी/एसटी गर्ल्स हॉस्टल, सेक्टर-62, नोएडा का नवीनीकरण कार्य	380.10	जनवरी -18	दिसम्बर-15	25
25.	सेक्टर-16ए, नोएडा में भूमिगत कार पार्किंग का निर्माण	7,614.00	सितम्बर-14	मई-14	4
26.	एसजीपीजीआई में मॉड्यूलर ओटी का कार्य	1,233.60	जून-18	अप्रैल-18	2
27.	राजकीय डिग्री कॉलेज, बलुआकोट, पिथौरागढ़ का निर्माण	138.30	कोई तकनीकी स्वीकृति नहीं	अप्रैल-16	-
28.	महिला डिग्री कॉलेज, जसपुर ब्लॉक, उधमसिंह नगर का निर्माण	333.00	कोई तकनीकी स्वीकृति नहीं	सितम्बर-15	-
29.	मिनी औद्योगिक आस्थान, मुनस्यारी का निर्माण	609.24	कोई तकनीकी स्वीकृति नहीं	जुलाई-15	-
30.	नर्सिंग कॉलेज, अल्मोड़ा का निर्माण (चरण-II)	1,698.29	कोई तकनीकी स्वीकृति नहीं	फरवरी-15	-
31.	पुरानी कचहरी, कानपुर नगर का नवीनीकरण	59.57	कोई तकनीकी स्वीकृति नहीं	मई-15	-
32.	वन आवास, बलरामपुर का निर्माण	158.09	कोई तकनीकी स्वीकृति नहीं	अगस्त-06	-
33.	राजकीय डिग्री कॉलेज, बिसोहा (गैसनी), बलरामपुर का निर्माण	1,170.55	कोई तकनीकी स्वीकृति नहीं	जनवरी -15	-
34.	इंदिरा गाँधी प्रतिष्ठान फर्निशिंग कार्य, लखनऊ	149.26	जनवरी-10	सितम्बर-04	65
<b>योग</b>		<b>2,05,835.27</b>			

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख/सूचना

परिशिष्ट 6.3

(प्रस्तर 6.12.5 में संदर्भित)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किए बिना निष्पादित कार्यों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	पर्यावरणीय अनापत्ति की तिथि	कार्य प्रारंभ हुआ	पर्यावरणीय अनापत्ति की तिथि तक कार्य निष्पादन की अवधि (माह में)	किया गया व्यय <sup>9</sup> (₹ करोड़ में)
<b>(अ) पर्यावरणीय अनापत्ति विलम्ब से प्राप्त की गयी</b>						
1.	डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ का निर्माण (चरण-2)	30,930.92	09/02/2021	03/2018	35	111.12
2.	नवीन जिला कारागार, इटावा का निर्माण	40,654.00	26/02/2018	03/2015	35	194.45
3.	सैनिक स्कूल, कौहार, अमेठी का निर्माण	26,888.78	26/09/2018	01/2017	20	31.42
4.	डॉ. राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ का निर्माण	71,656.08	05/03/2019	04/2016	35	245.18
5.	राजकीय मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़	37,338.80	07/07/2020	03/2019	16	51.99
6.	राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा का निर्माण	43,494.08	09/07/2019	08/2012	78	181.31
7.	जिला कारागार, प्रयागराज का निर्माण	47,243.82	16/09/2020	05/2015	66	117.48
<b>योग</b>						<b>932.95</b>
<b>(ब) पर्यावरणीय अनापत्ति मार्च 2023 तक प्राप्त नहीं की गयी</b>						
क्र. सं.	कार्य का नाम	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	पर्यावरणीय अनापत्ति की तिथि	कार्य प्रारंभ हुआ	मार्च 2023 तक कार्य निष्पादन की अवधि (माह में)	मार्च 2023 तक किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
1.	राजकीय मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर का निर्माण	1,39,932.02	--	10/2008	174	495.59
2.	रांची, झारखंड में 100 शय्या वाले ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण	23,034.55	--	05/2018	59	58.76
3.	उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 500 शय्या वाले सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण	1,07,900.27	--	02/2015	98	367.15
4.	उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 500 शय्या वाले सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में 100 टाइप-V आवासों का निर्माण	29,860.32	--	03/2017	73	62.97
5.	जिला अस्पताल, बहराइच का मेडिकल कॉलेज में उन्नयन	52,474.00	--	03/2017	73	166.19
<b>योग</b>						<b>1150.66</b>

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख/सूचना

<sup>9</sup> पर्यावरणीय अनापत्ति की तिथि से पूर्व माह के अंत तक।

**परिशिष्ट 6.4**  
(प्रस्तर 6.13.1 में संदर्भित)  
**कंपनी द्वारा आमंत्रित अल्पावधि निविदाओं को दर्शाने वाला विवरण**

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा की लागत (₹ करोड़ में)	एनआईटी की तिथि	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनों की संख्या
1.	डोड्डाबल्लापुर, बेंगलोर में 100 शैय्या वाले ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण	69.30	13-07-2017	01-08-2017	20
2.	महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच का निर्माण	136.28	03-05-2017	26-05-2017	24
3.	रीजनल कनेक्टिविटी नो फ्रिल एयरपोर्ट, श्रावस्ती (रनवे, एप्रन, टैक्सीवे आदि का निर्माण)	9.06	28-07-2018	25-08-2018	29
4.	रीजनल कनेक्टिविटी नो फ्रिल एयरपोर्ट, श्रावस्ती (टर्मिनल भवनों, बूम, कूलिंग पिट्स आदि का नवीनीकरण)	7.97	28-07-2018	14-08-2018	18
5.	पूसा, नई दिल्ली में पीपीवी और एफआरए परिसर के लिए प्लांट अथॉरिटी भवन और आवश्यक स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	110.75	02-07-2020	16-07-2020	14
6.	दीवानी परिसर, रायबरेली में 18 न्यायालय भवनों का निर्माण	24.75	15-09-2016	13-10-2016	29
7.	डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ का निर्माण (चरण-2)	88.76	31-10-2019	19-11-2019	20
8.	प्रतापगढ़ में वर्तमान जिला अस्पताल को नए शासकीय मेडिकल कॉलेज में उन्नयन	145.00	30-01-2019	09-02-2019	11
9.	जिला अस्पताल, सेक्टर 39, नोएडा का निर्माण	203.84	01-02-2014	22-02-2014	22
10.	हल्दिया, पश्चिम बंगाल में 100 शैय्या वाले ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण	53.97	10-05-2018	31-05-2018	22
11.	12वीं बटालियन एनडीआरएफ, होलौंगी, अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे का निर्माण	116.71	09-08-2019	30-08-2019	22
12.	जिला न्यायालय, प्रयागराज में 24 न्यायालय कक्षों का निर्माण	2.22	23-01-2019	31-01-2019	9
<b>योग</b>		<b>968.61</b>			

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख/सूचना

परिशिष्ट 6.5  
(प्रस्तर 6.13.2 में संदर्भित)  
इकाई प्रभारी द्वारा निर्गत किए गए कार्य आदेशों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	उप-संविदाओं की संख्या	कार्य आदेश की तिथि	धनराशि	उप-संविदाओं की कुल धनराशि	व्यक्तिगत उप-संविदाओं की धनराशि
1.	स्टाफ हाउसिंग टाइप-बी का निर्माण (प्लॉट एच, डी, और ओ) - 752 इकाई, पटना	माँ वैष्णो इन्फ्राकोन्स्ट्रैक्ट	4	08-07-2020	73.27	266.13	₹ 49.75 करोड़ से ₹ 73.72 करोड़
		माँ वैष्णो इन्फ्राकोन्स्ट्रैक्ट		29-06-2020	73.72		
		माँ वैष्णो इन्फ्राकोन्स्ट्रैक्ट		09-07-2020	69.39		
		माँ वैष्णो इन्फ्राकोन्स्ट्रैक्ट		10-07-2020	49.75		
2.	श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, समस्तीपुर का निर्माण	माँ वैष्णो इन्फ्राकोन्स्ट्रैक्ट	7	21-03-2020	75.00	442.86	₹ 15.92 करोड़ से ₹ 75.00 करोड़
		माँ वैष्णो इन्फ्राकोन्स्ट्रैक्ट		26-02-2020	75.00		
		माँ वैष्णो इन्फ्राकोन्स्ट्रैक्ट		27-04-2020	75.00		
		माँ वैष्णो इन्फ्राकोन्स्ट्रैक्ट		30-05-2020	75.00		
		माँ वैष्णो इन्फ्राकोन्स्ट्रैक्ट		15-06-2020	61.00		
		माँ वैष्णो इन्फ्राकोन्स्ट्रैक्ट		16-04-2021	65.94		
		माँ वैष्णो इन्फ्राकोन्स्ट्रैक्ट		17-04-2021	15.92		
		संजय कुमार		20-03-2020	15.00		
संजय कुमार	20-03-2020	10.00					
3.	लिकाबाली, असम में कुछ इकाइयों के लिए आवास का प्रावधान	बद्री राय एण्ड कंपनी	25	08-12-2016	4.93	98.14	₹ 10.00 करोड़ से ₹ 15.00 करोड़ से ₹ 0.27 करोड़ से ₹ 9.23 करोड़
		बद्री राय एण्ड कंपनी		08-12-2016	8.22		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		08-12-2016	5.90		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		08-12-2016	5.65		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		08-12-2016	6.82		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		08-12-2016	6.48		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		08-12-2016	5.05		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		08-12-2016	4.98		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		08-12-2016	9.23		

क्र. सं.	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	उप-संविदाओं की संख्या	कार्य आदेश की तिथि	धनराशि	उप-संविदाओं की कुल धनराशि	व्यक्तिगत उप-संविदाओं की धनराशि
		बद्री राय एण्ड कंपनी		08-12-2016	4.46		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		08-12-2016	4.71		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		08-12-2016	1.44		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		09-12-2016	1.07		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		09-12-2016	1.69		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		09-12-2016	0.27		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		09-12-2016	4.07		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		09-12-2016	0.78		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		09-12-2016	7.67		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		09-12-2016	0.53		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		09-12-2016	0.50		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		09-12-2016	2.19		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		09-12-2016	8.39		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		09-12-2016	0.29		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		09-12-2016	0.34		
		बद्री राय एण्ड कंपनी		09-12-2016	2.48		
		बद्री राय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	5	08-12-2016	4.67	22.26	₹ 2.75 करोड़ से ₹ 5.06 करोड़
		बद्री राय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड		08-12-2016	5.06		
		बद्री राय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड		08-12-2016	4.82		
		बद्री राय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड		08-12-2016	4.96		
		बद्री राय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड		09-12-2016	2.75		
		शिवा एंटरप्राइजेज	5	08-12-2016	4.97	13.79	₹ 0.45 करोड़ से ₹ 6.13 करोड़
		शिवा एंटरप्राइजेज		08-12-2016	6.13		
		शिवा एंटरप्राइजेज		08-12-2016	0.45		
		शिवा एंटरप्राइजेज		09-12-2016	1.37		
		शिवा एंटरप्राइजेज		09-12-2016	0.87		

क्र. सं.	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	उप-संविदाओं की संख्या	कार्य आदेश की तिथि	धनराशि	उप-संविदाओं की कुल धनराशि	व्यक्तिगत उप-संविदाओं की धनराशि
4.	नए मेघालय विधान सभा भवन का निर्माण, मावडियांगडियांग, शिलांग, मेघालय	बद्री राय एण्ड कंपनी बद्री राय एण्ड कंपनी शिवा एंटरप्राइजेज	2	18-06-2019 05-07-2019	43.16 41.87	85.03	₹ 41.87 करोड़ एवं ₹ 43.16 करोड़
5.	बापू टावर, गर्दनीबाग, पटना का निर्माण	माँ वैष्णो इन्फ्राकॉन्स्ट्रक्ट	1	05-07-2019 08-06-2020	21.54 72.92	21.54 72.92	₹ 21.54 करोड़ ₹ 72.92 करोड़
<b>योग</b>						<b>1,047.67</b>	

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख/सूचना

**परिशिष्ट 6.6**  
**(प्रस्तर 6.13.4 में संदर्भित)**  
**उप-संविदाकारों को अवमुक्त किये गये अप्रतिभूत अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण**

क्र. सं.	कार्य का नाम	उप-संविदाकार का नाम	अग्रिम प्रदान करने की अवधि	अवमुक्त अग्रिमों की संख्या	अवमुक्त अग्रिमों की कुल धनराशि (₹ लाख में)
1.	राजकीय मेडिकल कॉलेज, बहराइच का निर्माण	यूनिवर्सल कॉन्स्ट्रक्टर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	17-05-2019	1	79.79
2.	जिला कारागार, प्रयागराज का निर्माण	प्रकाश इंफ्रावैचर प्राइवेट लिमिटेड	30-08-2016 से 01-11-2018	8	1,450.00
3.	होटल प्रबंधन संस्थान, जगदीशपुर का निर्माण	श्री सिद्धेश्वर इंजीनियर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड	14-06-2016 से 31-01-2017	5	510.00
<b>योग</b>				<b>14</b>	<b>2,039.79</b>

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख/सूचना

**परिशिष्ट 6.7**  
**(प्रस्तर 6.13.4 में संदर्भित)**  
**उप-संविदाकारों को आपूर्ति की गई सामग्री के विरुद्ध अवमुक्त किये गये अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण**

क्र. सं.	कार्य का नाम	उप-संविदाकार का नाम	अग्रिम अवमुक्त करने की अवधि	अवमुक्त अग्रिमों की संख्या	अवमुक्त अग्रिमों की कुल धनराशि (₹ लाख में)
1.	मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा का निर्माण	अभिलाषा एंटरप्राइजेज़	05-05-2016 से 23-08-2018	7	914.00
2.	डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ का निर्माण (चरण-2)	गौतम बिल्डर्स	04-08-2021	1	50.00
3.	मिनी औद्योगिक आस्थान, मुनस्यारी का निर्माण	डी स्क्वायर कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स	03-10-2015 से 30-12-2015	3	115.00
4.	नर्सिंग कॉलेज, अल्मोड़ा का निर्माण	एलिमेंट्स डिज़ाइनर होम्स	18-11-2016 से 03-06-2017	3	247.72
5.	नर्सिंग कॉलेज, अल्मोड़ा का निर्माण	लूम क्राफ्ट्स शेड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	01-10-2015	1	35.00
6.	नर्सिंग कॉलेज, अल्मोड़ा का निर्माण	नू वर्ल्ड इंफ्राटेक	04-03-2015 से 14-12-2015	7	485.00
<b>योग</b>				<b>22</b>	<b>1,846.72</b>

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख/सूचना

**परिशिष्ट 6.8**  
**(प्रस्तर 6.13.4 में संदर्भित)**  
**उप-संविदाकारों को सम्पादित किन्तु मापन नहीं गए कार्य के विरुद्ध अवमुक्त किये गये अग्रियों को दर्शाने वाला विवरण**

क्र. सं.	कार्य का नाम	उप-संविदाकार का नाम	अग्रिम अवमुक्त करने की अवधि	अवमुक्त अग्रियों की संख्या	अवमुक्त अग्रियों की कुल धनराशि (₹ लाख में)
1.	प्रतापगढ़ में 50 बेड वाले अस्पताल का निर्माण	राधेमोहन दुबे कंस्ट्रक्शन कंपनी	01-10-2018 से 13-09-2019	5	65.00
2.	राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा का निर्माण	अभिलाषा एंटरप्राइजेज	29-01-2016 से 06-04-2023	7	595.00
3.	जिला कारागार, इलाहाबाद का निर्माण	प्रकाश इन्फ्रावेयर प्राइवेट लिमिटेड	01-03-2016 से 17-07-2018	6	1,805.00
4.	होटल प्रबंधन संस्थान, जगदीशपुर का निर्माण	सिद्धेश्वर इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	08-01-2016 से 08-03-2016	2	250.00
5.	मिनी औद्योगिक आस्थान, मुनस्यारी का निर्माण	डी स्ववायर कॉन्स्ट्रक्टर्स और बिल्डर्स	15-10-2016	1	62.00
6.	नवीन जिला कारागार, इटावा का निर्माण	कॉम्ट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड.	16-03-2016 से 21-07-2016	8	4,210.00
7.	पीडब्ल्यूडी गोस्ट हाउस, इटावा का निर्माण	सिद्धेश्वर इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	25-10-2016 से 27-02-2017	3	193.00
8.	सैनिक स्कूल, अमेठी का निर्माण	आर.पी.सिंह एण्ड कंपनी	08-03-2017	1	100.00
9.	प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज का निर्माण (चरण-1)	प्रदीप कुमार शर्मा	27-09-2017	1	3.96
10.	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सोनभद्र का निर्माण	स्पेस डिजाइनर	21-03-2017 से 22-03-2017	2	20.00
11.	राजकीय मेडिकल कॉलेज, मिर्जापुर का निर्माण	कॉम्ट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	16-04-2015 से 02-03-2016	10	1,433.00
12.	महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच का निर्माण	कसाना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	26-12-2019 से 12-09-2020	5	839.17
13.	श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, समस्तीपुर का निर्माण	युनिवर्सल कॉन्स्ट्रक्टर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	01-11-2018 से 08-05-2020	3	350.00
14.	डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ का निर्माण (चरण-2)	माँ वैष्णो इन्फ्राकॉन्स्ट्रक्ट	16-12-2022 से 01-10-2023	11	8,988.65
15.	स्टाफ हाउसिंग टाइप-बी (प्लॉट-एच, डी, और ओ) का निर्माण - 752 इकाइयाँ, पटना	एम.के. कंस्ट्रक्शन ग्लोबल फायर	13-10-2021 20-01-2022	1	1.50
		माँ वैष्णो इन्फ्राकॉन्स्ट्रक्ट	14-07-2021 से 23-02-2023	12	5,630.00
<b>योग</b>				<b>79</b>	<b>24,571.28</b>

**स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख/सूचना**

**परिशिष्ट 6.9**  
**(प्रस्तर 6.14.9 में संदर्भित)**  
**कार्य जहाँ कंपनी द्वारा मासिक खपत विवरण तैयार नहीं किया गया था को दर्शाने वाला विवरण**

क्र. सं.	कार्य का नाम
1.	केजीएमयू, लखनऊ के विभिन्न विभागों में मेडिकल गैस प्लांट और पाइपलाइन का निर्माण
2.	राजकीय डिग्री कॉलेज, बलुआकोट, पिथौरागढ़
3.	मिनी औद्योगिक आस्थान, मुनस्यारी, पिथौरागढ़
4.	दार-उल-शिफा परिसर, लखनऊ में विधान भवन (कार्यालय भवन) का विस्तार
5.	जेल मुख्य दीवार, बस्ती का निर्माण
6.	राजकीय डिग्री कॉलेज, बिसोहा (गैसनी), बलरामपुर का निर्माण

**स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख/सूचना**

# संक्षेपणों की सूची



संक्षेपणों की सूची	
संक्षिप्त रूप	पूर्ण विवरण
एजीएम	वार्षिक साधारण अधिवेशन
बीओडी	निदेशक बोर्ड
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीएफओ	मुख्य वित्तीय अधिकारी
सीपीडब्ल्यूडी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीएस	कंपनी सचिव
सीएसआर	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
ईबीआईटी	ब्याज एवं कर पूर्व आय
ईएमडी	अर्नेस्ट मनी डिपाजिट
ईटीपी	एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट
एफए	वित्तीय सलाहकार
एफएचबी	वित्तीय हस्तपुस्तिका
जीएफआर	सामान्य वित्तीय नियम
उ.प्र. सरकार	उत्तर प्रदेश सरकार
जीएम	महाप्रबंधक
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
हुडको	हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आईएसबी	अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड
आईसीएआई	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया
आईएफआरएस	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों
आईजीएपी	सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखा सिद्धांतों
इंड एस	भारतीय लेखा मानकों
केएमपी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
एलओए	कार्यादेश पत्र
एमसीए	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
एमडी	प्रबंध निदेशक
एमओईएफ	पर्यावरण और वन मंत्रालय
एनआरसी	नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति
एनआईएएल	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
पीएटी	कर पश्चात् लाभ
पीबीटी	कर-पूर्व लाभ

संक्षिप्त रूप	पूर्ण विवरण
पीएमसी	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
आरओई	इक्विटी पर प्रतिफल
आरओसीई	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल
एसएआर	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
एसईआईए	राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण
एसपीएसई	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
एसटीपी	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
यूपीपीडब्ल्यूडी	उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग
यूपीएसआरटीसी	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
यूपीवैट	उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर



© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<https://cag.gov.in/ag2/uttar-pradesh>

